पंचम माला, खंड 25, अंक 26 — मंगलवार, 27 मार्च, 1973/6 चैत्र, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXV, No. 26 — Tuesday, March 27, 1973/Chiatra 6, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र / Seventh Session]

5th Lok Sabha

[खंड 25 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. XXV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये — *Price : Two Rupees*

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 26, मंगलवार, 27 मार्च, 1973/6 चैत्र, 1895 (शक)

No. 26, Tuesday, March 27, 1973/Chaitra 6, 1895 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
481. डिगा टाउनशिप को बचाने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता का अनुरोध	Request by West Bengal Government for Central Assistance to save Digha Township ..	1—2
482. केरल को मध्यम सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिये सहायता	Assistance to Kerala for Medium Irrigation and Power Projects ..	2—3
483. थीन बांध के निर्माण पर विवाद	Controversy over construction of Thein Dam ..	3—4
484. रोहतास जिले में गंधक के तेजाब के संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Sulphuric Acid Plant in Rohtas District ..	4—5
485. मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में कोरबा में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up of a Fertilizer Plant at Korba in District Bilaspur, M. P. ..	5—7
488. पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों पर दण्ड	Punishment of Railway Employees of North Eastern Railway on Corruption Charges ..	8—9
490. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में काम कर रहे विदेशी तकनीशियन	Foreign Technicians engaged in O & NGC ..	9—10
491. राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in States ..	10—14
492. तुंगभद्रा परियोजना बोर्ड का पुनर्गठन	Reconstitution of Tungabhadra Project Board ..	14—17

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस दस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates thas the question was actually ked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

486. गुजरात में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना	Conversion of Metre Gauge Lines into Broad Gauge in Gujarat	..	17—18
487. प्रथम श्रेणी (जूनियर वेतनक्रम) और द्वितीय श्रेणी के समान कर्त्तव्यों का निर्वहन करने वाले अधिकारियों के लिए समान वेतनक्रम	One Scale of Pay for Class I (Junior Scale) and Class II Officers for discharging the same Duties	..	18
489. रूसी विशेषज्ञों द्वारा तेल भंडारों का मूल्यांकन	Assessment of oil deposits by Soviet Experts	..	18—19
493. उत्तर प्रदेश द्वारा जेनरेटरों और टर्बाइनों का आयात	Import of Generators and Turbines by U. P.	..	19
494. तट दूर ड्रिलिंग के लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त करना	Acquisition of know-how for off-shore Drilling	..	19—20
495. सिविल प्रक्रिया संहिता में आमूल परिवर्तन	Radical Changes in the Civil Procedure Code	..	20—21
496. भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारियों की एसोसियेशन को मान्यता न देने के कारण	Reasons for non-recognition of Officers' Association of FCI	..	21
497. कृष्णा नदी में पानी का बहाव	Flow of Water in Krishna River	..	21—22
498. विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा विस्तार की मांग	Expansion sought by Foreign Pharmaceutical Companies	..	22—23
499. उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के बड़े औद्योगिक गृहों के उद्योगों को बिजली की सप्लाई	Supply of Power to Industries belonging to large industrial houses in U. P. and Bihar States	..	23—24
500. इण्डियन विस्फोटक कारखाने को भेजे गये वैगन से 287 धुआं बमों का बरामद होना	Recovery of 287 Smoke Bombs from a Wagon sent to Indian Explosives Fertiliser Factory	..	24

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

4728. कर्मचारियों को सेवा से निकाल देने का दण्ड	Punishment of removal from service of Railway Staff	..	24—25

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या *U. S. Q. Nos.*		
4729. पूर्वोत्तर रेलवे में बिना टिकट यात्रियों से वसूल की गई धन राशि	Amount realised from tickteless travellers on N. E. Railway ..	25
4730. मध्य प्रदेश में रेलवे की सुविधा प्राप्त जनसंख्या तथा क्षेत्र	Population and area served by Railways in Madhya Pradesh ..	25
4731. मध्य प्रदेश की नई नदी घाटी परियोजनायें	New river valley Projects from Madhya Pradesh ..	26
4732. मध्य प्रदेश की उतावली नदी सिंचाई परियोजना को पांचवीं योजना में शामिल करना	Inclusion of Utawali River Irrigation Project in M. P. in Fifth Plan ..	26
4733. सोनीपत/पानीपत से दिल्ली तक रेल लाइन को दोहरा बनाना	Doubling of Rail Line from Sonipat/ Panipat to Delhi ..	26—27
4734. भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी, रिहन्द बांध और ओबरा तापीय बिजली संयंत्रों द्वारा बिजली उत्पादन	Production of power by Bhakra Nangal, Damodar Valley, Rihand Dam and Obra Thermal Plants ..	27
4735. पुन: सहवास आरम्भ न किये जाने के आधार पर विवाहित पुरुष अथवा महिला को तलाक मांगने का अधिकार	Right of Parties to a Marriage to seek Divorce on ground of non-resumption of cohabitation ..	28
4736. भेषज मूल्यों को स्वीकृति देने हेतु सेल की स्थापना	Setting up of a Cell for approval of Drug Prices ..	28—29
4737. भेषज मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 की क्रियान्विति का मूल्यांकन	Assessment of the Working of Drugs Price Control Order, 1970 ..	29
4738. विदेशी फर्मों द्वारा बड़ी मात्रा में भेषजों (बल्क ड्रग) का आयात	Import of Bulk Drugs by Foreign Firms ..	29—30
4739. भेषज मूल्यों के निर्धारण के लिये आवेदन पत्र	Applications for fixation of Drug Prices ..	30—31
4740. इण्डियन रेलवेज 1971-72	Indian Railways 1971-72 ..	31—32
4741. 1973-74 में उत्तर प्रदेश में गावों का विद्युतीकरण	Electrification of Villages in U. P. during 1973-74 ..	32

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

4742. मैसर्स होयस्ट फार्म्यूसिटिकल्स लिमिटेड के लिये अनलजिन का आयात	Import of Analgin for M/s Hoechst Pharmaceuticals Ltd. ..	32
4744. इंडियन टोबेको कम्पनी लिमिटेड और वजीर सुल्तान कम्पनी लिमिटेड की निर्बन्धात्मक तथा एकाधिकारवादी व्यापार प्रक्रियाएं	Restrictive and Monopolistic Trade practices by Indian Tobacco Company Ltd. and Vazir Sultan Company Ltd. ..	33
4745. दिल्ली अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों को अटैली मंडी के लिये टिकटों का न दिया जाना	Tickets for Ateli Mandi by Delhi Ahmedabad Janta Express not issued to passengers ..	33
4746. कोचीन में तीसरे उर्वरक संयंत्र की स्थापना	Setting up of third Fertilizer Plant at Cochin ..	33—34
4747. आधुनिक पुल निर्माण प्रोद्योगिकी संस्थान (एडवान्स ब्रिज टैक्नालोजी इंस्टीट्यूट) की स्थापना	Setting up of an Advance Bridge Technology Institute ..	34
4748. एर्नाकुलम त्रिवेन्द्रम मीटर गेज लाइन का ब्राडगेज लाइन में बदला जाना	Conversion of Meter Gauges Ernakulam Trivandrum Line into Board Gauge Line ..	34
4749. मैसूर में रेलवे लाइन	Railway Lines in Mysore ..	35
4750. राजस्थान में पाइराइट निक्षेपों का खनन	Pyrite reserves exploitation in Rajasthan ..	35—36
4751. उड़ीसा में जल निकास की योजना	Drainage Scheme in Orissa ..	36
4752. मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता	Machinery Manufacturers Corporation Ltd. Calcutta ..	36—37
4753. पश्चिम रेलवे के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध जांच	Enquiry against Railway Officers and Employees of Western Railway ..	37
4754. गंडक परियोजना में पानी रिसने की गम्भीर समस्या	Grave Seepage in Gandak Project ..	37

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4755. कृष्णा और गोदावरी न्यायधिकरण द्वारा पंचाट दिये जाने तक महाराष्ट्र और अन्ध्र प्रदेश में मुख्य सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी	Clearance of Major Irrigation Projects in Maharashtra and Andhra Pradesh pending awards of Krishna and Godawari Tribunals ...	38—43
4756. नई दिल्ली स्टेशन पर मध्य रेलवे के एक अधिकारी का व्यवहार	Behaviour of Railway Official of Central Railway at New Delhi Station ..	43
4757. पोलिस्टर कपड़ा मिलें	Polyster Textile Units ..	43—44
4758. रोजगार प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय जल ग्रिड योजना की क्रियान्विति	Execution of National Water Grid Scheme for providing jobs ..	44
4759. मध्य प्रदेश में श्री बिड़ला और उनके परिवार के सदस्यों के अंशों वाली औद्योगिक और वाणिज्यिक कम्पनियां	Industrial and Commercial Companies in Madhya Pradesh in which Shri Birla and his family members are share holders	44
4760. चार्टर्ड लेखापालों के बीच लेखा परीक्षा कार्य का समान वितरण	Equitable distribution of Audit Work among Chartered Accountants	44—45
4761. उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में छुट्टियां	Holidays enjoyed by Supreme Court and High Courts ..	45
4762. बिहार में सूखा	Droughts in Bihar ..	45—46
4763. शा वैलेस एण्ड कम्पनी	Shaw Wallace and Co. ..	46
4764. पांचवीं योजना में उर्वरक उत्पादन	Fertilizer production in Fifth Plan ..	47—48
4765. हरियाणा में नेहरू नहर परियोजना	Nehru Canal Project in Haryana ..	48
4766. मंगलौर पत्तन पर एक उर्वरक कारखाने की स्थापना करना	Setting up a Fertilizer Plant at Mangalore Port ..	48—49
4767. विद्युत बोर्ड में इंजीनियरों की हड़ताल के कारण ऋषिकेश में एंटीबायटिक्स संयंत्र को हुआ घाटा	Loss suffered by Antibiotics Plant in Rishikesh due to Electricity Board Engineers' Strike ..	49
4768. अमझोर के पायराइट्स फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड के मजदूरों से ज्ञापन	Memorandum from labourers of Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited, Amjhor ..	49

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4769. इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन की भेषज उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की मांग	Demand by Indian Medical Association to nationalise Drug Industry ..	49—50
4770. केरल द्वारा मांगे गये और उसे सप्लाई किये गये मिट्टी के तेल की मात्रा	Quantity of Kerosene Oil demanded by and Supplied to Kerala ..	50
4771. वर्ष 1973-74 के दौरान मध्यम दर्जे की सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिये केरल की योजनायें	Kerala Schemes for Developing Medium Irrigation facilities during 1973-74 ..	50—51
4772. तापीय बिजली घर	Thermal Power Stations ..	51
4773. हिमाचल प्रदेश के नदौन, ज्वालामुखी, परागपुर तथा अन्य स्थानों में रेलवे आउट एजेंसियों के बन्द होने के विरोध में अभ्यावेदन देना	Representation against Closure of Railway out-Agencies at Nadaun, Jwalamukhi, Pragpur and other places in Himachal Pradesh ..	51—52
4774. नंगल उर्वरक संयंत्र का विस्तार	Expansion of Nangal Fertiliser Plant ..	52—53
4775. भारतीय तलाक अधिनियम, 1869 का संशोधन	Amendment of the Indian Divorce Act 1869 ..	53
4776. कालका से परामानु तक ब्राड गेज लाइन के विस्तार के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार का अनुरोध	Himachal Pradesh Grovernment's request for extension of Broad Gauge Line from Kalka to Parmanu	53
4777. बिहार के चम्पारन जिले में विद्युती करण	Electrification in Champaran District of Bihar ..	53—54
4778. चम्पारन के यात्रियों के लिये तेज गाड़ियों का चलाया जाना	Introduction of fast trains for passengers at Champaran ..	54
4779. मध्य प्रदेश में विधान परिषद् की स्थापना करना	Establishment of Upper House in Madhya Pradesh ..	54—55
4780. प्लास्टिक की आयातित और देश में उत्पादित मात्रा	Quantity of plastic imported and indigenously produced ..	55
4781. सहायक लेखा अधिकारी के पदनाम को लेखा अधिकारी के पदनाम में बदलना	Change In designation of Assistant Accounts Officecs as Accounts Officers ..	56

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4782. भारत के संविधान का अनुवाद	Translation of the Constitution of India ..	56
4783. अलाभप्रद रेलवे लाइनों के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to uneconomic Railways lines ..	56—57
4784. बिजली की सुविधा रहित हरिजन बस्तियां	Harijan Colonies not electrified ..	57
4785. बरौनी उर्वरक कारखाने को चलाने में विलम्ब	Delay in Commissioning of Barauni Fertilizer Factory ..	57—58
4786. देश में बिजली की दरें समान आधार पर निर्धारित करना	Fixation of Power Rates on a uniform basis in the country ..	58
4787. पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेट्रो रसायन उद्योग समूह स्थापित करना	Setting up of Petro Chemical Complexes during Fifth Five Year Plan ..	59
4788. नये उद्योगों को बिजली की सप्लाई	Supply of power to New Industries ..	59
4789. बिहार में उच्च न्यायालय में अनिर्णित मामले	Cases pending with High Court of Bihar ..	59—60
4790. स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव	Railway stations proposed to be modernised ..	60
4791. जम्मू में सूरीनसर कुयें का खुदाई कार्य बन्द करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श	Consultation of Foreign Experts to discontinue drilling operation at Surinsar Well in Jammu ..	60—61
4792. लोक सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि	Increase in the number of Members of Lok Sabha ..	61
4793. लखनऊ दिल्ली रेल मार्ग का विद्युतीकरण	Electrification of Lucknow-Delhi Railway Tracks ..	61
4794. उड़ीसा के दंगों के दौरान रेलवे को हुई क्षति	Damage caused to Railways during distrubances ..	62
4795. सिंदरी फर्टिलाजर बैटल्स औन थ्री फ्रन्ट्स टू रिगेन स्टैबिलिटी (पुनः स्थिरता लाने के लिये सिंदरी उर्वरक संयंत्र द्वारा तीन मोर्चों पर संघर्ष)	Sindri Fertilizer battles on three fronts to regain stability ..	62

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
4796.	भारतीय रेलों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की प्रयोगशाला अधीक्षक के रूप में पदोन्नति	Promotion of technically trained qualified staff as Laboratory Superintendent on Indian Railways ..	63
4797.	डिप्लोमाधारी सहायक रसायनज्ञ की प्रयोगशाला अधीक्षक (325-575 रुपये) के रूप में पदोन्नति	Diploma holder Assistant Chemicals promotion as Laboratory Superintendent (Rs. 325-575) ..	63
4798.	भारतीय उर्वरक निगम के केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता के भुगतान में भेद भाव	Discrimination in payment of House Rent Allowances to the Employees of Central Office of FCI ..	64
4799.	भारतीय उर्वरक निगम में आचार सम्बन्धी नये नियम	New Conduct Rules in FCI ..	64—65
4800.	खाडिलकर सूत्र के अनुसार सरकारी उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to the Employees in accordance with Khadilkar Formula by Public Undertakings ..	65
4801.	हिमाचल प्रदेश द्वारा सतलज और व्यास नदियों के किनारे नलकूप लगाना	Installation of tube wells along River Satluj and Beas by HimachalPradesh ..	66
4802.	ईंधन के तेल की मांग और उसका उत्पादन	Demand and production of Fuel Oil ..	66
4803.	विकास हेतु मंजूर की गई राशि का उत्तर प्रदेश और बिहार द्वारा वापिस किया जाना	Surrender of amount sanctioned for development and Irrigation by U. P. and Bihar ..	67
4804.	पेंशन निधि के लिये नियतन तथा वास्तविक व्यय	Allocation to and actual expenditure from Pension Fund ..	67
4805.	मध्य प्रदेश सरकार का दिल्ली राजहरा-जगदलपुरलाइन के बारे में अनुरोध	Madhya Pradesh Government request for Delhi-Rajhara-Jagdalpur Railway Line ..	68
4806.	भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट से उत्पादन शुल्क की मांग	Demand of Excise Duty from Trombay Unit by FCI ..	68

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4807. भारतीय उर्वरक निगम में कार्यकारी निदेशकों का निदेशक बोर्ड में प्रभुत्व	Domination of Board of Directors Functional Directors in FCI	..	68
4808. भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों द्वारा अपने त्याग पत्रों को मंत्रालय के माध्यम से न दिये जाने के खिलाफ अवज्ञा के आरोप	Charges of insubordination against Directors of FCI for by—passing Ministry in submitting their resignations	..	69
4809. अशोधित तेल के आयात में कटौती	Cut in Import of Crude	..	69
4811. रेलवे विभागों में अपराधों को कम करने के उपायों पर विचार करने के लिये पांच राज्यों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन	Conference of Home Ministers of Five States to consider measures to reduce crimes in Railways	..	69—70
4812. खड़गपुर से खुरदा रोड तक बहुसरणि संचार पद्धति (सूक्षम तरंग) का पूरा किया जाना	Completion of multi channel communication system (Microwave) from Kharagpur to Khurda Road	..	70
4813. कटक रेलवे स्टेशन के सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों के लिये वर्ग II और वर्ग III के क्वार्टरों का निर्माण	Construction of type II and III quarters for GRP personnel at Cuttack	..	71
4814. मध्य प्रदेश से पंजाब को बिजली की सप्लाई	Supply of power to Punjab from Madhya Pradesh	..	71
4815. रतलाम भोपाल रात्रि ट्रेन तथा मथुरा-बड़ौदा यात्री गाड़ी का बन्द होना	Non-running of night train from Ratlam to Bhopal and passenger train from from Mathura to Baroda	..	71—72
4816. विद्युत संकट के बारे में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने के लिये तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का सुझाव	Suggestion of Chief Minister of Tamil Nadu for convening a conference of Chief Ministers on Power Crisis	..	72
4817. अशोधित तेल के आयात के लिये विदेशी तेल कम्पनियों को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना	Release of Foreign Exchange to Foreign Oil Companies for Import of Crude	..	72—73

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

U. S. Q. No.	विषय	Subject	Pages
4818.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तलचेर विमलगढ़ रेल लिंक (दक्षिण-पूर्व रेलवे) का निर्माण	Construction of Talcher Bimalgarh Rail Link during Fifth Five Year Plan (South Eastern Railway) ..	73
4819.	विद्युत तथा जल के लिये पंजाब, राजस्थान द्वारा संघर्ष	Punjab Rajasthan fight for power and water .	73—74
4820.	श्यामगढ़ से झाबुआ जिले ले जाये जा रहे मक्का के वैगनों को कोटा स्टेशन पर रोका जाना	Detention of wagons of maize at Kotah Station while on transportation from Shamgarh to Jhabua District ..	74
4821.	कोटा के गोदाम को आलेनिया स्टेशन ले जाना	Shifting of godown of Kota to Alania station ..	74
4822.	मैसूर के उत्तर कनारा जिला में कास्टिक सोडा कारखाना लगाने के संबंध के शिकायतें	Complaints regarding location of a caustic soda factory in North Kanara District of Mysore ..	74—75
4823.	छोटे तथा मध्यम स्तर के रेलवे केटरिंग ठेकेदारों को हटाना	Elimination of Small and Medium Railway catering contractors ..	75
4824.	कोसी नहर में बालू जमाव	Silting in Kosi Canal ..	75
4825.	सभी राज्यों में वकीलों की एक जैसी पोशाक	Uniformity in the dress of Lawyers in all the States ..	75—76
4826.	मध्य प्रदेश में एक सुपर पावर थर्मल स्टेशन की स्थापना	Setting up of a Super Power Thermal Station in M. P. ..	76
4827.	भोपाल स्टेशन पर जयन्ती जनता एक्सप्रैस के लिये आरक्षण कोटा	Reservation quota for Jayanti Janta Express at Bhopal Station ..	76
4828.	वाण सागर बांध का कार्य	Work on Ban Sagar Dam ..	77
4829.	गुजरात के कच्छ जिले में गैस और तेल के लिये सर्वेक्षण	Survey for Gas and Oil in Kutch District of Gujarat ..	77
4830.	पहलेजा घाट और महेन्द्रू घाट पर केटरिंग प्रबन्ध ठेकेदारों को सौंपने का प्रस्ताव	Proposal to hand over Catering arrangement to Contractors at Palezaghat and Mahendru Ghat ..	77—78
4831.	मालदह से बलूरघाट तक, बरास्ता गजोल, (पश्चिम बंगाल) बड़ी लाइन	Broad Gauge line from Maldah to Balurghat via Gazol (West Bengal) ..	78

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4832. पुराने हो चुके वैगनों के प्रयोग के कारण चाय यातायात की हानि	Loss of tea traffic due to use of worn out wagons ..	78
4833. मालदाह से ब्लूरघाट तक बनाई जाने वाली बड़ी लाइन के लिये भूमि का अधिग्रहण	Acquiring of land for proposed broad gauge line from Maldha to Balurghat ..	79
4834. नई दिल्ली स्टेशन के सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि	Increase in the strength of Sanitary Staff at New Delhi Station ..	79
4835. हसनपुर से सकरी तक नई लाइन	New Line from Hasanpur to Sakri ..	80
4836. संविधान के अनुच्छेद 226 का संशोधन	Amendment of Article 226 of the Constitution ..	80
4837. फरक्का बांध परियोजना में कार्य कर रहे कर्मचारी	Employees working at Farakka Barrage Project ..	80
4838. पश्चिम बंगाल में तापीय बिजली परियोजना की स्थापना	Setting up of Thermal Power Project in West Bengal ..	81
4839. एकाधिकार गृहों के रूप में दर्ज कम्पनियां	Companies enlisted as Monopoly Houses ..	81
4840. वाणिज्य विभाग के कार्यकरण के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की टिप्पणियां	Observation of ARC for Commercial Department ..	81
4841. जोनल रेलों पर व्यापारियों से अल्प प्रभार वसूल करने की समान दर	Uniform Rate for recovering under charge from Traders on Zonal Railways ..	82
4842. ड्रिलिंग प्लेटफार्म को अलियाबेट से किसी नये स्थान पर ले जाना	Shifting of drilling platform from Aliabet to a new site ..	82
4843. पश्चिम बंगाल में केनिंग और हस्नाबाद के बीच रेलमार्ग	Rail Link connection between Canning and Hasnabad in West Bengal ..	83
4844. पूर्वी क्षेत्रों और बंगाल की खाड़ी के टापू क्षेत्रों की खोज का कार्य	Exploration in Eastern Region and Island Areas of Bay of Bengal ..	83—84
4845. कच्चे तेल के आयात की संभावनाओं का पता लगाने के लिये एक दल की विदेश यात्रा	Visit of a Team abroad for exploring the possibilities of importing Crude ..	84

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4846. अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक के कार्यालय के समक्ष धरना	Dharna by All India Scheduled Castes and Scheduled Tribes Railway Employees before Geneal Manager (Northern Railway) ..	84
4847. रेल यातायात से सम्बन्धित कार्य का पूरा होना	Completion of Work relating to Railway Traffic ..	85
4848. दरभंगा जिले और उत्तर बिहार के बीच पुरानी रेलवे लाइन को फिर से चालू करना	Restoration of old Railway Lines between Darbhanga District and North Bihar ..	85
4850. मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि	Rise in price of Kerosene Oil ..	85—86
4851. मथुरा के निकट सोनाई रेलवे स्टेशन को लूटा जाना	Looting of Sonai Railway Station near Mathura ..	86
4852. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूकंपीय सर्वेक्षण जलयान की खरीद	Purchase of seismic Survey vessel by O and N. G. C.	87
4853. त्रिवेन्द्रम के निकट थुम्बा स्थान पर नये स्टेशन की स्थापना	Opening of a New Station at Thumba near Trivandrum ..	87
4854. तारापुर भावनगर रेलवे लाइन पर होने वाली हानि को वहन करने के लिये गुजरात सरकार का सहमत होना	Gujarat Government ready to bear loss on Tarapore-Bhavnagar Railway Line ..	88
4855. पनबिजली घरों में बिजली का उत्पादन	Production of Power in Hydel Power Stations ..	88
4856. कम्पनियों के कार्यकरण के बारे में रिपोर्ट	Reports regarding working of Companies ..	88—89
4857. दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा हरियाणा को और अधिक बिजली की सप्लाई	Supply of more power to Haryana by DESU	89
4858. नरकटियागंज में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक को पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन	Memorandum submitted by North Eastern Railway Majdoor Union to General Manager, North Eastern Railway at Narkatia Ganj ..	89—90

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

4859. बिहार में खिरोई नदी पर जल फाटक एवं पुलों का निर्माण	Construction of sluice gates-cum-bridges on River Khiroi in Bihar ..	90
4860. पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ का दरभंगा में रेल मंत्री से मिला विशाल प्रतिनिधिमंडल और उन्हें दिया गया ज्ञापन	Mass Deputation and Memorandum submitted to Railway Minister a Darbhanga by North Eastern Railway Majdoor Union ..	90—92
4861. दिल्ली और मेरठ के बीच दोहरी रेल लाइन	Double Railway track between Delhi and Meerut ..	92
4862. सरकारी कार्यालयों में बिजली का प्रयोग	Use of Electricity in Government Offices ..	93
4863. तेलीचेरी से मैसूर तक रेलवे लाइन	Railway line from Telicherry to Mysore ..	93
4864. केरल के समुद्र तट पर विदेशी सहयोग से तट दूर ड्रिलिंग	Off-shore drilling on Kerala Coast with Foreign Collaboration ..	93—94
4865. संविधान के अनुच्छेद 136 तथा 226 में संशोधन	Amendment of Articles 136 and 226 of the Constitution ..	94
4866. गोंडिया बालाघाट मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना	Conversion of Gondia Balaghat Metre Gauge into Broad Gauge ..	94
4867. मिजोविद्रोहियों द्वारा ऐजल बिजली घर नष्ट किया जाना	Destruction of Power Station of Aizal by Mizo Hostiles ..	95
4868. उत्तर बंगाल में उर्वरक कारखाना लगाना	Setting up of fertilizer plant in North Bengal ..	95
4869. उड़ीसा में सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिये धन	Funds for construction of Irrigation and Power Projects in Orissa ..	95—96
4870. जापान द्वारा फ्लोटिंग रिग की सप्लाई	Supply of Floating Rig by Japan ..	96
4871. आगरा-बाह रेलवे लाइन का विस्तार करके उसे पुनः बिछाना	Restoration of Agra-Bah Line and its extension ..	97
4872. बटेश्वर, बाह और भद्रौली होकर शिकोहाबाद और मुरैना के बीच रेलवे लाइन	Railway line between Shikohabad and Morena via Bateshwar, Bah and Bhadrauli ..	97

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4873. कोचीन-कायंकुलम् तटवर्ती रेलवे लाइन का निर्माण	Construction of Cochin-Kayankulam Coastal Railway Line ..	97
4874. रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने वाले क्षेत्रों के निवासियों पर दण्डात्मक कर लगाना	Levy of Punitive Tax upon people of an area where Railway property is damaged ..	98
4875. दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के बीच सीधी तेज गति की रेल सेवाएं आरम्भ करना	Introduction of direct Fast Trains services between Delhi and State Capitals ..	98
4876. लखनऊ और बम्बई के बीच तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी चलाना	Introduction of a Fast Train between Lucknow and Bombay ..	98
4877. विभिन्न जोनों में रेलवे लाइनों को दोहरा किया जाना	Doubling of Railway Lines in various Zones ..	98
4878. दिल्ली और बम्बई के बीच तेज गति वाली रेल गाड़ी आरम्भ करना	Introduction of Fast Train between Delhi and Bombay ..	99
4879. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड में सरकार का साम्य पूंजी निवेश तथा इसमें हुई हानि	Equity investment and losses incurred by IDPL ..	99—100
4880. 20 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषधि निर्माता फर्मों को सी० ओ० बी० लाइसेंस	COB Licences to Drug Manufacturing Firms with Foreign Equity exceeding 26 per cent ..	100—101
4881. समुद्री तह के नीचे तेल के निक्षेपों के सर्वेक्षण का तरीका और उस पर अब तक हुआ व्यय	Method for surveying Oil Reserves under Sea-bed and amount spent so far ..	101
4882. उर्वरकों की आवश्यकता तथा उत्पादन और न्हावा शेवा, महाराष्ट्र में एक नये उर्वरक कारखाने की स्थापना	Requirement and production of Fertilizer and setting up of a new Plant in Nhava Shewa, Maharashtra ..	101—102
4883. जम्मू में सूरीनसर कुएं में खुदाई से पूर्व प्रारंभिक सर्वेक्षण एवं व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करना	Preparation of preliminary Survey and Feasibility Report before Drilling was undertaken at Surinsar Well in Jammu ..	102

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4884. राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें बिछाना	New Railway Lines in Backward Areas of Rajasthan ..	102—103
4885. नेताओं को वैगन बनाने के लिये दिये गये क्रयादेश	Orders placed for Wagon Building with Manufacturers ..	103—105
4886. बिहार स्थित पतरातू बिजली घर का निर्माण	Construction of Patratu Power Project in Bihar ..	105—106
4887. बिजली की कमी	Power Shortage ..	106
4888. भारतीय रेलवे के सिग्नेलिंग व टेलीकम्यूनिकेशन विभाग के रख रखाव कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण	Determining the strength of the Maintenance Staff of the Signal and Telecommunication Department of Indian Railways ..	106—107
4889. सिंगनल और दूर संचार विभाग के खलासियों और कारीगरों के लिये वर्दियां	Uniforms to Khalasis and Artisan Staff of Signal and Telecommunication Department ..	107
4890. बिजली पैदा करने की नई तकनीक के लिये विदेशी सहायता	Foreign assistance for new power production technology ..	108
4891. जलपाईगुड़ी हल्दीबाड़ी बांध (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) को पुनः चालू करना	Restoration of Jalpalguri Haldibari Bandha (Northeast Frontier Railway) ..	108
4892. घोकसाडंगा रेलवे स्टेशन के निकट एक पुलिया का निर्माण	Construction of a culvert near Ghoksadanga Railway Station ..	108—109
4893. भविष्य निधि अनुभाग, डिवीजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सुपरवाइजरी कर्मचारियों द्वारा गलत मासिक प्रगति रिपोर्ट दिया जाना	False submission of monthly progress reports by supervisory staff of Provident Fund Section Divisional Accounts Office, New Delhi (Northern Railway) ..	109
4894. औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के बल्क औषधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन पर निर्णय	Decision on report of Bureau of Industrial Costs and Prices on bulk drugs ..	109—110
4895. लोको संगचल कर्मचारियों की पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक के साथ दिसम्बर, 1972 में आबू रोड में हुई बैठक	Meeting of Loco Running Staff with General Manager, Western Railway at Aburoad in December, 1972 ..	110

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4896. आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की जनवरी, 1973 में बर्दवान में हुई वार्षिक बैठक में हड़ताल करने की धमकी	Threat of Strike by All India Loco Running Staff Association at its annual meeting held at Burdwan in January ..	110—111
4897. भारतीय रेलों में टाइपिस्टों के कर्तव्य	Duties of typists on Indian Railways ..	111
4898. कोटा डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के हैड टाइपिस्टों को सुपरवाइजरी स्टाफ मानना	Treatment of Head Typists on Kota Division (Western Railway) as Supervisory Staff ..	111—112
4899. अहमदाबाद स्टेशन पर माल बुक करने सम्बन्धी पार्सल कार्यालय में अनियमित कार्य	Irregular working in Parcel Office for booking of consignments of Ahmedabad Station ..	112
4900. पांचवीं योजना में सम्मिलित करने के लिये विचाराधीन पड़ी उड़ीसा की मुख्य सिंचाई परियोजनाएं	Major irrigation projects in Orissa pending for inclusion in Fifth Plan ..	112—113
4901. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मैसूर की पन बिजली परियोजनाएं	Mysore's Hydro-Electric Projects for Fifth Plan ..	113
4902. भारतीय तेल निगम की एजेंसियां हरिजनों को देना	Allotment of agencies of IOC to Harijans ..	114
4903. राज्यों में बिजली की खपत	Consumption of Power in States ..	114—115
4904. ट्राम्बे स्थित एस्सो के तेल शोधक कारखाने में अग्निकांड	Fire in Esso Oil Refinery, Trombay ..	115
4906. बिहार के एक जिले में रेलवे लाइन और टिकट घर। ऐजेंसी सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था	Facilities of Railway Line and booking office/agency in District of Bihar ..	115—116
4907. उत्तर प्रदेश में टकापुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन का निर्माण	Railway line from Takapur to Bageshwar in U. P. ..	116
4908. उत्तर प्रदेश में मनेरी, टेहरी पाछेश्वर बांधों का निर्माण कार्य पूरा करना	Execution of work of Maneri, Tehri and Pachheshwar dams in U. P. ..	116—117

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सख्या U. S. Q. Nos.			
4909. टेहरी बांध के निष्कान्त व्यक्तियों को पुनः बसाया जाना	Resettlement of evacuees of Tehri dam area	..	117
4910. कटिहार जिले (पूर्वोत्तर रेलवे) में पात्र कर्मचारियों की गार्ड के पद पर पदोन्नति	Promotion of eligible staff as Guards in Katihar District (North Eastern Railway)	..	117—118
4911. पूर्व क्षेत्र में उत्पादित कोयले की ढुलाई के बारे में प्रस्ताव	Proposals to handle coal produced in Eastern Region	..	118
4912. रेलवे दुर्घटना में वृद्धि	Increase in Railway Accidents		118—119
4913. गन्डक परियोजना सम्बन्धी भारत नेपाल करार	Indo-Nepal agreement on Gandak Project	..	119
4914. भूतपूर्व बी० एन० रेलवे के कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन	Representation from Workers of Ex-B. N. Railway	..	120
4915. स्टेशन मास्टरों को वर्दी सप्लाई करना	Supply of uniforms to Station Masters	..	120
4916. दामोदर घाटी निगम द्वारा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को बिजली की कटौती में छूट	Exemption to Tisco from power cut by DVC	..	120—121
4917. चौथी पंचवर्षीय योजना में भारतीय रेलवे के उपकरणों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Indian Railways during Fourth Five Year Plan in respect of equipments	..	121
4918. चौथी पंचवर्षीय योजना में यात्री सुविधाओं के लिये परिव्यय की व्यवस्था	Outlay provided for passenger amenities during Fourth Five Year Plan	..	122
4919. वैगनों की वार्षिक आवश्यकता और वैगन निर्माण के लिये नये कारखानों की स्थापना	Annual requirement of Wagons and setting up of new wagon unit	..	122—123
4920. उकई बांध की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये गुजरात को सहायता	Assistance to Gujarat to increase Irrigation Potential of Ukai Dam	..	123
4921. बड़ौदा रेलवे कर्मचारी कालेज में रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षण	Training to Railway Staff in Baroda Railway Staff College	..	123—124

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4922. तमिलनाडु के विल्लूपुरम के निकट हाल ही में आई बाढ़ से रेलवे सम्पत्ति को क्षति	Railway property damaged in recent flood near Villupuram, Tamil Nadu ..	124
4923. रेलवे द्वारा वैगनों की मांग	Demand for wagons by Railways ..	124—125
4924. कृषि तथा प्राथमिकता उद्योगों को बिजली की सप्लाई	Supply of power to agriculture and priority Industries ..	125
4925. रेलवे सुरक्षा और निगहबानी सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति का प्रतिवेदन	Report of high powered committee on security and policing on Railways	125—126
4926. भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये पदोन्नति के अवसर	Avenues of promotion for Station Masters and Assistant Station Masters on Indian Railways ..	126
4927. रेलवे में एवजी सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये विश्राम कक्ष	Rest rooms for relieving Assistant Station Masters on Railways ..	126
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुआ सड़ा दुग्ध चूर्ण और घी बेचे जाने का समाचार	Reported sale of rotten milk Powder and ghee received under world food programme	127—132
श्री हरीसिंह	Shri Hari Singh ..	127, 129
प्रो० शेरसिंह	Prof. Sher Singh	127—129
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	132—134
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha ..	134
कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित वापस किये गये रूप में	Coal Mines (Taking over of Management) Bill As returned by Rajya Sabha with amendments	134
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
76 वां प्रतिवेदन	Seventy-sixth Report	134—135
बढ़ती हुई कीमतों, बेरोजगारी आदि, के बारे में याचिका	Petition re. rising prices, unemployment etc. ..	135
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	135

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में डीजल तेल की सप्लाई की स्थिति के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Supply Position of Diesel Oil in Rewa Region of Madhya Pradesh ..	135—136
श्री दलबीर सिंह	Shri Dalbir Singh ..	135—136
इंडियन एयरलाइन्स द्वारा एवरो विमानों को लेने से इन्कार किये जाने के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य	Statement by Member re. refusal by Indian Airlines to take delivery of Avro Planes ..	136—137
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel ..	136
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh ..	137
एवरो विमान के मूल्यांकन के लिए एक मूल्यांकन दल की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य	Statement re. Appointment of Evaluation Team and AVRO ..	137—138
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	137—138
दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक, 1972	Delhi School Education Bill, 1972	138—167
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as reported by joint committee ..	138
श्री डी० पी० यादव	Shri D. P. Yadav	138—139
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	139—144
श्री एस० ए० कादर	Shri S. A. Kadar ..	144—145
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagdish Bhattacharyya	145—147
श्रीमती मुकुल बनर्जी	Shrimati Mukul Banerjee ..	147
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan ..	147—148
श्रीमती शीला कौल	Shrimati Sheila Kaul	148—149
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal ..	149—150
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar ..	150
श्री एच० एम० पटेल	Shri H. M. Patel	150—151
श्री सुधाकर पाण्डे	Shri Sudhakar Pandey ..	151
श्री समर गुह	Shri Samar Guha ..	151—152
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y. S. Mahajan ..	152—153
डा० कैलास	Dr. Kailas ..	153
श्री इब्राहीम सुलेमान सेट	Shri Ebrahim Sulaiman Sait ..	153—154

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	..	154
श्री मूलचन्द डागा	Shri M. C. Daga	..	154—155
श्री एन० टोम्बी सिंह	Shri N. Tombi Singh	..	155
श्री अमर नाथ चावला	Shri Amar Nath Chawla		155—156
श्रीमती एम० गौडफ्रे	Shrimatl M. Godfrey	..	156
प्रो० एस० नूरुल हसन	Prof. S. Nurul Hasan	..	156—157
खंड 2 से 29 और 1	Clauses 2 to 29 and 1	..	158—166
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended		167
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	..	167
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	..	167
श्री डी० पी० यादव	Shri D. P. Yadav		167

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 27 मार्च, 1973/6 चैत्र, 1895 (शक)

Tuesday, March 27, 1973/Chaitra 6, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

दीघा टाउनशिप को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता का अनुरोध

*481. **श्री मुहम्मद खुदा बख्श :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दीघा टाउनशिप को बचाने के लिये, वर्षा ऋतु आने से पूर्व आपात-कालीन कार्य आरम्भ करने हेतु तट कटाव बोर्ड द्वारा सुझाये गये उपायों की क्रियान्विति के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने 1973-74 में केन्द्रीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). तट-कटाव बोर्ड द्वारा दिए गए सुझावों पर आधारित दीघा शहर की सुरक्षा के लिए स्कीम अभी पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। दीघा के आपातिक कार्यों को करने के लिए 1973-74 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री मुहम्मद खुदा बख्श : क्या मन्त्री महोदय को इस विषय का विशेषज्ञ होने के नाते पता है कि यह कटाव स्थायी-सा है और इससे पश्चिम बंगाल के एकमात्र समुद्री स्थल को कई वर्षों से खतरा बना हुआ है और गतवर्ष का कटाव विशेष रूप से गम्भीर था ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : जी, हां। दीघा में गत अनेक वर्षों से कटाव होता रहा है और गत कुछ वर्षों से यह काफी गम्भीर हो गया है।

श्री मुहम्मद खुदा बख्श : मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार अपनी ओर से यह कटाव रोकने के लिए क्या उपाय करेगी ?

डा० के० एल० राव : मन्त्रालय ने तट कटाव बोर्ड को वहां जांच के लिए भेजा था और उसे पश्चिम बंगाल सरकार से सिफारिशें और तकनीकी सलाह देने को कहा था जो वह दे चुका है ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार को कोई विशेष सुझाव दिए हैं, यदि हां, तो वे क्या हैं ? दूसरे, क्या केन्द्रीय सरकार ने अपनी ओर से स्थायी रूप से होने वाले कटाव को रोकने के लिए कोई विशेष कदम उठाया है ?

डा० के० एल० राव : तट कटाव बोर्ड ने 28 दिसम्बर, 1972 को तट का निरीक्षण किया था और अपनी सिफारिशें भेजी थीं जिसके अनुसार तट को रेत द्वारा निरन्तर पोषित किया जाना चाहिये ताकि तट पर रेत की कमी न हो । रेत भरने वाले पम्प खरीदने में समय लगेगा । उन्होंने कुछ विशेष क्षेत्रों के बचाव के लिए प्रभावित स्थानों पर समुद्री दीवारें बनाने का भी सुझाव दिया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार को डा० बी० सी० राय के समय आई० आई० टी०, खड़गपुर के कुछ विशेषज्ञों द्वारा की गई जांच की जानकारी है, यदि हां, तो उन्होंने क्या सिफारिशें की थीं और क्या केन्द्रीय सरकार ने उन बातों पर ध्यान दिया है ?

डा० के० एल० राव : मुझे उन सिफारिशों का कोई ज्ञान नहीं है । बोर्ड की सिफारिशों से पूर्व भी राज्य सरकार के तकनीकी विशेषज्ञों ने दीघा को बचाने के लिए कुछ कार्य किया है । उन्होंने बल्ले बनाए और काजू जैसे कुछ पेड़ आदि लगाए, परन्तु वे भी बह गए हैं ।

केरल को मध्यम सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के लिए सहायता

*482. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल राज्य में कुछ मध्यम सिंचाई और बिजली परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजना के अतिरिक्त धन प्रदान करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा प्रस्तावित सहायता की कुल राशि कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). इस समय केरल में वृहत् सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं । केरल सरकार ने कट्टियाडी, पेरियार घाटी, चिथुरपुझा, पम्बा और कनहींरापुझा परियोजनाओं के लिए योजना फ्रेमवर्क से बाहर 3 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता मांगी है । इस अनुरोध को स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

देश में चुनी हुई वृहत् सिंचाई परियोजनाओं के लिए, जिनके निर्माण को तीव्र करने से अगले तीन वर्षों में महत्वपूर्ण अतिरिक्त सिंचाई शक्यता उत्पन्न करने में सहायता मिल सकती है, कुछ

विशेष सहायता देने का प्रश्न योजना आयोग के विचाराधीन है। इस संदर्भ में पेरियर घाटी, पम्बा तथा कल्लडा परियोजनाओं की आवश्यकताओं पर उनके द्वारा विचार किया जा रहा है।

1972-73 के दौरान इड्डिकी परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपये की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई थी, राज्य में समुद्र-कटाव रोधी कार्यों के लिए 2.7 करोड़ रुपये की व्यवस्था के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : अपने विवरण में मन्त्री महोदय ने बताया है कि सरकार राज्य सरकार को 3 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता देने की स्थिति में नहीं है। तो क्या इसका कारण इन परियोजनाओं का महत्वपूर्ण न होना है या क्या यह राशि बहुत अधिक है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : ये परियोजनाएं तो महत्वहीन नहीं हैं। न केवल केरल के लिए बल्कि भारत के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमें इनके महत्व का भी ज्ञान है। परन्तु यदि किसी मामले में वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है, तो उसका कारण वित्तीय कठिनाई और अन्य परियोजनाओं के लिए मांगें होता है।

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या सरकार को इन परियोजनाओं के चालू होने में विलम्ब के कारण केरलवासियों में व्याप्त असंतोष की जानकारी है, यदि हां, तो इन्हें शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

डा० के० एल० राव: जैसा मैंने कहा ही है, सरकार इन परियोजनाओं के शीघ्र पूरा होने को बहुत महत्व देती है और इसीलिए उन्होंने पम्पा, काल्लडा और पेरियार घाटी जैसी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन देने का प्रस्ताव किया था परन्तु सहायता के अभाव में ये पूरी न हो सकीं और इस बारे में योजना आयोग से परामर्श चल रहा है।

थीन बांध के निर्माण पर विवाद

*483. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थीन बांध के निर्माण का अधिकार केन्द्रीय सरकार को सौंपने के प्रश्न पर विवाद में जिस पर पंजाब विधान सभा में एक मार्च, 1973 को चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). पंजाब विधान सभा में हुई कार्यवाही पर कुछ अखबारी रिपोर्टों को छोड़कर, इस प्रकार का कोई विवाद हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है। इसमें निहित जटिल अन्तर्राज्यीय और वैधानिक विषयों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने 24 दिसम्बर, 1972 को हुई बैठक में निर्णय किया था कि इस स्कीम को केंद्र द्वारा कार्यान्वियन के लिए हाथ में लिया जाना चाहिए।

श्री नारायण चन्द पाराशर : मैं मन्त्री महोदय का ध्यान पंजाब के मुख्य मन्त्री के राज्य विधान सभा के तत्कालीन अकाली सरकार के उक्त बांध को केन्द्र को सौंपने के बयान की ओर दिलाना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : मुझे इस बयान के बारे में कुछ पता नहीं है परन्तु यह बात स्मरणीय है कि थीन बांध का एक तट पंजाब में है और दूसरा जम्मू-काश्मीर में है। वर्तमान नियमानुसार जम्मू-काश्मीर में सिवाय राज्य या केन्द्र सरकार के कोई भी भूमि अर्जित नहीं कर सकता, इसलिए मुख्य मन्त्रियों ने निर्णय किया कि यह बांध केन्द्रीय सरकार बनाए।

श्री नारायण चन्द पाराशर : प्रश्न संवैधानिक स्थिति का न होकर वास्तविक स्थिति का है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस महत्वपूर्ण मामले पर पंजाब विधान सभा में उठाए गए विशेषाधिकार के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं।

डा० के० एल० राव : जैसा कि मैंने निवेदन किया, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है।

Shri Darbara Singh : The issue is not whether this question was raised there or not. We want to know whether the Central Government have taken it over and if so, whether such suggestion was made by any Akali Minister ?

डा० के० एल० राव : सदस्य महोदय की बात मैं ठीक से समझ नहीं सका हूं।

थीन बांध योजना बहुत ही जटिल है। पानी हिमाचल प्रदेश से आता है और यह बांध एक ओर जम्मू-काश्मीर में और दूसरी ओर पंजाब में पड़ता है। जलमग्न होने वाला अधिकांश क्षेत्र जम्मू-काश्मीर का है और कुछ क्षेत्र पंजाब और हिमाचल प्रदेश का है। पानी पर अपना हक अनेकों ने जताया है।

मुख्य मन्त्रियों ने इस परियोजना को शीघ्र चालू करना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना को केन्द्र को सौंपा है। हम चाहते हैं कि इसे शीघ्रातिशीघ्र आरम्भ किया जाये।

जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है केन्द्रीय परियोजना के रूप में इसे चलाने के लिए सम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रालयों से विचार-विमर्श चल रहा है।

Shri B. S. Bhanwar : The question of Shri Darbara Singh has not been *replied to*. The question is that the Chief Minister has taken the necessary decision as to the amount they can provide. But, whether the Centre has taken over this project or not and if not, when it would be taken over and when the construction would start ?

डा० के० एल० राव : जैसा मैं बता चुका हूं कि सम्बद्ध मन्त्रालय पूरी योजना का केन्द्र द्वारा वित्त पोषण करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं......**(अन्तर्बाधाएं)**। इस पर 90 करोड़ रुपये का खर्च होगा और केन्द्र कितना बोझ उठा सकेगा इस पर विचार हो रहा है।

रोहतास जिले में गंधक के तेजाब के संयंत्र की स्थापना

*484. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के रोहतास जिले में अम्झूर में गंधक के तेजाब का एक संयंत्र स्थापित करने के लिए उन्हें कोई ज्ञापन दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री देवकांत बरुआ) : (क) और (ख). अमझौर में घटिया किस्म के पाइराइट जो वहां उपलब्ध हैं, पर आधारित एक सलफ्यूरिक एसिड और ट्रिपल सुपरफासफेट संयंत्र की स्थापना के लिए सरकार से अनुरोध किया गया है। ऐसे पाइराइटों पर आधारित

सलफ्यूरिक एसिड और उर्वरक बनाने के प्रश्न पर विचार करने से पहले भारतीय उर्वरक निगम का पी एवं डी विभाग जिससे सम्भाव्यता अध्ययन करने के लिए कहा गया है, ऐसे घटिया किस्म के पाइराइटों को सेकने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है। उपलब्ध संकेतों के अनुसार निम्न गंधक युक्त पाइराइट वाले शेल अब तक सलफ्यूरिक एसिड बनाने के लिए प्रयोग नहीं किये गये हैं।

Shri Bibhuti Mishra : Whether Government have received the enquiry report and if so, the nature thereof and whether it is also a fact that the pyrites found there contain more phosphate? Whether Government will take a decision immediately after such enquiry?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri D. K. Borooah) : There is some hitch there. On the points which have come to light in the study conducted so far, no decision has been taken in principle. One such point is that the required pyrites should not have more than 33 percent sulphur, but the pyrites available to us contains 20 percent sulphur and this can be extracted at the rate of 3,500 tonnes per day. The biggest hitch is as to how to burn low-grade pyrites to extract sulphuric acid therefrom. We have yet to evolve a method therefor and we are looking into it. Everywhere the method employed in the world to day in roasting pyrites to extract sulphuric acid, we are not acquainted with them. There is another reason also.

Shri Bibhuti Mishra : I want to know what is that. The Sindri fertilizers in Bihar supplies fertilizers to Andhra Pradesh and West Bengal but in Bihar itself it is scarce. I want that this scheme should be expedited in view of the miserable conditions of the state and its farmers.

Shri D. K. Borooah : Sir, the other reason is putting to use the synthetic gypsum to be produced in Sulphuric acid plant in Sindri Fertilizers, but if its site is shifted to Amjhor, this gypsum would have to be carried all the way to Sindri. Moreover Amjhor is 40 km. away from the railway station for which additional rails would have to be laid. If the Sulphuric acid and Phosphoric acid plant at Sindri is shifted, it would cost 4 crores of rupees. It is a fact that there is shortage of fertilizer in Bihar and the production is also not as expected but you are aware that Barauni Factory would start production soon. We are also thinking of setting up a coal-based fertilizer factory in Bihar.

मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में कोरबा में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना

\+

***485. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में कोरबा में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के बारे में केन्द्रीय सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) यह कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) प्रारम्भ में सिद्धान्त रूप से कोरबा में एक उर्वरक परियोजना की स्थापना का अनुमोदन किया गया था और बाद में भारतीय उर्वरक निगम को इस परियोजना के लिये भूमि के अर्जन, सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा पानी, बिजली आदि की व्यवस्था करने के लिये कुछ प्रारम्भिक कदम उठाने के लिये कहा गया था।

(ख) और (ग). यह परियोजना 228,000 मीटरी टन नाइट्रोजन का उत्पादन करने के लिये बनाई गई है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, परियोजना पर 27.10 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित 119.50 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। परियोजना के पांचवीं योजना के मध्य के लगभग मुकम्मल हो जाने की आशा है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव: कोरबा में इस उर्वरक संयंत्र के स्थल के चयन के विभिन्न कारण कौन से हैं ?

श्री देवकान्त बरुआ: यह कोयले पर निर्भर करता है और कोयला देश के उस भाग में उपलब्ध है।

Dr. Laxminarayan Pandeya: Korba Fertilizer plant was to be completed and production was to start there by the end of Fourth Plan. You have stated that it would be completed in some phase of Fifth Plan. For that even a definite date has not been indicated. Would you be able to start it during some definite period in 1975-76 or 1976-77? What are the reasons for its non-completion during the Fourth Plan and for carrying it forward to the end of Fifth Plan?

Shri D. K. Borooah: It was decided in principle that coal based fertilizer plant would be established in Korba, which is being done. There is nothing new for us. Plants in Ram Gudam and Talcher are under construction and it has been decided to install one in Korba. Yet foreign exchange is being arranged for that. After that is arranged, the work would be started.

श्री राम सहाय पांडे: इस उर्वरक कारखाने की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ? बहुत पहले इस संयंत्र के बारे में सरकार ने विचार किया था, क्योंकि कोरबा में घटिया किस्म का कोयला उपलब्ध है। एक जर्मन दल को आमंत्रित किया गया था जिसने पूरी और विस्तृत रिपोर्ट दी है और उससे देश की उर्वरकों की मांग पूरी होने की संभावना है। इसके प्रारम्भिक अध्ययन पर कितना धन व्यय हुआ है। मैं पूरा उत्तर चाहता हूं।

श्री देवकान्त बरुआ: एक अधूरी परियोजना के बारे में पूरा उत्तर देना कठिन है। मंत्रिमंडल ने 28-8-69 को इसकी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने सिद्धान्त रूप से इन तीनों परियोजनाओं की स्वीकृति दी और निश्चय किया था कि कोरबा परियोजना के चरणीकरण के प्रश्न को पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा योजना आयोग से परामर्श करने के पश्चात् निश्चित किया जाये। योजना आयोग ने, जिनसे परामर्श किया गया था, निर्णय किया कि जैसे ही अन्य परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा और अन्य आवश्यकताओं की मांग की पूर्ति हो जाती है, वैसे ही कोरबा परियोजना की क्रियान्विति पर विचार किया जाएगा। तलचर और रामगुडम के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के पश्चात् जनवरी, 1972 में सरकार ने अंततः निश्चय किया कि कोरबा परियोजना को भी शीघ्र क्रियान्वित किया जाये। जैसा कि मैंने बताया विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है ?

श्री राम सहाय पांडे: प्रारम्भिक स्थिति में कितना धन उड़ाया गया। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करोड़ों रुपए व्यय किये गये थे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: पांडे जी मैं भी इससे संबद्ध हूं।

Shri Nawal Kishore Sharma: The hon. Minister has done many a good jobs in this short time, but the position of fertilizer is very bad. In view thereof, is it proposed to install

new fertilizer plants. May I know whether the hon. Minister would decide for setting up a fertilizer plant in Saladipura, Rajasthan where large quantity of pyrites is available ?

Mr. Speaker : This question is regarding Madhya Pradesh, but if you want to shift this plant to Rajasthan it is another thing.

Shri Nathuram Ahirvar : In Madhya Pradesh today more fertilizer is being consumed than in any other state and there is much progress in wheat and paddy. The irrigation facilities are also being made available there. Why does the Government hesitate to install a fertilizer plant at a place where such a large quantity of fertilizer is being consumed. Why foreign exchange is not being provided for that immediately.

Mr. Speaker : This question came up even earlier.

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that if Foreign Exchange is made available then we shall commence work immediately. May I know by when does the Government expect to get foreign exchange and what is the position of this job at present. When this is likely to be completed and how much demand would be met and what would be the deficiency left ?

Shri D. K. Borooah : The work has been started. If the finance is made available, it can be completed early or it can take more time. It is subject to the availability of finance. It is in the hands of other persons. I believe that it would not take more time than that taken by other fertilizer projects. Secondly, the proposed factory would not meet the requirements of the country. In Madhya Pradesh 2 Lakh 28 thousand tons of nitrogen is being produced. It means that urea double than that is going to be manufactured. It will not be sufficient for the whole of the country, but it would be helpful to some extent. But I think the demand of Madhya Pradesh would be met largely.

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, the first part of my question has not been replied to. The hon. Minister has stated that efforts are being made to get foreign exchange. I want to know as to what efforts are being made ?

Mr. Speaker : He is making efforts. He might be meeting people. What else he can do.

Shri B. P. Maurya : I want to draw the attention of the hon. Minister to the fact that in America and Europe the land becomes barren after use of chemical fertilizer for a certain period. They have. . .

Mr. Speaker : Here we are concerned with converting barren into fertile land.

Shri B. P. Maurya : In America and Europe articles have been written and due to that they are importing bone meal fastly. Taking in view all these factors, you are adopting chemical fertilizers whereas western world is fed up with it. Would you take up bone meal and make use of drug fertilizer fastly ?

Mr. Speaker : This question relates to fertilizer plants, you can ask a separate question.

श्री रणबहादुर सिंह : इस बात का ध्यान रखते हुए कि इस समय पूरे देश में दानेदार मिश्र उर्वरकों की मांग है, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या कोरबा में बनने वाले कारखाने में दानेदार मिश्र उर्वरकों, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध होंगे, अथवा नहीं ?

श्री देवकान्त बरुआ : जहां तक मुझे पता है, इस उर्वरक संयंत्र में केवल नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पादन हो सकेगा ।

Punishment of Railway Employees of North Eastern Railway on Corruption charges

*488. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) How many Railway employees working on various posts in various departments of North Eastern Railway were punished on corruption charges during the quarter ending 30th June, 1972 ; and

(b) the names of the persons and the nature of the charges for which they were punished indicating the nature of punishment given to them ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की सतर्कता संगठन द्वारा की गयी जांच के आधार पर हुई कार्यवाही के परिणामस्वरूप 30 जून, 1972 को समाप्त होने वाली तिमाही में पूर्वोत्तर रेलवे के सत्तर कर्मचारियों को दण्ड दिया गया । इनके अलावा सात कर्मचारियों को चेतावनी दी गयी । जो दण्ड दिये गये उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्रम सं०	दण्ड का स्वरूप	संख्या
1.	चेतावनी	7*
2.	निन्दा	2
3.	वेतन से वसूली	1
4.	वेतन वृद्धियां रोकना	63
5.	पास/सुविधा टिकट आदेशों को बन्द करना	3
6.	अनिवार्य सेवा निवृत्ति	1

2. लेकिन उपर्युक्त सत्तर मामलों में से कुछ में, अनुशासन की कार्यवाहियों में जो आरोप साबित हुए उनमें केवल प्रशासकीय अनियमितताएं, चूक और इसी तरह के अपराध शामिल थे । साबित हुए आरोपों और दण्ड आदि का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

Shri M. C. Daga : This is not the reply to my question. I wanted to know the punishment given to the officers working on various posts and what were their offences. As regards the second part of my question, the names of the persons and the nature of the charges for which they were punished etc. have not been mentioned.

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बताने दीजिए । आप बैठ जाइए ।

Shri M. C. Daga : This is not the reply to the question asked for. I have read in the news papers as to what punishment was given and to whom.

*रेल कर्मचारी अनुशासन और अपील नियमों के अधीन चेतावनी, निर्धारित दण्डों में शामिल नहीं है ।

श्री पीलू मोदी : एक ही रास्ता संभव है कि सरकार को अगले सप्ताह उत्तर के लिए कहा जाये ।

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : अपने वक्तव्य में मैंने बताया था कि सिद्ध हुए आरोपों एवं दिये गये दंड के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है, जिसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा। जो कुछ भी जानकारी उपलब्ध थी, उसे मैंने सभा के समक्ष रख दिया है और सभा को पहले ही आश्वासन दिया है कि उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या आप कुछ अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जबकि उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, तब भी सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है । आप श्री डागा को प्रश्न पूछने दें ।

श्री समर गुह : यह सरकारी रिकार्ड से है । यदि जानकारी पाने के लिए जनरल मैनेजर को नोटिस भेजा जाता है, तो यह पर्याप्त नहीं है ।

श्री पीलू मोदी : जब तक सूचना एकत्र की जाती है । मामला विस्मृत हो चुकेगा ।

अध्यक्ष महोदय : जब वह उत्तर को सभा पटल पर रखेंगे तो मैं आधे घन्टे की चर्चा की अनुमति दूंगा । इस बारे में और कोई चारा नहीं है ।

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : मुझे लगभग दो सप्ताह चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : दो सप्ताह पश्चात् प्रश्न को दुबारा रखे जाने पर मुझे आपत्ति नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachwai : As the questions for the next two weeks have already been balloted, would you kindly assure that it could be taken up for oral discussion, otherwise it could not be discussed.

Mr. Speaker : I shall think over it.

श्री मुहम्मद खुदा बख्श : अगली बार वह अन्य रेलों के बारे में भी तुलनात्मक विवरण दें।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न की परिधि को बढ़ा नहीं सकते ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में काम कर रहे विदेशी तकनीशन

*490. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में कुल कितने विदेशी तकनीशन काम कर रहे हैं ; और

(ख) उनके स्थान पर भारतीय तकनीशन लगाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) 1-3-73 को कुल 17 विदेशी तकनीकीविद तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में काम कर रहे थे । इनमें से 8 इस माह के अन्त तक वापस जाने वाले हैं ।

(ख) भारतीय तकनीकीविद घनिष्ट संसर्ग में ऐसे विशेषज्ञों के साथ काम कर रहे हैं और अनुभव प्राप्त कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप अन्ततः वे रूसी विशेषज्ञों का स्थान ग्रहण कर लेंगे ।

Shri R. S. Pandey : Sir, we hoped that the foreign technicians under Oil and Natural Gas Commission could be transferred and in their place Indian technicians would be engaged. I want to know what efforts the Government has made in that direction and how much time it would be taken to relieve then and ask our technicians to take over.

Shri D. K. Borooah : The purpose for which Soviet experts came here has made rapid progress and these people are now leaving. But for the new works we are taking up, we need the services of foreign experts. Handing over and taking over would go on side by side.

Shri R. S. Pandey : We called in foreign experts who are working here. Was there any agreement with them that they would have to go after certain period ?

Shri D. K. Borooah : That was not so. But it was very well there that when our technicians learn the work and there is no need for foreign experts, then they would go.

श्री राजा कुलकर्णी : मैं जानना चाहता हूं कि बम्बई-हाई में आफशोर ड्रिलिंग के लिए कितने सोवियत एक्सपर्ट कार्य कर रहे हैं और वे कब तक यहां रुकेंगे ?

Shri D. K. Borooah : The number of Soviet experts engaged in the Bombay-High offshore drilling is not with me at present. But their number is not large as we have not advanced much in this direction. Certain experts came for drilling in Alia Bet.

Shri Jharkhande Rai : Would the hon. Minister please state the names of foreign countries from where experts are working in this country and number of experts from each country ?

Shri D. K. Borooah : All the experts in O. & N. G. C. are from Soviet Union.

Shri K. C. Pandey : What are the qualifications of foreign experts. Are persons with these qualifications not available in our country or the technicians of our country were ignored ?

Mr. Speaker : Were they long structured or short ?

Shri D. K. Borooah : They were called here as we did not have persons of that calibre. Chief Engineer on Drilling, Senior Engineer on Drilling, Driller, Assistant Driller-cum-topman, Senior Engineer on Diesels and Drilling Equipment, Senior mud Engineer, Engineer for fishing and liquidating complications in wells while Drilling, Chief Engineer on Production (for artificial lift and stimulation of wells). Top level consultant on Petroleum Geology.

Rural Electrification in States

+
*491. **Shri Ishwar Chaudhry** :
Shri Jyotirmoy Bosu :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the progress of rural electrification during the last three years, State-wise;

(b) whether in some of the States, particularly in Bihar, the pace of rural electrification work has been very slow; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) The number of villages electrified and pumpsets energised in the country State-wise according to latest progress reports during the last three years (1969-72) is indicated in the annexure.

(b) and (c). The progress of village electrification in twelve of the States is below the All-India average of 23.4 percent. The main reason for comparatively backwardness in rural

electrification in Bihar and certain other States has been due to general backwardness with reference to power development as also lack of adequate transmission and distribution system and constraint on financial resources. Though Bihar is one of these twelve States, the pace of electrification in this State during the last three years has not been very slow.

Statement

Sl. No.	States	Number of villages electrified		Number of pumpsets energised	
		on 1.4.69	During 1969-72	on 1.4.69	During 1969-72
1	2	3	4	5	6
1.	Andhra Pradesh	5,535	3,717	1,23,167	99,300
2.	Assam	331	339	55	50
3.	Bihar	6,350	1,963	50,005	23,377
4.	Gujarat	2,869	1,837	42,085	37,817
5.	Haryana	1,464	4,627	45,385	55,848
6.	Himachal Pradesh	2,191	1,058	306	293
7.	Jammu & Kashmir	614	121	162	155
8.	Kerala	1,137	131	13,909	14,372
9.	Madhya Pradesh	2,754	6,033	24,631	65,045
10.	Maharashtra	9,450	4,211	1,24,981	1,14,934
11.	Manipur	153	34	—	—
12.	Meghalaya	48	23	—	—
13.	Mysore	7,255	2,820	91,826	58,412
14.	Nagaland	41	36	—	1
15.	Orissa	821	2,789	477	592
16.	Punjab	5,018	1,348	59,112	37,628
17.	Rajasthan	2,075	1,948	18,362	30,835
18.	Tamil Nadu	9,472	3,365	4,10,119	1,84,493
19.	Tripura	48	37	2	23
20.	Uttar Pradesh	12,926	10,829	75,659	84,663
21.	West Bengal	2,433	895	1,199	291
	Total (States)	72,985	48,161	10,81,442	8,08,129
	Union Territories	737	211	7,307	3,817
	Total—ALL INDIA	73,722	48,372	10,88,749	8,11,946

Shri Ishwar Chaudhry : I want to know the progress of electrification during the last three years State-wise. I also want to know whether in some of the States, particularly in Bihar, the pace of rural electrification work has been very slow ? It has been stated in the reply that the main reason for comparatively backwardness in rural electrification in Bihar and certain states has been due to general backwardness with reference to power development as also lack of adequate transmission and distribution system and constraint on financial resources.

It is regrettable that even after 26 years of independence we have not become self sufficient in the matter of electricity and it is for that reason that we have not been able to take full advantage of the fertile lands in Bihar and other states. In the reply it has been stated that the percentage of progress in electricity in twelve states have been less than 23.4 percent. I want to know the reasons for this low percentage. I also want to know as to what are the difficulties in not making rapid progress in this matter. I also want to know what particular steps Government have taken to make rapid progress in this matter ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : 10 वर्ष पूर्व देश में 10 लाख पम्पिंग सैट बिजली से चलाये गये। आज उनकी संख्या 21 लाख है। यदि यह प्रगति नहीं है, तो और क्या प्रगति हो सकती है। प्रत्येक वर्ष 2 से 3 लाख पम्पिंग सैटों की स्थापना हो रही है। ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। कृषि उत्पादन के लिये निर्धारित 150 करोड़ रुपये की राशि में से 70 करोड़ रुपये आपात् विद्युतीकरण के लिये दिये गये हैं। यदि किसी विशेष राज्य में प्रगति की गति धीमी है, तो ऐसा किसी विशेष राज्य की कठिनाइयों के कारण है अन्यथा ग्रामीण विद्युतीकरण को यथा सम्भव उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

Shri Ishwar Chaudhry : It has been stated that the main reason for comparatively backwardness in rural electrification in Bihar is the lack of financial resources. In 1949, Bihar was fourth in the matter of development, but now its position is seventeenth. The main reason behind it is that there is constraint on its financial resources. I want to know whether the Central Government will allot more money to Bihar for electrification ?

डा० के० एल० राव : बिहार के लिये हमने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से अधिक धनराशि आवंटित की है। राज्य को लगभग 17 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। प्रश्न बिहार में कार्य करने से है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग, ग्रामीण विद्युतीकरण निदेशालय द्वारा 3 दिसम्बर, 1971 को दिये एक वक्तव्य में आसाम में 2.75 प्रतिशत, बिहार में 11.79 प्रतिशत, उड़ीसा में 2.71 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 7.89 प्रतिशत गांवों में बिजली लगाई गई। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उसके बाद उन राज्यों में अब तक कितने गांवों में बिजली लगाई गई ?

डा० के० एल० राव : उक्त विवरण संलग्न वक्तव्य में दिया गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं इस बारे में प्रतिशतता जानना चाहता हूं।

डा० के० एल० राव : आसाम में 3.3 प्रतिशत, उड़ीसा में 10.7 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 12.7 प्रतिशत गांवों में बिजली लगाई गई।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : प्रस्तुत विवरण से यह विदित होता है कि अब तक आसाम, मनीपुर, मेघालय और त्रिपुरा में केवल लगभग 10,10 गांवों में बिजली लगाई गई जो संख्या न केवल देश में बल्कि विभिन्न राज्यों में कुल विद्युतीकरण की तुलना में बहुत मामूली है। इन क्षेत्रों में विद्युत विकास की कमी नहीं है। वहां पर्याप्त संचार और वितरण पद्धति की कमी है। इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार ने उन राज्यों में, जिन्हें

ग्रामीण विद्युतीकरण की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, पर्याप्त संचार और वितरण पद्धति की व्यवस्था करने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

डा० के० एल० राव : यह सच है कि बहुत अधिक बिजली उपलब्ध नहीं है लेकिन इन राज्यों में पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध है। लेकिन इस बारे में मुख्य कठिनाई वितरण पद्धति की है। हम राज्य सरकारों से वितरण पद्धति के लिये योजनाएं भेजने का अनुरोध कर रहे हैं जिससे उन्हें स्वीकृति दी जा सके ?

Shri R. N. Sharma: The average consumption of electricity throughout India is 88 units whereas it is 8 unit in Bihar. So far as the question of rural eleetrification is concerned it has not reached many places. I want to know what steps have been taken to remove these imbalances?

डा० के० एल० राव : विशेषकर उन परियोजनाओं को, प्राथमिकता दी जाती है जो पिछड़े क्षेत्रों में हैं और जहां ग्रामीण विद्युतीकरण नहीं किया गया है। उन परियोजनाओं के लिये ग्रामीण विद्युत निगम द्वारा अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जा रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विद्युतजनन और विद्युत संचार की वर्तमान कमी अथवा संकट को ध्यान में रखते हुए पांचवीं योजनावधि में गांवों अर्थात् अतिरिक्त गांवों में बिजली लगाने का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

डा० के० एल० राव : आशा है आगामी वर्षों में बिजली की कमी नहीं रहेगी। आशा है बिजली की स्थिति में सुधार होगा और आगामी तीन महीनों में मानसून आ जायेगा। लेकिन अपने विद्युतीकरण के कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बिजली की उपलब्धता को ध्यान में रखना होगा। पांचवीं योजना के दौरान बिजली के लक्ष्य को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। लेकिन हमारा लक्ष्य 1.31 लाख गांवों में बिजली लगाना और 25 लाख पम्पिंग सैट लगाना है।

श्री एस० एन० मिश्र : बिजली लगाने के लिये उत्तरी क्षेत्र की तुलना में दक्षिण को प्राथमिकता देने का कोई विशेष कारण है ?

डा० के० एल० राव : वास्तव में सरकार को इस भदभाव की कोई जानकारी नहीं है। इस सबके लिये मैं तमिलनाडु सरकार को श्रेय दूंगा। तमिलनाडु सरकार ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। इसी कारण से उक्त राज्य आगे है। उक्त राज्य ने गत वर्षों में भी इस मामले को प्राथमिकता दी थी जब चीजें बहुत सस्ती थीं। उदाहरण के लिये कुल 21 लाख पम्पिंग सैटों में से 6 लाख पम्पिंग सैट केवल तमिलनाडु में ही हैं। उक्त राज्य इस मामले में आगे बढ़ना चाहता है जबकि अन्य क्षेत्र इस मामले में पिछड़ गये हैं।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : कुछ राज्यों को, जैसे आसाम, बिहार और पश्चिम बंगाल को बिजली की कमी के कारण कठिनाई हो रही है। गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल को विद्युतीकरण के लिये कितनी राशि दी गई और क्या उक्त सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया गया ?

डा० के० एल० राव : ग्रामीण विद्युत निगम ने उत्तर प्रदेश को 29 करोड़ रुपये की राशि की मंजरी दी और पश्चिम बंगाल को 21 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई।

श्री प्रिय रंजनदास मुंशी : क्या उक्त सम्पूर्ण राशि खर्च कर दी गई अथवा नहीं ?

डा० के० एल० राव : एक बार स्वीकृत राशि दे दी जायेगी। यह कार्य की प्रगति पर निर्भर करता है। कार्य चल रहा है।

श्री समर गुह : माननीय मंत्री द्वारा विभिन्न गांवों में बिजली लगाने और पम्पिग सैट स्थापित करने के बारे में दिये गये आंकड़ों से विदित होता है कि इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के साथ भारी भेद भाव किया गया है। उदाहरण के लिये हम पूर्वी राज्यों की तुलना अन्य राज्यों से करें तो आंध्र प्रदेश में 900 गुना अधिक पम्प सैट लगाये गये हैं, महाराष्ट्र में 1,000 गुना अधिक पम्प सैट लगाये गये हैं तमिलनाडु में 1,000 अधिक गुना पम्प सैट लगाये गये हैं और उत्तर प्रदेश में 800 गुना अधिक पम्प सैट लगाये गये हैं। आसाम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सब पूर्वी राज्य मुख्य रूप से चावल उत्पादित क्षेत्र हैं। इन राज्यों की पूर्णतया उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ? क्या इन राज्यों में पम्प सैट स्थापित करने और गांवों में बिजली लगाने के लिये विशेष कार्यवाही की जायेगी ?

डा० के० एल० राव : जैसा मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि जिन राज्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ किया है, उन्होंने अच्छा काम किया है। इस कार्य को आरम्भ करने का दायित्व राज्य सरकार पर है। इन पूर्वी क्षेत्रों में स्थित राज्यों ने प्रारम्भिक वर्षों में ग्रामीण विद्युतीकरण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल में पम्प सेंटों की संख्या 2,000 से कम है जबकि तमिलनाडु में पम्प सैटों को संख्या 6 लाख है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हैं।

श्री समर गुह : उन्होंने इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान क्यों नहीं दिलाया। इस प्रकार का उत्तर सभा में अनेक बार दिया जा चुका है। इसकी जिम्मेवारी माननीय मंत्री की भी है। कृषि के उत्पादन में वृद्धि सरकार के हित में भी है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : विवरण से यह विदित होता है कि समस्त देश में अब तक 1,22,144 गांवों में बिजली लगाई गई है। अब उनकी कुल संख्या 7 लाख से अधिक है। अतः 26 वर्षों में सरकार ने 1,22,144 गांवों में बिजली लगाई। अतः क्या अब हमें आशा करनी चाहिये कि आगामी 100 अथवा 150 वर्षों में 6 लाख से अधिक गांवों में बिजली लगाई जायेगी ?

डा० के० एल० राव : माननीय सदस्य ने कुछ गलत अनुमान लगाये हैं। देश में गांवों की कुल संख्या 7 लाख नहीं है बल्कि 506 लाख है। अधिक से अधिक गांवों में बिजली लगाई जा रही है **(अन्तर्बाधाएं)** ग्रामीण विद्युतकरण के मामले में हमारी प्रगति अच्छी है अब तो केवल स्वीकृत कार्य को तेजी से क्रियान्वित करने का प्रश्न है।

तुंगभद्रा परियोजना बोर्ड का पुनर्गठन

*492. **श्री डी० पी० चन्द्र गौडा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश तुंगभद्रा परियोजना से 525 क्यूसेक अतिरिक्त जल ले रहा है जिसका वह हकदार नहीं है ;

(ख) क्या मैसूर राज्य सरकार ने तुंगभद्रा परियोजना बोर्ड के पुनर्गठन के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश को जल की सप्लाई, इस वर्ष आवश्यक पायी गई 25% कटौती लागू करने के बाद, पिछले वर्ष के उन्हीं महीने के दौरान वास्तविक अवभुक्तियों के आधार पर की गई है।

(ख) और (ग). मैसूर सरकार तुंगभद्रा बोर्ड को समाप्त करने का आग्रह कर रही है जबकि आन्ध्र प्रदेश सरकार यह प्रतिवेदन कर रही है कि परियोजना के कार्यकलापों को बढ़ाकर परियोजना के बाएं पार्श्व, राजोतोबन्दा कार्य तथा मुनीराबाद बिजलीघर, सम्मिलित कर लिए जाएं। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने भी इन मामलों में न्यायनिर्णयन के लिए औपचारिक अनुरोध किया है और यह मामला कृष्णा जल न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में, यह वाछंनीय समझा गया कि न्यायाधिकरण के पंचाट के उपलब्ध होने तक इस पर विचार करना निलम्बित कर दिया जाए।

श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा: अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में यह स्पष्ट कहा गया है कि मैसूर और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के रवैये में वास्तविक अन्तर है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मैसूर सरकार ने तुंगभद्रा बोर्ड को समाप्त करने के लिए क्या कारण बताए हैं?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० के० एल० राव) : तुंगभद्रा बांध मैसूर राज्य में स्थित है। इसलिए मैसूर सरकार का विचार है कि उनके सीमा क्षेत्र में स्थित बांध और नहर के नियंत्रण की व्यवस्था का काम उनके हाथ में होना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि जब तक कोई विनियमन-कारी व्यवस्था नहीं होती, तब तक नहर से आने वाले पानी का मिलना सुनिश्चित नहीं है। अतः सरकार ने 1953 में तुंगभद्रा परियोजना के पानी का विनियमन करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया था और जैसाकि मैंने उत्तर में बताया है कि कोई और कदम उठाने से पूर्व हम कृष्णा जल न्यायाधिकरण के पंचाट को अन्तिम रूप दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। तुंगभद्रा बोर्ड को समाप्त करने के लिए मैसूर सरकार ने क्या कारण बताए हैं?

डा० के० एल० राव : मैंने आरम्भ में ही बताया है कि चूंकि तुंगभद्रा बांध मैसूर राज्य में स्थित है, अतः मैसूर राज्य का विचार है कि यह उनके नियंत्रणाधीन होना चाहिए।

श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा : मेरा दूसरा प्रश्न ...

अध्यक्ष महोदय : क्या अभी भी यह दूसरा प्रश्न है?

श्री डी० बी० चन्द्र गौड़ा : जी हां क्योंकि मैं केवल स्पष्टीकरण चाहता था। इस मामले को कृष्णा जल न्यायाधिकरण को सौंपने के कारण क्या हैं? जहां तक तुंगभद्रा बोर्ड का प्रश्न है, उसका कृष्णा जल न्यायाधिकरण से क्या सम्बन्ध है?

डा० के० एल० राव : तुंगभद्रा कृष्णा नदी का भाग है। इन सभी समस्याओं को कृष्णा जल न्यायाधिकरण को उनके विचारार्थ और निर्णय के लिए सौंपा गया है।

श्री के० लकप्पा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री का ध्यान समाचार-पत्रों में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि तुंगभद्रा बोर्ड का गठन कुछ संबद्ध सिद्धान्तों

का खुला उल्लंघन है और वे आन्ध्र प्रदेश को अनधिकृत रूप से जल की अनुमति दे रहे हैं ? स्थिति को ठीक करने के लिए बोर्ड का पुनर्गठन नहीं किया गया है। यह मामला कृष्णा जल न्यायाधिकरण का ध्यान आकर्षित करता रहा है जिसका कि तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, अर्थात् उस पानी को, जो मैसूर राज्य को मिलना चाहिए था, आंध्र प्रदेश को देने के बारे में मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है जबकि बोर्ड सदैव नियमों का उल्लंघन करता रहा है, भारत सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

डा० के० एल० राव: तुंगभद्रा स्रोत से जल की पूर्ति एक बोर्ड द्वारा, जिसमें मैसूर, आंध्र प्रदेश और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं, विनियमित की जाती है, अतः ऐसा बिल्कुल नियमों के अनुसार किया जा रहा है।

श्री के० लकप्पा किन्तु बोर्ड के अधिकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। वहां अभी भी जल का अभाव है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए। लकप्पा जी आप उनकी बात क्यों नहीं सुनते।

डा० के० एल० राव : मैं कह रहा था कि आन्ध्र प्रदेश जो अधिक पानी चाहता है, उसे पूरी तरह से नियमों के अधीन दिया जा रहा है और थोड़ा सा भी अधिक पानी आन्ध्र प्रदेश को नहीं दिया जा रहा है।

श्री के० लकप्पा : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : तो उसे अगली बार पूछिए।

श्री के० लकप्पा : अगली बार क्यों ? अभी मेरे प्रश्न के उस भाग का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आपके निकट खड़े सज्जन काफी लम्बे हैं। श्री शिवप्पा कृपया बैठ जाएं ताकि मैं इन्हें ठीक से देख सकूं।

श्री के० लकप्पा : जैसाकि मैंने कहा, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। वह नियमों का स्पष्ट उल्लघंन है, पानी आंध्र प्रदेश को दिया गया है जबकि वह उन्हें नहीं मिलना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए।

डा० के० एल० राव : अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों में छपा यह समाचार गलत है। पानी पूरी तरह से निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार दिया जाता है और थोड़ा जरा भी अधिक पानी आंध्र प्रदेश को नहीं दिया गया है।

श्री के० मालन्ना : मंत्री महोदय द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश कृष्णा बेसिन से अधिक पानी ले रहा है ? यदि हां तो आपने आंध्र प्रदेश को उससे अधिक पानी की अनुमति क्यों दी है, जितने का वह हकदार है। मैसूर और अन्य पड़ौसी राज्यों के साथ न्याय हो, इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है। आंध्र प्रदेश द्वारा पानी की कितनी अधिक मात्रा उपयोग में लाई गई है।

डा० के० एल० राव : जैसाकि मैंने पहले निवेदन किया है, आंध्र प्रदेश को अधिक पानी नहीं दिया गया है, इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिवप्पा।

श्री के० लकप्पा : मैं कृष्णा बेसिन की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइए। तीनों सदस्य मैसूर राज्य के हैं और मेरे ख्याल में मंत्री महोदय भी मैसूर से हैं **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप समझते हैं कि आप इस तरीके से अधिक पानी ले लेंगे। लकप्पा जी आप बैठ क्यों नहीं जाते। श्री शिवप्पा।

श्री एन० शिवप्पा : मंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया है कि बोर्ड की समस्या कृष्णा जल विवाद से संबंधित है, किन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय ने मैसूर सरकार से परामर्श किया है और यह कि क्या कृष्णा के जल को विनियमित करने के बारे में दो राज्यों के लिए उनकी वचन बद्धता में कोई शर्तें निर्धारित की गई हैं ? मामला जब अधिक पानी दिए जाने का है तो मंत्री महोदय ने इसकी पहले जांच क्यों नहीं की और मामले को स्पष्ट क्यों नहीं किया ?

अधिक पानी देने से कुछ क्षेत्रों में सूखा पीड़ित लोगों को बहुत कष्ट उठाने पड़े हैं। मध्यवर्ती एजेन्सियों को दण्ड क्यों नहीं दिया गया जिन्होंने अधिक पानी देकर शर्तों का उल्लंघन किया है ?

डा० के० एल० राव : जैसाकि मैंने पहले निवेदन किया है कि यह काम एक बोर्ड ने किया है जिसमें दोनों राज्यों और केन्द्र के प्रतिनिधि शामिल हैं। वस्तुतः इस वर्ष जलाशय में पानी की कमी के कारण 25 प्रतिशत की कटौती की गई है।

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय इन्होंने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गुजरात में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलना

*486. **श्री बेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मोटी रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) और (ख). जी हां। इस समय वीरमगांव-ओखा-

पोरबन्दर (जामनगर-बेदी और कानालुस-सिका सहित) मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का काम (556.97 कि० मी०, लागत 42.93 करोड़ रु०), जिसे 20-12-1971 को मंजूरी दी गयी थी, जारी है। आशा है कि यह कार्य 31-12-1977 तक पूरा हो जायेगा।

इसके अलावा, इस समय 1066 कि०मी० लम्बे दिल्ली-अहमदाबाद मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए, जिसका कुछ भाग (176 कि०मी०) गुजरात में पड़ता है, यातायात सर्वेक्षण का काम जारी है। जब सर्वेक्षण का काम पूरा हो जायेगा और उसकी रिपोर्ट की सभी दृष्टियों से जांच कर ली जायेगी तब इस संबंध में आगे विचार किया जायेगा।

प्रथम श्रेणी (जूनियर वेतनक्रम) और द्वितीय श्रेणी के समान कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले अधिकारियों के लिए समान वेतनक्रम

*487. **श्री दलीप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी (जूनियर वेतनक्रम) के अधिकारी एक ही पद पर कार्य करते हुए, एक ही प्रकार की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों वाला कार्यभार संभालते हैं ;

(ख) क्या एक ही प्रकार के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी, इन दोनों श्रेणियों के अधिकारियों के वेतन-मान भिन्न-भिन्न हैं ; और यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार इस समय श्रेणी II के लिए 350-900 रुपये का और कनिष्ठ वेतनमान (श्रेणी I) के लिए 400-950 रुपये का वेतनमान निर्धारित किया गया है।

(ग) चिकित्सा विभाग और कुछ विशेषज्ञ संवर्गों को छोड़कर श्रेणी II के पद सामान्यतः पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं और इनके पदधारी इनको कार्यशील पदों के रूप में धारण करते हैं। कनिष्ठ वेतनमान (श्रेणी I) के अधिकारी वरिष्ठ वेतनमान और प्रशासी संवर्गों में अधिक महत्वपूर्ण कामों पर लगाये जाने से पहले मुख्यतः काम का अनुभव प्राप्त करने के लिए सहायक अधिकारियों के पदों पर काम करते हैं। यह अन्तर भर्ती के विभिन्न प्रयोजनों और साधनों के कारण से है तथा लम्बे समय से चली आ रही भर्ती और पदोन्नति की सुस्पष्ट नीति के अनुसार है।

रूसी विशेषज्ञों द्वारा तेल भंडारों का मूल्यांकन

*489. **श्री आर० वी० स्वामिनाथन** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी विशेषज्ञों ने यह कहा है कि भारत में तेल के बड़े भण्डार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने कितना तेल होने का अनुमान लगाया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख). डा० एन० ए० कालिनिन नामक एक रूसी विशेषज्ञ ने कई वर्ष पहले प्रकाशित एक लेख में संकेत दिया था कि भारत

का कच्चे तेल का अनुमानित भंडार 4000 मिलियन मीटरी टन का है।

हाल ही में कुछ अन्य रूसी विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि तेल अन्वेषण क्रियाओं के बहुताधिक विस्तार से आने वाले 5 वर्षों में 64 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल के अतिरिक्त प्राप्य भण्डार और दूसरे 5 वर्षों में अन्य 132 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल के प्राप्य भण्डार खोज निकालना संभव हो सकता है।

उत्तर प्रदेश द्वारा जेनरेटरों और टर्बाइनों का आयात

*493. **श्री एस० एम० बनर्जी** . क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 400 मैगावाट अतिरिक्त विद्युत के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जनेरेटरों तथा टरबाइनों के आयात को अनुमति देने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं और अनुमति कब तक दे दी जाएगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). 400 मैगावाट उत्पादन उपस्कर के आयात करने पर सहमति हो गई है। ओब्रा ताप विद्युत केन्द्र को सप्लाई किए जाने वाले कोयले तथा कोयले के सम्पूर्ण यौक्तिक प्रयोग के संदर्भ में इसका संचालन तथा परिवहन के बारे में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

तट-दूर ड्रिलिंग के लिए तकनीकी जानकारी प्राप्त करना

*494. **श्री गिरिधर गोमांगो :**
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तट-दूर ड्रिलिंग के लिए तकनीकी जानकारी अभी भारत को प्राप्त करनी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रशिक्षित व्यक्तियों को और प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्ति कहां-कहां भेजने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हाँ, जहां तक गतिशील व्यधन प्लेटफार्म का प्रयोग करके अतटीय व्यधन का सम्बन्ध है।

(ख) और (ग). गतिशील अतटीय प्लेटफार्म के परिचालन और अनुरक्षण सहित, अतटीय अन्वेषण से संबन्धित विभिन्न क्रियाओं में ओ० एन० जी० सी० के 37 तकनीकीविदों को विदेशों में प्रशिक्षण दिया गया है। यह प्रशिक्षण अमेरीका पश्चिम एशिया, जापान और फ्रांस में दिया गया था। इसके अतिरिक्त कैम्बे की खाड़ी से लगते हुए अरब सागर में ओ० एन० जी० सी० की ओर से विदेशी ठेकेदारों द्वारा किये गये भूकम्पीय और समुद्र-तल सर्वेक्षण में 13 भारतीय तकनीशनों को प्रशिक्षण

दिया गया था । ओ०एन०जी०सी० की आवश्यकताओं के आधार पर ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य में जारी रखे जायेंगे ।

सिविल प्रक्रिया संहिता में आमूल परिवर्तन

*495. **श्री रामावतार शास्त्री :**

श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि आयोग ने सिविल प्रक्रिया संहिता में आमूल परिवर्तन करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) सिविल प्रक्रिया संहिता के बारे में आयोग की महत्वपूर्ण सिफारिशें नीचे दी गई हैं :–

(क) पूर्व न्याय के सिद्धान्त का सरलीकरण ; लिखित कथन को विनिर्दिष्ट समय के अन्दर फाइल करने की अपेक्षा ;

(ख) लोक न्यूसेंस और लोक न्यासों से सम्बन्धित वादों के उपबन्धों में सुधार और विस्तार ;

(ग) धारा 115 के अधीन पुनरीक्षण सम्बन्धी उच्च न्यायालय की शक्ति को समाप्त करना ;

(घ) द्वितीय अपील के अधिकार को विधि के सारवान् प्रश्नों तक सीमित करके कम करना, जिससे वह अधिक युक्तिसंगत हो ;

(ङ) अधिकारिता या वर्जन या वाद जैसे, विशेष मामलों के सिवाय, सभी विषयों पर मामले के निपटारे के हेतु संशोधन ;

(च) कुटुम्ब से सम्बन्धित वादों के बारे में विशेष अध्याय का अन्तःस्थापन ;

(छ) बन्धक-विषयक वादों से सम्बन्धित प्रक्रिया को सरल करना ;

(ज) संक्षिप्त प्रक्रिया को सभी न्यायालयों पर विस्तारित करके उसके क्षेत्र को बढ़ाना ;

(झ) रोक आदेशों और अन्तरिम व्यादेशों द्वारा होने वाले विलम्ब को समाप्त करने के लिए संशोधन ;

(ञ) आदेश 43 के अधीन अपीलीय आदेशों की संख्या में पर्याप्त कमी करना ;

(ट) निर्धन व्यक्तियों के रूप में वाद लाने के लिए अनुज्ञात सभी व्यक्तियों के लिए विधिक सहायता अनिवार्य करना ;

(ठ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निष्पादन कार्यवाहियों में अनुचित विलम्ब न हो; निष्पादन प्रक्रिया में संशोधन करना।

आयोग ने न्यायिक प्रशिक्षण की राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना के लिए और कनिष्ठ न्यायिक सेवा के वर्तमान निबन्धनों और शर्तों में पर्याप्त सुधार के लिए भी सिफारिश की है।

(ग) रिपोर्ट मुद्रणाधीन है। इस रिपोर्ट पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय उर्वरक निगम के अधिकारियों की एसोसियेशन को मान्यता न देने के कारण

*496. **श्री सतपाल कपूर : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन उपक्रमों में अधिकारियों की एसोसियेशनों से संसद सदस्य सम्बद्ध हैं ;

(ख) क्या इस एसोसियेशनों को प्रबन्धकों ने मान्यता दी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन आफ इण्डिया आफिसर्स फेडरेशन को मान्यता न देने के क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) और (ख). पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन कुछ उपक्रमों में अधिकारियों की एसोसियेशनों से संसद सदस्य सम्बद्ध हैं ; किन्तु प्रबन्धकों ने इन्हें मान्यता नहीं दी है।

(ग) भारतीय उर्वरक निगम अधिकारी परिषद को मान्यता दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है।

कृष्णा नदी में पानी का बहाव

*497. **श्री सी० के० जाफरा शरीफ : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को जल की कमी के संकट से बचाने के विचार से, कृष्णा नदी में वर्ष भर कम से कम 1000 क्यूसेक पानी छोड़ने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कृष्णा नदी पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगभग पांच-छः मास तक सूखी रही है और इसके बेसिन में कुएं खोदने के प्रयास असफल रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने वर्ष भर कृष्णा नदी में जल पहुंचाने के लिए मैसूर सरकार को क्या उपाय सुझाए हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि कोयना-कृष्णा नदी बारहमासी नदी नहीं है और सामान्य मौसम के उत्तरार्ध में इसमें वास्तव में कोई प्रवाह नहीं होगा तथा कोयना बांध के निर्माण से सामान्य मौसम नदी के अनुप्रवाह से निस्सार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

उन्होंने आगे कहा है कि मैसूर में कृष्णा नदी के निकटवर्ती गांवों में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए तीन पाक्षिक किस्तों में लगभग 600 मिलियन घनफुट जल छोड़ने के संबंध में अभी हाल ही में उनसे मैसूर सरकार ने अनुरोध किया है। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि यद्यपि इस वर्ष कोयना बांध अपनी अभिकल्पित धारिता के 56 प्रतिशत तक भर गया था और जल-विद्युत परियोजनाओं के अपनी पूरी धारिता तक पूरित न होने के कारण राज्य सरकार ने राज्य में विद्युत की खपत पर भारी रोक लगा दी थी, उन्होंने अपेक्षित मात्रा छोड़ना स्वीकार कर लिया था बशर्ते मैसूर सरकार जल की इस मात्रा को छोड़ने के परिणाम-स्वरूप होने वाली विद्युत की हानि के 50 प्रतिशत के बराबर विद्युत तत्काल और शेष 50 प्रतिशत जुलाई, 1973 के बाद सप्लाई करने पर सहमत हो जाए। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि इस करार के संबंध में मैसूर सरकार की पुष्टि की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा विस्तार की मांग

*498. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की कुछ विदेशी औषध कम्पनियों ने अपने विस्तार के लिए आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन्होंने किस प्रकार के विस्तार के लिए अनुरोध किया है ; और

(ग) इस प्रकार के विस्तार की स्वीकृति देने की दशा में भारतीय कम्पनियों पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकान्त बरुआ) : (क) जी हां।

(ख) उन कम्पनियों के नाम और प्रत्येक केस में आवेदित विस्तार की प्रकृति जो विचाराधीन है, को दर्शानेवाला एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा है।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार औषधि और भेषज्य उन उद्योगों की सूची में सम्मिलित है जिनके लिये विदेशी कम्पनियां, जैसे कम्पनियां जिनमें साम्य शेयरों का बड़ा भाग विदेशी है, और विदेशी कम्पनियों की नियन्त्रित कम्पनियां और शाखाएं औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने के पात्र हैं।

विदेशी कम्पनियों के प्रार्थनापत्रों पर विचार करते समय भारतीय कम्पनियों के हितों की रक्षा के लिये सावधानी बरती जाती है, तथा विदेशी कम्पनियों के प्रार्थनापत्र, शिल्पवैज्ञानिक दृष्टिकोण, निर्यात सम्भावनाएं तथा भुगतान के शेष पर उनके निर्माण के समग्र भार के विशेष संदर्भ में जांची जाती हैं। इसके अतिरिक्त, उनके निवेश "विदेशी साम्य के तनूकरण पर निर्देश पद" आधारित होती है।

विवरण

क्र० सं०	विदेशी कम्पनी का नाम अर्थात वे कम्पनियां जिनका विदेशी साम्य 50% से अधिक है।	निर्माण की वस्तुएं
1.	मे० बूटस् प्यारे ड्रग्ज कम्पनी (प्राइवेट) बम्बई	ब्रूफेन टिकियां

क्र० सं०	विदेशी कम्पनी का नाम अर्थात वे कम्पनियां जिनका विदेशी साम्य 50% से अधिक है।	निर्माण की वस्तुएं
2.	मे० एग्लो फ्रेन्च ड्रग कम्पनी (ईस्टर्न) लि०, बम्बई	एमीलोबार्बिटोन सोडियम, इत्यादि
3.	मे० वरोज बेलकम् एण्ड कम्पनी (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई	सेप्ट्रान टिकिया इत्यादि
4.	मे० रोश प्राइक्टस लिमिटेड, बम्बई	बैक्ट्रिन टिकिया इत्यादि
5.	मे० मे एण्ड बेकर लिमिटेड	पेरियाजीन टिकिया इत्यादि
6.	मे० मर्क शार्प एण्ड डोमे आफ इण्डिया लिमिटेड बम्बई (दो प्रार्थना पत्र)	(पशुचिकित्सा) डेका इडोसिड इण्डोनेथासिन
7.	मे० सैंडोज (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई	क्लौरक्विन फास्फेट इत्यादि
8.	में० स्मिथ एण्ड नेव्यू (इंडिया) लिमिटेड, बम्बई	बेलाडोना प्लास्टर
9.	मे० बोएरिंगर नाल लिमिटेड, बम्बई	विकटेक्सान टिकिया
10.	मे० फाइजर लिमिटेड, बम्बई	डेक्सीसाइक्लिन इत्यादि
11.	मे० बोएरिंगर नाल लिमिटेड, बम्बई	एक्नीटन टिकिया
12.	—वही—	युग्ल्यूकान
13.	मे० स्मिथ एण्ड नेव्यू (इण्डिया) लि०, बम्बई	लिक्विड एण्टीसेप्टिक
14.	मे० बोएरिंगर नाल लि०, बम्बई	कैफीन और उसके संजात इत्यादि
15.	मे० सीअर्ले (इण्डिया) लिमिटेड, बम्बई	8-हाईड्राक्सी-क्विनालीन
16.	मे० एवट लैबोरेटरीज इण्डिया प्रा० लि०, बम्बई	आई० ए० इन्जेक्शन

उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों के बड़े औद्योगिक गृहों के उद्योगों को बिजली की सप्लाई

*499. **कुमारी कमला कुमारी : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में बिजली का कुल कितना उत्पादन होता है ; और

(ख) इसमें से बड़े औद्योगिक गृहों के उद्योगों को कितनी बिजली सप्लाई की जाती है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० के० एल० राव) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर

रखा जाता है ।

विवरण

(क) 1971-72 के दौरान यूटिलिटीज द्वारा उत्पादित वास्तविक ऊर्जा उत्तर प्रदेश में 5793 मिलियन यूनिट और बिहार में 4192 मिलियन यूनिट थी ।

(ख) 1971-72 के दौरान यूटिलिटीज द्वारा बृहत् औद्योगिक गृहों को सप्लाई की गई ऊर्जा (50 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष और इससे ऊपर) निम्नलिखित थी :—

राज्य	उद्योग का नाम	सप्लाई की गई ऊर्जा मिलियन यूनिटों में
उत्तर प्रदेश	हिन्दुस्तान ऐल्यूमीनियम कार्पोरेशन लिमिटेड	585.8
बिहार	रोहतास इन्डस्ट्रीज	120.3
बिहार	इण्डियन कापर कार्पोरेशन	53.3
बिहार	टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कम्पनी	190.9
बिहार	टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी	634.7

Recovery of 287 Smoke Bombs from a Wagon sent to Indian Explosives Fertilizer Factory

*500. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether 287 smoke bombs were recovered in 144 boxes in one of the 22 empty wagons sent to the Indian Explosives Fertilizer Factory in January, 1973;

(b) whether Government have conducted an inquiry in this regard; and

(c) if so, the outcome thereof?

The Minister of Railways (Shri L. N. Mishra): (a) Yes.

(b) The matter was reported to the Civil Police authorities and is under inquiry. Intelligence Department (U. P.) are also making a probe into this.

(c) The matter is still under inquiry.

कर्मचारियों को सेवा से निकाल देने का दण्ड

4728. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे अधिकारियों ने कुल कितने कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की थी तथा 1971 और 1972 में कितने मामलों में न्यायालयों ने सेवा से निकालने अथवा सेवा मुक्त करने के दण्डादेशों को रद्द कर दिया था ; और

(ख) उक्त कर्मचारियों को गलती से सेवामुक्त करने के लिये कितने अधिकारियों को, दिनांक 19 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4858 के भाग (ङ) के उत्तर में दिये गये विवरण के अनुसार, उत्तरदायी ठहराया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). रेल प्रशासनों से सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Amount Realised from Ticketless Travellers on N. E. Railway

4729. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the amount of penalty and fare charged from the ticketless travellers apprehended on the North Eastern Railway during the last three months ; and

(b) further steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) The amount of penalty and fare charged from ticketless travellers apprehended during the last three months i. e. December 72 to February 73 was as under :—

Rs. 3,41,705 as penalty.

Rs. 84,317 as fare.

(b) Apart from effective propaganda against such social evils, the following steps will continue to be taken :

(i) In addition to regular and surprise checks, massive checks by mobilising large forces of ticket checks staff, Railway Protection Force and Government Railway Police accompanied by Railway Magistrates will be conducted on vulnerable sections.

(ii) Joint drives with the cooperation of the State Governments will be carried out.

(iii) Punishments for erring employees and rewards for those rendering exemplary service will be awarded to ensure effective staff participation.

Population and area served by Railways in Madhya Pradesh

4730. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the population and area on an average served by 100 kilometres Railway line in Madhya Pradesh ; and

(b) the all India figures in comparison thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) 7,695 square kilometres of area and a population of 724,000 are served by each 100 kilometres of railway lines in Madhya Pradesh.

(b) The comparative all India figures are 5,302 square kilometres of area and a population of 909,000.

New River Valley Projects from Madhya Pradesh

4731. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have sent some new river valley projects under Centrally sponsored category for approval ;

(b) if so, the salient features thereof ; and

(c) the present position thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c). Irrigation is a State subject and there is no centrally sponsored scheme of irrigation.

The Government of Madhya Pradesh have proposed Narmadasagar, Omkareshwar, Bargi, Sukta and Bichhia tank schemes in Narmada basin for inclusion in the developmental plans of the State. It is expected that the water disputes of this basin will be resolved shortly, when these projects will be considered for clearance.

The State Government have also proposed the Upper Wainganga, Nahlesara and Waghya Nalla schemes in Godavari basin. Consideration of these would have to await the award of the Godavari Water Disputes Tribunal.

The Bansagar project in the Sone Basin proposed by the State has been objected to by the Government of Uttar Pradesh and Bihar and the project is under discussion amongst the States in order to evolve proposals likely to be acceptable to all the States.

The Hasdeo (Bango) project proposed in the Mahanadi basin and Bardav Nala in Chambal basin are under technical examination in the Central Water and Power Commission.

Inclusion of Utawali River Irrigation Project in M. P. in Fifth Plan

4732. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Utawali River Irrigation Project in Burhanpur Tehsil of Madhya Pradesh is proposed to be included in the Fifth Five Year Plan ;

(b) the expenditure likely to be incurred thereon ; and

(c) the time by which the project is likely to be completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) The State Government have informed that the project is under investigation and that no decision has yet been taken by them regarding its inclusion in the Fifth Five Year Plan.

(b) and (c). Do not arise.

सोनीपत/पानीपत से दिल्ली तक रेल लाइन को दोहरा बनाना

4733. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या रेल मन्त्री सोनीपत/पानीपत से दिल्ली तक रेल लाइन को दोहरा बनाने के बारे में 19 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4935 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस मामले में कोई निर्णय लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार हो रहा है ।

भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी, रिहन्द बांध और ओबरा तापीय बिजली संयंत्रों द्वारा बिजली-उत्पादन

4734. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी, रिहन्द बांध और ओबरा तापीय बिजली संयंत्र अपनी पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन कर रहे हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) ये संयंत्र पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन कब तक शुरू कर देंगे ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) भाखड़ा-नांगल और रिहन्द बांध से जल की उपलब्धता पर आधारित पूर्ण ऊर्जा शक्यता के अनुरूप ऊर्जा का उत्पादन हुआ है । ओबरा और दामोदर घाटी निगम में प्रतिष्ठापित क्षमता के यूनिट/किलोवाट के अनुसार तापीय ऊर्जा का उत्पादन 1971-72 के दौरान निम्नानुसार है :—

ओबरा	5410 यूनिट/किलोवाट
चन्द्रपुरा (दामोदर घाटी निगम)	4560 यूनिट/किलोवाट
बोकारो	4570 यूनिट/किलोवाट
दुर्गापुर (दामोदर घाटी निगम)	3690 यूनिट/किलोवाट

(ख) भाखड़ा-नांगल, रिहन्द बांध और ओबरा की स्थिति में विद्युत का उत्पादन पूर्णतया संतोषजनक है । बोकारो और दुर्गापुर के संयंत्रों की भारी मरम्मतें तथा नवीकरण के पूर्ण हो जाने पर और चन्द्रपुरा के लिए वाशरी उपोत्पाद ईंधन के साथ उत्तम कोयले से सम्मिश्रण की व्यवस्था द्वारा दामोदर घाटी निगम के ताप-विद्युत केन्द्रों के उत्पादन में और अधिक वृद्धि की जा सकती है ।

(ग) ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पहले ही कार्रवाई की जा रही है । चन्द्रपुरा के लिए अच्छी किस्म के कोयले की व्यवस्था की जा रही है और इसके समुपयोजन के लिए कोयला सम्मिश्रण (ब्लेंडिंग) संयंत्र की प्रतिष्ठापना की जा रही है । दुर्गापुर में भारी मरम्मतों का काम मार्च, 1973 में और बोकारो में जून, 1973 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

पुनः सहवास आरम्भ न किये जाने के आधार पर विवाहित पुरुष अथवा महिला को तलाक मांगने का अधिकार

4735. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री पुनः सहवास आरम्भ न किये जाने के आधार पर विवाहित पुरुष अथवा महिला के तलाक मांगने के अधिकार के बारे में 10 मार्च, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2304 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत उपलब्ध आधारों के अतिरिक्त एक निश्चित अवधि तक पुनः सहवास न करने के आधार पर विवाहित पुरुष अथवा महिला को तलाक लेने के अधिकार देने की वांछनीयता सम्बन्धी सुझाव पर सरकार द्वारा इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). मामला अभी तक विचाराधीन है ।

भेषज मूल्यों को स्वीकृति देने हेतु सेल की स्थापना

4736. **श्री भालजी भाई परमार :**
श्री के० एस० चावड़ा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज मूल्यों को स्वीकृति देने हेतु आवेदन पत्रों का निपटारा करने के लिए उनके मंत्रालय में एक सेल स्थापित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सेल का वर्तमान गठन क्या है उन पर वार्षिक कितना व्यय होता है ; और

(ग) क्या कारण है कि भेषज मूल्यों को स्वीकृति देने सम्बन्धी कार्य को भारतीय लागत तथा मूल्य ब्यूरो (ब्यूरो आफ इण्डियन कास्ट एण्ड प्राइसिस) जोकि एक विशेषज्ञ निकाय है, को नहीं सौंपा जा सकता ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) ड्रग्स सेल का वर्तमान गठन निम्न प्रकार है :—

1.	तकनीकी अधिकार	—	1
2.	लागत लेखा अधिकारी	—	1
3.	तकनीकी सहायक	—	4
4.	आशुलिपिक ग्रेड III	—	1
5.	लोअर डिवीजन क्लर्क	—	1

(ग) उपर्युक्त कर्मचारियों के स्थापन पर 1972-73 के दौरान 63,204.88 रुपये कुल व्यय हुआ। औषधि मूल्य पुनरीक्षण बोर्ड (ड्रग्ज प्राइसिज रिव्यू बोर्ड) की सहायता के लिए सेल का गठन किया गया था। यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1973 की समाप्ति पर यह कार्य, औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो को हस्तांतरण किया जाए।

भेषज मूल्य नियंत्रण आदेश, 1970 की क्रियान्विति का मूल्यांकन

4737. **श्री भालजी भाई परमार :**
श्री के० एस० चावड़ा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज नियंत्रण आदेश, 1970 की क्रियान्विति का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो मूल्यांकन कब तक किया जायेगा और इसे कब पूरा किया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार नियंत्रण आदेश में निर्धारित फार्मूले में परिवर्तन करने, भेषज मूल्यों के मामले में उपभोक्ताओं को कुछ राहत देने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). 100 फर्मों से सूचना मांगी गई थी और 77 फर्मों से प्राप्त हो गई है। क्योंकि बहुत से यूनिट अभेषजीय मदों से सम्बन्धित गतिविधियों में भी लगे हुये हैं, उनसे और सूचना मांगी गई है। तथापि, 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली 34 फर्मों के बारे में कार्यकरण का प्रारम्भिक मूल्यांकन इस प्रकार है :—

	1969	**1971**
सूत्रयोगों की बिक्री पर लाभप्रदता	18.80%	11.10%
विनियोजित पूंजी पर लाभप्रदता	19.09%	16.48%

(ग) मई 1970 में जारी किये गये औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश 1970 उन अत्यावश्यक औषधियों की कीमतों, जिनकी कीमतें सामान्य रूप से बहुत अधिक थीं, कमी करने और कीमतों का सामान्य रूप से युक्तिकरण करने के लिये बनाया गया था और इससे उपभोक्ता को लाभ हुआ है। 24 प्रपुंज औषधों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के लागत ढांचे से सम्बन्धित औद्योगिक लागत तथा मूल्य की ब्यूरो के चैयरमैन की अध्यक्षता के अन्तर्गत नियुक्त किये गये कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

विदेशी फर्मों द्वारा बड़ी मात्रा में भेषजों (बल्क ड्रग) का आयात

4738. **श्री भालजी भाई परमार :**
श्री के० एस० चावड़ा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1970 के अन्तर्गत फार्मूलेशन्स के मूल्यों के निर्धारण

का एक कारण बड़ी मात्रा में मंगाई गई औषधियों (बल्क ड्रग) की लागत है ;

(ख) क्या कुछ विदेशी फर्में अपनी पसन्द के साधनों से ऐसे मूल्य पर जो कि प्रतियोगात्मक नहीं है बड़ी मात्रा में भेषजों (बल्क ड्रग) का आयात करती है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं और सम्बन्धित फर्मों के नाम क्या हैं ; और

(घ) सम्बन्धित फार्मूलेशन्स के मूल्यों को कम करने तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे कदाचारों की पुनरावृत्ति न हो, सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) और (घ). निम्नलिखित मामलों में यह पाया गया था कि कम्पनियां बहुत अधिक दामों पर बड़ी मात्रा में औषधियों (बल्क ड्रग्ज) का आयात कर रही थीं और उनके मूल्यों में कमी की गई है :—

	औषधि का नाम	फर्म का नाम
1.	परेसामाइड	होयस्ट फार्मास्युटिकल्स लि०
2.	प्रेनिलामाइन लक्टेट	" " "
3.	इण्डोमेथासीन	मर्क शार्प एण्ड दोहमे आफ इण्डिया लि०

पहले दो मामलों (केसों) से सम्बन्धित सूत्रयोगों (फार्मूलेशन्स) के विक्रय मूल्यों को कम किया गया है और तीसरे मामले में मूल्यों में कमी लाने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

अधिकतम मूल्यों, जिन पर कुछ औषधियों का आयात किया जा सकता है, का आयात व्यापार नियन्त्रण नीति बुक (इम्पोर्ट ट्रेड कन्ट्रोल पालिसीबुक) में पहले ही उल्लेख किया गया है । राज्य व्यापार निगम लि० के माध्यम से कई औषधियों के आयात का सारणीबद्ध किया गया है और सारणी-बद्ध योजना के अन्तर्गत मदों के विस्तार का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है ।

भेषज मूल्यों के निर्धारण के लिए आवेदन-पत्र

4739. **श्री मालजी भाई परमार :**
श्री के० एस० चावड़ा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज मूल्य नियन्त्रण आदेश, 1970 के अन्तर्गत भेषजों के मूल्यों के निर्धारण सम्बन्धी कितने आवेदन-पत्र अब तक अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) अनिर्णीत पड़ा हुआ प्रत्येक आवेदन-पत्र किस तारीख को प्राप्त हुआ था और इसके कब तक निपटा दिए जाने की आशंका है ;

(ग) आवेदन-पत्रों की प्राप्ति की तिथि से स्वीकृति देने तक आमतौर पर कितना समय लगता है ; और

(घ) ऐसे आवेदन-पत्रों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 16-3-73 को 148 फर्मों के प्रार्थना पत्र जिनमें 713 मदों/पैकों का मूल्य अनुमोदन आवेष्टित है लम्बित है ।

(ख) से (घ). फर्मों के नामों, प्राप्ति की तिथि एवं आवेष्टित मदों/पैकों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4615/73]** इन प्रार्थना पत्रों को यथासंभव शीघ्रता से निपटाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । यदि प्रार्थना पत्र सभी तरह से पूरा हो तो साधारणतः प्राप्ति तिथि और निपटान तिथि में चार मास का समय अन्तर होता है । इस उद्देश्य के लिए संगठित औषधि मूल्य समीक्षा बोर्ड लंबित प्रार्थना पत्रों का शीघ्र निपटान करने के लिये अब और बहुधा से मिलता है, लगभग सप्ताह में एक बार 1971 और 1972 में 5796 मदों/पैकों के लिये प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से 5576 मदों/पैकों के प्रार्थना पत्रों का निपटान किया गया है।

"इण्डियन रेलवेज, 1971-72"

4740. **श्री अम्बेश** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनके मन्त्रालय ने भारतीय रेलवे से सम्बन्धित जानकारी के बारे में "इण्डियन रेलवेज, 1971-72" शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की है ;

(ख) क्या उक्त पुस्तक में डिग्री कालेजों, इन्टरमीडियेट कालेजों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, हाई स्कूलों, मिडिल स्कूलों और प्रायमरी स्कूलों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या भविष्य में "इण्डियन रेलवेज" शिक्षा यूनिट के बारे में पूरी जानकारी दिए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं । "भारतीय रेल 1971-72" में (57-58 पृष्ठ पर) इस सम्बन्ध में योजना अवधियों में तुलनात्मक प्रगति के साथ भारतीय रेलों पर चल रहे शैक्षणिक संस्थाओं का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है जिनमें इण्टरमीडिएट कालेज भी शामिल हैं।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) रेलवे बोर्ड द्वारा प्रकाशित एक और वार्षिक प्रकाशन है जिसका नाम "भारतीय रेल व्यवस्था पर रेलवे बोर्ड की रिपोर्ट" है और इसमें वर्ष में रेलों के संचालन के सम्बन्ध में खास विशेषताओं का अपेक्षाकृत अधिक ब्यौरा दिया जाता है। यह प्रकाशन रेलवे बजट पेश करने से पहले संसद् सदस्यों को दिया जाता है । इस प्रकाशन में भारतीय रेलों पर चल रहे प्राइमरी, मिडिल और हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों (1971-72 की वार्षिक रिपोर्ट के पैरा 8.06 पृष्ठ 43-44) का पूरा ब्यौरा दिया गया है । "भारतीय रेल" पुस्तिका में योजना अवधियों में रेलों

द्वारा उपलब्ध प्रगति का संक्षिप्त उल्लेख किया जाता है और इसका उद्देश्य सामान्य पाठक की आवश्यताएं पूरी करना है। इसलिए, इस लोकप्रिय प्रकाशन में विस्तार से ब्यौरा देकर बोझिल बनाना उचित नहीं समझा जाता।

Electrification of Villages in U. P. during 1973-74

4741. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the names of the villages proposed to be electrified district-wise in Uttar Pradesh during 1973-74 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : The Uttar Pradesh State Electricity Board propose to electrify 3,000 villages in the State during 1973-74. Names of the villages have not been finalised as yet.

मैसर्स होचस्ट फार्म्यूसिटिकल्स लिमिटेड के लिए अनल्जीन का आयात

4743. **श्री के० एस० चावड़ा : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा मैसर्स होयस्ट फार्म्यूसिटिकल्स लिमिटेड, के लिए जिसमें 50 प्रतिशत विदेशी इक्विटी पूंजी है ; दस टन अनल्जीन का विशेष रूप से आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस विदेशी फर्म को इतनी बड़ी मात्रा में अनल्जीन किन परिस्थितियों में उपलब्ध कराई जा रही है ;

(ग) क्या इस फर्म को इतनी बड़ी मात्रा में अनल्जीन की सप्लाई से भारतीय फर्मों विशेषकर आई० डी० पी० एल० जोकि एक सरकारी उपक्रम है, के हितों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(घ) क्या इस फर्म को दस टन अनल्जीन की सप्लाई के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो किससे और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ). मांग एवं उपलब्धि के बीच पाये जाने वाले अन्तराल को पूरा करने के लिए, पहले से व्यवस्थित आयात के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 1972-73 में इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० से प्राप्त प्रार्थना पत्र के उत्तर में राज्य व्यापार निगम को 50 मीटरी टन अन्लजोन के आयात की व्यवस्था के लिए कहा गया था। राज्य व्यापार निगम को 50 मीटरी टन अन्लजीन में से 10 मीटरी टन अन्लजीन मैसर्स होयस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० को सप्लाई करने के लिए हवाई जहाज के जरिए मंगवाने के लिए कहा गया था ताकि उनको कम हुई सप्लाई के कुछ अंश को पूरा किया जा सके क्योंकि यह कम्पनी हवाई जहाज के जरिये मंगवाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सहमत हो गई थी। हवाई जहाज के जरिये मंगवाई गई 10 मीटरी टन अन्लजोन मैसर्स होयस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० के वार्षिक आवंटन के अन्तर्गत है और वह अतिरिक्त आवंटन नहीं है। अतः उपर्युक्त व्यवस्था इण्डियन ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० अथवा अन्य भारतीय फर्मों के हितों पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

अखिल भारतीय निर्माता संगठन और मैसर्स थेमिस फार्मास्यूटिकल्स, बम्बई से मैसर्स होयस्ट फार्मास्यूटिकल्स लि० को 10 मीटरी टन की सप्लाई के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और उन्हें उपर्युक्त स्थिति से अवगत कराया गया है।

इन्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड और वजीर सुल्तान कम्पनी लिमिटेड की निर्बन्धात्मक तथा एकाधिकारवादी व्यापार प्रक्रियाएं

4744. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री इण्डियन टुबैको कम्पनी लिमिटेड और वजीर सुल्तान कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रतिबन्धात्मक और एकाधिकारवादी व्यापार प्रक्रियाओं के बारे में 24 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1617 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिग्रेट बनाने वाली इन दो विदेशी कम्पनियों के कार्य की इस बीच जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) मामले को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० आर० चह्वाण) : (क) एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा संदर्भित, मैसर्स इन्डियन टोबैको कम्पनी लिमिटेड तथा मैसर्स वजीर सुल्तान कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध परिवादों पर जांच-पड़ताल निदेशक ने अभी तक अपनी प्राथमिक जांच-पड़ताल पूर्ण नहीं की है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली-अहमदाबाद जनता एक्सप्रेस से यात्रा करने वाले यात्रियों को अटेली मंडी के लिए टिकटों का न दिया जाना

4745. **श्री बेकारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली जनता एक्सप्रेस पानी लेने के लिए अटेली मंडी पर रुकती है ;

(ख) क्या इस गाड़ी से यात्रा करने वाले यात्रियों को अटेली मंडी स्टेशन के लिए टिकट नहीं दिए जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). चूंकि अटेली मंडी केवल सर्विस हाल्ट है इसलिए वहां के लिए इस गाड़ी के टिकट जारी नहीं किये जाते ।

कोचीन में तीसरे उर्वरक संयंत्र की स्थापना

4746. **श्री वयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तीसरे उर्वरक संयंत्र को कोचीन के निकट स्थापित करने को है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). केरल सहित सम्भाव्य स्थानों, जहां पर पांचवीं योजना के दौरान अतिरिक्त उर्वरक क्षमता स्थापित की जा सकती है, के सम्बन्ध में इस समय अध्ययन किये जा रहे हैं।

आधुनिक पुल निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान (एडवान्स ब्रिज टैक्नालौजी इंस्टीट्यूट) की स्थापना

4747. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल अधिकारियों की आधुनिक पुल निर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की कोई योजना है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि त्रिवेन्द्रम के निकट ऐसे संस्थान की स्थापना के लिए वर्तमान इंजीनियरिंग कालेज, त्रिवेन्द्रम में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम के निकट ऐसे संस्थान की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) वर्तमान उच्च रेल पथ प्रौद्योगिकी संस्थान, पूना और अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन, लखनऊ में भी रेलों में सिविल इंजीनियरी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पुलों के अनुरक्षण, नवीकरण, निर्माण और अभिकल्प में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए इस समय एक प्रस्ताव के प्रारम्भिक चरण पर विचार किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एर्नाकुलम–त्रिवेन्द्रम मीटर गेज लाइन का ब्राडगेज लाइन में बदला जाना

4748. **श्री वयालार रवि :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एर्नाकुलम-त्रिवेन्द्रम रेलवे लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कार्य पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा नवीनतम जानकारी के अनुसार यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पूरे खंड पर मिट्टी डालने का काम चल रहा है और अब तक लगभग 10 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। पुल मजबूत करने और पुनर्निर्माण से सम्बन्धित कार्य भी प्रगति पर हैं।

(ख) 1972-73 के अंत तक लगभग 130 लाख रुपये। आशा है कि यह परियोजना 1975-76 में पूरी हो जायेगी।

मैसूर में रेलवे लाइन

4749. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर**: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में कितनी रेलवे लाइनों को मंजूरी दी गई है ;

(ख) कितनी रेलवे लाइनों के बारे में केन्द्र को सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये गये हैं लेकिन अभी तक उन पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ; और

(ग) इन रेलवे लाइनों पर कब तक कार्य आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):

(क) (i) हसन-मंगलूर मीटर लाइन

(ii) तेनलिगुल्लु-मुडुकुलापेंटा मीटर लाइन

(ख) और (ग). (i) हुबली-कारवाड़

(ii) कोत्तूर-हरिहर

(iii) तालगुप्पा-होनावर

(iv) आप्टा-मंगलूर, जिसका कुछ भाग मैसूर राज्य में पड़ता है ।

सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच-पड़ताल हो रही है और जैसे ही जांच-पड़ताल के परिणाम मालूम हो जायेंगे, इस बारे में विनिश्चय कर लिया जायेगा । इस बीच, आप्टा-मंगलूर लाइन के आप्टा-दसगांव भाग पर, सूखा राहत कार्य के रूप में मिट्टी सम्बन्धी काम शुरू कर दिया गया है ।

राजस्थान में पाइराइट्स निक्षेपों का खनन

4750. **डा० हरिप्रसाद शर्मा**: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'पाइराइट फास्फेट एण्ड कैमिकल्स' द्वारा राजस्थान के सीकर जिले में पाइराइट्स निक्षेपों के खनन का कार्य बड़ी ही धीमी गति से चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में प्रतिदिन कितनी मात्रा में पाइराइट कर खनन किया जाता है ; और

(ग) क्या उस क्षेत्र में खनन की गति पर राजस्थान सरकार ने अपना असंतोष व्यक्त किया है, और यदि हां, तो सरकार ने प्रतिदिन कितनी मात्रा में खनन की सलाह दी है ; खनन की अब तक धीमी गति के क्या कारण हैं और राजस्थान सरकार की इस मांग के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग). इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक सरकार क्षेत्रीय निगम, मैसर्स पाइराइट्स फासफेट एण्ड केमिकल्स लि० ने ब्रिटेन के मैसर्स आर० टी० जेड० को सलादीपुर में पाइराइट् के भण्डारों के समुपयोजन पर एक तकनीकी आर्थिक संभाव्य रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था । यह रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है तथा उपक्रम

इसका मूल्यांकन कर रहा है। इसी बीच में इस स्थल पर पाइराइट् भण्डारों के अन्वेषी एवं विकास खनन का कार्य प्रारंभ किया गया है। परियोजना भण्डारों के वाणिज्य समुपयोजन की स्थिति में नहीं पहुंची है। राज्य सरकार को इस स्थिति का उचित तरीके से अवगत कराया गया है।

उड़ीसा में जल-निकास की योजना

4751. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सुबरनरेखा के गलेश्वर और भोगराम क्षेत्र में जल-निकास की योजना तैयार कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तैयार की गई थी और इस पर कितनी लागत आयेगी और इसकी क्रियान्विति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). नवम्बर, 1970 में उड़ीसा सरकार ने, बाड़ों और जल निकास संकुलता से भागराई तथा जलेश्वर को राहत दिलाने के लिए 10.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर सुवर्णरेखा की निचली पहुंचों में तटबंधों तथा जल निकास में सुधार की एक स्कीम तैयार की थी। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग में इस स्कीम की जांच के उपरांत और तटबंधों के बीच जलमग्नता की गहराई में वृद्धि तथा वहां की जनता के पुनर्वास की समस्या को ध्यान में रखते हुए वह सुझाव दिया गया था कि निचले क्षेत्रों में बाड़ों को नियंत्रित करने के लिए उपरली रीचों में भंडारण-जलाशय की संभावना की जांच की जानी चाहिए। अगस्त, 1972 में केन्द्र द्वारा नियुक्त एक तकनीकी समिति इस पहलू की जांच कर रही है। यह स्कीम इस समिति की रिपोर्ट पर आधारित होगी जो जून, 1973 तक प्राप्त होनी संभावित है।

तकनीकी समिति की रिपोर्ट पर आधारित सुवर्णरेखा बेसिन के लिए एक व्यापक स्कीम के तैयार होने तक, उड़ीसा सरकार ने भोंगराई क्षेत्र के लाभ के लिए दो निम्नलिखित जल-निकास स्कीमें तैयार की हैं :—

(1) 1.44 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर मण्डारिया खाल का नवीकरण।

(2) 3.24 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पथरेश्वर खाल का नवीकरण।

राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की तकनीकी सलाहकार समिति ने इस स्कीम पर विचार करके, इसे अनुमोदित कर दिया है।

मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता

4752. **डा० रानेन सेन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता ने 1971-72 में अपनी कम्पनी को गिरवी रख कर ऋण लेने का प्रयत्न किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चह्वाण) : (क) मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड नाम की एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय बम्बई में है को 31-3-72 तक का तुलन-पत्र रु० 2,93,14,414/- कुल सुरक्षित ऋण प्रदर्शित करता है। 31-3-71 तक तत्सम्बन्धी आंकड़े रु० 3,21,13,062/- थे। कम्पनी रजिस्टार के पास पंजीकृत आरोप निर्देशित करते हैं कि 31-3-72 की वर्ष समाप्ति के मध्य यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया कलकत्ता द्वारा इस कम्पनी को स्वीकृत स्थानीय सुविधाएं रु० 4.50 करोड़ से 4.80 करोड़ बढ़ा दी गई थी।

(ख) इस कम्पनी के निदेशक मंडल की 14-4-71 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त अभिलेखित करता है कि यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया से उधार सुविधाएं बढ़े हुए निर्यात कारोबार के लिये थी।

पश्चिम रेलवे के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध जांच

4753. **श्री फूलचंद वर्मा :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में पश्चिम रेलवे के कितने कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराई गई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : गत दो वर्षों में पश्चिम रेलवे के जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच की गयी उनकी संख्या नीचे दी गयी है :

वर्ष	राजपत्रित	अराजपत्रित
1971	86	506
1972	46	444

Grave Seepage in Gandak Project

4754. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether there was a grave seepage in 1972 in the Gandak Project Canal and there is seepage whenever water is diverted in the canal ;

(b) whether crops in thousands of acres of land are being damaged due to seepage ; and

(c) whether Central Government have given any direction to Bihar Government for checking seepage ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) The Government of Bihar have stated that there was some seepage in the Gandak Canal in 1972 as is usual in unlined canals in their early years of operation. The seepage however, disappears as silt gets deposited.

(b) No such damage to the crops has been reported.

(c) No directive has been given to the Government of Bihar for checking seepage as no seepage was reported.

कृष्णा और गोदावरी न्यायाधिकरण द्वारा पंचाट दिये जाने तक महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मुख्य सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी

4755. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने दिसम्बर, 1963 में महाराष्ट्र सरकार को यह आश्वासन दिया था कि राज्य को सिंचाई परियोजनाओं के लिये जितनी पानी की आवश्यकता होगी उसे सप्लाई किया जायेगा ;

(ख) महाराष्ट्र में उन मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो कृष्णा और गोदावरी न्यायाधिकरण की स्थापना के पहले से मंजूरी के लिए पड़ी हुई है ;

(ग) आंध्र प्रदेश में उन मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनको न्यायाधिकरण की स्थापना के बाद मंजूरी दी गई है और उन पर कितनी लागत आने का अनुमान है ; और

(घ) न्यायाधिकरण के पंचाट प्राप्त होने से पूर्व परियोजनाओं को स्वीकृति देने के बारे में सरकारी नीति में परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). कृष्णा और गोदावरी के जल पर इन बेसिनों के अन्तर्गत राज्यों में दीर्घकाल से मतभेद रहे हैं। मार्च, 1963 में, भारत सरकार ने जल के अन्तरिम आवंटन तथा ऐसी परियोजनाओं का उल्लेख किया था जिन्हें राज्यों में 1976 तक विकास के एक कार्यक्रम में प्रारम्भ किया जा सकता था। इसके परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित अनेक परियोजनाएं अनुमोदित की थीं :—

कृष्णा बेसिन	गोदावरी बेसिन
आंध्र प्रदेश	
वृहत् :—	
तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण-दो	पोचमपाद
मध्यम :—	
1. कोट्टिपल्लीबागू	नल्लाबागू
2. लंकासागर	
3. गाजुलंदिन्ना परियोजना	
4. गुंटूर चैनल	
महाराष्ट्र	
वृहत् :—	
1. भीमा	1. बाघ
2. कृष्णा	2. इत्यादोह
3. कुकाडी चरण-एक	3. पुस
4. वार्ना	4. जायकवाडी चरण-एक
	5. अपर गोदावरी

कृष्णा बेसिन **गोदावरी बेसिन**

मध्यम :—

1. तुलसी
2. पदवलकरवाडो

1. दीना
2. अधाला
3. कन्होली (गोदावरी बेसिन)
4. कुडाला
5. मलखेड
6. मानर चरण-दो
7. सैखाडा

मैसूर

वृहत् :—

1. मालप्रभा
2. अपर कृष्ण चरण-एक
3. तुंगभद्रा उच्च स्तरीय नहर चरण-दो

मध्यम :—

हरिनाला

मध्य प्रदेश

वृहत् :—

1. वाध दक्षिण तट नहर

यद्यपि मार्च, 1963 में भारत सरकार द्वारा किए गए प्रस्ताव कुछ राज्यों ने स्वीकार नहीं किए। जून, 1963 में महाराष्ट्र अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक न्यायाधिकरण गठन करने के लिए अनुरोध किया था तथा इसके लिए औपचारिक प्रार्थना-पत्र भी भेज दिया था मैसूर सरकार ने इससे भी पहले 1962 में तथा उसके पश्चात् हुए लम्बे पत्राचार में एक न्यायाधिकरण के गठन के लिए अनुरोध किया था। इस पत्राचार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री ने दिसम्बर, 1963 में संकेत किया था कि केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह सुनिश्चित करने को तैयार थे कि महाराष्ट्र द्वारा अपेक्षित समस्त जल सप्लाई कर दिया जायेगा। अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी बताया गया था कि महाराष्ट्र द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए जल व्यपवर्तन से देश के अन्य भागों में सिंचाई सुविधाओं में कमी हो जायेगी तथा इसीलिए बिना जल व्यपवर्तन किए भी, इस क्षेत्र के लिए विद्युत की व्यवस्था करने के वास्ते कुछ प्रस्ताव भी महाराष्ट्र सरकार के सामने प्रस्तुत किए गए फिर भी यह विवाद अब तक चल रहा है। उसके उपरान्त भी और विचार-विमर्श तथा बैठकें होने के बावजूद भी राज्यों में कोई समझौता नहीं हो पाया और सभी राज्यों ने इच्छा व्यक्त की कि यह विवाद अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाय। अप्रैल, 1969 में कृष्णा जल-विवाद न्यायाधिकरण तथा गोदावरी जल-विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया तथा राज्य सरकारों की शिकायतें इन न्यायाधिकरणों को न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट कर दी गई।

न्यायाधिकरणों के गठन के पश्चात् कृष्णा और गोदावरी जल से सम्बन्धित यथास्थिति कायम रखी गई तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित स्कीमों के लिए स्वीकृति देने पर कोई विचार नहीं किया गया :—

अप्रैल, 1969 में न्यायाधिकरण के गठन से पूर्व राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं

कृष्णा बेसिन

महाराष्ट्र

वृहत् :—

1. हिरण्यकेशी**
2. कसारी**
3. दूध गंगा

मध्यम :—

1. खंडाला
2. पान गांव (हिंगनी)
3. नजारे

**(हिरण्यकेशी और कसारी परियोजनाओं में पश्चिम घाटों के पार कृष्णा बेसिन से बाहर जल-व्यपवर्तन सम्मिलित है)

गोदावरी बेसिन

1. अपर वर्धा
2. अपर पानगंगा
3. लेण्डी
4. मंजरा

1. चुलवंध
2. डोंगरगांव
3. कल्याणनिर्जा
4. धरगांव
5. दरसवाडी
6. भौजापुर
7. करदखेद
8. गिरोली
9. दमना
10. करफारा
11. बोधगांव
12. पंचधारा
13. परदितांकमोर

मैसूर

वृहत् :—

1. बटाप्रभा चरण-तीन
2. भीमा सिंचाई
3. अपर तुंगभद्रा

मध्यम :—

1. धर्मपुर ताल का पोषक
2. अमर्जा
3. वाणीविलासागर का विकास
4. डण्डावथी जलाशय

कृष्णा बेसिन	गोदावरी बेसिन
5. भद्रा एनिकट (एल० बी० सी० विस्तार)	
6. वेदवती नदी से रानीकेरे तक पोषक चैनल	
7. मदग मसूर	
8. चन्द्रम्पल्ली	
आंध्र प्रदेश	
मध्यम :—	
कुछ नहीं	1. सुद्दाबागू
	2. मुल्लाबागू
मध्य प्रदेश	
कुछ नहीं	1. नहलेसर
उड़ीसा	
वृहत् :—	
कुछ नहीं	1. अपर इन्द्रावती
	2. अपर कोलाव

अप्रैल, 1969 में न्यायाधिकरणों के गठन के पश्चात् राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाएं ।

महाराष्ट्र	
बृहद् :—	
1. चस्कमन	1. पेंच सिंचाई (अनुपूरक)
	2. निम्नपेन गंगा
	3. अपर प्रवरा
	4. निम्न दुधना
मध्यम :—	
1. बंडरदी	1. तकली
2. येरावडी	2. तिरू
3. हातिज हिंधी	3. मानगांव (बटोल)
	4. अमल नाला
	5. मसोली
	6. ताजवर्जा
	7. चन्द्र भागा
	8. धाम नदी परियोजना
	9. पथादाज
	10. बागडी नदी परियोजना

कृष्णा बेसिन	गोदावरी बेसिन
	11. सकली नाला सिंचाई स्कीम
	12. बहाती सिंचाई स्कीम
	13. चन्दाई नाला सिंचाई स्कीम
	14. नाग जरी परियोजना
	15. केसर नाला परियोजना
	16. इराधा नदी परियोजना
	17. गोकी नदी परियोजना
	18. अरन नदी परियोजना
	19. खाकरा नाला
मैसूर :	
मध्यम :—	**बृहत् :**
1. धर्मपुर ताल का पोषक	1. कर्णजा
2. चन्द्रमपल्ली	
(मैसूर सन्तत)	
3. गन्धौरी नाला	
4. नारी हल्ला जलाशय	
5. अपर मुल्लामारी	
6. थाट्टी होल (सत्ती नाला)	
7. लोवर मुल्लामारी	
8. चितवादगी	
9. मस्कीनाला	
आन्ध्र प्रदेश	
मध्यम :—	
1. वर्दाराज स्वामी	1. सुद्दाबागू
	2. मुल्लाबागू
उड़ीसा :—	
बृहद् —	1. पोटेरू सिंचाई स्कीम
मध्य प्रदेश	
बृहद् :— —	1. अपर वैण गंगा

(ग) न्यायाधिकरणों के गठन के पश्चात आन्ध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी बेसिनों में कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है । योजना आयोग द्वारा दिसम्बर, 1971 में स्वीकृत गोदावरी वराज परियोजना का उद्देश्य वर्तमान सिंचाई वियरों, जो कि जीर्ण अवस्था में हैं, को प्रतिस्थापित करना है ।

(घ) इन जल विवादों का न्यायनिर्णयन अब न्यायाधिकरणों द्वारा किया जा रहा है जिनके अध्यक्ष तथा सदस्य सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं। इसलिये राज्यों में जल आवंटन का सम्पूर्ण प्रश्न अब न्यायाधिकरणों के सामने है तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत संबंधित दावों पर भारत सरकार द्वारा कोई विचार करना अब सम्भव नहीं है। जब तक न्याया-धिकरण सम्बन्धित राज्यों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न तर्कों को ध्यान में रखकर अपना पंचाट नहीं दे देते तथा तीनों राज्यों में जल का आवंटन नहीं कर देते, इन बेसिनों में किसी नई परियोजना को स्वीकृति देने पर विचार करना उचित नहीं समझा जाता जब तक कि किसी परियोजना विशेष के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में राज्यों के बीच मतैक्य न हो जाय।

नई दिल्ली स्टेशन पर मध्य रेलवे के एक अधिकारी का व्यवहार

4756. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे, भोपाल के कुछ रेल अधिकारियों ने डयूटी कार्ड पास पर स्कूटर बुक कराते समय 11 मार्च, 1972 को नई दिल्ली में स्टेशन कर्मचारियों से दुर्व्यवहार किया तथा उन पर हमला किया ;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित रेल अधिकारियों ने अपने गम्भीर दुर्व्यवहार के लिए लिखित रूप में क्षमायाचना की है ;

(ग) क्या वास्तविक तथ्यों को मरोड़ कर सम्बन्धित स्टेशन कर्मचारियों के विरुद्ध जनता के एक व्यक्ति से शिकायत बनवाई गई तथा कराई गई ; और

(घ) यदि हां, तो मध्य रेलवे के कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). एक व्यक्ति ने शिकायत की थी जिसमें भोपाल में तैनात मध्य रेलवे के एक कर्मचारी द्वारा 11-3-72 को एक स्कूटर बुक करवाने के सम्बन्ध में नयी दिल्ली स्टेशन के कुछ कर्मचारियों द्वारा दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था।

शिकायत के बारे में की गयी जांच-पड़ताल से पता लगा है कि स्टेशन कर्मचारियों ने गलती से स्कूटर बुक करने के लिए मना कर दिया था जिसके फलस्वरूप आपस में गर्मागर्मी हो गयी। दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू कर दी गयी है मध्य रेलवे के कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

जांच के दौरान लिखित रूप में किसी तरह की क्षमायाचना नहीं की गयी।

ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रतीत होता हो कि शिकायत बनावटी थी।

पोलिस्टर कपड़ा मिलें

4757. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में कई पोलिस्टर कपड़ा मिलों की स्थापना की गई

है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या उनकी स्थापना में विदेशी तकनीकी सहयोग लिया गया है और यदि हां, तो क्या अपेक्षित तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध नहीं है ; और

(ग) इन मिलों की स्थापना कहां की गई है तथा उनके नाम क्या हैं और विदेशी तकनीकी सहायता लेने के लिये प्रत्येक मिल को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दे दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–4616/73**]

रोजगार प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय जल ग्रिड योजना की क्रियान्विति

4758. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के लाखों बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने हेतु लम्बे अरसे से विचाराधीन राष्ट्रीय जल ग्रिड योजना को क्रियान्वित करने के प्रश्न पर विचार किया है जैसे 'इन्टक' के जनरल सेक्रेटरी ने 9 फरवरी, 1973 को सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). एक राष्ट्रीय जल ग्रिड से सम्बन्धित प्रस्तावों पर अभी तक केवल कार्यालय अध्ययन ही किए गए हैं। सरकार द्वारा इसके कार्यान्वयन पर विचार करने से पहले इसका सर्वेक्षण किया जाना है तथा विस्तृत क्षेत्रीय अध्ययन किया जाना है और विभिन्न तकनीकी एवं आर्थिक विशेषताओं को अन्तिम रूप दिया जाना है। इन सर्वेक्षणों तथा अध्ययनों में पांच से सात वर्ष तक लगने की सम्भावना है। इन सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों को शुरू करने का प्रश्न योजना आयोग के परामर्श से विचाराधीन है। इनसे लगभग 6000 लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है।

Industrial and Commercial Companies in Madhya Pradesh in which Shri Birla and his family members are Share-Holders

4759. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state the names of the Industrial and Commercial companies in Madhya Pradesh in which industrialist Shri Birla and members of his family are share-holders ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri D. R. Chavan) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

चार्टर्ड लेखापालों के बीच लेखापरीक्षा कार्य का समान वितरण

4760. **डा० रानेन सेन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट की शासपत्रित लेखापालों के बीच लेखापरीक्षा

के समान वितरण की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसी व्यवसाय के सदस्यों के बीच कार्य के समान बंटवारे में यह इंस्टीट्यूट किस हद तक सफल हुआ है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० आर० चह्वाण) : (क) इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट आफ इण्डिया ने, शास-प्राप्त लेखापालों में, लेखा-परीक्षा कार्य को अधिक साम्यिक प्रवाह प्रदान करने के लिए कुछ स्वयं विनियामक मापदण्ड निर्धारित किए हैं।

(ख) योजना के सम्पूर्ण ब्यौरे, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट आफ इण्डिया की फरवरी, 1971 की अधिकृत प्रकाशित पत्रिका "चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट" खण्ड—19 भाग 8 में उपलब्ध हैं।

(ग) योजना की सफलता के विषय में कोई विचार प्रगट करना अतिशीघ्रता है।

Holidays enjoyed by the Supreme Court and High Courts

4761. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of holidays enjoyed by the Supreme Court and the various High Courts in India ; and

(b) whether Government propose to reduce these holidays ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) and (b). According to the Supreme Court Rules, the length of the summer vacation and the number of holidays of the court in a year shall be such as not to exceed 103 days (excluding Sundays not falling in the vacation and during holidays). The High Courts have 210 working days in a year and it is left to each High Court to fix the period of vacation and holidays in such a manner as to ensure that the number of working days does not fall below 210 days in a year. At persent, there is no proposal to reduce the holidays.

बिहार में सूखा

4762. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बिहार के नवादा जिले के दक्षिण क्षेत्र में गत पन्द्रह वर्षों से निरन्तर सूखा पड़ रहा है ;

(ख) क्या उक्त सूखा तिलैया जलाशय योजना के पूरा न होने के कारण है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). कृषि मंत्रालय के सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत गया जिले को (नवादा जिला गया जिले में से अभी हाल ही में काटकर बनाया गया है) वर्षा के विस्तार, सिंचाई सुविधाओं, सूखे की बारंबारता आदि के आधार पर सूखा-ग्रस्त क्षेत्र के रूप में मान लिया गया है। राज्य में सूखे की स्थिति को

ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में बृहद् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए किसी विशिष्ट निधि की विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि बृहद् और मध्यम सिंचाई स्कीमों से सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को तत्काल राहत नहीं मिलती। तथापि, गया जिला को लाभ पहुंचाने वाली ऐसी कई स्कीमें पूर्ण कर ली गई हैं और चालू वर्ष में जिलों में निर्माणाधीन उदरस्थान स्कीम को पूरा करने के लिए व्यवस्था की गई है।

इसके अलावा जिलों को लाभ पहुंचाने वाली कई स्कीमों के संबंध में राज्य सरकार ने प्रस्ताव किया है। इनमें से एक स्कीम तिलैया जलाशय के जल को धाधार बेसिन की ओर व्यपवर्तन करके क्षेत्रों की सिंचाई के लिए उपयोग करने के संबंध में हैं। बिहार सरकार द्वारा इस स्कीम संबंधी परियोजना रिपोर्ट में 12.6 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर तिलैया जलाशय से 0.18 मिलियन एकड़ फुट जल के व्यपवर्तन से 1.4 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की परिकल्पना की गई है।

इस प्रस्ताव में कुछ अन्तर्राज्यीय पहलू भी शामिल हैं और इनके हल हो जाने के बाद ही इसके कार्यान्वयन पर विचार किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों ने इस पहलू तथा अन्य ऐसे मामलों पर जिन पर उनमें मतभेद है विस्तारपूर्वक विचार करने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों के एक संयुक्त दल का गठन किया है। मुख्य मंत्री इस दल की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले पर आगे विचार करने के लिए फिर मिलेंगे। रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

शा वैलेस एण्ड कम्पनी

4763. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि विदेशी शेयर होल्डर और स्थानीय बोली देने वाले शा वैलेस कम्पनी को अनुचित तरीके से अपने अधिकार में न कर लें ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चह्वाण) : कम्पनी विधि बोर्ड, ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 250 (4) के अन्तर्गत, यह घोषणा करते हुये एक आदेश पारित किया है कि मैसर्स शा वैलेस एण्ड कम्पनी लिमिटेड में, निम्नलिखित चार विदेशी कम्पनियों द्वारा धारित हिस्सों का कोई अन्तरण, 18 दिसम्बर, 1972 से तीन वर्ष की अवधि तक लागू नहीं होगा।

1- आर० जी० शा एण्ड कम्पनी लि० (2,20,999 साम्य हिस्से)

2- शा डर्बी एण्ड कम्पनी लि० (58,666 साम्य हिस्से)

3- शा स्कार एण्ड कम्पनी लि० (60,000 साम्य हिस्से)

4- थामस राइस मिलिंग कम्पनी लि० (46,666 साम्य हिस्से)

उपरोक्त चार निगम निकायों, जिनके विरुद्ध आदेश पारित किये गये हैं, के पास इस कम्पनी के लगभग 39 प्रतिशत हिस्से हैं।

पांचवीं योजना में उर्वरक उत्पादन

4764. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में उर्वरक उत्पादन का एक व्यापक कार्यक्रम योजना आयोग के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उन्होंने 'फर्टीलाइजर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया' की 17 वीं वार्षिक महासभा के समय आयोजित 'फर्टीलाइजर इन इण्डिया इन द सेवनटीज' सम्बन्धी सेमिनार में भाग लिया था; और

(घ) यदि हां, तो सेमिनार में किन विषयों पर चर्चा हुई थी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). 1978-79 तक उर्वरकों के मांग के प्रक्षिप्त स्तर को पूरा करने के लिये, वर्तमान प्रायोजनाओं, जो कि पहले से ही लागू होने के विभिन्न अवस्थाओं में हैं, या सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया में हैं, के अतिरिक्त 10-12 उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करना होगा। विदेशी मुद्रा के 600 करोड़ रुपये के भाग समेत, इन संयंत्रों की लागत लगभग 1500 करोड़ रुपये बैठेगी। इस सम्बन्ध में आवश्यक अध्ययन जारी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सेमीनार में दिये गये मुख्य भाषणों और पढ़े गये अन्य पेपर सभा पटल पर रख दिये हैं।

विवरण

मूलसैद्धान्तिक भाषण :

1. कोयले पर आधारित उर्वरक।
2. भारत में उर्वरक उद्योग का विकास-1970।

सामान्य पेपर :

1. सत्तरों में पूर्ण आर्थिक विकास में उर्वरक उद्योग का सक्रिय भाग।
2. सत्तरों में उर्वरक की मांग और अनुमानित उपलब्धि।
3. उर्वरक की विश्व उपज और उपलब्धि।

उर्वरक प्रयोग :

1. कृषि अनुसंधान में नयी सीमा और उर्वरक के प्रयोग का बढ़ावा।
2. मरुभूमि कृषि और उर्वरक प्रयोग—वर्तमान और भविष्य की सम्भावना।

उर्वरक उत्पादन :

1. आत्मनिर्भरता के लिये योजना
2. आत्मनिर्भरता के लिये योजना—नाइट्रोजनी उर्वरक उद्योग के लिये कच्चे माल।
3. भविष्य की झांकी—उत्पाद और प्रक्रियाएं।
4. सत्तरों में सुपरफास्फेट और मिश्र उद्योग।

उर्वरक मार्केटिंग :

1. उर्वरक मार्केटिंग और सामाजिक दायित्व—एक नवीन विचार की आवश्यकता।
2. उर्वरक सम्भारतन्त्र की संरचना।
3. उर्वरक मार्केटिंग में प्रभावी हथियार के रूप में सांस्थानिक एजेंसियां।
4. उधार—उर्वरक मार्केटिंग में एक संधान प्रस्तर।

हरियाणा में नेहरू नहर परियोजना

4765. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा राज्य में नेहरू नहर परियोजना का अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें, लागत, तहसील-वार सिंचित होने वाला क्षेत्र, ली जाने वाली पानी की दर, नहर के लिए पानी की उपलब्धता और योजना के लिए अपेक्षित विद्युत सहित क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मंगलौर पत्तन पर एक उर्वरक कारखाने की स्थापना करना

4766. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का ध्यान, सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखाने की स्थापना करने के लिए मंगलौर पत्तन की ओर दिलाया गया है जहां औद्योगिक विकास की बड़ी क्षमता है ;

(ख) क्या प्रस्तावित योजना के लिये पत्तन सुविधाओं का मूल्यांकन करने के लिये कोई दल भेजा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). मंगलौर को

शामिल करते हुये उन संभव स्थानों, जहां पर पांचवीं योजना के दौरान उर्वरकों की अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जा सकती हो, के बारे में इस समय अध्ययन किये जा रहे हैं।

विद्युत बोर्ड में इंजीनियरों की हड़ताल के कारण ऋषिकेश में ऐंटोबायटिक्स संयंत्र को हुआ घाटा

4767. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1973 में विद्युत् बोर्ड इंजीनियरों की हड़ताल होने से उत्पादन रुक जाने के कारण ऋषिकेश में ऐंटीबायटिक्स संयंत्र को 1.5 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां, लगभग इतनी ही हानि हुई थी।

(ख) बिजली उत्पन्न करने के लिये अपनी सुविधाएं स्थापित करने के बारे में कम्पनी ने विचार किया था किन्तु इसे संभव नहीं समझा गया था। अत: कम्पनी को बिजली की सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पर निर्भर रहना पड़ेगा।

Memorandum from Labourers of Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited, Amjhor

4768. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the labourers of Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd., Amjhor, have submitted to him a memorandum in regard to their demands ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Dalbir Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The charter of demands is being discussed between the Rashtriya Pyrite Mazdoor Sangh and the management of M/s Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited.

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की भेषज उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की मांग

4769. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन केमिकल्स एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि देश में भेषज उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए।

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल द्वारा मांगे गये और उसे सप्लाई किये गये मिट्टी के तेल की मात्रा

4770. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 में कितने मिट्टी के तेल की मांग की ; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने कितनी मात्रा में तेल की सप्लाई की ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

वर्ष 1973-74 के दौरान मध्यम दर्जे की सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिये केरल की योजनाएं

4771. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 के लिए केरल राज्य में मध्यम सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिये केरल सरकार द्वारा कितनी योजनायें पेश की गई हैं ;

(ख) इन योजनाओं पर कितनी लागत आयेगी और इसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है ; और

(ग) क्या इन योजनाओं को सरकार ने मंजूर कर दिया है और यदि हां, तो किन संशोधनों के साथ और यदि नहीं, तो मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). इस समय केरल में सात बृहत् सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और राज्य सरकार को इनके लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में कठिनाई हो रही है । राज्य सरकार ने निम्नलिखित कुछ नई स्कीमें भी भेजी हैं :—

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
एडामालायर	19.67
बानसुरासागर	11.37
तिरुनेली	6.50
केरल भवानी (तेल रेस समुपयोजन)	8.05
कारापुझा	3.89
अट्टाप्पाडी	4.76

राज्य का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
नुलापुझा	2.90
मंजात	3.18
थेनडार	2.99

एडामालायार, कारापुझा और केरल भवानी परियोजनाओं पर केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग की टिप्पणियों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के उत्तर प्राप्त हो गए हैं जिनकी आयोग में जांच की जा रही है ; अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार से उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है ।

सिंचाई राज्य का विषय है और इसलिये सिंचाई परियोजनाओं पर राज्य योजनाओं से धन लगाया जाता है । केन्द्रीय सहायता समग्र राज्य योजनाओं के लिए हैं और यह विकास अथवा परियोजना के किसी विशेष शीर्ष से सम्बन्धित नहीं होता ।

तापीय बिजली-घर

4772. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने तापीय बिजली-घर हैं ;

(ख) वे कहां कहां पर स्थित हैं ; और

(ग) इन बिजली-घरों की उत्पादन क्षमता कितनी है और उनका वास्तविक उत्पादन कितना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). देश में बृहत् ताप विद्युत केन्द्रों की कुल संख्या 67 है । उनका स्थान, प्रतिष्ठापित विद्युत-उत्पादन क्षमता और 1972 के दौरान वास्तविक उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–4617/73**]

हिमाचल प्रदेश के नदौन, ज्वालामुखी, परागपुर तथा अन्य स्थानों में रेलवे आउट एजेन्सियों के बन्द होने के विरोध में अभ्यावेदन देना

4773. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के नदौन, ज्वालामुखी, परागपुर और अन्य स्थानों में रेलवे आउट एजेन्सियां कुछ समय पूर्व बन्द कर दी गई थीं ;

(ख) क्या इन्हें पुनः चालू करने के लिये रेलवे मन्त्रालय को एक अभ्यावेदन दिया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, नदौन, ज्वालामुखी, परागपुर, गगरेट और भरवई की आउट एजेन्सियां अगस्त, 1967 में बन्द कर दी गयी थीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) चूंकि यातायात की अल्प सम्भावना के कारण कोई ठेकेदार आउट एजेन्सियां चलाने के लिये तैयार नहीं था इसलिए, उत्तर रेल प्रशासन ने मण्डी-कुल्लु सड़क परिवहन निगम से इन्हें चलाने का अनुरोध किया है । निगम सप्ताह में केवल एक दिन 'फुटकर' पार्सल और माल की बुकिंग के लिए आउट एजेन्सियों को चलाने के लिए सहमत हो गया है । तदनुसार उपर्युक्त आउट एजेन्सियों ने नीचे दी गई तारीख से काम करना प्रारम्भ कर दिया है :—

आउट एजेन्सी का नाम	जिस तारीख से खोली गयी	जिस दिन काम होता है
गगरेट	20-1-1973	सोमवार
भरवई	15-12-1972	मंगलवार
परागपुर	15-12-1972	बुधवार
नदौन	15-12-1972	बृहस्पतिवार
ज्वालामुखी मन्दिर	20-1-1973	शुक्रवार

नंगल उर्वरक संयंत्र का विस्तार

4774. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में नंगल स्थित भारतीय उर्वरक निगम के यूनिट का विस्तार करने के लिये निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस यूनिट का कितने आकार और कितनी क्षमता तक विस्तार किया जायेगा, काम कर रहे कार्मिकों की संख्या में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी और प्रस्तावित विस्तार पर कितना धन लगेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) कार्यान्वित हो जाने पर नंगल विस्तार परियोजना में प्रतिदिन 900 मीटरी टन अमोनिया की नई संयंत्र क्षमता का सृजन हो जाएगा ; इसमें से, 600 मीटरी टन अमोनिया का प्रयोग प्रतिदिन 1000 मीटरी टन यूरिया के उत्पादन के लिये किया जायेगा और शेष का प्रयोग वर्तमान संयंत्र में किया जायेगा । विस्तार परियोजना पर लगभग 39 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित लगभग 75.60 करोड़ रुपये की कुल लागत आने का अनुमान है । विश्व बैंक (आई० डी० ए०) इस परियोजना की वित्तीय व्यवस्था के लिये 58 मिलियन डालरों का ऋण देने के लिये सहमत हो गया है । इस परियोजना के लगभग 1975 के अन्त तक मुकम्मल हो जाने की आशा है और इसमें 580 अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी ।

भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 का संशोधन

4775. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 जनवरी, 1973 को उत्तर भारत के गिरजाघरों की ओर से भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 का संशोधन करने और इसे हिन्दू विवाह अधिनियम के उपबन्धों के समान रूप देने के लिये प्रधान मंत्री से अपील की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) जी, हां। प्रस्ताव का सार यह है कि भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 आज की आवश्यकताओं के अनुकूल संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह पुराना पड़ गया है।

(ख) भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के पुनरीक्षण के लिये अन्य प्रस्तावों के साथ यह प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

कालका से परामानु तक ब्राड गेज लाइन के विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का अनुरोध

4776. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने कालका से परमानु तक ब्राड गेज लाइन के विस्तार के लिये रेल मन्त्रालय को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) 1969-70 में हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर निक्षेप निर्माण कार्य (केवल माल यातायात के लिये) के रूप में कालका से परवानू तक बड़ी लाइन के विस्तार के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार को भेज दी गई है और इस सम्बन्ध में उक्त सरकार की अधिकारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

Electrification in Champaran district of Bihar

4777. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Champaran District in Bihar is very backward in the matter of electrification ;

(b) whether it has become impossible to provide irrigational facilities for agriculture and to set up industries on account of the shortage of electricity there ; and

(c) whether Central Government propose to take any steps in this regard, and if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) In five districts of Bihar the percentage of electrification is higher and in eleven districts the percentage is lower compared to Champaran District. As such, the Champaran District is not relatively backward in the matter of electrification in Bihar.

(b) and (c). No, Sir. The Rural Electrification Corporation has sanctioned two schemes for Champaran District at a loan assistance of 160.73 lacs. These Schemes envisage electrification of 262 villages, energisation of 3300 Pump sets and power supply to 445 Small Scale and Agro-industries. A Thermal Power Station of capacity 220 MW is proposed to be set up at Muzaffarpur for augmenting power supply to North Bihar. In addition a Thermal Station of 220 MW at Dhalkola which will supply power to North Bengal and North Bihar is also being established in the Fifth Plan.

Introduction of Fast Trains for Passengers at Champaran

4778. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is no express train available to the passengers at Champaran for journey between Calcutta and Delhi via Barauni ;

(b) whether it takes full 12 hours i. e. the whole day, to cover 124 miles of journey by train to Barauni via Motihari from any of the Railway stations in Champaran District ; and

(c) if so, the measures proposed to be taken by Government to introduce a fast train on the aforesaid section for the people of Champaran ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (**Shri Mohd. Shafi Qureshi**) : (a) At present no express train is available for passengers from Champaran Civil District for Delhi and Calcutta. Connecting Express/Mail trains, however, are available at Samastipur and Barauni for such passengers.

(b) It takes 11 hours from Narkatiaganj to Barauni (a distance of 263 Kms.) and 8 hours 22 minutes from Motihari to Barauni (a distance of 182 Kms.) by No. 484 Bagaha-Samastipur Passenger and the connected No. 20 Mithila Express.

(c) At present there is no proposal under consideration for the introduction of a fast train for this section.

मध्य प्रदेश में विधान परिषद् की स्थापना करना

4779. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :**
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के इस वक्तव्य को देखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में विधान परिषद की स्थापना करने के प्रश्न पर राज्य सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस बारे में केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री नीतिराज सिंह चौधरी**) : (क) सरकार को ऐसे किसी वक्तव्य की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्लास्टिक की आयातित और देश में उत्पादित मात्रा

4780. **श्री बेकारिया :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, प्रत्येक वर्ष, कितने प्लास्टिक का आयात किया गया ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार भारत में कितने प्लास्टिक का उत्पादन किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क)

मद	आयातित मात्रा मीटरी टनों में		
	1969-70	**1970-71**	**1971-72**
पोलिथिलीन (एल० डी०)	2069	310	1056
पोलिथिलीन (एच० डी०)	289	37	76
पोलिस्ट्रीन	388	175	147
पी० वी० सी० (काम्पाऊंडस)	161	23	21
पी० वी० सी० (दोनों एमल्शन एवं सस्पैनशन)	81.3	179	39.5
सेलुलोस एसिटेट मोलडिंग पाउडर	91	96	100
सेलुलोस एसिटेट बूटाइरेट मोलडिंग पाउडर	684	553	713
नायलोन मोलडिंग पाउडर	512	548	664
एक्राइलिक मोलडिंग पाउडर	61	77.5	128
पोलिमोथाइल मेथेक्राइलेट पाउडर	72	31	27
पोलिप्रोपाइलीन मोलडिंग पाउडर	903	603	175
फिनील फार्मलडिहाइड मोलडिंग पाउडर	10	80.5	25.8
यूरिया फार्मलडिहाइड मोलडिंग पाउडर	66	0.27	1.4

(ख)

मद	देश में उत्पादित मात्रा (मीटरी टन)		
	1970	**1971**	**1972** (अनुमानित)
पोलिथिलीन (एल० डी०)	23000	27500	28000
पोलिथिलीन (एच० डी०)	18350	23000	20000
पोलिस्ट्रीन	9300	11000	12500
सेलुलोस एसिटेट मोलडिंग पाउडर	1050	1276	1100
पी० वी० सी० रेसिन	38700	48320	46000
पी० एफ० मोलडिंग पाउडर	3246	2476	2669
यू० एफ० मोलडिंग पाउडर	1680	1945	1865

सहायक लेखा अधिकारी के पदनाम को लेखा अधिकारी के पदनाम में बदलना

4781. **श्री दलीप सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सहायक लेखा अधिकारियों और लेखा-परीक्षा अधिकारियों को द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है ;

(ख) क्या सिविल साइड के लेखा और लेखा-परीक्षा विभागों में इन द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को लेखा अधिकारी/लेखा-परीक्षा अधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया है ; और

(ग) रेलवे के सहायक लेखा अधिकारियों को लेखा अधिकारियों के रूप में मनोनीत करने जैसा कि सिविल साइड की ओर किया गया है, के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

Translation of the Constitution of India

4782. **Shri M. C. Daga:** Will the Minister of **Law Justice and Company Affairs** be pleased to state the languages in which the Constitution of India has been translated and the languages in which it is yet to be translated ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : The Constitution of India has been translated in Assamese, Gujarati, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil and Telugu. An up-to-date translation of the Constitution in Hindi has been brought out in commemoration of the 25th Year of Independence. The translations of the Constitution in Bengali, Kannada and Urdu will be finalised shortly. The translation of the Constitution in Kashmiri is also proposed to be taken up.

Loss to Railways due to Uneconomic Railway Lines

4783. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Railway lines which are uneconomic and unremunerative ;

(b) whether Railway Board wants to continue these lines ; and

(c) if so, the names of these lines and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) As per present reckoning there are seventy-four uneconomic Branch lines on the Indian Railways.

(b) and (c). In deference to the feelings expressed by Members of Parliament during the course of the debate on the Railway Budget for the year 1969-70, it was announced by the then Minister of Railways that no railway line would be dismantled. At the same time, he constituted a high powered Committee of the Members of Parliament, called the Uneconomic Branch Lines Committee, 1969 to suggest ways and means of improving the working of the uneconomic branch lines to make them economically viable and recommend measures to reduce or eliminate the financial loss of working of these lines. The proposals to close five uneconomic branch lines, namely Kunkavav-Derdi, Than-Chotila, and Hadmatiya-Jodiya on Western Railway,

Lataguri-Ramshai and Jorhat-Neamati on Northeast Frontier Railway, as recommended by this Committee are under consideration. One more line, namely, Gwalior-Shivpuri is also being considered for closure in the context of releasing the land for widening of the national highway running parallel to the railway line. The list of other uneconomic branch lines, about which there is no proposal for closure, is attached. **[Placed in Library. See No. LT—4618/73].**

Harijan Colonies not Electrified

4784. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of Harijan bastis in villages which have not been electrified so far ; and

(b) its break-up, State-wise ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b). As it was observed that Harijan Bastis adjacent to already electrified villages has not been provided with electricity because of un-remunerative loads and constraint of financial resources of State Electricity Boards, the Government of India introduced in December, 1971 a special scheme for electrification of such Harijan Bastis. Based on the information called for to undertake the programme, it was then estimated that there might be about 36,000 such Harijan Bastis adjoining villages already electrified in the country. The estimated break-up, State-wise is given below :—

S. No.	Name of the State		Number of villages
1.	Andhra Pradesh		2,074
2.	Bihar		1,000
3.	Gujarat		521
4.	Haryana		5,000
5.	Kerala		200
6.	Madhya Pradesh		2,700
7.	Maharashtra		8,850
8.	Mysore		225
9.	Orissa		2,023
10.	Punjab		158
11.	Rajasthan		1,000
12.	Tamil Nadu		3,273
13.	Uttar Pradesh		8,000
14.	West Bengal		1,000
		Total	36,024
		Say	36,000

Under the special scheme, it is proposed to electrify 20,000 such Bastis by the end of the Fourth Plan.

बरौनी उर्वरक कारखाने को चलाने में विलम्ब

4785. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी उर्वरक कारखाने को चलाने में विलम्ब हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). जी हां । बरौनी उर्वरक कारखाने के पूर्ति-कार्यक्रम के नियत समय पर पूरे न होने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) स्थल पर निर्माण के लिए इस्पात एवं देशीय उपकरण की उपलब्धता में विलम्ब ;

(2) स्टेनलैस इस्पात जैसे कुछ आयातित कच्चे माल की प्राप्ति में देरी ;

(3) देशीय उपकरण की सपुर्दगी में विलम्ब ; और

(4) अपने देश की पार्टियों द्वारा प्रदाय एवं ठेके को पूरा करने में देरी ।

उपकरण के भाड़ी मदों के लिए परिवहन बाधा और श्रमिक कठिनाइयां भी विलम्ब का कारण हैं ।

देश में बिजली की दरें समान आधार पर निर्धारित करना

4786. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिन्न-भिन्न राज्यों में उपभोक्ताओं को भिन्न-भिन्न दरों पर विद्युत् सप्लाई की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या देश भर में समान आधार पर दरें निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). राज्य बिजली बोर्डों को अपने संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत् सप्लाई करने के लिए अपने-अपने टैरिफ बनाने का अधिकार है । उत्पादन, पारेषण और वितरण की लागत में घट-बढ़ होने के कारण राज्यों के विद्युत् टैरिफों में विभिन्नता है । बहरहाल, सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रारंभ में प्रत्येक राज्य में उपभोक्ताओं की हर एक श्रेणी के लिए एक समान टैरिफ दर हों और अंत में एक अखिल भारतीय ग्रिड के स्थापित होने पर समूचे देश में दरों की विभिन्नता को यथासंभव हद तक कम किया जाए । आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मैसूर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए एक समान विद्युत् टैरिफ लागू किए गए हैं । उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के बोर्ड भी इस दिशा में कार्य कर रहे हैं । उत्तर प्रदेश में तीन प्रमुख नगरों नामशः इलाहाबाद, कानपुर तथा लखनऊ को छोड़ कर जहां घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए निम्नतर निम्न वोल्टता टैरिफ लागू है, समूचे राज्य में एक संयुक्त टैरिफ विद्यमान है । यद्यपि तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने एक समान टैरिफ लागू कर दिया था, परन्तु इसने जल विद्युत् तथा ताप विद्युत् क्षेत्रों में स्थित वृहद और भारी उद्योगों के लिए उच्च वोल्टता संबंधी अलग टैरिफ जारी रखे हुए हैं ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पैट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करना

4787. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में सरकारी क्षेत्र में कौन से मुख्य पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने का विचार है ;

(ख) उनकी व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही आरम्भ की गई है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में कौन-सी परियोजनायें स्थापित की जायेंगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). पैट्रो-रसायन सम्भरण-सामग्री आदि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पैट्रो-रसायनों के उत्पादन के लिए लक्ष्य निर्धारण हेतु इस समय अध्ययन किये जा रहे हैं। इसके पश्चात आगामी पैट्रो-रसायन उद्योग समूह के आयोजन को प्रारम्भ किया जायेगा।

मध्य प्रदेश में एक नायलोन फिलामैण्ट यार्न परियोजना की स्थापना का अनुमोदन किया गया है। इसके पांचवीं योजना अवधि के दौरान चालू होने की सम्भावना है।

नये उद्योगों को बिजली की सप्लाई

4788. **श्री राम सहाय पांडे** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्यमकर्ताओं को, अपेक्षित बिजली उपलब्ध न होने के कारण नये उद्योग स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का मूल्यांकन क्या है ; और

(ग) नये उद्योगों को आवश्यक बिजली देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). अपेक्षित विद्युत के उपलब्ध न होने के कारण नए उद्योगों के स्थापित करने में कठिनाई होने से संबंधित कोई मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ग) केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग द्वारा किए जाने वाले राष्ट्रीय विद्युत सर्वेक्षणों में निकट भविष्य में उद्योगों की बढ़ती हुई मांग की संभाव्यता को ध्यान में रखा जाता है। 1972-73 के दौरान, 1 मिलियन किलोवाट अतिरिक्त प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता प्रारंभ हो जाएगी तथा 1973-74 में लगभग 2 मिलियन किलोवाट नई उत्पादन क्षमता चालू कर दी जाएगी। चौथी योजना के अंत तक 20 मिलियन किलोवाट से विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर आजमाइसी तौर पर पांचवीं योजना के अंत तक 42 मिलियन किलोवाट कर देना प्रस्तावित है।

Cases pending with High Court of Bihar

4789. **Shri Ishwar Chaudhry**: Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of cases pending with Bihar High Court and the period for which the oldest case has been pending ; and

(b) the action being taken by Government for disposal of these pending cases ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) The number of cases pending in Patna High Court at the end of 1972 was 23,704 and the oldest case has been pending for 21 years.

(b) The State authorities have been advised to undertake a further review of the judge strength in the light of the current institutions and disposals and the arrears to be cleared.

A Committee of Judges under the Chairmanship of Shri Justice J. C. Shah has submitted a report on the problem of arrears in the High Courts. The Committee has made a number of recommendations for reducing arrears and for minimising delays in dispensing justice. The recommendations of the Committee which are purely of administrative nature and which do not require amendment to the rule, statute or law have been communicated to the State Governments and High Courts for implementation. The recommendations involving amendments to the Statute or law are being examined and decisions will be taken after ascertaining the views of the Judges of the High Courts and the Supreme Court and the State Governments.

The Law Commission has suggested certain specific amendments to the Code of Civil Procedure, 1908, in its report with a view to eliminating or minimising delays in civil litigation and thereby reducing costs. The suggestions are under examination. The reconstituted Law Commission had also been requested to go into the question of further amendments to the Civil Procedure Code and the Commission have recently submitted their report which is under examination.

The Law Commission has also made a number of recommendations for the amendment of the procedural law in criminal matters. Most of them have been accepted by Government and a Bill for the revision of the Code of Criminal Procedure is now before Lok Sabha after it has been passed by the Rajya Sabha.

Railway stations proposed to be Modernised

4790. **Shri Ishwar Chaudhry :**
Shri C. K. Jaffer Sharief :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a scheme under which some stations are proposed to be modernised ; and

(b) if so, the names of the stations proposed to be modernised and the number modernised so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Presumably the Hon'ble Member is referring to the scheme of intensive improvements to important stations on Indian Railways. If so, the reply is that plans for intensive improvements like better flooring, better lighting, improved toilets, improvement to refreshment rooms, drinking water etc. and general raising of the standard of cleanliness etc. have been evolved to be undertaken at selected stations like State Capitals, Zonal/Divisional headquarters of Railways, industrial and pilgrim centres on a phased programme basis.

(b) Information is being collected and the same will be laid on the table of the House.

जम्मू में सूरीनसर कुएं का खुदाई कार्य बन्द करने के लिये विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श

4791. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर में सूरीनसर कुएं का खुदाई कार्य बन्द करने के अन्तिम निर्णय के

सम्बन्ध में विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा दी गई सलाह की मोटी रूप रेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उस कुएं में पाई गई सतह के नीचे असमान्य कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों ने, व्यधन परिचालनों का सफलता पूर्वक कार्यान्वियन नहीं होने दिया।

लोक सभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि

4792. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा:**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री, 20 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के बारे में कोई विनिश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस विनिश्चय की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). यह प्रस्ताव है कि :—

(i) संविधान के अनुछेद 81 (1) (क) में विनिर्दिष्ट राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 कर दी जाए ; और

(ii) अनुच्छेद 81 (1) (ख) में विनिर्दिष्ट संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 कर दी जाए।

लखनऊ-दिल्ली रेल मार्ग का विद्युतीकरण

4793. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लखनऊ-दिल्ली रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ किया जा रहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : कानपुर के रास्ते लखनऊ-दिल्ली खण्ड में से कानपुर और टूण्डला के बीच के खण्ड पर बिजली कर्षण की व्यवस्था की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, टूण्डला-दिल्ली रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का काम हो रहा है। जहां तक, लखनऊ-कानपुर खण्ड और मुरादाबाद के रास्ते लखनऊ से दिल्ली तक के वैकल्पिक मार्ग का सम्बन्ध है, इनके विद्युतीकरण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा के दंगों के दौरान रेलवे को हुई क्षति

4794. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1973 में उड़ीसा में हुए दंगों के दौरान रेलवे को कितनी क्षति हुई ; और

(ख) क्या इस बीच सभी रेलवे लाइनों और रेलवे सम्पत्ति को सही स्थिति में कर दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) लगभग 5.37 लाख रुपये ।

(ख) जी हां, एक पहले दर्जे के जले हुए डिब्बे को छोड़कर ।

"सिन्दरी फर्टिलाइजर बैटल्स औन थ्री फ्रन्ट्स टू रिगैन स्टैबिलिटी" (पुनः स्थिरता लाने के लिये सिंदरी उर्वरक संयंत्र द्वारा तीन मोर्चों पर संघर्ष)

4795. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1973 के "हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड" में "सिन्दरी फर्टिलाइजर बैटल्स ओन थ्री फ्रंट्स टू रिगैन स्टैबिलिटी" (पुनः स्थिरता लाने के लिये सिन्दरी उर्वरक संयंत्र द्वारा तीन मोर्चों पर संघर्ष) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस संयंत्र के कार्यकरण की लाभप्रदता को बढ़े हुए उत्पादन द्वारा उन्नत करने के लिये कई उपाय, दोनों दीर्घावधि और अल्पावधि, किये जा चुके हैं, या किये जा रहे हैं । इस पुराने संयंत्र के विभिन्न अनुभागों की मरम्मत और पुनरुद्धार के अतिरिक्त सिंद्री में ट्रिपल सुपरफासफेट के निर्माण के लिये एक योजना पहले से ही कार्यान्वियनाधीन है । यह प्राकृतिक जिप्सम् पर निर्भरता समाप्त कर देगा जिसकी क्वालिटी और सप्लाई कठिनाई पेश कर रही है, और एमोनियम सल्फेट के उत्पादन के लिये जिप्सम् उप-उत्पाद की सतत सप्लाई सुनिश्चित करेगी ।

2. क्योंकि इन उपायों से अपने आप में इस संयंत्र के कार्यकरण की लाभप्रदता को किसी सीमा से आगे उन्नत करने की आशा नहीं की जा सकती, अतः भारी विस्तार और नवीनीकरण करने का विचार किया जाता है । यह योजना, जो नाइट्रोजन के उत्पादन के लिये क्षमता को लगभग 70,000 मी० टन प्रति वर्ष से बढ़ा कर लगभग 2,55,000 मी० टन प्रति वर्ष कर देगी, सिन्दरी में वर्तमान में संभरण सामग्री रूप में प्रयुक्त कोक/कोक ओवन गैस के बदले 'संभरण सामग्री रूप में हेवी पेट्रोलियम फ्रैक्शन्स पर आधारित होगी ।

भारतीय रेलों में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित अर्हता प्राप्त कर्मचारियों की प्रयोगशाला अधीक्षक के रूप में पदोन्नति

4796. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री शिव शंकर प्रसाद यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक खण्डीय रेलवे में, खाद्यपदार्थ, जल, मल निष्कासन तथा जीव-रसायन विषयों के विश्लेषण में कितने-कितने विकृति विज्ञानी/प्रयोगशाला अधीक्षक/रसायनज्ञ, जीव रसायनज्ञ, सहायक रसायनज्ञ, प्रयोगशाला सहायक/प्रयोगशाला तकनीशन/प्रयोगशाला सेवक हैं ;

(ख) प्रयोगशाला अधीक्षक की अनुपस्थिति / बीमारी आदि के दौरान कितने कर्मचारियों ने पूर्ण भारी तकनीकी जिम्मेदारी को निभाया तथा इसके लिए उन्हें भत्ते अदा किये गये ; और

(ग) कितने कर्मचारी स्वतन्त्र रूप से काम कर रहे हैं और भारतीय रेल चिकित्सीय नियम पुस्तक में दिये गये नियमों के अनुसार विश्लेषण कार्य कर रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

डिप्लोमाधारी सहायक रसायनज्ञ की प्रयोगशाला अधीक्षक (325-575 रुपये) के रूप में पदोन्नति

4797. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिकित्सा प्रयोगशाला तकनीशयन पाठ्यक्रम में डिप्लोमा प्राप्त और पांच वर्षों से अधिक अनुभवी तथा खाद्य पदार्थों, जल, रसायन-जीव रसायन के विश्लेषण में तकनीकी रूप से पर्याप्त अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित सहायक रसायनज्ञ थोड़े समय के लिये अवकाश रिक्तियों के लिये प्रयोगशाला अधीक्षक (325-475 रुपये) के रूप में स्थानापन्न के हकदार नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). प्रयोगशाला अधीक्षक के पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता बी० एस० सी० (रसायन शास्त्र) और साथ ही खाद्य, जल, दवाओं के विश्लेषण में या नैदानिक जीव-रसायन शास्त्र में 5 वर्षों का अनुभव है। प्रवरण रेल सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। इस प्रवरण के लिए कम से कम 5 वर्षों की सेवा कर चुकने वाले सेवारत कर्मचारियों को आयु में 45 वर्षों तक की छूट दी जाती है ।

यह वांछनीय नहीं होगा कि चिकित्सा विभाग में बिना तकनीकी योग्यता वाले कर्मचारी को प्रयोगशालाओं का इंचार्ज बनाया जाये ।

भारतीय उर्वरक निगम के केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता के भुगतान में भेद-भाव

4798. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम के केन्द्रीय कार्यालय की भारतीय उर्वरक निगम कर्मचारी यूनियन तथा भारतीय उर्वरक निगम आफीसर्स फैडरेशन ने केन्द्रीय कार्यालय में दिये जा रहे मकान किराये भत्ते की भिन्न दरों के बारे में विरोध किया था :—

(ख) क्या यह असमानता अब भी विद्यमान है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उर्वरक निगम कर्मचारी संघ ने एक मांग पत्र दिया है जिसमें निगम के केन्द्रीय कार्यालय के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन मान के अधिकतम का 30 प्रतिशत मकान किराया भत्ता उसी तिथि से जब यह बन्द किया गया था पुन: दिये जाने का अनुरोध किया गया है। उर्वरक निगम अधिकारी संघ,केन्द्रीय कार्यालय की तदर्थ समिति ने भी सभी कर्मचारियों को वेतन मान के अधिकतम के 30 प्रतिशत की एक ही दर पर मकान किराया भत्ता दिये जाने का अनुरोध किया है।

(ख) और (ग). सितम्बर, 1971 में सरकार द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के अनुसार देहली में स्थित सरकारी उपक्रमों के सभी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ते की सीमा उनके बेसिक वेतन के अधिकतम के 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। अत: देहली में स्थित निगम के कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता 1-10-71 से 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। परन्तु बंगला देश से भारी संख्या में शरणार्थियों के आने से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए दिसम्बर, 1971 में यह निश्चय किया गया कि यह बढ़ा हुआ मकान किराया भत्ता निष्क्रिय रहेगा। परन्तु ऐसे केसों में जहां कर्मचारियों ने अपने मकान मालिकों को बढ़ा हुआ किराया देने का वचन दिया था, निगम 30 प्रतिशत के मकान किराये की बढ़ी हुई दर को एकदम वापस नहीं ले सकता था। अत: निगम ने यह निश्चय किया कि जब कभी भी वे मकान, जिन में अब वे रहते हैं, खाली करेंगे उनको मकान किराया भत्ता वेतन के 25 प्रतिशत की प्रारम्भिक दर पर ही दिया जायेगा। बाद में केन्द्रीय कार्यालय के कर्मचारियों के संघ से प्राप्त प्रतिवेदन पत्र पर निगम ने यह निश्चय किया कि निम्न वेतन वाले सभी कर्मचारियों को, जिन्हें पहले इस दर पर मकान किराया भत्ता मिलता था, 30 प्रतिशत मकान किराया भत्ता प्रदान किया जाये।

भारतीय उर्वरक निगम में आचार सम्बन्धी नये नियम

4799. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम में आचार सम्बन्धी नए नियमों के बारे में सरकार को कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनमें मुख्यालय से क्या आपत्तियां उठाई गई हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). एक प्रतिवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उर्वरक निगम द्वारा नये आचरण नियमों के लागू करने के फलस्वरूप अनुशासनिक कार्यप्रणाली में हुए परिवर्तन की ओर ध्यान दिलाया गया है ।

(ग) यद्यपि इस प्रतिवेदन पत्र की जांच की जा रही है, आचरण नियमों और अनुशासनिक कार्यप्रणाली की रचना करना एक ऐसा विषय है जो निगम के कार्य क्षेत्र में आता है ।

खाडिलकर सूत्र के अनुसार सरकारी उपक्रमों द्वारा कर्मचारियों को बोनस का भुगतान

4800. **श्री सतपाल कपूर** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन ऐसे सरकारी उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष 1970-71 के लिये कर्मचारियों को 4.33 प्रतिशत अतिरिक्त बोनस के भुगतान के बारे में खाडिलकर सूत्र का पालन किया है तथा ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस सूत्र का पालन नहीं किया है ;

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम ने इस सूत्र को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) :

(क)
1. इंजीनियर्स इण्डिया लि०
2. हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०
3. इण्डियन आयल कारपोरेशन
4. तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
5. हिन्दुस्तान इन्सैक्टीसाइड्स लि०
6. लुब्रीजोल इण्डिया लि०
7. मद्रास शोधनशाला लि०
8. कोचीन शोधनशाला लि०
9. उर्वरक एवं रसायन ट्रावनकोर लि०

ऐसी कोई उपक्रम नहीं है जिसने इस फारमूले (सूत्र) को मान्यता नहीं दी ।

(ख) और (ग). जी नहीं, प्रबन्धकों ने मामले को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

हिमाचल प्रदेश द्वारा सतलज और ब्यास नदियों के किनारे नलकूप लगाना

4801. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से कहा है कि वह सतलज और ब्यास नदियों के किनारे नलकूप न लगाए ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). कृषि मंत्रालय ने जो विषय से प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, सूचित किया है कि सतलज और ब्यास नदियों के साथ नलकूपों की प्रतिष्ठापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। अतः राज्य सरकार को नलकूप न लगाने के लिए कहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

ईंधन के तेल की मांग और उसका उत्पादन

4802. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में ईंधन तेल की वार्षिक मांग और उत्पादन कितना रहा है ;

(ख) क्या उक्त अवधि में देश में कोयले के स्थान पर ईंधन तेल का उपयोग किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में वर्ष 1970, 1971 और 1972 के दौरान मिट्टी के तेल के सभी ग्रेडों का देशीय कुल उत्पादन एवं खपत निम्न प्रकार था :—

('000 एम० टी० एस में आंकड़े)

	1970	1971	1972
उत्पादन	4239	4098	3688
खपत	4651	4974	5539

डीजल तेल, बिटुमेन और लुब्रीकेण्टस जैसे अधिक मूल्य वाले उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिट्टी के तेल का उत्पादन जानबूझ कर कम किया गया है ।

इस उत्पाद की आवश्यकताओं की कमी को आयात द्वारा पूरा किया गया था ।

(ख) और (ग). कोयले की कीमत पर तेल की खपत में वृद्धि के कुछ चिह्न पाये गये हैं। किन्तु इस वृद्धि की मात्रा बताना सम्भव नहीं है ।

विकास हेतु मंजूर की गई राशि का उत्तर प्रदेश और बिहार द्वारा वापिस किया जाना

4803. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई कार्यों के लिये कुल कितनी धनराशि दी और उसमें से इन राज्यों ने कितनी राशि वापिस कर दी ; और

(ख) इस धनराशि के समर्पित किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). यह संदर्भ स्पष्टतया पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में सिंचाई कार्यक्रमों के लिए आवंटित केन्द्रीय सहायता से संबंधित है।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से, राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों तथा ब्लाक अनुदानों के रूप में दी जाती है। यह किसी विशेष विकास-शीर्ष से आबद्ध नहीं है। राज्य सरकारें इसके लिए स्वतंत्र हैं कि वे उनके द्वारा दी गई प्राथमिकता वाली राज्य योजना के अन्दर-अन्दर विभिन्न स्कीमों/परियोजनाओं की उपयुक्त धनराशि आवंटित कर सकती हैं। वर्तमान स्थितियों में सिंचाई कार्यों के लिए अनुदान के रूप में दी गई राशि को छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पेंशन निधि के लिए नियतन तथा वास्तविक व्यय

4804. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे आय में से पेंशन निधि के लिये नियत की गई राशि गत वर्ष पेंशन पर खर्च हुई वास्तविक राशि की तुलना में बहुत अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में पेंशन पर वास्तव में कितना व्यय हुआ ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) वित्तीय विवेक न केवल समवर्ती संवितरण की व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित है बल्कि सेवारत कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन की वार्षिक देयता को पूरा करने के लिए पर्याप्त रकम अलग निर्धारित करने के लिए भी अपेक्षित है।

पेंशन पर किया गया वास्तविक खर्च नीचे दिया गया है :—

1970-71	...	8.66 करोड़ रुपये
1971-72	...	10.40 करोड़ रुपये
1972-73 (संशोधित अनुमान)	...	10.92 करोड़ रुपये

Madhya Pradesh Government Request for Dalli-Rajhara Jagdalpur Railway Line

4805. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Dhan Shah Pradhan:

Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 361 on the 14th November, 1972 regarding Dalli-Rajhara-Jagdalpur in Bastar District (Bihar) and state :

(a) whether a decision regarding the construction of Dalli-Rajhara-Dantawde/Jagdalpur Railway line has since been taken ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). A traffic survey for a B. G. line from Dhalli-Rajhara to Dantewara/Jagdalpur in Bastar area has recently been completed and the report is at present under examination of the Railway Board. Meanwhile Final Location Survey for this line has also been taken up. Further consideration to this proposal will be given after the results of this survey become known.

भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट से उत्पादन-शुल्क की मांग

4806. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन शुल्क विभाग ने भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे यूनिट से मांग की है कि वह उत्पादन शुल्क अदा करें ;

(ख) यदि हां, तो वह शुल्क कितना है ; और

(ग) अदायगी में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय उर्वरक निगम में कार्यकारी निदेशकों का निदेशक बोर्ड में प्रभुत्व

4807. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कार्यकारी निदेशकों के भारतीय उर्वरक निगम के निदेशक-बोर्ड में प्रभुत्व के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निष्पक्ष निर्णयों के लिए सरकार का विचार अधिकारी संघ, कार्मिक संघ और सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करके बोर्ड को बड़ा बनाने का है ; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रकार के सभी उद्यमों के निदेशकों के बोर्ड का गठन तथा पुनर्गठन करते समय सभी संबद्ध तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है ।

भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों द्वारा अपने त्याग-पत्रों को मंत्रालय के माध्यम से न दिये जाने के खिलाफ अवज्ञा के आरोप

4808. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 सितम्बर, 1972 के 'इण्डियन नेशन' में "डायेरेक्टर्स, चेयरमैन आफ सिंदरी फर्टीलाइजर रीजाइन (सिंदरी उर्वरक के अध्यक्ष, निदेशकों का त्यागपत्र)" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है कि उनका मंत्रालय भारतीय उर्वरक निगम के निदेशकों के खिलाफ, उनके द्वारा त्याग पत्र मंत्रालय के माध्यम से न देकर सीधे ही प्रधान मंत्री को दिये जाने के लिए, अवज्ञा के आरोप लाने पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) जी हां । चेयरमैन, प्रबन्ध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित त्याग-पत्र पेट्रोलियम और रसायन मंत्री के पास भेजा गया था न कि प्रधान मंत्री के पास ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अशोधित तेल के आयात में कटौती

4809. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस वर्ष अशोधित तेल के आयात में कटौती करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उस में कितनी कमी की जायेगी ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रेलवे विभागों में अपराधों को कम करने के उपायों पर विचार करने के लिये पांच राज्यों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन

4811. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में अपराधों को कम करने के उपायों पर विचार करने के लिये रेल मंत्री ने ांच राज्यों के गृह मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया है ;

(ख) यदि हां, तो उस में किस-किस राज्य ने भाग लिया ; और

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय किये गए ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां, 21-3-73 को नयी दिल्ली में।

(ख) असाम, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल ने।

(ग) बैठक में दिये गये अनेक सुझावों की अच्छी तरह जांच करने, प्रभावकारी ढंग से समस्या को सुलझाने और रेल मंत्री को यथासंभव शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों का एक कार्यकारी दल बनाया गया है :—

(i) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	—	अध्यक्ष
(ii) गृह सचिव और बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल की पुलिस के महानिरीक्षक		सदस्य
(iii) संयुक्त निदेशक, गृह मंत्रालय		सदस्य
(iv) वित्त आयुक्त और सदस्य (यातायात), रेलवे बोर्ड		सदस्य

खड़गपुर से खुरदा रोड तक बहुसरणि संचार पद्धति (सूक्ष्म तरंग) का पूरा किया जाना

4812. **श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खड़गपुर से खुरदा रोड तक निर्देशित बहुसरणि संचार पद्धति (सूक्ष्म तरंग) का प्रस्तावित विस्तार कब तक पूरा हो जायेगा ;

(ख) इसके पूरा होने का मूल निर्धारित समय क्या था और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) पुनरीक्षित समय सीमा क्या निर्धारित की गई है और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) आशा है यह काम 31-3-1975 तक पूरा हो जायेगा।

(ख) 38.34 लाख रुपये की प्रत्याशित लागत पर इस काम को 1971-72 के निर्माण-कार्यक्रम में शामिल किया गया था और इसे 31-3-1974 तक पूरा कर लेने की योजना बनायी गयी है।

(ग) यदि मीनारों के लिए देशी माइक्रोवेव उपकरण और इस्पात उपलब्ध हुआ, तो आशा है कि अब यह काम 45.42 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर31-3-1975 तक पूरा हो जायेगा।

कटक रेलवे स्टेशन के सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों के लिये वर्ग II और वर्ग III के क्वार्टरों का निर्माण

4813. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कटक रेलवे स्टेशन के सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों के लिये वर्ग III के 2 क्वार्टर (एक मंजिले) और वर्ग II के 12 क्वार्टर (दुमंजिले) निर्माण करने की कोई व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो इन क्वार्टरों के निर्माण के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) (क) जी हां।

(ख) यह निर्माण-कार्य 1973-74 में शुरू किया जायेगा और आशा है दो वर्ष में पूरा हो जायेगा।

Supply of Power to Punjab from Madhya Pradesh

4814. **Dr. Laxminarayan Pandeya**: Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the quantity of power being supplied everyday to Punjab from Madhya Pradesh ;

(b) whether Punjab is not getting this power and instead Rajasthan is utilising it ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) Surplus power from Satpura Thermal Power Station in Madhya Pradesh provided relief to Punjnb is as under :

Month		Lakh units/day
September 1972	..	2.7
October, 1972	..	3.7
November, 1972	..	0.75
December, 1972	..	No relief
January, 1973	..	0.074
February, 1973	..	0.12
March (22) 1973	..	0.21

(b) Punjab is not getting the desired amount of relief due to increased demand in Rajasthan.

(c) The Chief Minister of Rajasthan has been requested by the Union Minister of Irrigation and Power for sharing the surplus power from Satpura with Punjab.

Non-running of night train from Ratlam to Bhopal and passenger train from Mathura to Baroda

4815. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether night train from Ratlam to Bhopal and passenger train from Mathura to Baroda are not being run for the last two months ;

(b) whether the passengers are experiencing great inconvenience due to non-running of these trains; and

(c) if so, the time by which these passenger trains would be re-started?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c). 111-A Dn./112-A Up Vadodara-Bhopal passengers which were cancelled between Ratlam and Bhopal have since been fully restored with effect from 5-3-73. 129 Dn./130 Up parcel-cum-passenger trains cancelled between Vadodara and Kota have also been restored from the same date.

विद्युत संकट के बारे में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित करने के लिये तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का सुझाव

4816. **श्री वरके जार्ज :**

श्री पी० ए० सामिनाथन् :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य के मुख्य मंत्री ने वर्तमान विद्युत संकट पर विचार करने और राहत के लिये राष्ट्रीय समन्वित कार्यक्रम बनाने के बारे में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन अविलम्ब आयोजित करने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द बर्मा) : (क) फरवरी, 1973 में तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने के लिए प्रधान मंत्री को पत्र लिखा था जिसमें विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए एक समन्वित राष्ट्रीय कार्यक्रम संबंधी उपायों पर विचार किया जा सके ।

(ख) विद्युत से संबंधित भारत सरकार के मंत्रियों का दल इस मामले का अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक आधार पर पुनरीक्षण कर रहा है और राज्यों से सलाह ली जा रही है । यदि अवश्यकता हुई तो यथासंभव एक सम्मेलन का भी आयोजन किया जायगा ।

अशोधित तेल के आयात के लिये विदेशी तेल कम्पनियों को विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराना

4817. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों को अशोधित-तेल के आयात के लिये और अधिक विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). विदेशी तेल कम्पनियों ने कच्चे तेल, जिसका वे आयात कर रही हैं, की कीमत में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। सरकार द्वारा में वृद्धियां अभी तक स्वीकार नहीं की गई हैं। देश की पैट्रोलियम उत्पादों की

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विदेशी मुद्रा तदर्थ आधार पर इस प्रकार से दी जा रही है ताकि पैट्रोलियम उत्पादों के आयात तथा देशीय उत्पादन में देश के हितों में संतुलन बना रहे।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तलचेर-विमलगढ़ रेल लिंक (दक्षिण-पूर्व रेलवे) का निर्माण

4818. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में तलचेर-विमलगढ़ रेल लिंक के निर्माण को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ;

(ख) क्या अन्तर्राज्यीय नीति के विकास के साथ-साथ उक्त रेलवे लिंक को शुरू करने के कार्य को प्राथमिकता देने की बात सरकार द्वारा प्रारम्भिक रूप में गैर-व्यापारिक आधार पर स्वीकार कर ली गई है ; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). पांचवीं योजना में बनायी जाने वाली नई लाइनों के प्रस्तावों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अत: यह कहना कठिन है कि वाणिज्यिक या गैर-वाणिज्यिक आधार पर इस लाइन के निर्माण का कार्य शुरू किया जायेगा अथवा नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत तथा जल के लिए पंजाब, राजस्थान द्वारा संघर्ष

4819. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1973 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पंजाब, राजस्थान फाइट फार पावर एण्ड वाटर" (विद्युत तथा जल के लिये पंजाब, राजस्थान द्वारा संघर्ष) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा : (क) और (ख). जी, हां। अक्तूबर, 1972 मास के दौरान मध्य प्रदेश के सतपुड़ा ताप-विद्युत केन्द्र से प्राप्त प्रतिदिन लगभग 0.4 मिलियन यूनिट विद्युत की राजस्थान के रास्ते पंजाब को सप्लाई करने की व्यवस्था की गई थी। परन्तु राजस्थान में विद्युत की बढ़ी हुई मांग के कारण राहत की वांछित मात्रा की व्यवस्था कार्यान्वित नहीं हो सकी और वास्तविक राहत में अक्तूबर, 1972 में 3.7 लाख यूनिट प्रतिदिन से जनवरी, 1973 में 7,400 यूनिट प्रतिदिन तक घट-बढ़ होती रही और दिसम्बर, 1972 के दौरान कोई राहत नहीं दी जा सकी। जनवरी, 1973 में राहत 12000 यूनिट प्रतिदिन थी और मार्च में अब तक औसत

21000 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से राजस्थान के रास्ते पंजाब को सहायता दी जा रही है। गंग नहर में जल की सप्लाई में कमी नहीं हुई है। केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत मंत्री ने सतपुड़ा की अतिरिक्त विद्युत को पंजाब के साथ बांटने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री से अनुरोध किया है।

Detention of wagons of maize at Kotah Station while on transportation from Shamgarh to Jhabua District

4820. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether maize worth thousands of rupees has been damaged during the course of its detention at the Kotah Railway Station while it was being transported from Shamgarh to Jhabua District ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). No consignment of maize has been damaged as a result of detention at Kota Station. However two consignments of maize of 50 bags each booked ex. Shamgarh station on 27-2-1973 are awaiting despatch to Bamnia station (Jhabua District) due to movement restrictions imposed by Madhya Pradesh Civil Authorities. The consignments will be despatched as soon as the senders produce the requisite movement order from the civil authorities.

Shifting of godown of Kota to Alania Station

4821. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the goods godown at Kota Yard on Western Railway is proposed to be shifted to Alania Station ; and

(b) if so, when ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) There is no such proposal.

(b) Does not arise.

मैसूर के उत्तर कनारा जिला में कास्टिक सोडा कारखाना लगाने के संबंध में शिकायतें

4822. **श्री बी० वी० नायक :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मैसर्स बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड्स लिमिटेड द्वारा मैसूर राज्य के उत्तर कनारा जिले में कास्टिक सोडा फैक्टरी की स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (ग). मैसूर राज्य के उत्तरी कनारा जिले में हीरोगुट्टी नामक गांव में तथा इसके आस पास कास्टिक सोडे के कारखाने की स्थापना किये जाने के विरुद्ध दिसम्बर, 1971 में इस आधार पर एक अभ्यावेदन प्राप्त

हुआ था कि इससे 12,600 लोगों को परेशानी हो जायेगी। यह मामला राज्य सरकार को भेजा गया था। उन्होंने हमें हाल ही में सूचित किया है कि भूमि के अर्जन से संबंधित कार्यवाही अन्तिम अवस्था में है तथा स्थान में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। तथापि, विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं।

छोटे तथा मध्यम स्तर के रेलवे कैटरिंग ठेकेदारों को हटाना

4823. **श्री बी० वी० नायक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे तथा मध्यम स्तर के रेलवे ठेकेदारों को हटाया जा रहा है ;

(ख) क्या उनके द्वारा रेलवे को दी जा रही रायल्टी अथवा अन्य अदायगियों की दरों में वृद्धि की जा रही है ; और

(ग) ऐसे छोटे ठेकेदारों के प्रति जिनकी जीविका का केवल एक मात्र साधन रेलवे ठेका ही है, रेलवे प्रशासन की नीति क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरशी): (क) जी नहीं।

(ख) खानपान व्यवस्था/वेंडिंग के ठेकेदारों द्वारा लाइसेंस फीस देय होती है जिसका अधिकतम कुल बिक्री का 5 प्रतिशत होता है और समय-समय पर उसकी समीक्षा की जाती है। इसके अलावा स्थान का किराया, पानी, बिजली आदि का भी किराया उन्हें देना होता है।

(ग) रेलें खानपान व्यवस्था/वेंडिंग के छोटे या बड़े ठेकेदार में कोई भेदभाव नहीं बरततीं। कोई भी एक ठेकेदार को अधिक से अधिक 6 यूनिटों तक के खानपान व्यवस्था/वेंडिंग के ठेके दिये जाने पर विचार किया जा सकता है बशर्ते उसे काम करने के उपयुक्त पाया जाये।

Silting in Kosi Canal

4824. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether the problem of silting in the Kosi Canal and the fields irrigated by it has assumed serious proportions ; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b). The Eastern Kosi canal has been experiencing the problems of siltation inspite of the silt exclusion arrangements incorporated as part of the Kosi Project. Heavy deposits of silt in the canal have been creating problems not only for the maintenance of the canal but also in the efficient running of the irrigation system.

In order to devise effective measures to deal with the situation a Committee of experts has been constituted to recommend appropriate remedial steps comprising both short term and long term measures including engineering works, soil conservation, afforestation, etc. The Committee is expected to submit its report by June, 1973.

Uniformity in the dress of Lawyers in all the States

4825. **Shri M. S. Purty :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether any proposal to bring uniformity in the dress of lawyers in all the States is under the consideration of Government ; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nitiraj Singh Chaudhary) : (a) No, Sir.

(b) However, clause 38 of the Advocates (Amendmen, Bill, 1973 as passed by the Rajya Sabha seeks to amend section 49 of the Advocates Act, 1961 so as to enable the Bar Council of India by Rules to regulate the form of dresses or robes to be worn by Advocates appearing before any court or tribunal having regard to the climatic conditions. Any such Rules, however, would have effect only if they are approved by the Chief Justice of India. This provision, if it becomes law, would ensure the necessary uniformity.

Setting up of a Super Power Thermal Station in M. P.

4826. **Shri Rana Bahadur Singh :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration to set up a super power thermal station in Singrauli area and Sarguja in Madhya Pradesh for the development of this backward area ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Balgovind Verma) : (a) The Madhya Pradesh State Electricity Board have recently submitted a project report for construction of a thermal power station near Singrauli with a capacity of 1000MW.

(b) The power station is proposed to be located in Siddhi District of Madhya Pradesh close to the Singrauli coal fields. The Station is to be set up in two stages—Stage I comprising two units of 200 MW and Stage II comprising three additional units of 200 MW each. The estimated cost of 1st stage is Rs. 90.81 crores and of the 2nd stage 108.37 crores.

भोपाल स्टेशन पर जयन्ती जनता एक्सप्रेस के लिए आरक्षण कोटा

4627. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयन्ती जनता एक्सप्रेस में ग्वालियर और भोपाल के यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने में क्या कठिनाई है ; और

(ख) इस गाड़ी में स्थान के आरक्षण के लिये भोपाल को कोई कोटा आवंटित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). भोपाल से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 132 अप जयन्ती जनता एक्सप्रेस में पहले से ही तीसरे दर्जे में 8 शायिकाओं और 10 सीटों का आरक्षण कोटा आवंटित है । लेकिन, डाउन दिशा में यह गाड़ी भोपाल से रात में बहुत असुविधाजनक समय पर अर्थात् 3-30 बजे गुजरती है इसलिए इस गाड़ी से ऐसा कोई कोटा आवंटित नहीं किया गया है ।

131/132 जयन्ती जनता एक्सप्रेस उत्तर दक्षिण रेल मार्ग पर लम्बी दूरी के यात्रियों की सुविधा के लिए तेज गाड़ी के रूप में शुरू की गयी है । यात्रा-समय कम करने के उद्देश्य से ये गाड़ियां ग्वालियर या अन्य समकक्ष स्टेशनों पर नहीं ठहरतीं ।

बाण सागर बांध का कार्य

4828. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध की स्वीकृति देने से सम्बन्धित वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) विलम्ब का क्या कारण है ;

(ग) स्वीकृति कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश की विकासात्मक योजना में सम्मिलित करने के लिए योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के वास्ते मध्य प्रदेश सरकार ने सोन नदी पर बनसागर परियोजना का प्रस्ताव किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार यह अनुरोध करती रही है कि बनसागर परियोजना मिर्जापुर जिले में अकाल पीड़ित पठारी क्षेत्र के लिए सिंचाई का एक मात्र साधन है और कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बनसागर परियोजना में इस प्रकार संशोधन किया जाए जिससे इसमें इस क्षेत्र की सिंचाई की भी व्यवस्था हो सके।

बिहार सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बनसागर परियोजना, जिसमें सोन के जल का दूसरे बेसिन में टोनस नदी में व्यपवर्तन शामिल है, का इस आधार पर विरोध किया है कि इससे सोन से निचले भागों में, बिहार में वृहद् सिंचाई प्रणाली पर प्रभाव पड़ेगा जहां प्रदाय स्थिति पहले ही नाजुक बताई जाती है। परियोजना के सम्बन्ध में तीनों राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया है तथा तीनों राज्यों को स्वीकार्य प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रयत्न जारी हैं तथा आशा है कि निकट भविष्य में राज्यों के बीच समझौता हो जाएगा।

गुजरात के कच्छ जिले में गैस और तेल के लिए सर्वेक्षण

4829. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान सीमा पर गुजरात के कच्छ जिले में गैस और तेल पाये जाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : उस क्षेत्र में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक कुंआ खोदा गया था। उस कुएं में अब तक किये गये परीक्षणों से तेल अथवा गैस के कोई चिन्ह नहीं मिले हैं। तथापि, 1957 में उस क्षेत्र में किन्हीं अन्य पार्टियों द्वारा खोदे गये कम गहरे कुओं में गैस के चिन्ह मिले बताये जाते हैं।

Proposal to hand over Catering arrangement to Contractors at Palezaghat and Mahendru Ghat

4830. **Pandit D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Railways are themselves making catering arrangements at the upper deck of the ships sailing between Palezaghat and Mahendru Ghat and are earning a lot of profit thereby ;

(b) whether Railway officers propose to entrust these arrangements to the contractors; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi): (a) to (c). Catering arrangements on the Upper Deck of steamers plying between Paleza Ghat and Mahendru Ghat stations are being temporarily managed departmentally from 5.8.1972. The provisional figures of earnings and expenditure so far indicate only marginal profit. A final decision in regard to running this service departmentally or otherwise will be taken after watching the financial results of working of this service for some more time.

मालदह से बलूरघाट तक, बरास्ता गजोल, (पश्चिम बंगाल) बड़ी लाइन

4831. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने मालदह से बलूरघाट तक, बरास्ता, गजोल (पश्चिम बंगाल) बड़ी लाइन के निर्माण में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). गाजल के रास्ते ओल्ड मालदा से बेलूरघाट तक एक बड़ी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। आशा है, सर्वेक्षण मानसून शुरू होने से पहले पूरा हो जायेगा। सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायगा।

पुराने हो चुके वैगनों के प्रयोग के कारण चाय यातायात की हानि

4832. **श्री आर० एन० बर्मन :**
श्री बी० के० दास चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा के मौसम में आसाम और उत्तर बंगाल के चाय बागानों से कलकत्ता तक चाय ले जाने के लिए दोषपूर्ण और बिना ढके वैगनों के प्रयोग के कारण चाय-यातायात रेलवे से सड़क परिवहन के हाथों में जा रहा है ; और

(ख) क्या पूर्वोत्तर भारतीय चाय के पानी के कारण खराब हो जाने के बारे में विदेशी बाजारों से शिकायतें प्राप्त होने के बावजूद रेलवे प्राधिकारियों ने कांडला तक मीटर गेज लाइन के लिए चाय यातायात का विकास करने की कोई नीति के कारण से पुराने पड़ चुके वैगनों का प्रतिस्थापन करने की दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) इस मन्त्रालय को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि नार्थ ईस्ट इण्डियन चाय के पानी से खराब हो जाने के बारे में समुद्र-पार के बाजारों ने कोई शिकायत की है। चाय के लदान के लिए उपयुक्त और जलरोधी बन्द माल डिब्बे सप्लाई किये जाते हैं।

मालदह से बलूरघाट तक बनाई जाने वाली बड़ी लाइन के लिए भूमि का अधिग्रहण

4833. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुराने मालदह से बलूरघाट तक बरास्ता गजोल, बनाई जाने वाली बड़ी रेलवे लाइन के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). गाजल से होकर पुराने मालदह से बालुरघाट तक बड़ी लाइन के लिए यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है। आशा है, मानसून प्रारम्भ होने से पूर्व सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा। सर्वेक्षण के पूरा हो जाने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा।

नई दिल्ली स्टेशन के सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

4834. **श्री महादीपक सिंह शाक्य** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली स्टेशन पर गत तीन वर्षों में वर्षवार आने-जाने वाली गाड़ियों और यात्रियों की संख्या कितनी है ;

(ख) स्टेशन पर सफाई बनाये रखने के लिए उक्त अवधि के दौरान सफाई कर्मचारियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) यदि कोई वृद्धि नहीं हुई है तो इस सम्बन्ध में प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

विवरण

वर्ष 1971, 1972 और 1973 में नयी दिल्ली स्टेशन पर आने-जाने वाली गाड़ियों की कुल संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	गाड़ियों की संख्या
1971 (1-4-1971 को)	73
1972 (1-5-1972 को)	77
1973 (20-3-1973 को)	79

नयी दिल्ली स्टेशन पर पिछले 3 वर्षों में वर्ष-वार यात्री यातायात की मात्रा :

	1970-71	1971-72	1972-73 फरवरी तक
जावक यात्री यातायात	5065580	6361767	5134231
आवक यात्री यातायात	2230645	2278193	2114971

New Line from Hasanpur to Sakri

4835. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the proposal for survey of laying a new metre gauge line from Hasanpur to Sakri was approved on the 11th August, 1972 ; and

(b) if so, further action taken in the matter so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) and (b). A traffic survey was sanctioned on 10.8.1972 for a new M. G. rail link from Hasanpur to Sakri. The survey is in progress. Further consideration to this proposal will be given after the survey is completed and the report is examined by the Railway Board from all aspects.

संविधान के अनुच्छेद 226 का संशोधन

4836. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को ज्ञात है कि संविधान के अनुच्छेद 226 का लाभ उठाकर, जमींदार और धनवान व्यक्ति गरीब काश्तकारों और कृषकों को आमतौर पर उनके अधिकारों और हितों से वंचित कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुच्छेद के रूपान्तरण अथवा संशोधन के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) और (ख). जी नहीं। किन्तु विधि आयोग ने उच्चतर न्यायपालिका की संरचना और अधिकारिता पर प्रश्नावली जारी की है। उस प्रश्नावली का प्रश्न (5) संविधान के अनुच्छेद 226 के संशोधन से सम्बन्धित है।

मामले पर अभी आयोग विचार कर रहा है।

फरक्का बांध परियोजना में कार्य कर रहे कर्मचारी

4837. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने कर्मचारियों ने फरक्का बांध परियोजना में लगातार दस वर्ष तक कार्य किया और कितने कर्मचारियों ने लगातार पांच वर्ष तक कार्य किया है ;

(ख) इस समय फरक्का बांध में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) जंगीपुर नहर के पूरा हो जाने के पश्चात् उनको कहां पर नियुक्त किया जाना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में तापीय बिजली परियोजना की स्थापना

4838. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल के पश्चिम दीनापुर में डलखोला में तापीय बिजली परियोजना स्थापित करने की कुल लागत क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : पश्चिम बंगाल में दलखोला ताप विद्युत परियोजना पर 2×120 मैगावाट के सैटों को प्रतिष्ठापित करने के लिए इस समय अनुमानित की गई कुल लागत 47 करोड़ रुपये है ।

एकाधिकार गृहों के रूप में दर्ज कम्पनियां

4839. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 तक कितनी कम्पनियों को एकाधिकार गृह माना गया था ; और

(ख) इनमें से कितनी कम्पनियों ने भारत से बाहर अपना व्यापार अथवा व्यापार के केन्द्रों अथवा सहयोग एजेन्सियों की स्थापना की है ; और उनके नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री डी० आर० चह्वाण) : (क) 31 दिसम्बर, 1972 तक, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत 891 उपक्रमों ने स्वयं का पंजीकरण कराया था ।

(ख) आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है ।

वाणिज्य विभाग के कार्यकरण के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की टिप्पणियां

4840. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी** : क्या **रेल** मन्त्री वाणिज्य विभाग के कार्यकरण के बारे में 15 जून, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सिफारिशों पर कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक कर लिये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–4619/73]**

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जोनल रेलों पर व्यापारियों से अल्प-प्रभार वसूल करने की समान दर

4841. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **रेल** मंत्री माल पर अल्प-प्रभारों की बकाया राशियों के सम्बन्ध में दिनांक 19 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5041 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में पार्सलों और सामान के बुक करने की दरें नियत करने के लिये सक्षम अधिकारी कौन है ;

(ख) क्या ये दरें विभिन्न रेलों में अलग-अलग हो सकती हैं अथवा सभी भारतीय रेलों में ये दरें समान हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम रेलवे में जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं, अर्थात् हरी मिर्च और आलू के पार्सल बुक कराने वाले व्यापारियों को अल्प-प्रभार अदा करने पड़ते हैं, जबकि मध्य रेलवे में इसी प्रकार की वस्तुओं पर व्यापारियों से अल्प-प्रभार वसूल नहीं किये जाते ; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न रेलों में व्यापारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी करेशी) : (क) केन्द्रीय सरकार

(ख) सभी भारतीय रेलों पर दरें समान हैं। किन्तु रेल प्रशासनों को यातायात आकर्षित करने के उपाय के रूप में स्टेशनों की विशिष्ट जोड़ियों के बीच विशेष कम दरें निर्धारित करने के अधिकार दिये गये हैं।

(ग) और (घ). ये अवप्रभार कुछ वस्तुओं पर प्रभार्य दरों से कम दरों पर भाड़ा लिये जाने के कारण हुए हैं। किसी रेलवे विशेष द्वारा सेवित व्यापारियों के साथ कोई भेद-भाव का बर्ताव नहीं किया जाता क्योंकि सभी रेलों पर प्रभार्य दरें एक जैसी हैं।

ड्रिलिंग प्लेटफार्म की अलियाबेट से किसी नये स्थान पर ले जाना

4742. **श्री प्रवीण सिंह सोलंकी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तट-दूर ड्रिलिंग प्लेटफार्म को दूसरे कुओं की खुदाई के लिये अलियाबेट से आठ किलोमीटर आगे नए स्थान पर ले जाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में किसी निश्चित प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पश्चिम बंगाल में केनिंग और हसनाबाद के बीच रेल मार्ग

4843. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने पश्चिमी बंगाल में केनिंग और हसनाबाद के बीच रेलमार्ग बनाने की सम्भाव्यता के बारे में रिपोर्ट तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : (क) और (ख). निम्नलिखित रेल सम्पर्कों के लिये यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है :—

(i) कुल्पी के रास्ते लक्ष्मीकान्त पुर से काकद्वीप तक।

(ii) केनिंग से गोलाबाड़ी तक।

(iii) प्रतापदित्यनगर के रास्ते हसनाबाद से केनिंग तक।

सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही इन प्रस्तावों पर आगे विचार किया जायेगा।

पूर्वी क्षेत्रों और बंगाल की खाड़ी के टापू क्षेत्रों में खोज कार्य

4844. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अमृत बाजार पत्रिका, कलकत्ता दिनांक 9 फरवरी, 1973 में 'सम वार्निग्ज आन दि आयल फ्रन्ट' (तेल क्षेत्र के बारे में कुछ चेतावनियां) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) पश्चिम बंगाल राज्य के अन्तर्गत आने वाले अधिक निचले (हाइपर सबसिडेन्स) बेसिन में तेल की खोज को सुनिश्चित करने के लिए उनके मंत्रालय ने कोई कार्यवाही की है ;

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सरकार अन्डेमान और निकोबार द्वीप खोज कार्य प्रारंभ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ङ) पूर्वी क्षेत्रों और बंगाल की खाड़ी के टापू क्षेत्रों में खोजकार्य करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की जानकारी का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बलबीर सिंह): (क) जी हां।

(ख) अन्वेषण कार्य में प्रगति हो रही है।

(ग) 1964 के प्रारंभ से भूकंपीय सर्वेक्षण किये जाते रहे हैं और किये जा रहे हैं। 24 परगना जिले के बोडरा क्षेत्र में एक अन्वेषी कुआं भी खोदा गया था।

(घ) जी हां। सतही भूगर्भीय चित्रण पहले से ही किया जा रहा है।

(ङ) अन्वेषण कार्य करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग उन सभी विशेषज्ञान जो उसके पास हैं, का प्रयोग कर रहा है।

कच्चे तेल के आयात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक दल की विदेश यात्रा

4845. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :**
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के आयात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक दल हाल ही में विदेश भेजा गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस दल ने किन देशों की यात्रा की और दल ने क्या प्रतिवेदन दिया और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दल ने ओमन, दुबाई, आबू दुबाई, कुवैत, कटार और बहरीन राज्यों का दौरा किया था। अशोधित तेल के आयात के लिए अतिरिक्त स्रोतों की स्थापना के प्रस्ताव हैं। इस स्थिति में की गई कार्यवाही को बताना असामयिक है।

अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के कार्यालय के समक्ष धरना

4846. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति रेलवे कर्मचारी संघ के सदस्यों ने 26 फरवरी, 1973 को महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली के कार्यालय के सामने धरना दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं तथा उनके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) संघ की मांगें हैं :

(I) पूर्ण मान्यता, और

(II) आरक्षित जाति के कर्मचारियों के हितों की देखभाल के लिए मण्डल स्तर पर पृथक कक्षों की स्थापना।

सरकार की यह नीति रही है कि जाति, जनजाति या धर्म के आधार पर यूनियनों या संघों के निर्माण को निरुत्साहित किया जाय। तदनुसार, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति रेल कर्मचारी संघ जैसे संघों को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती।

मण्डल स्तर पर पृथक कक्षों का औचित्य नहीं समझा गया है।

रेल यातायात से सम्बन्धित कार्य का पूरा होना

4847. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेल यातायात लागत का अनुमान लगाने से सम्बन्धित कार्य के पूरा होने में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : माल गाड़ियों और उपनगरीय यात्री गाड़ियों की सेवाओं के लिए परिचालन की लागत का व्यवस्थित विश्लेषण किया जा रहा है। सामान्य यात्री गाड़ियों की सेवाओं की लागत निकालने से सम्बन्धित काम भारतीय रेलों पर पहली बार शुरू किया गया है। यह अध्ययन चरणबद्ध रूप में किया जायेगा और आशा है, यह लगभग 18 महीने में पूरा हो जायेगा।

दरभंगा जिले और उत्तर बिहार के बीच पुरानी रेलवे लाइन को फिर से चालू करना

4848. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा जिले और उत्तर बिहार के बीच सभी पुरानी रेल लाईनों को फिर से चालू करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) सुपोल से थुरभीटा और उसके आगे थुरभीटा से सरायगढ़ तक के खंडों में जिनकी कुल लम्बाई लगभग 25 कि० मी० है, रेल लाइनों को पुनःस्थापित कर दिया गया है और उन्हें क्रमशः अक्तूबर, 1967 और नवम्बर, 1970 में यातायात के लिये खोल दिया गया है।

इसके अलावा सरायगढ़ से फारबिसगंज तक (56 कि० मी०) रेल लाइन के पुनःस्थापन के लिए पहले किये गये द्रुत अध्ययन को अद्यतन बनाने तथा यातायात सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है। इस पुनःस्थापन को चरणबद्ध रूप में करने के उद्देश्य से आरम्भ में सरायगढ़ राघोपुर तक (13 कि० मी०) के खण्ड में काम शुरू करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

मिट्टी के तेल के मूल्य में वृद्धि

4850. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री धर्मराव अफजलपुरकर :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि मिट्टी के तेल के विक्रेताओं ने मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ा दी है और यह विशेष रूप से मैसूर राज्य में आसानी से उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). पिछले दो महीनों में मैसूर सहित देश के कुछ भागों में मिट्टी के तेल की कमी हो गई है। यह मुख्य रूप से बिजली की कमी के कारण सभी प्रकार के पेट्रोलियम उत्पादों विशेषत: डीजल तेलों और मिट्टी के तेल की मांग में असाधारण वृद्धि देश के कुछ भागों में बहुत अधिक सूखे की स्थिति और कुछ क्षेत्रों में परिवहन के अव्यवस्थित होने के कारण है।

डीलरों द्वारा मूल्य में वृद्धि के सम्बन्ध में राज्य सरकार को ऐसे डीलरों के खिलाफ जो विद्यमान मूल्य निर्धारण आदेशों का उलघंन करते हैं, उचित कारवाई करने का अधिकार है। मैसूर सरकार को पहले ही परामर्श दी गई है कि वह इस सम्बन्ध में उचित कारवाई करें।

Looting of Sonai Railway Station Near Mathura

4851. **Shri Shiv Kumar Shastri:**
Shri R. V. Bade:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether entire cash of the Sonai Railway station near Mathura was looted by dacoits recently;

(b) whether the dacoits also looted the houses of Railway employees there;

(c) if so, the brief account of the incident; and

(d) the reasons for laxity on the part of the Railway Protection Force?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) On 3.3.73 at about 01.30 hrs. 5/6 persons armed with a gun and country made pistols entered the railway quarter of Station Master, Shri Gaya Prasad Upadhaya of Sonai Railway station of North-Eastern Railway and assaulted him and his widow daughter. They looted cash and personal belongings worth Rs. 1382/-. Shri Upadhaya managed to come to the railway station and informed about this to Shri Brahma Nand, Assistant Station Master on duty. The alleged dacoits also came to the Station and looted station earnings worth Rs. 147/- and Rs. 10/- from the imprest tube and Rs. 45/- from Porter Shri Raghunath Singh. They also assaulted Assistant Station Master, Shri Brahma Nand, Porter Shri Chhajoo Ram and Vendor Shri Ram Kumar. The dacoits again went to the railway quarters of Assistant Station Masters S/Shri Barhma Nand and J. Sahai and looted their cash and personal belongings amounting to Rs. 720/- and Rs. 800/- respectively. On getting information from the Assistant Station Master, Station Officer, Raya Civil Police alongwith his staff reached the spot. Seeing the Police, the dacoits fled away with the booty. The injured station Master Shri Upadhaya, his widow daughter and Vendor Shri Ram Kumar were sent immediately by 12 UP Express train to Civil Hospital, Mathura for treatment. Supdt. of Police, Deputy Supdt. of Police, Mathura and Special Railway Magistrate, Bareilly City and Divisional Superintendent, Izatnagar also visited the spot.

The S. O./Civil Police, Raya has registered a case on crime No. 35 under section 395 and 397 IPC and arrested 2 suspected persons. Police investigations continue.

(d) Railway Protection Force is not usually posted at the stations, as law and order is a subject of the State Police. However, an Railway Protection Force Armed party was detailed at the station after this occurrence for the protection of the staff and station as a special case. A party of Government Railway Police continues at Raya.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूकम्पीय सर्वेक्षण जलयान की खरीद

4852. **श्री वयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल प्राकृतिक गैस आयोग ने भूकम्पीय सर्वेक्षण जलयान की खरीद के लिए दो बार निविदाएं आमन्त्रित की हैं किन्तु अभी तक कोई सौदा अन्तिम रूप से नहीं किया गया है ;

(ख) जलयान का मूल्य कितना है और निर्णय में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) भू-भौतिकी सर्वेक्षण के लिए विदेशी फर्मों पर ठेके की राशि के रूप में अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने केवल एक बार (दिसम्बर, 1972 में) एक भूकम्पीय सर्वेक्षण जहाज की सीधी खरीद के लिए टैण्डर आमन्त्रित किये थे ; जिनकी इस समय आयोग द्वारा जांच की जा रही है । ज्योंहि टैण्डरों के सभी पहलुओं की जांच पूरी होगी त्योंहि निर्णय लिया जायेगा । एक नये निर्मित उपयुक्त भूकम्पीय जहाज पर 1.5 करोड़ रुपये से 2.00 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान हैं ।

(ग) 140.18 लाख रुपये ।

त्रिवेन्द्रम के निकट थुम्बा स्थान पर नये स्टेशन की स्थापना

4853. **श्री वयालार रवि** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि स्वर्गीय श्री विक्रम साराभाई द्वारा त्रिवेन्द्रम के निकट थुम्बा स्थान पर एक नए रेलवे स्टेशन का जो नीव-पत्थर रखा गया था वह इस बीच वहां से हटा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को यात्री यातायात और थुम्बा रोकिट लांचिंग काम्पलैक्स की बढ़ती अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए वहां रेलवे स्टेशन की जरूरत का पता है और यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). उस स्थान पर आधार स्तम्भ अभी मौजूद है । उस पर लगे फलक को थुम्बा इक्वेटोरियल राकेट लांचिंग स्टेशन के प्राधिकारियों ने हटा लिया है और उसे गुण्डागर्दी के कारण होने वाली चोरी या क्षति से बचाने के लिए अपनी अभिरक्षा में रख लिया है ।

(ग) जी हां । यात्री बुक करने वाला एक स्टेशन खोले जाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

तारापुर-भावनगर रेलवे लाइन पर होने वाली हानि को वहन करने के लिए गुजरात सरकार का सहमत होना

4854. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने तारापुर-भावनगर रेलवे लाइन पर होने वाली हानि को वहन करने के लिए अपनी तत्परता उनके मंत्रालय को सूचित कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). उपर्युक्त (क) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रस्ताव के आधार पर, इस रेल संपर्क के लिए नये सर्वेक्षण करने के प्रश्न पर गुजरात राज्य सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

पनबिजली घरों में बिजली का उत्पादन

4855. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने पनबिजली घर हैं ;

(ख) इन बिजली घरों की कुल उत्पादन-क्षमता क्या है ; और

(ग) इन बिजली घरों का वास्तविक उत्पादन क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) इस समय प्रचालित किए जा रहे प्रमुख जल-विद्युत केन्द्रों की कुल संख्या 79 है ।

(ख) इन केन्द्रों की कुल प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता 6627 मैगावाट है।

(ग) इन जल-विद्युत केन्द्रों से 1971-72 के दौरान 27882 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन हुआ।

कम्पनियों के कार्यकरण के बारे में रिपोर्ट

4856. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शेयरधारियों में कम्पनी की रिपोर्टों के वर्तमान रूप और विषय के प्रति बढ़ रहे असन्तोष का पता है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि कम्पनियों के कार्यकरण के संबंध में ब्यौरों की पूर्ण सूचना बताने की मांग बढ़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार शेयर धारियों को स्पष्ट और पूर्ण जानकारी उपलब्ध करने के लिए कम्पनियों की रिपोर्टों के वर्तमान रूप और विषय में परिवर्तन करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री डी० आर० चह्वाण) : (क) से (ग). कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूचि 6 में, कम्पनियों के कार्यकरण के सम्बन्ध में, कुछ अधिक सूचना प्रगट करने के लिए, संशोधन करने हेतु, थोड़े से वैयक्तिक/संगठनों से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं । इन सुझावों पर भविष्य में, कथित अनुसूचि में संशोधन किये जाने पर विचार किया जायेगा ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा हरियाणा को और अधिक बिजली की सप्लाई

4857. **श्री भान सिंह भौरा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा की रबी की फसल के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से और अधिक बिजली सप्लाई करने का विचार है ;

(ख) क्या इससे दिल्ली में बिजली की सप्लाई पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा हरियाणा को कितनी बिजली सप्लाई की जाती है ; और

(घ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने हरियाणा को कितनी अतिरिक्त बिजली सप्लाई करने का निर्णय किया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के साथ हुए समझौते के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास उपलब्ध फालतू विद्युत हरियाणा को सप्लाई करने की सहमति हुई है ।

(ख) इससे दिल्ली में विद्युत की सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(ग) और (घ). दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इन्द्रप्रस्थ विस्तार केन्द्र में 3×62.5 मैगावाट की 2, 3 और 4 नम्बरों की यूनिटों में से हरियाणा कुल उत्पादन का 1/3 भाग रखता है ।

इस समय दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा हरियाणा के भाग से अधिक लगभग 10 लाख यूनिट प्रतिदिन हरियाणा को सप्लाई की जा रही हैं ।

नरकटियागंज में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक को पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ द्वारा दिया गया ज्ञापन

4858. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर डिवीजन के रेल कर्मचारियों ने 12 जनवरी, 1973 को नरकटियागंज में एक प्रदर्शन किया था और पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ द्वारा वहां आए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक को एक ज्ञापन दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है, और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में खिरोई नदी पर जल फाटक-एवं-पुलों का निर्माण

4859. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री बिहार में खिरोई नदी पर जल फाटक-एवं-पुलों का निर्माण करने के बारे में 27 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1146 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला दरभंगा (बिहार) में इस कार्य पर आने वाली अनुमानित लागत क्या है और इसे पूरा करने का निर्धारित समय क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : बिहार सरकार ने सूचित किया है कि दरभंगा जिले में खिरोई नदी पर जल-कपाट-एवं-पुलों की स्कीम तैयार करने के लिए 1973 की मानसून के दौरान और जल वैज्ञानिक पर्यवेक्षण किए जाने हैं। अनुमानित लागत और निर्माण की अनुसूची, स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत ही प्राप्त होगी।

पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ का दरभंगा में रेल मन्त्री से मिला विशाल प्रतिनिधि मंडल और उन्हें दिया गया ज्ञापन

4860. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोतर रेलवे मजदूर संघ एक विशाल प्रतिनिधिमंडल के रूप में रेल मन्त्री से 24 फरवरी, 1973 को दरभंगा में मिला था और उन्हें एक ज्ञापन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ, समस्तीपुर मंडल के मंडल सचिव और दरभंगा स्थित पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ शाखा ने 24-2-1973 को दरभंगा में रेल मंत्री को एक ज्ञापन दिया था।

(ख) ज्ञापन में जिन मुख्य मांगों का उल्लेख किया गया है वे विवरण में दी गई हैं। अधिकांश मांगें सामान्य किस्म की हैं और वे रेलवे से ही विशेष रूप से सम्बन्धित नहीं हैं। शेष मांगे ऐसी हैं जो सामान्यतः वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र के माध्यम से, जिनकी इस प्रयोजन के लिये व्यवस्था है, तय की जाती हैं।

विवरण

I. **पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन की समस्तीपुर मंडल शाखा द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में शामिल मांगें।**

1. रेल कर्मचारियों को बोनस की मंजूरी।
2. आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान।
3. तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट शीघ्र प्रकाशित करना।

4. सेवा निवृत्ति आयु में कमी न होना।

5. 1-5-1969 से पूर्वोत्तर रेलवे के मंडली करण के परिणामस्वरूप गोरखपुर से समस्तीपुर को स्थानांतरित कर्मचारियों को मकान-भत्ते का दिया जाना जारी रखना।

II. पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन की दरभंगा शाखा द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में शामिल मांगें।

1. वेतन आयोग की रिपोर्ट का प्रकाशन और आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान।
2. रेल कर्मचारियों को 8.33 प्रतिशत के हिसाब से बोनस का भुगतान।
3. वर्तमान मूल्यों के आधार पर भविष्य निधि निक्षेपों का मूल्यांकन।
4. सहायता प्राप्त दरों पर आवश्यक चीजों की उपलब्धता ताकि बढ़ती हुई कीमतें अप्रभावी हो सकें।
5. सभी रेल कर्मचारियों को राशन कार्ड की व्यवस्था करना चाहे वे देहाती अथवा शहरी क्षेत्र में हों और सस्ती दर पर अनाजों की सप्लाई।
6. चतुर्थ श्रेणी में नैमित्तिक श्रमिकों का आमेलन और नैमित्तिक मजदूर प्रणाली को समाप्त करना।
7. रेलवे अस्पतालों को बन्द करना और उसके बदले चिकित्सा भत्ता देना।
8. चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण से पहले जिस प्रकार वर्दियों की सप्लाई होती थी उसी प्रकार ठीक समय पर सप्लाई करना।
9. मिया भाई पंचाट के फैसलों का कार्यान्वियन।
10. रनिंग कर्मचारियों के ड्यूटी घंटों को 14 घंटे से कम करके 8 घंटे करना और दूसरी पारी के माल गाड़ियों के कर्मचारियों को दरभंगा से निर्मली और जयनगर तक ले जाने के लिये डिब्बों की व्यवस्था करना।
11. यातायात, इंजीनियरी और लोको विभागों के प्वाइंट्समैन, केबिनमैन, बाक्स, पोर्टर्स आदि कुछ कोटि के कर्मचारियों के काम के घंटों को 12 से घटाकर 8 घंटे करना।
12. चालू लाइन के अधीनस्थ कार्यालय कर्मचारियों का समय 7.00 बजे प्रातः की बजाय 10 बजे प्रातः से करना और उनके काम के घंटों को 8 से घटाकर $6\frac{1}{2}$ घंटे करना या सम्बन्धित कर्मचारयों को विशेष भत्ते का भुगतान करना।
13. सभी गैंगमैनों के लिए क्वार्टरों का निर्माण।
14. सभी चौकीदार वाले समपार फाटकों पर हैंड पम्प की व्यवस्था करना।
15. शंकर शरण पंचाट के अनुरूप लोको, सवारी डिब्बा, बिजली और कारखाने के कर्मचारियों की कुशल कोटियों के 20 प्रतिशत का ग्रेड बढ़ाना।

16. गोरखपुर के सिगनलिंग और बड़ारी के जहाजरानी कर्मचारियों के स्थानान्तरण से पैदा हुई समस्याओं का समाधान।

17. चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों को मासिक आधार पर धुलाई भत्ता का भुगतान।

18. लोक सभा और विधान सभाओं में रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के लिए, संख्या के आधार पर, सीटों का आरक्षण।

19. दरभंगा में रेल कर्मचारियों के लिए 300 क्वार्टरों का निर्माण।

20. 1000 से अधिक रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए मिडिल स्कूल की व्यवस्था करना।

21. सहकारी कैन्टीन की व्यवस्था करना।

22. स्थानीय कार्यालयों जैसे लोको शेडों, स्टेशनों आदि में साइकिल स्टैन्ड की व्यवस्था करना।

23. आपात काल में पानी की कमी को पूरा करने के लिये रेलवे कालोनियों में हैण्डपम्प की व्यवस्था करना।

24. दरभंगा के पूर्व रेलवे की कालोनी में उचित नालियों की व्यवस्था करना।

25. दरभंगा में सहकारी समिति के लिये स्थान की व्यवस्था करना।

26. दरभंगा में मनोरंजन केन्द्र के विकास के लिए एक थिएटर का निर्माण और अनुदान देना।

27. लोकों शेड और यार्ड से कोयले की चोरी को रोकने के लिए एक दीवाल का निर्माण।

28. रेल कर्मचारियों के बकाया राशियों के भुगतान के लिए प्रबन्ध।

29. वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बिजली विभाग के कर्मचारियों में वृद्धि करना।

दिल्ली और मेरठ के बीच दोहरी रेल लाइन

4861. **श्री राम प्रकाश**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली और मेरठ के बीच दोहरी रेल लाइन की व्यवस्था करने संबंधी कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख). दिल्ली और गाजियाबाद के बीच दोहरी लाइन पहले से ही मौजूद है। गाजियाबाद और मुरादनगर के बीच 17.80 किलोमीटर में दोहरी लाइन बिछाने का प्रश्न विचाराधीन है।

सरकारी कार्यालयों में बिजली का प्रयोग

4862. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में बिजली के प्रयोग में कमी करने हेतु क्या उपाय किए हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को यह अनुदेश जारी किए गए हैं कि लाइटें, पंखे, वातानुकूलर और अन्य विद्युत उपकरणों को उस समय तक कम से कम उपयोग करें जब तक कि विद्युत् आपूर्ति स्थिति में सुधार नहीं हो जाता, विद्युत् के उपयोग में हर संभव अधिकतम मितव्ययता करने के लिए वे अपने अंतर्गत सभी कार्यालयों से इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करें।

तेलीचैरी से मैसूर तक रेलवे लाइन

4863. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुर्ग के रास्ते तेलीचैरी से मैसूर तक रेलवे लाइन बनाने के लिए सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका निष्कर्ष क्या है और इस कार्य पर होने वाले व्यय का क्या अनुमान है ;

(ग) क्या इस लाइन का निर्माण शीघ्र आरम्भ करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां।

(ख) सर्वेक्षण से मालूम हुआ है कि यह रेलवे लाइन अत्यधिक अलाभप्रद होगी और फलस्वरूप रेलवे को भारी हानि होने की संभावना है। इस लाइन के निर्माण की वर्तमान लागत 27 करोड़ रुपये से अधिक होगी।

(ग) जी हां।

(घ) धन की कमी और यातायात के पर्याप्त औचित्य के अभाव में इस लाइन के निर्माण को हाथ में लेना कठिन होगा।

केरल के समुद्र तट पर विदेशी सहयोग से तट दूर ड्रिलिंग

4864. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज के हाल में घोषित नए द्रुत कार्यक्रम के भाग के रूप में केरल के समुद्र तट पर तट दूर ड्रिलिंग कार्य किसी अन्य देश के सहयोग से प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और यदि नहीं तो क्यों ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है । तथापि केरल के समुद्र तट पर अपतटीय खोज कार्य करने हेतु सहयोग के लिए अब कभी भी किसी सक्षम विदेशी कम्पनी द्वारा कोई उपयुक्त प्रस्ताव भेजा जायेगा तो उस पर उचित विचार किया जायेगा ।

संविधान के अनुच्छेद 136 तथा 226 में संशोधन

4865. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 136 तथा 226 में परिवर्तन करने के प्रश्न की जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार इस बारे में कब तक कार्यवाही आरम्भ करेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) से (ग). विधि आयोग, उच्चतर न्यायपालिका की संरचना और अधिकारिता के कतिपय पहलुओं से सम्बन्धित आवश्यक सुधारों के प्रश्न पर विचार कर रहा है । इस विषय पर आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावली में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित बातें भी सम्मिलित हैं :

(i) उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अनुच्छेद 136 के अधीन अपील के क्षेत्र में परिवर्तन की वांछनीयता का प्रश्न ;

(ii) इस बारे में प्रश्न कि अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय के समक्ष, या अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं में विवादग्रस्त तथ्य के प्रश्नों का कहां तक अन्वेषण किया जाना चाहिए।

(iii) इस बारे में प्रश्न कि क्या ऐसी याचिकाओं में, **अन्तरिम रोक** के लिए कतिपय निर्बन्धन अधिरोपित किए जाने चाहिए ।

आयोग द्वारा मामले पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है ।

गोंदिया-बालाघाट मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

4866. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार गोंदिया-बालाघाट नैरो-गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) : अलाभकर शाखा लाइन समिति, 1969 की सिफारिशों के आधार पर सतपुड़ा छोटी लाइन के उत्तरी खण्डों (जिनमें गोंदिया-बालाघाट और अन्य छोटी लाइनें शामिल हैं) के आमान परिवर्तन के लिए एक यातायात सर्वेक्षण शुरू किया गया है और सर्वेक्षण-कार्य प्रगति पर है । सर्वेक्षण के परिणाम ज्ञात होने के बाद ही इन खण्डों के आमान परिवर्तन के संबंध में विनिश्चय किया जायेगा ।

मिजो विद्रोहियों द्वारा ऐजल बिजली घर नष्ट किया जाना

4867. **श्री नरेन्द्र सिंह :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजो विद्रोहियों ने मिजोरम की राजधानी ऐजल के बिजलीघर को नष्ट कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को अनुमानतः कितनी हानि हुई ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) 28 फरवरी, 1973 को मिजोरम की राजधानी ऐजल में विद्युत केन्द्र विस्फोट से क्षतिग्रस्त हो गया था और ड्यूटी पर तैनात सन्तरी पर दो बार गोली चलाई गई। विस्फोट के फलस्वरूप इमारत का एक कोना क्षतिग्रस्त हो गया था तथा छत उड़ गई थी। मशीनों को कोई गम्भीर क्षति नहीं हुई थी।

(ख) इस प्रकार के तोड़-फोड़ की कार्यवाही को रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय कर दिए गए हैं तथा महत्वपूर्ण इमारतों को बचाने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

(ग) मशीनों को कोई गम्भीर क्षति नहीं हुई थी। इमारत तथा संयंत्र की मरम्मत करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। अगले ही सप्ताह से विद्युत की सप्लाई शनैः शनैः फिर से चालू कर दी गई थी।

उत्तर बंगाल में उर्वरक कारखाना लगाना

4868. **श्री भागवत झा आजाद :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर बंगाल में एक उर्वरक कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे किसी विदेशी सहयोग से लगाया जायेगा ; और

(ग) क्या परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग). जी नहीं। तथापि, उन सम्भव स्थानों, जहां पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जा सकती हों, के बारे में विस्तृत अध्ययन किये जा रहे हैं।

उड़ीसा में सिंचाई और बिजली परियोजनाओं के निर्माण के लिए धन

4869. **श्री के० प्रधानी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इन्द्रावती और खोलब नदियों की सिंचाई और विद्युत परियोजना के निर्माण

के लिये कब तक धन जुटाने का सरकार का विचार है ;

(ख) क्या सीमावर्ती राज्यों द्वारा 1951 के समझौते के अनुसार ये कार्य आरम्भ किये जा सकते हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं सम्बन्धी विवाद निपटाने के लिये न्यायाधिकरण कितना समय ले लेगा ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). अपर कोलाब परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार के अन्तिम प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं जबकि इन्द्रावती परियोजना के लिए अन्तिम प्रस्ताव राज्य सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्योंकि राज्य सरकारों के बीच कृष्णा और गोदावरी के जल के आवंटन और 1951 के करार की वैधता तथा अन्य मामलों पर मतभेद था, जल-विवाद को न्याय-निर्णय के लिए अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम 1956 के अधीन, अप्रैल, 1969 में एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया था जिसमें सर्वोच्च/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश सम्मिलित थे। इसलिए, राज्यों के बीच जल आवंटन सम्बन्धी समूचा प्रश्न अब न्यायाधिकरण के सम्मुख है और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत सम्बन्धित दावों पर विचार करना अब भारत सरकार के लिए सम्भव नहीं है। अत: जब तक विभिन्न पक्षकार राज्यों की विविध दलीलों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधिकरण अपने पंचाट नहीं दे देता और इन राज्यों में जल का आवंटन नहीं कर देता, इन बेसिनों में किसी नई परियोजना की स्वीकृति देने के सम्बन्ध में विचार करना उपयुक्त नहीं समझा जाए जब तक कि किन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में राज्यों के बीच पूर्ण सहमति नहीं हो जाती।

न्याय-निर्णयन सम्बन्धी कार्यवाइयां प्रगति पर हैं। यह कहना कठिन है कि गोदावरी विवाद पर न्यायाधिकरण का पंचाट कब तक प्राप्त होगा क्योंकि न्यायाधिकरण ने विवाद सम्बन्धी दलीलों की सुनवाई अभी शुरू नहीं की है जो कि इस समय कृष्णा विवाद पर कार्यवाही कर रहा है। न्यायाधिकरण से यथासम्भव कार्य को शीघ्रता-पूर्वक करने के लिए कहा गया है।

जापान द्वारा फ्लोटिंग रिंग की सप्लाई

4870. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी प्राधिकारी बम्बई के खुले समुद्र में ड्रिलिंग के लिये एक "फ्लोटिंग रिंग" नहीं देना चाहते ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। परन्तु गतिशील अतटीय व्यधन प्लैटफार्म (जो ओ० एन० जी० के लिये जापान में निर्मित किया गया था) में लगे कुछ विद्युत यंत्रों के संविदात्मक विशेष विवरण के समरूप होने का प्रश्न ओ० एन० जी० सी० द्वारा मितसुबिशी के साथ उठाया गया है, इसके अन्तिम निष्कर्ष की प्रतीक्षा की जा रही है।

आगरा-बाह रेलवे लाइन का विस्तार करके उसे पुनः बिछाना

4871. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा जिले में आगरा से बाह तक रेलवे लाइन को बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इस रेलवे लाइन को पुनः चालू करने और इसको जैतपुर कलां होकर इटावा तक ले जाने का है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). भूतपूर्व जी० आई० पी० रेलवे की सिफारिश पर आगरा-बाह लाइन 1939 में यातायात के लिए बन्द कर दी गयी थी और 1940 में उखाड़ दी गयी थी क्योंकि यह लाइन घाटे में थी। अर्थोपाय की कठिन स्थिति को देखते हुए और चूंकि इस क्षेत्र की आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से सड़क यातायात से पूरी हो जाती हैं, अतः हो सकता है कि इस लाइन को फिर से बिछाने और जैतपुर के रास्ते इटावा तक बढ़ाने के प्रश्न को विचारार्थ प्राथमिकता न मिल पाये।

बटेश्वर, बाह और भद्रौली होकर शिकोहाबाद और मुरैना के बीच रेलवे लाइन

4872. **श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बटेश्वर, बाह और भद्रौली होकर शिकोहाबाद और मुरैना के बीच एक नई रेलवे लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए उस क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Cochin-Kayankulam Coastal Railway Line

4873. **Shri Hamendra Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a scheme for the construction of "Cochin Kayankulam Coastal Railway line" in Kerala State ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) No.

(b) The survey conducted in the year 1970 revealed that the project is financially unremunerative. The estimated cost for construction of the line as revealed by the survey was of the order of Rs. 10 crores. This area is very well served by roads and inland waterways. The existing MG Quilon-Ernakulam line which is under conversion to BG is also not far away from the coast. In view of this, and the limited resources available for construction of new railway lines, it would be difficult to consider this project in the near future.

रेलवे सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने वाले क्षेत्रों के निवासियों पर दण्डात्मक कर लगाना

4874. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसा कानून बनाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत सरकार ऐसे क्षेत्रों के निवासियों पर दण्डात्मक कर अथवा इस प्रकार का कोई अन्य कर लगा सकें जहां लोगों को सामूहिक कार्यवाही द्वारा रेलवे सम्पत्ति को नष्ट किया जाता है अथवा क्षति पहुंचाई जाती है ; यदि हां, तो इस विधान की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : जी नहीं ।

दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के बीच सीधी तेज गति की रेल सेवाएं आरम्भ करना

4875. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और उन राज्यों की राजधानियों, जिनके बीच अभी तक सीधी रेल सेवाएं नहीं हैं, के बीच सीधी तेज गति की रेल सेवाएं आरम्भ करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें किस प्राथमिकता के आधार पर किन राज्यों की राजधानियों को ऐसी रेल सेवा उपलब्ध की जायेगी ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ और बम्बई के बीच तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी चलाना

4876. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ और बम्बई के बीच तेज रफ्तार वाली रेल गाड़ी कब से चलाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : बम्बई और लखनऊ के बीच एक सीधी तेज गाड़ी की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव है कि सप्ताह में दो बार चलने वाली बम्बई-बीना जनता एक्सप्रस गाड़ियों का चालन-क्षेत्र 3-4-73 से लखनऊ तक बढ़ा दिया जाये ।

विभिन्न जोनों में रेलवे लाइनों को दोहरा किया जाना

4877. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जोनों में रेलवे लाइनों को दोहरा करने में कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4620/73]**

दिल्ली और बम्बई के बीच तेज गति वाली रेल गाड़ी आरम्भ करना

4878. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रात: 7.25 बजे (पंजाब मेल के छूटने का समय) और लगभग रात्रि के 10 बजे (अमृतसर एक्सप्रेस की छूटने का समय) के बीच लगभग 15 घन्टे की अन्तराल, जिसके दौरान दिल्ली और बम्बई के बीच रेल सेवा की व्यवस्था नहीं है, को कम करने हेतु, इस सैक्शन पर तेज गति की एक रेलगाड़ी आरम्भ करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक इस मार्ग पर रेल गाड़ियां न बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) मध्य रेलवे के मार्ग से दिल्ली और बम्बई के बीच अतिरिक्त गाड़ी चलाना सम्भव नहीं हो पाया क्योंकि मार्गवर्ती खण्ड की क्षमता अपर्याप्त है तथा दिल्ली नयी दिल्ली और बम्बई में आवश्यक पर्यन्त सुविधाओं का अभाव है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड में सरकार का साम्य पूंजी निवेश तथा इसमें हुई हानि

4879. **श्री के० एस० चावड़ा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड में सरकार का कितना साम्य पूंजी निवेश है ;

(ख) 31 मार्च, 1972 तक इस सरकारी उपक्रम को कुल कितनी हानि हुई और कितनी साम्य पूंजी नष्ट हुई है ; और

(ग) इस उपक्रम की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 31-3-1972 तक कम्पनी में भारत सरकार का साम्य पूंजी निवेश 2750 लाख रुपये था।

(ख) 31-3-1972 तक कम्पनी को हुई कुल हानि 3,455.95 लाख रुपये थी जो उस तारीख को प्रदत्त साम्य पूंजी की तुलना में अधिक है।

(ग) अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिये अपनाए गये उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) प्रक्रिया विकास द्वारा एवं नये उपकरणों तथा मशीनरी के प्रचलन द्वारा प्रौद्योगिकी का सुधार ;

(2) उन मदों का विलोप, जो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उपयुक्त नहीं हैं ;

(3) उत्पादन के कार्यक्रम का विस्तार एवं व्यपवर्तन ;

(4) रूस को शल्य (सर्जिकल) औजारों का निर्यात ;

(5) पूंजी-ढांचा को दोबारा तैयार करने में वित्तीय सहायता की स्वीकृति और प्रत्येक हानि को पूरा करने के लिए मंजूर किए गए कार्य पूंजी ऋण को, 1-4-72 से 5 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त मानना ।

26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषधि निर्माता फर्मों को 'सी० ओ० वी०' लाइसेन्स

4880. **श्री के० एस० चावड़ा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी पूंजी वाली औषधि निर्माता फर्मों को कोई सी० ओ० वी० लाइसेन्स दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और प्रत्येक लाइसेन्स में कौन कौन सी दवाइयां शामिल हैं ; और

(ग) क्या विदेशी फर्मों ने ये लाइसेन्स प्राप्त करके अपनी क्षमता बढ़ा ली हैं ; जिससे भारतीय फर्मों को हानि पहुंची हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण-पत्र, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–4621/73**]

(ग) 1970 में घोषित संशोधित नीति के प्रस्तुत किये जाने से पहले उन पर लागू होने वाले लाइसेंसिंग से छूट के उपबन्धों के अन्तर्गत इन निम्नलिखित वर्गों के उपक्रम, जिन्होंने उत्पादन आरम्भ कर दिया होता अथवा उत्पादन करने के लिये प्रभावी कदम उठाये गये होते, को 'व्यापार चलाने के लिए' आवेदन पत्र भेजने होते हैं ;

(1) उन उद्योगों से सम्बन्धित औद्योगिक उपक्रम जिनको पहले लाइसेन्स से मुक्त कर दिया गया था लेकिन अब उन्हें लाइसेंसिंग क्षेत्र में कर दिया गया है ।

(2) औद्योगिक उपक्रम, जिनको पहले औद्योगिक अधिनियम के लाइसेंसिंग उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया था, क्योंकि उनके पास पच्चीस लाख रुपये से अधिक के मूल्य की अचल परिसम्पत्ति नहीं थी, लेकिन जो औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट के लिये नये शर्तों के प्रकाश में, अब इस प्रकार की छूट में नहीं आते (अर्थात् प्रमुख उपक्रम विदेशी कम्पनियां बड़े औद्योगिक घरानों के उद्यम आदि तथा वे उपक्रम जिन्हें विशिष्ट सीमाओं से अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, लाइसेंसिंग से छूट पाने के योग्य नहीं हैं) ।

(3) इससे पहले लागू शबलीकरण नीति के अनुसार वे औद्योगिक उपक्रम जिन्होंने उत्पादन आरम्भ कर दिया है तथा कुछ नयी वस्तु तथा वस्तुओं का निर्माण करते हैं लेकिन भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय की दिनांक 18 जुलाई, 1970 की अधिसूचना में घोषित निर्बाध शबलीकरण की संशोधित नीति के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

क्योंकि सी० ओ० वी० लाइसेन्स उन क्षमताओं को नियमित करने के लिए जारी किये गये थे जिनको स्थापित किया गया मान लेना था, ऐसी फर्मों द्वारा अन्य भारतीय पार्टी के अनहित में विस्तार करने का प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री तह के नीचे तेल के निक्षेपों के सर्वेक्षण का तरीका और उस पर अब तक हुआ व्यय

4881. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री तह के नीचे तेल के निक्षेपों का सर्वेक्षण करने के विभिन्न तरीके कौन-कौन से हैं ;

(ख) हम इनमें से कौन-कौन से तरीके कहां-कहां अपना रहे हैं ; और

(ग) इस कार्य पर अब तक कितना व्यय हो चुका है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). तट दूर क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए अपनाए जाने वाले प्रमुख सर्वेक्षण पद्धतियां, भूकम्पीय प्रतिबिम्बन एवं अपवर्तन पद्धतियां हैं। कभी कभी इस उद्देश्य के लिये चुम्बकीय एवं गुरुत्व सर्वेक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। हमारे कान्टिनेनटल शेल्फ (महाद्वीप) में विस्तृत रूप में खम्भात की खाड़ी एवं अरब सागर के संलग्न क्षेत्रों में तथा कम मात्रा में केरल, लकाद्वीप, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिमी बंगाल के अपतट क्षेत्रों में भूकम्पीय प्रतिबिम्बन एवं अपवर्तन सर्वेक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया गया है। बाम्बे हाई क्षेत्र में चुम्बकीय सर्वेक्षण भी सीमित संख्या तक किये गये थे।

(ग) लगभग 290.00 लाख रुपये।

उर्वरकों की आवश्यकता तथा उत्पादन और न्हावा शेवा, महाराष्ट्र में एक नये उर्वरक कारखाने की स्थापना

4882. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने उर्वरकों की वार्षिक आवश्यकता है और देश में कितने उर्वरक किस लागत पर तैयार किए जाते हैं ;

(ख) नए उर्वरक कारखाने कहां कहां लगाए जायेंगे, उनकी क्षमता कितनी होगी और उनमें उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाएगा ; और

(ग) क्या महाराष्ट्र में नहावा-शेवा के निकट एक नया उर्वरक कारखाना लगाने का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है और यदि हां, तो क्यों ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1972-73 के दौरान 21.36 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन, 6.67 लाख मीटरी टन पी2 ओ5 तथा 3.94 लाख मीटरी टन पोटाश की पूर्वानुमानित खपत की तुलना में लगभग 10.70 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 3.25

लाख मीटरी टन पी2 ओ5 के देशीय उत्पादन की आशा है। देश में पोटाश के कोई ज्ञात संसाधन नहीं हैं।

उर्वरकों के उत्पादन की लागत इस्तेमाल की जाने वाली संभरण सामग्री, नियोजित तकनीकी, उत्पाद मिश्रण, संयंत्र की आयु, वित्तीय व्यवस्था के साधन, विभिन्न प्रकार के महसूल/शुल्कों आदि विभिन्न तथ्यों पर निर्भर है।

(ख) इस बारे में अध्ययन किये जा रहे हैं।

(ग) मैसर्स धर्मसी मोरारजी कैमिकल कम्पनी लि० ; जिन्हें शेवा-नोहवा के निकट एक उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेन्स दिया गया था, ने अपने आप लाइसेन्स वापिस कर दिया है क्योंकि महाराष्ट्र के नगर एवं औद्योगिक विकास निगम ने कारखाने से होने वाले दूषण प्रभावों के कारण प्रस्तावित स्थान के लिये अनुमति नहीं दी थी।

जम्मू में सूरीनसर कुएं में खुदाई से पूर्व प्रारम्भिक सर्वेक्षण एवं व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार करना

4883. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू कश्मीर में सूरीनसर में तेल के निक्षेपों का पता लगाने के लिए कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था और वहां खुदाई करने के पूर्व व्यवहार्यता प्रतिवेदन तैयार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य किसने किया था और इन प्रारम्भिक सर्वेक्षण का निष्कर्ष क्या था ?

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) संरचना के मान-चित्रण के लिये भूगर्भीय और भूकम्पीय सर्वेक्षण तथा संरचना का एक तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया गया है।

(ख) इस कार्य से, जिसे ओ० एन० जी० सी० के कर्मचारियों ने किया था, खुदाई द्वारा जांचने योग्य एक अनुकूल संरचना की विद्यमानता का संकेत मिला है।

राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनें बिछाना

4884. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूंजी पर तुरन्त लाभ की सम्भावना पर गम्भीर विचार किये बिना पिछड़े क्षेत्रों को रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई रेल लाइनें बिछाने का हाल ही में निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के पिछड़े क्षेत्रों में कौन सी नई रेल लाइनें बिछाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख). किसी क्षेत्र के विकास के

लिए अपेक्षित नये रेल सम्पर्कों के निर्माण के लिए उन आधारों पर एक नया दृष्टिकोण अपनाने पर विचार किया जा रहा है जिनका संकेत 20-2-1973 को 1973-74 का बजट प्रस्तुत करते समय रेल मन्त्री के भाषण के पैरा 41 में दिया गया था। इस आधार पर जिन नई लाइनों पर काम शुरू किया जाने वाला है उनका चयन अभी नहीं किया गया है, इस बीच, दिल्ली-अहमदाबाद खण्ड (जिसका कुछ भाग राजस्थान में पड़ता है) को मीटर लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए एक यातायात सर्वेक्षण किया जा रहा है और जैसे ही सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा और सभी पहलुओं से रिपोर्टों की जांच पड़ताल हो जायेगी, उसके बाद कोई विनिश्चय किया जायेगा।

निर्माताओं को वैगन बनाने के लिए दिये गये क्रयादेश

4885. **श्री ई० बी० विखे पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक वैगन निर्माता और रेलवे वर्कशाप को कितने वैगनों के लिए क्रयादेश दिए गए हैं और प्रत्येक निर्माता उन्हें किस दर पर सप्लाई करेगा ;

(ख) रेलवे वैगनों के निर्माण के लिये देशीय इस्पात की उपलब्धि में कितनी कमी है और इस प्रयोजनार्थ कितना इस्पात आयात किया जा रहा है ; और

(ग) पहियों के कितने सेटों का आयात किया जा रहा है और ये दो वस्तुएं किन-किन देशों से और प्रत्येक देश से कितनी-कितनी मात्रा में मंगाई जा रही हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1.2.1973 को गैर-सरकारी क्षेत्र में माल-डिब्बा निर्माण उद्योग के पास चौपहियों के हिसाब से 29,327 माल डिब्बों के लिए आदेश बकाया थे। ठेके की शर्तों के अनुसार उन्हें फरवरी, 1975 तक पूरी सुपुर्दगी कर देनी चाहिए।

जहां तक रेल कारखानों का सम्बन्ध है, 1.2.1973 को 8108 माल डिब्बों (चौपहियों के हिसाब से) के आदेश बकाया थे। सम्भावना है कि ये मार्च, 1975 तक बन कर तैयार हो जायेंगे।

आदेशों का यूनिटवार वितरण संलग्न विवरण में दिया है।

(ख) देशी स्रोतों से इस्पात की उपलब्धता आवश्यकता से लगभग 35% कम है। यह कमी प्रतिवर्ष, लगभग 45,000 मी० टन बैठती है और चरणबद्ध रूप से आयात द्वारा पूरी की जाती है।

(ग) 1.2.1973 को माल डिब्बों के लिए बकाया आदेशों की तुलना में निम्नलिखित मात्रा में इस्पात और पहिया सेट आयात किये गये हैं। उनके आयात का आदेश दे दिया गया है :—

इस्पात	**मात्रा (टनों में)**	**देश**
	12,540	पश्चिम जर्मनी
	10,396	जापान
	1,600	यू० के०
	850	इटली

पहिया सेट :

	मात्रा	देश
	327 अदद	यू० के०
	22,180 अदद	जापान

देशी स्रोतों से इस्पात और पहिया सेटों की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के उद्देश्य से चरणबद्ध रूप में, उनका आगे और आयात किया जायेगा। जिनके आयात की अभी व्यवस्था करनी है, उनकी देशवार मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

विवरण

1.2.1973 को माल डिब्बों के लिए बकाया आदेश इस प्रकार हैं :—

(क) गैर सरकारी क्षेत्र फर्मों के नाम	बकाया माल डिब्बों की संख्या चौपहियों के हिसाब से
1. मैसर्स आर्थर बटलर एण्ड कम्पनी (मोज) लिमिटेड, मुजफ्फरपुर	708
2. मैसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया), लिमिटेड, कलकत्ता	1362
3. मैसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, मोकामा।	1420.5
4. मैसर्स बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा।	2985
5. मैसर्स ब्रैथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	4253.5
6. मैसर्स सैंट्रल इण्डिया मशीनरी मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, भरतपुर	4378
7. मैसर्स हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड नांगलोई, दिल्ली।	1123.5
8. मैसर्स इण्डियन स्टैंडर्ड वैगन कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा।	2452
9. मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता।	1992
10. मैसर्स के० टी० स्टील इंडस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड, बम्बई।	377.5
11. मैसर्स माडर्न इंडस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड साहिबाबाद, गाजियाबाद।	1136.5
12. मैसर्स सदर्न स्ट्रक्चुरल्स लिमिटेड, मद्रास	1813

(क) गैर सरकारी क्षेत्र फर्मों के नाम		बकाया माल डिब्बों की संख्या चौपहियों के हिसाब से
13. मैसर्स टेक्सटाइल्स मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, बल्कारिया।		5325
	जोड़	29326. 5
	अर्थात्	29327

(ख) रेल कारखाने कारखानों के नाम		बकाया माल डिब्बों की संख्या चौपहियों के हिसाब से
1. अमृतसर		3643.5
2. समस्तीपुर		461
3. गोल्डन राक		3950
4. माटुंगा		3
5. आलमबाग		7
6. जोधपुर		44
	जोड़	8108.5
	अर्थात्	8108

बिहार स्थित पतरातू बिजली घर का निर्माण

4886 **श्री ई० वी० विखे पाटिल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पतरातू बिजली घर के निर्माण और उसे चालू करने में विलम्ब हो गया है ;

(ख) क्या एक समिति ने इस बिजली घर के सम्बन्ध में हुई विलम्ब के कारणों पर हाल ही में विचार किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) पतरातू विद्युत केन्द्र जिसमें 110 मैगावाट की दो यूनिटें शामिल हैं और जिनका 1973-74 के दौरान चालू होना अनुसूचित था, अब 1975-76 में चालू होने की सम्भावना है।

(ख) बिहार सरकार द्वारा नियुक्त समिति को निर्दिष्ट में से एक विषय बिहार राज्य

बिजली बोर्ड द्वारा हाथ में ली गई विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में देरी के कारणों की जांच करना है।

(ग) समिति की रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

बिजली की कमी

4887. **श्री राजदेव सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली सम्बन्धी घोटाला दोषपूर्ण आयोजन का परिणाम हैं और 10 लाख किलोवाट प्रतिवर्ष की वर्तमान वृद्धि दर को देखते हुए बिजली की कमी निरन्तर बनी रहेगी ;

(ख) क्या बिजली पैदा करने की अपेक्षा उसके वितरण और पारेषण में लगभग दसगुना धन अपेक्षित होता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अब से सरकार देश की बढ़ती हुई आवश्यकता पूरी करने के लिए अपेक्षित धन खर्च करेगी ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) चौथी योजना के दौरान विद्युत की मांग को समुचित रूप से पूरा करने के लिए चौथी योजना के लिए 25 मिलियन किलोवाट उत्पादन क्षमता के लक्ष्य का समर्थन किया गया था। बहरहाल योजना से 23 मिलियन किलोवाट क्षमता की व्यवस्था थी। इसके कार्यान्वियन में विभिन्न कठिनाइयों के कारण, जैसे कि मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर के निर्माण तथा डिलिवरी में देरी, श्रमिक समस्याओं, आवश्यक सामग्री जैसे स्टील तथा सीमेंट का अभाव तथा सिविल कार्यों में देरी से इसमें भी कमी होने की सम्भावना है। विद्युत की कमी पर काबू पाने के लिए, आगे आने वाले वर्षों में प्रतिष्ठापित क्षमता में उच्चतर दर से वृद्धि करना आयोजित है तथा यह प्रत्याशा है कि पांचवीं योजना के अन्त तक स्थिति फिर सन्तोषजनक हो जाएगी बशर्ते विद्युत क्षेत्र के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।

(ख) पारेषण तथा वितरण पर निवेश सामान्यतः उतना ही होना चाहिए जितना कि विद्युत उत्पादन की स्कीमों पर होता है।

(ग) 1968-69 के अन्त तक पारेषण तथा वितरण पर निवेश केवल 1340 करोड़ रुपये था जबकि इसकी तुलना में विद्युत उत्पादन पर 2240 करोड़ रुपये परिकल्पित था। चौथी योजना के दौरान, उत्पादन स्कीमों के लिए 1250 करोड़ रुपये के मुकाबले पारेषण तथा वितरण सम्बन्धी स्कीमों के लिए 1166.87 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। पांचवीं योजना के दौरान 7600 करोड़ रुपये के निवेश को उत्पादन और पारेषण एवं वितरण के बीच बराबर बांटने का प्रस्ताव है।

भारतीय रेलवे के सिग्नेलिंग व टेलीकम्यूनिकेशन विभाग के रख-रखाव कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण

4888. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेल** मन्त्री भारतीय रेलवे सिग्नेलिंग व टेलीकम्यूनिकेशन विभाग के कर्मचारियों के कार्य-विश्लेषण के बारे में 21 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1062 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों के सिगनल और टेलीकम्युनिकेशन विभागों के रख-रखाव कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए प्रत्येक रेलवे द्वारा क्या मानदण्ड अपनाया जाता है ;

(ख) क्या ये मानदण्ड एफ० ए० आर० सी० ओ० द्वारा विधिवत अनुमोदित है और क्या उन्हें सभी सम्बद्ध अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय रेलों के सिगनल और दूरसंचार विभाग में अनुरक्षण कर्मचारियों की संख्या निश्चित करने के लिए अलग-अलग रेलवे द्वारा अपनाये गये मापदण्ड अनुबन्ध में दिये गये हैं।

(ख) अलग-अलग रेलवे पर जो स्थिति है वह अनुबन्ध में दी गयी है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4622/73**]

(ग) विचाराधीन मापदण्ड केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए हैं। हर मामले में अतिरिक्त पदों के लिए प्रस्तावों पर, सम्बद्ध वित्त विभाग के परामर्श से गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में ये मापदण्ड सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सप्लाई नहीं किये गये हैं।

सिगनल और दूर संचार विभाग के खलासियों और कारीगरों के लिए वर्दियां

4889. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिगनल और दूर संचार विभाग के खलासी तथा अन्य कारीगर अलग-अलग मौसम की वर्दियों के हकदार हैं ;

(ख) क्या सिगनल और दूर संचार विभाग में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए कोई वर्दी सम्बन्धी नियम हैं ;

(ग) क्या कुछ रेलवे जोनों में मितव्ययता का बहाना कर सिगनल और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को वर्दियां नहीं दी गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस भूल को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). विभिन्न रेलों पर प्रचलित वर्दी विनियमों के अनुसार, खलासियों और कारीगरों सहित सिगनल और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों को, जहां कहीं वे उसके हकदार होते हैं, वर्दी सप्लाई की जाती है। वर्दी सप्लाई करने के मामले में एकरूपता नहीं है।

रेल कर्मचारियों की विभिन्न कोटियों को वर्दी सप्लाई करने के पूरे प्रश्न पर एक वर्दी समिति द्वारा समीक्षा की जा रही है और यह विनिश्चय किया गया है कि उस समिति द्वारा सुझायी गयी सिफारिशों में से बहुतों को कार्यान्वित किया जाय।

बिजली पैदा करने की नई तकनीक के लिए विदेशी सहायता

4890. **श्री कुशोक बाकुला :**
श्री एम० एस० संजीवी राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली उत्पादन की लागत कम करने के लिए कोई ऐसी नई तकनीक विकसित करने का प्रस्ताव है जिससे उत्पादन लागत अब से आधी होगी, फोसिल, ईंधन का संरक्षण और वायु दूषण में कमी होगी ;

(ख) क्या इस नए तरीके को अपनाने के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने का विचार है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). विज्ञान तथा शिल्प विज्ञान सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने ईंधन और विद्युत से संबन्धित एक पैनल तथा इस पैनल के अन्तर्गत अनेक विशेषज्ञ दलों का गठन किया है जो ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों, जैसे ज्वारीय, सूर्य, वायु, भू-तापीय, ए० एच० डी० आदि की शक्यता का अध्ययन कर रहे हैं। रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने के बाद तकनीकी एवं आर्थिक अध्ययनों और विदेशी सहयोग, यदि यह आवश्यक हुआ, के बारे में विचार किया जायगा ।

जलपाईगुड़ी-हल्दी बाड़ी बांध (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) का पुनः चालू करना

4891. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को बाढ़ से प्रभावित जलपाईगुड़ी-हल्दी बाड़ी रेलवे लाइन को पुनः चालू करने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है ;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए लागत सम्बन्धी अनुमान लगा लिए हैं और यदि हां, तो इसका पुनः निर्माण करने हेतु वास्तविक कार्य कब तक आरम्भ होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, अभी से यह नहीं बताया जा सकता कि जलपाईगुड़ी-हल्दी बाड़ी लाइन की पुनर्स्थापना का काम कब प्रारम्भ किया जायेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

घोगसाडंगा रेलवे स्टेशन के निकट एक पुलिया का निर्माण

4892. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर सीमान्त रेलवे के घोगसाडंगा रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे लाइनों

के नीचे एक पुलिया का निर्माण करने के लिए लागत का अनुमान लगाने के संबंध में तकनीकी आंकड़े तथा अन्य ब्यौरे प्राप्त कर लिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और कार्य कब आरम्भ होगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). घोगसाडंगा रेलवे स्टेशन के पास लगभग 7.5 लाख रुपये की लागत पर एक पुल बनाने का प्रस्ताव पूर्वोत्तर सीमा रेल प्रशासन से हाल ही में प्राप्त हुआ है। उस प्रस्ताव की जांच पड़ताल की जा रही है। अभी से यह बताना सम्भव नहीं है कि यह काम कब प्रारम्भ किया जायेगा और कब पूरा होगा।

भविष्य निधि अनुभाग, डिवीजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सुपरवाइजरी कर्मचारियों द्वारा गलत मासिक प्रगति रिपोर्ट दिया जाना

4893. **श्री धनशाह प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भविष्य निधि अनुभाग, डिवीजनल लेखा कार्यालय, नई दिल्ली (उत्तर रेलवे) के सुपरवाइजरी कर्मचारियों द्वारा वर्ष 1965-70 में गलत मासिक प्रगति रिपोर्ट दिये जाने का रेलवे प्रशासन को हाल ही में पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू हो चुकी है।

औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के 'बल्क' औषधियों सम्बन्धी प्रतिवेदन पर निर्णय

4894. **श्री के० एस० चावड़ा :**
श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके पूर्ववर्ती मंत्री श्री गोखले ने दिसम्बर, 1972 के प्रथम सप्ताह में बम्बई में औषध उद्योगों के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि सरकार औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के 'बल्क' औषध मूल्यों के सम्बन्धी प्रतिवेदन पर दो महीने के भीतर निर्णय कर लेगी ;

(ख) यदि हां, तो सरकार के उपरोक्त निर्णयों की कब तक घोषणा की जायेगी ; और

(ग) क्या निहित स्वार्थ प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाही में विलम्ब करने के लिए दबाव डाल रहे हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जनवरी, 1973 के पहले सप्ताह में ड्रग्ज एण्ड फार्मास्युटिकल्स उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधियों के साथ बम्बई में

हुई बैठक में उद्योग के सदस्यों ने औषधियों के मूल्यों पर औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में चिन्ता व्यक्त की । भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने बताया कि वांचू समिति की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं और यदि उक्त उद्योग (के सदस्य) उपयुक्त सम्बन्ध में कोई विचार एवं सुझाव प्रस्तुत करना चाहें, तो उन पर, अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व, विचार किया जायेगा ।

(ख) रिपोर्ट पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है ।

(ग) औषधि व्यापार के कुछ प्रतिनिधियों ने निवेदन किया है कि सरकार को रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व उन से परामर्श करना चाहिए ।

लोको संगचल कर्मचारियों को पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक के साथ दिसम्बर, 1972 में आबू रोड में हुई बैठक

4895. **श्री धर्मगज सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आबू रोड के लोको संगचल कर्मचारी अपनी समस्याओं के बारे में पश्चिम रेलवे के महाप्रबन्धक से 8 दिसम्बर, 1972 को आबू रोड में मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या समस्यायें थीं और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सरकार का विचार इन मामलों को कब तक अन्तिम रूप देने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की जनवरी, 1973 में बर्दवान में हुई वार्षिक बैठक में हड़ताल करने की धमकी

4896. **श्री धर्मगज सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की आम सभा की बैठक 20 और 21 जनवरी, 1973 को बर्दवान में हुई थी जिसमें यह निर्णय किया गया था कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे हड़ताल करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो लोको रनिंग स्टाफ की मांगें क्या थीं और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे लोको रनिंग स्टाफ की हड़ताल न हो ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). जनवरी, 1973 में एसोसिएशन द्वारा बर्दवान में आयोजित अपने वार्षिक

सम्मेलन में पारित 31 मांगों की सूची अनुबन्ध 'क' में दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4623/73]** इससे पहले, इस एसोसिएशन द्वारा की गयी मांगों की संख्या 10 थी जैसाकि 19-12-1972 को सभा-पटल पर रखे गये अतारांकित प्रश्न 4891 के उत्तर में बताया गया है। (प्रति अनुबन्ध 'ख' पर)। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4623/73]** कर्मचारियों, जिनमें लोको रनिंग कर्मचारी भी शामिल हैं, की शिकायतों पर इस प्रयोजन के लिये बनाये गये स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त वार्ता तंत्र के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। उचित मांगों को शीघ्र पूरा करने के लिये पूरा प्रयास किया जाता है।

भारतीय रेलों में टाइपिस्टों के कर्तव्य

4897. **श्री धर्मगज सिंह :** क्या रेल मन्त्री भारतीय रेलवे में टाइपिस्टों के कर्तव्य के बारे में 28 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2027 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों और क्षेत्रीय मुख्यालयों ने अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों को टाइपिस्टों के कर्तव्य परिचालित किये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार उपरोक्त कर्तव्य सूचियां कब तक परिचालित करेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री(श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख). रेलवे बोर्ड ने क्षेत्रीय रेलों को टाइपिस्टों के काम की सूची परिपत्रित नहीं की है। लेकिन, क्षेत्रीय रेलों ने टाइपिस्टों के काम की सूची स्थानीय रूप से तैयार करके अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजी है।

(ग) चूंकि क्षेत्रीय ऐसे काम की सूची तैयार करने के लिए स्वयं सक्षम है, अतः प्रश्न नहीं उठता।

कोटा डिवीजन (पश्चिम रेलवे) के हैड टाइपिस्टों को सुपरवाइजरी स्टाफ मानना

4898. **श्री धर्मगज सिंह :** क्या रेल मंत्री पश्चिम रेलवे के कोटा डिवीजन में हैड टाइपिस्ट की नवीनतम कर्तव्य सूची लागू करने के बारे में 12 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4043 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने हाल ही में पर्यवेक्षी कर्मचारियों की एक सूची जारी की है जिसमें भारतीय रेलवे में काम करने वाले हैड टाइपिस्टों को "पर्यवेक्षी कर्मचारी" माना गया है ;

(ख) क्या कोटा डिवीजन में काम करने वाले हैड टाइपिस्टों को 'पर्यवेक्षी कर्मचारी' नहीं समझा जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं । उन्हें पर्यवेक्षक कर्मचारी समझा जाता है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अहमदाबाद स्टेशन पर माल बुक करने सम्बन्धी पार्सल कार्यालय में अनियमित कार्य

4899. **श्री धर्मगज सिंह :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या रेल मन्त्री अहमदाबाद स्टेशन पर शीघ्र नष्ट हो जाने वाले प्रेषित माल की बुकिंग के बारे में 12 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4105 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रेलवे कमर्शियल क्लर्क्स एसोसिएशन ने दिसम्बर, 1972 में अहमदाबाद पार्सल कार्यालय में अनियमित कार्य किये जाने के बारे में जनरल मैनेजर, पश्चिम रेलवे, बम्बई को नोटिस जारी किया था ;

(ख) यदि हां, तो नोटिस का सारांश क्या है ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) नोटिस का सार यह है कि अहमदाबाद स्टेशन पर पार्सल के काम को करने के लिए कर्मचारियों और मजदूरों की संख्या अपर्याप्त है जिसके फलस्वरूप पार्सलों को सम्हालने में कुछ अनियमिततायें होती हैं । जिनके लिए कर्मचारियों के विरुद्ध अनावश्यक रूप से कार्रवाई की जाती है ।

(ग) नोटिस में उठायी गयी बातों की जांच की गयी है और यह पाया गया कि अहमदाबाद स्टेशन पर यातायात की सामान्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पार्सल क्लर्कों की संख्या पर्याप्त है । स्थानीय प्राधिकारियों को वाणिज्यिक कार्य में अनियमितताओं के बारे में ऐसे किसी भी विशिष्ट मामले के सम्बन्ध में अभ्यावेदन नहीं किया गया है जिसका कारण कर्मचारियों या मजदूरों की अपर्याप्त संख्या हो । कर्मचारियों द्वारा की गयी अनियमितताओं के मामलों में उन्हें अपने बारे में सफाई देने का पूरा अवसर दिया जाता है और वर्तमान अनुशासनिक प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही प्रत्येक मामले में गुण-दोष के आधार पर कार्रवाई की जाती है ।

पांचवीं योजना में सम्मिलित करने के लिए विचाराधीन पड़ी उड़ीसा की मुख्य सिंचाई परियोजनाएं

4900. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में समस्त सिंचित भूमि की तुलना में उड़ीसा की सिंचित भूमि की प्रतिशतता क्या है ; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए सरकार के पास विचाराधीन पड़ी उड़ीसा की मुख्य सिंचाई परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) चौथी योजना के अन्त तक, देश में सिंचाई शक्यता फसली क्षेत्र के लगभग 26% हो जाने की सम्भावना है। उड़ीसा में यह लगभग 28% हो जाएगी।

(ख) उड़ीसा सरकार ने अभी पांचवीं योजना के कार्यक्रम नहीं भेजे हैं। राज्य द्वारा प्रस्तावित नई वृहत् सिंचाई स्कीमें ये हैं : गोदावरी बेसिन में अपर कोलाव परियोजना (लागत 55.24 करोड़ रुपये ; सिंचाई 84,000 हैक्टेयर) तथा महानदी बेसिन में बांध परियोजना (लागत 12.91 करोड़ रुपये ; सिंचाई 39,000 हैक्टेयर)। बांध परियोजना संबंधी टिप्पणियों का उत्तर अभी राज्य सरकार से प्रतीक्षित है। अपर कोलाव परियोजना पर गोदावरी न्यायाधिकरण के पंचाट को प्राप्त होने के बाद विचार किया जा सकता है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मैसूर की पन-बिजली परियोजनाएं

4901. **श्री के० मालन्ना** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने कुछ मुख्य पन-बिजली परियोजनाओं को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनमें उत्पादन कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). पांचवीं योजना में शामिल करने के लिए मैसूर सरकार द्वारा सुझाई गई वृहत् जल-विद्युत् परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	चालू होने की संभावित तिथि
1.	कालीनदी जल-विद्युत् परियोजना, चरण-एक	2 × 135	1976 के अंत तक
2.	कालीनदी जल-विद्युत् परियोजना, चरण-दो	4 × 135 + 2 × 50	1979 के अंत तक
3.	लिंगनमक्की बांध विद्युत् गृह	2 × 27.5	1977-78
4.	वराही जल-विद्युत् परियोजना	2 × 130	कार्यों के चालू होने की तिथि से 8 वर्ष बाद।
5.	बेदथी जल-विद्युत् परियोजना	2 × 110	कार्यों के चालू होने की तिथि से 10 वर्ष बाद।

भारतीय तेल निगम की एजेंसियां हरिजनों को देना

4902. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 में, राज्यवार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को भारतीय तेल निगम की कितनी एजेंसियां दी गई हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में बिजली की खपत

4903. **श्री कुशोक बाकुला** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है और इस समय उस खपत की राष्ट्रीय औसत क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : वर्ष 1971-72 के लिए विभिन्न राज्यों और समस्त देश में बिजली की प्रति-व्यक्ति खपत संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बिजली की प्रति व्यक्ति खपत

किलोवाट वर्ष में खपत

राज्य	**1971-72**
आंध्र प्रदेश	58
असम	23*
बिहार	67
गुजरात	143
हरियाणा	114
हिमाचल प्रदेश	46
जम्मू और काश्मीर	40*
केरल	74
मध्य प्रदेश	58
महाराष्ट्र	171
मणिपुर	5*
मैसूर	117

* अनुमानित

राज्य	किलोवाट वर्ष में खपत 1971-72
उड़ीसा	97
पंजाब	168
राजस्थान	55
तमिलनाडु	138
उत्तर प्रदेश	60*
पश्चिम बंगाल	119
संघ राज्य क्षेत्र	
(क) दिल्ली	288
(ख) चंडीगढ़	277
(ग) पांडिचेरी	182
अखिल भारतीय	94

ट्राम्बे स्थित एस्सो के तेल शोधक कारखाने में अग्निकांड

4904. **श्री भालजी भाई परमार :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1973 के महीने में ट्राम्बे में एस्सो तेल शोधक कारखाने में आग लग गई थी ; और

(ख) आग लगने के कारण क्या थे और इसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रारम्भिक सूचना यह है कि पाइपिंग पर एक रपचर के कारण तथा एक नेफ्था टैंक से पम्पिंग करते समय एक लघु परिपथन (शार्ट सर्किट) से आग लगी है। आग के कारणों की जांच के लिए एस्सो कम्पनी ने एक विशेष समिति का गठन किया है। तीन इण्टरमीडिएट नेफ्था टैंक बिल्कुल नष्ट हो गये थे और कुल उत्पाद की हानि 800 मीटरी टन इण्टरमीडियेट नेफ्था थी। लगभग एक लाख रुपये की हानि का अनुमान है।

Facilities of Railway Line and Booking Office/Agency in District of Bihar

4906. **Shri Jagdish Narain Mandal :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the name of the District in Bihar where there is neither a Railway line for a

*अनुमानित

Railway booking office nor any facility of a Railway agency ; and

(b) the time by which these facilities would be provided in that District ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) There do not appear to be any Districts in Bihar which are not served by a railway line or a booking office or an agency.

(b) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में टकापुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन का निर्माण

4907. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में टकापुर से बागेश्वर तक रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना में विभिन्न श्रेणियों में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग कितने स्थानीय व्यक्ति काम कर रहे हैं ; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) इस लाइन का निर्माण-कार्य शुरू नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में मनेरी, टेहरी और पाछ्वर बांधों का निर्माण कार्य पूरा करना

4908. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरकाशी, टेहरी-गढ़वाल और पिथौरागढ़ जिलों में क्रमशः मनेरी, टेहरी, और पाछेवर बांधों के निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इन बांधों की सिंचाई और विद्युत् क्षमता कितनी होगी, इन बांधों से किन-किन क्षेत्रों की सिंचाई की जाएगी और किन क्षेत्रों को बिजली उपलब्ध की जायेगी ; और

(ग) निर्माण कार्यों और रोजगार उपलब्ध करने पर कितनी धन-राशि खर्च करने का विचार है और इन कार्यों का काम पूरा करने का निर्धारित कार्यक्रम क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) मनेरी परियोजना चरण-एक के सम्बन्ध में प्राथमिक कार्य पहले ही पूर्ण हो गया है और मुख्य कार्य 15.1.73 से शुरू कर दिया गया है । जहां तक टिहरी परियोजना का सम्बन्ध है सरकारी भूमि पर पहुंच सड़क आदि जैसे प्राथमिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं । निजी भूमि अधिग्रहण करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है । पंचेश्वर बांध परियोजना को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है । चूंकि परियोजना भारत और नेपाल सीमा पर स्थित है, इस परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए भारत और नेपाल के बीच एक करार करना है ।

(ख) मनेरी परियोजना चरण-एक और टिहरी परियोजना की विद्युत् शक्यता 93 मैगावाट और 600 मैगावाट है। पंचेश्वर में विद्युत केन्द्र की, भविष्य में 4 और अतिरिक्त यूनिटों के प्रावधान के साथ, आरम्भ में 1000 मैगावाट (4×250 मैगावाट) की प्रतिष्ठापित क्षमता होगी। उत्पादित विद्युत् को उत्तरी ग्रिड को दिया जाएगा।

टिहरी बांध से 2.7 लाख हेक्टेयर के नए क्षेत्रों को लाभ होगा और लगभग 13 लाख हेक्टेयर की सिंचाई में तेजी लाई जाएगी।

(ग) मनेरी भाली चरण-एक, टिहरी पंचेश्वर परियोजनाओं की लागत क्रमशः 30 करोड़, 197.92 करोड़ और 310 करोड़ है। मनेरी चरण-एक के लिए रोजगार शक्यता 2000 है जबकि टिहरी के लिए यह 11000 है। मनेरी चरण-एक को 1977-78 में और टिहरी को छठी योजना में चालू करने की आशा है।

टेहरी बांध के निष्क्रान्त व्यक्तियों को पुनः बसाया जाना

4909. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेहरी बांध क्षेत्र के निष्क्रांत व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई है ;

(ख) बांध के कारण विस्थापित हुए परिवारों और कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी ; उन्हें कहां पर बसाया जायेगा, उन्हें किस दर से मुआवजा दिया जायेगा तथा इन निष्क्रांत व्यक्तियों को अन्य क्या सुविधायें दी जायेंगी ; और

(ग) क्या स्थानीय लोगों की निपट गरीबी की हालत को देखते हुए उनको उदारतापूर्वक सहायता देने का सरकार का विचार है और क्या इस संबंध में अब तक कोई प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां। टिहरी बांध क्षेत्र के विस्थापितों के पुनर्वास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति, जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे, का गठन किया है, जो कि स्थल पर पहुंच कर अध्ययन करेगी।

(ख) बांध के कारण विस्थापित होने वाले लोगों की कुल संख्या 28,378 है जिसमें आंशिक रूप से जलमग्न होने वाले गांवों से संबंधित 16000 लोग भी शामिल हैं। जहां पर ये लोग बसाए जाएंगे वे देहरादून, ऋषिकेश—ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग के समीप हैं। जलाशय के स्तर से ऊपर पहाड़ों पर और अतिरिक्त भूमि की उपयुक्तता के लिए उच्च स्तरीय अंतः विभागीय समिति द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। जिस दर से मुआवजा दिया जाएगा तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी उनका अध्ययन मुख्य सचिव द्वारा किया जा रहा है।

(ग) उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जनता के प्रतिनिधियों को पहले ही आश्वासन दिया है कि पुनर्वास अनुदानों पर उदारतापूर्वक विचार किया जाएगा।

कटिहार जिले (पूर्वोत्तर रेलवे) में पात्र कर्मचारियों की गार्ड के पद पर पदोन्नति

4910. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर के जनरल मैनेजर ने डिवीजनल सुपरिन्टेंडेंट समस्तीपुर के

4 मार्च, 1972 के पत्र संख्या ई/283/आई०डी०/2/72, के उत्तर में अपने 27 अप्रैल, 1972 और 8 मई 1972, के पत्र संख्या ई/283/4/टी०एन०सी० (6) में आदेश दिया था कि कटिहार जिले के गार्डों के रिक्त पदों पर पात्र कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न पात्र कोटियों में से कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले गार्डों के रिक्त पदों की संख्या का हिसाब लगाया जा रहा है ।

पूर्व क्षेत्र में उत्पादित कोयले की ढुलाई के बारे में प्रस्ताव

4911. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने पांचवीं योजनावधि के दौरान पूर्व क्षेत्र से 165 मिलियन टन तक कोयले की ढुलाई की योजना का प्रस्ताव बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त सुविधायें दी जायेंगी और उन पर कितनी लागत आयेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). इस्पात और खान मंत्रालय के अनुमान के अनुसार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश में कोयले के उत्पादन का अनन्तिम लक्ष्य लगभग 1440 लाख मीटरिक टन होने की सम्भावना है । यह उत्पादन केवल बंगाल और बिहार कोयला क्षेत्रों से ही नहीं होगा बल्कि सिंगरेनी, मध्य भारत, सिंगरौली पेंच और चांदा के बाहरी कोयला क्षेत्रों से भी होगा ।

योजना के अन्त तक सभी कोयला क्षेत्रों से लगभग 1250 लाख मीटरिक टन के लिए रेल परिवहन की आवश्यकता बतायी गयी है । रेलों का विकास कार्यक्रम दिशा/ गन्तव्य स्थल के अनुसार वितरण पर निर्भर करता है जो कि अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है । तथापि, क्षेत्र-वार और दिशा-वार कोयले की ढुलाई का अध्ययन करने और इसकी ढुलाई के लिए रेलों पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था के उपाय सुझाने के लिए दो अध्ययन दलों की स्थापना की गयी है ।

इन अध्ययन दलों की रिपोर्टें मिल जाने और उनकी जांच पड़ताल हो जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी ।

रेलवे दुर्घटनाओं में वृद्धि

4912. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छः मास में रेलवे दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई ; है

(ख) यदि हां, तो किस क्षेत्रीय रेलवे में सर्वाधिक दुर्घटनायें हुई हैं ; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) भारतीय सरकारी रेलों में अगस्त, 1972 से जनवरी, 1973 तक की अवधि में टक्कर होने, पटरी से उतर जाने, समपार पर दुर्घटनाएं होने और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 416 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन्हीं कोटियों की 444 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई थीं । इन आंकड़ों से दुर्घटनाओं में हटता रुख प्रतीत होता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) चूंकि दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा अकेला कारण रेल कर्मचारियों की गलती है, इसलिए रेलों पर स्थापित संरक्षा संगठन गाड़ी चालन से सम्बन्धित कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने और यह सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं कि उन्हें निर्धारित संरक्षा-नियमों की ठीक-ठीक जानकारी है । यह देखने के लिए मौके पर जांच की जाती है कि कर्मचारी संरक्षा नियमों का उल्लंघन न करें और सुगम तरीके न अपनाएं । सभी दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और उत्तरदायी पाये जाने वालों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है । इस प्रकार की जांच के दौरान यदि किसी अन्य कमी या चूक का पता चलता है, तो कार्रवाई की जाती है जिससे ऐसी घटनाएं फिर न घटें ! संरक्षा में सुधार करने की दृष्टि से परिष्कृत सिगनल और अन्तर्पाश, रेल पथ परिपथन के रूप में यथासम्भव तकनीकी सुधार भी किये गये हैं ।

गन्डक परियोजना संबंधी भारत-नेपाल करार

4913. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्डक परियोजना के विस्तार के लिए भारत-नेपाल के मध्य कोई करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इससे दोनों देशों को क्या लाभ होगा ; और

(ग) क्या इस करार के फलस्वरूप दोनों देशों में सिंचाई को नहरों का निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) अक्तूबर, 1971 में नेपाल सरकार और भारत सरकार के सिंचाई और विद्युत् शिष्टमण्डलों के बीच यह तय हुआ था कि गन्डक परियोजना की नेपाल पश्चिमी नहर के यथेष्ट क्षमता वाले शीर्ष नियामक के निर्माण को तत्काल प्रारम्भ किया जाए जिससे विशाल क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और मुख्य नहर का अभिकल्पन 40,000 एकड़ के प्राथमिक ब्लाक के लिए किया जाए जिससे अधिक सिंचाई की व्यवस्था हो सके । प्रस्ताव की जांच अधिक से अधिक जून, 1973 तक पूर्ण की जानी है ।

(ख) नेपाल में आवर्धित सिंचाई व्यवस्था के अलावा उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को भी लाभ पहुंचेगा ।

(ग) बिहार सरकार से नेपाल पश्चिमी नहर के शीर्ष नियामक के निर्माण को प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है जिससे 2500 क्यूसेक्स का निस्सार अभिकल्पित है । इसमें नेपाल में सिंचाई के विस्तार संबंधी नेपाल सरकार की आवश्यकताएं शामिल हैं जिसे बाद में शुरू करने के बारे में निर्णय किया जाएगा ।

भूतपूर्व बी० एन० रेलवे के कर्मचारियों द्वारा अभ्यावेदन

4914. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व बी० एन० रेलवे के स्टेशन एक्जीक्यूटिव आफिसर द्वारा भर्ती किये गये पूर्वकालिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी हां, 25-2-1942 को नियुक्त स्टेशन समिति के एक कर्मचारी से अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वह उन कर्मचारियों में से नहीं था जो 12-4-40 से पहले से राज्य रेलवे भविष्य निधि में अंशदान कर रहे थे और इसलिए जिन्हें राज्य रेलवे भविष्य निधि में अंशदान करते रहने की अनुमति दी गयी थी। 1-4-1950 के बाद से ही उसकी सेवा को सेवानिवृत्ति लाभ के लिए गिने जाने की अनुमति दी जा सकी क्योंकि स्टेशन समितियों के कर्मचारी केवल इसी तारीख से रेल कर्मचारी माने गये थे।

स्टेशन मास्टरों को वर्दी सप्लाई करना

4915. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को पैंटों सहित पूरी वर्दी सप्लाई की जाती है और कुछ अन्य को पैंट सप्लाई नहीं की जाती ;

(ख) क्या अन्य श्रेणियों के सभी कर्मचारियों को एक ही प्रकार की वर्दी सप्लाई की जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो स्टेशन मास्टरों की श्रेणी के कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का भेदभाव किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग). क्षेत्रीय रेलों पर लागू वर्दी विनियमों के अनुसार विभिन्न कोटियों के रेल कर्मचारियों को वर्दियां दी जा रही हैं। इसलिए स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों सहित विभिन्न कोटियों के रेल कर्मचारियों को वर्दी की सप्लाई के मामले में एकरूपता नहीं है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को बिजली की कटौती में छूट

4916. **श्री गधाधर साहा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दामोदर घाटी निगम द्वारा पश्चिम बंगाल को बिजली में 20 प्रतिशत कटौती की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को इस कटौती से पूर्णतः छूट दी गई है जबकि पश्चिम बंगाल के अर्थ सभी उद्योगों पर यह कटौती लागू हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) दामोदर घाटी निगम ने पश्चिम बंगाल और बिहार में सब उपभोक्ताओं के पीक लोड पर 1 जनवरी, 1973 से 20 प्रतिशत की एक समान रोक लगा दी है।

(ख) और (ग). टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को इन प्रतिबंधों से पूर्णतया छूट नहीं दी गई है। ऐसी व्यवस्था की गई है कि जब भी बिहार राज्य बिजली बोर्ड दामोदर घाटी निगम के लोड के कुछ भाग को लेने में समर्थ हो जाता है, तब इस प्रकार मिली राहत आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दे दी जाए।

चौथी पंचवर्षीय योजना में भारतीय रेलवे के उपकरणों का आधुनिकीकरण

4917. **श्री डी० के० पंडा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की योजनाओं के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना में कुल कितने परिव्यय की व्यवस्था की गई है ;

(ख) रेलवे प्रणाली का आधुनिकीकरण करने पर अब तक कुल कितनी धन राशि व्यय की जा चुकी है ;

(ग) चौथी योजना के दौरान इस सम्बन्ध में कौन-कौन सी योजनाएं आरम्भ की गई हैं ; और

(घ) उनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ). भारतीय रेलों का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और रेलों की पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य रेल प्रणाली को उत्तरोत्तर आधुनिक बनाना है जिसमें कर्षण का डीजलीकरण और विद्युतीकरण, योजनाबद्ध आधार पर आमान परिवर्तन करना सिगनल और संचार का जाल बिछाना और सुधरे हुए किस्म के माल डिब्बों और सवारी डिब्बों आदि का उपयोग शामिल है।

चौथी पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण के लिए अलग से खर्च की व्यवस्था नहीं की गयी थी। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न योजना शीर्षकों के अन्तर्गत जिसमें आधुनिकीकरण योजनाएं भी शामिल हैं, कुल मिलाकर 1400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी। 1971-72 तक कुल मिलाकर 752.8 करोड़ रुपये की रकम खर्च की गयी है।

पूना-मिरज-कोल्हापुर खण्ड (326 कि०मी०) में आमान परिवर्तन का काम पूरा किया जा चुका है और 4 खण्डों पर कुल मिलाकर 1630 कि० मी० में आमान परिवर्तन का काम चल रहा है। 680 मार्ग किलोमीटर में बिजलीकरण किया जा चुका है और 5 खण्डों पर कुल मिलाकर लगभग 1680 कि०मी० में यह काम जारी है। 1971-72 तक 4250 कि०मी० में माइक्रोवेव सम्पर्क की व्यवस्था पूरी कर दी गयी है। इसके अलावा, लगभग 400 स्टेशनों पर रन थ्रू लाइनों का रेल पथ परिपथन किया गया है और सिगनल सम्बन्धी अन्य सुधार किये गये हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में यात्री सुविधाओं के लिए परिव्यय की व्यवस्था

4918. **श्री डी० के० पंडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में रेलवे में यात्री सुविधाओं के लिए कुल कितने परिव्यय की व्यवस्था की गई है ;

(ख) चौथी योजना में अब तक यात्री सुविधाओं पर कुल कितनी धन राशि व्यय की जा चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 20 करोड़ रुपये ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 12.06 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं । आशा है कि योजना के अन्तिम दो वर्षों में 7.87 करोड़ रुपये और खर्च होंगे और इस प्रकार कुल खर्च 19.93 करोड़ रुपये हो जायेगा ।

(ग) चौथी योजनावधि के दौरान जिन सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है/व्यवस्था करने का प्रस्ताव है, वे अनुबन्ध में दी गयी हैं । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4624/73]**

वैगनों की वार्षिक आवश्यकता और वैगन निर्माण के लिए नये कारखानों की स्थापना

4919. **श्री डी० के० पंडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे में वैगनों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) इस समय वैगन बनाने वाले सरकारी क्षेत्र के कारखानों से इस आवश्यकता का कितना भाग पूरा किया जाना है ;

(ग) क्या वैगन बनाने वाले नए कारखाने स्थापित करने की रेलवे की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) माल डिब्बों की आवश्यकता पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रत्याशित यातायात की वृद्धि के आधार पर पूरी योजना अवधि के लिए निर्धारित की जाती है । चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए, योजना के अन्त में 24.05 करोड़ मीटरिक टन के प्रत्याशित यातायात के आधार पर, परिवर्धन और बदलाव दोनों लेखों में माल डिब्बों की आवश्यकता का अनुमान, चौपहिये डिब्बों के हिसाब से, 68,776 माल डिब्बे लगाया गया था । इसके अनुसार चौथी योजना के दौरान लगभग 13750 माल डिब्बों की औसत वार्षिक आवश्यकता होगी ।

(ख) रेल कारखानों में 1969-70 से 1971-72 तक के वर्षों में चौपहिये के हिसाब से माल डिब्बों का वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

1969-70	2917
1970-71	2160.5
1971-72	1989

सरकारी क्षेत्र में कोई अन्य माल डिब्बा निर्माता नहीं है ।

(ग) कोई नया माल डिब्बा कारखाना स्थापित करने की रेलवे की कोई योजना नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

उकई बांध की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए गुजरात को सहायता

4920. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में उकई बांध की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार से 2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग की है ;

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उपरोक्त सहायता कब तक दे दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि मंत्रालय ने पहले ही 1.25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी है । इसी कार्यक्रम के अंतर्गत उस मंत्रालय द्वारा 25 लाख रुपये की एक अन्य राशि अवमुक्त की जा रही है ।

बड़ौदा रेलवे कर्मचारी कालेज में रेलवे कर्मचारियों का प्रशिक्षण

4921. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा रेलवे कर्मचारी कालेज में अभी तक 8,000 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे कर्मचारियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ग) इससे रेलवे की कार्य कुशलता को बढ़ाने में किस सीमा तक सहायता मिली है ; और

(घ) क्या कालेज की क्षमता को बढ़ाने के लिए योजना बनाई जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 1952 में रेलवे स्टाफ कालेज के प्रारम्भ से अब तक 8000 से अधिक रेल अधिकारी प्रशिक्षित किये गये हैं ।

(ख) प्रशिक्षण में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती किये गये परिवीक्षाधीन अधिकारियों को बुनियादी ज्ञान और निपुणता प्रदान करने के लिए सामान्य पाठ्यक्रम, पर्यवेक्षणस्तर से पदोन्नत अधिकारियों के लिए पुनरनुस्थापन पाठ्यक्रम और मध्यम तथा वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के ज्ञान को अद्यतन करने के लिए पुनश्चर्या और विशेष पाठ्यक्रम तथा गोष्ठियां शामिल हैं ।

(ग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों से रेतों के लिए अद्यतन व्यावसायिक ज्ञान और प्रबन्धकीय कौशल रखने वाले अधिकारियों के एक समूह की व्यवस्था हो जाती है ।

(घ) कालेज में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की निरन्तर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है, आधुनिक तकनीक में हो रहे दिन-प्रतिदिन के परिवर्तनों और विकास से परिचित कराने के लिए नये पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाते हैं ।

तमिलनाडू में विल्लूपुरम के निकट हाल ही में आई बाढ़ से रेलवे सम्पत्ति को क्षति

4922. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे पर तमिलनाडु में बिल्लूपुरम के निकट तथा अन्य क्षेत्रों में हाल ही में आई भयानक बाढ़ से नष्ट हुई अथवा क्षतिग्रस्त हुई रेलवे लाइनों, रेल मार्गों तथा अन्य रेलवे सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) भयानक बाढ़ के कारण इस प्रकार अस्तव्यस्त हुई सेवाओं को फिर से चालू करने के लिए रेलवे के इंजीनियरी और ओपेरेटिंग कर्मचारियों ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई उचित सुरक्षात्मक उपाय किये गए हैं, जिनसे बाढ़ के कारण इस प्रकार की क्षति पुनः न हो, तो वे क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-4625/73]**

(ख) रेल गाड़ी सेवाओं को नियमित करने तथा गाड़ियों को फिर चलाने के उद्देश्य से टूट-फूट की मरम्मत के लिए सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई तुरन्त की गयी थी ।

(ग) कटाव/क्षति का कारण निश्चित करने तथा बाढ़ के कारण इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस सम्बन्ध में स्थायी उपचारात्मक उपायों का पता लगाने के लिए बाकायदा जांच-पड़ताल की जा रही है ।

रेलवे द्वारा वैगनों की मांग

4923. **श्री पी० गंगा देव** :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैगनों की वर्तमान संख्या में और वृद्धि करने के लिए रेलवे ने 15,000 वैगनों के क्रयादेश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये वैगन चौथी योजना में निर्माताओं द्वारा रेलवे को सप्लाई किए जाने वाले वैगनों के अतिरिक्त हैं ; और

(ग) रेलवे ने चौथी योजना में कुल कितने वैगनों की सप्लाई के लिए क्रयादेश दिए हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जी हां। चौथी योजना की आवश्यकताओं के अतिरिक्त पांचवीं योजना की आवश्यकताओं के लिए 15,000 माल डिब्बों के लिए अग्रिम आर्डर अभी हाल में दिये गये हैं।

(ग) चौथी योजना में अब तक चौपहिये माल डिब्बों के हिसाब से 64,973 डिब्बों के आर्डर दिये गये हैं जिनमें उपर्युक्त 15,000 माल डिब्बे भी शामिल हैं।

कृषि तथा प्राथमिकता उद्योगों को बिजली की सप्लाई

4924. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों से प्राथमिकता उद्योगों को बिजली की सप्लाई करने को कहा गया है ;

(ख) क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों से कृषि और प्राथमिकता उद्योगों को बिजली वितरित करने के संबंध में किसी प्रकार का कार्यक्रम बनाने को कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा किए गये मार्ग निर्देशन के ऊपर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया रही ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). विद्युत की कमी के दौरान राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक सेवाओं, रक्षा प्रतिष्ठानों, कृषि भारों तथा अन्य उद्योगों, जो कि महत्वपूर्ण सामान जैसे कोयला, इस्पात, सीमेन्ट, खाद का उत्पादन करते हैं, और रेलों को विद्युत सप्लाई करने में प्राथमिकता दें।

(ग) जैसा कि सुझाव दिया गया था राज्य सरकारों ने आमतौर से प्राथमिकता देने के लिए कदम उठाए हैं।

रेलवे सुरक्षा और निगहबानी सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति का प्रतिवेदन

4925. **श्री पी० गंगा देव :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा और निगहबानी सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें पेश कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सिफारिशों का सार क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट की प्रतिलिपियां संसद् के पुस्तकालय को पहले ही भेजी जा चुकी हैं। फिर भी, उसकी सिफारिशों का सारांश संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4626/73**]

भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए पदोन्नति के अवसर

4926. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय रेलों में स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को पदोन्नति के अवसर अलग से उपलब्ध हैं जो कि प्रत्येक जोन में भिन्न-भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार, स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों को कौन से अवसर उपलब्ध हैं;

(ग) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे के सी० पी० ओ० ने 7 जुलाई, 1970 को परिचालन कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसरों में संशोधन करने का सुझाव दिया है और उसे मान्यताप्राप्त संघों को भेज दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन क्या हैं और उसे लागू न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना 'ए' से 'आई' तक के अनुबन्धों के (अंग्रेजी में) विवरणों में दी गयी है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-4627/73**]

(ग) जी हां।

(घ) मुख्य कार्मिक अधिकारी के 7 जुलाई, 1970 के पत्र की प्रतिलिपि अनुबन्ध 'जे' पर है। यूनियनों से उत्तर न मिलने के कारण प्रस्तावित आशोधन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

रेलवे में एवजी सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए विश्राम कक्ष

4927. **श्री अजीत कुमार साहा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चल और जांच कर्मचारियों को स्टेशनों पर विश्राम कक्ष उपलब्ध हैं जबकि एवजी (रिलीविंग) सहायक स्टेशन मास्टरों के लिये विश्राम कक्ष उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). जंक्शन और टर्मिनल स्टेशनों पर रनिंग कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए रनिंग कमरों की व्यवस्था की जाती है।

भारग्राही सहायक स्टेशन मास्टरों को आमतौर पर अपने मुख्यालय की थोड़ी-सी परिधि में स्थित स्टेशनों पर काम करना होता है। भारग्राही ड्यूटी के बाद वे विश्राम के लिए मुख्यालय लौट सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेशनों पर भारग्राही सहायक स्टेशन मास्टरों सहित भारग्राही कर्मचारियों के इस्तेमाल के लिए आराम कमरों की व्यवस्था की गयी है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री हरी सिंह (खुर्जा) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुआ सड़ा दुग्ध चूर्ण और घी गरीबों को बेचे जाने का समाचार"।

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (प्रो० शेर सिंह) : हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित उन समाचारों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है जिनमें इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुआ सड़ा दुग्ध चूर्ण और घी सरकार की अनुमति से गरीब लोगों को बेचा गया है।

सरकार विश्व खाद्य कार्यक्रम से उपहार के रूप में प्राप्त होने वाले 1,26,000 मीटरी टन स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण और 42,000 मीटरी टन बटर आयल को बिक्री से प्राप्त होने वाली लगभग 95.40 करोड़ रुपये की राशि से "आपरेशन फ्लड" नामक दुग्ध विपणन तथा डेरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक परियोजना क्रियान्वित कर रही है । सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रतिष्ठान-भारतीय डेरी निगम, बड़ौदा इन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार के एजेन्ट का कार्य करता है। यह निगम इनकी बिक्री चार प्रमुख शहरों बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास के सार्वजनिक क्षेत्र के दुग्ध संयंत्रों को तरल दूध में परिवर्तित करने के लिए करता है। इन पदार्थों की कुछ ऐसी मात्रा को छोड़ कर जो अपनी वस्तुगत और रासायनिक गुणवत्ता के कारण तरल दूध में मिलाने के लिए अनुपयुक्त समझी जाती हो, अन्य पूरी मात्रा सार्वजनिक क्षेत्र के तरल दुग्ध संयंत्रों को सप्लाई की जाती है। हालांकि इन पदार्थों की काफी मात्रा दुग्ध के रूप में परिवर्तित करने के लिए अनुपयुक्त है, लेकिन यह मानव उपयोग के लिए सर्वथा उपयुक्त है।

जुलाई, 1970 में परियोजना के प्रारम्भ होने के समय से अब तक विश्व-खाद्य कार्यक्रम ने भारत को लगभग 31,000 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और लगभग 10,000 मीटरी टन बटर आयल भेजा था। भारतीय बन्दरगाहों पर पहुंचने पर पता चला है कि इनमें 4084 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा 742 मीटरी टन बटर आयल तरल दूध में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उसे निगम ने परियोजना के उपयोग के लिए स्वीकार नहीं किया और उसके बदले में विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा और सप्रेटा दुग्ध चूर्ण दिया जायेगा। ये क्षतिग्रस्त वस्तुएं, विश्व-खाद्य कार्यक्रम की सम्पत्ति हैं। यदि ये वस्तुएं अन्यथा मानव उपयोग के लिये उपयुक्त हों तो उन्हें विश्व खाद्य कार्यक्रम की अन्य परियोजनाओं के लिये आवंटित किया जा सकता है अथवा अन्य डेरी संयंत्रों या खाद्य परिसंस्करणकर्ताओं आदि को दिया जा सकता है। मानव उपयोग के लिये अनुपयुक्त वस्तुएं विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा केसीन या पशु आहार, आदि के निर्माण के लिये दी जा सकती हैं। तदनुसार विश्व खाद्य कार्यक्रम ने क्षत्रिग्रस्त वस्तुओं को निम्नलिखित ढंग से निपटा दिया था :—

	सप्रेटा दुग्ध चर्ण (मीटरी टन)	बटर आयल (मीटरी टन)
(1) विश्व खाद्य कार्यक्रम आपात कार्य 948 (शरणार्थी राहत कार्य) को मानव उपयोग के लिए उपयुक्त होने के कारण दिया गया।	3134	519

	सप्रेटा दुग्ध चूर्ण (मीटरी टन)	बटर आयल (मीटरी टन)
(2) विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना 572 (महाराष्ट्र बन विकास बोर्ड) को मानव उपयोग के लिए उपयुक्त होने के कारण दिया गया।	92	46
(3) विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना 259 (राजस्थान नहर बोर्ड) को मानव उपयोग के लिए उपयुक्त होने के कारण दिया गया।	कोई नहीं	149
(4) हैदराबाद डेरी संयंत्र को मानव उपयोग के लिए उपयुक्त होने के कारण दिया गया।	कोई नहीं	10
(5) मानव उपयोग के लिए उपयुक्त होने के कारण बेकरियों तथा हलवाइयों को बेचा गया।	25	18
(6) मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त होने के कारण कैसीन बनाने के लिए बेचा गया।	391	कोई नहीं
(7) मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त होने के कारण पशु-आहार के लिये बेचा गया।	417	कोई नहीं
(8) हानि (इसमें बन्दरगाह स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नष्ट की गई मात्रा भी शामिल है)	25	कोई नहीं
योग	4084	742

बाद में पता चला कि परियोजना के उपयोग के लिए भारतीय डेरी निगम द्वारा स्वीकार किये हुए पदार्थों में से 566 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा 155 मीटरी टन बटर आयल भी तरल दूध में परिवर्तित करने के लिए अनुपयुक्त है । इसमें से मानव उपयोग के लिए उपयुक्त पाया जाने वाला 414 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और 155 मीटरी टन "बटर आयल" निगम द्वारा बेकरियों और हलवाइयों आदि को बेच दिया गया। शेष 152 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण पशु आहार के रूप में बेच दिया गया।

समाचारपत्र में छपा यह समाचार ठीक नहीं है कि सरकार ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों के लिये प्राप्त हुए खराब दुग्ध चूर्ण और मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त "बटर आयल" को इस लेबल के साथ बेचने की अनुमति दे दी थी—"खरीदने वाले सावधानी बरतें" या "यह मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त है"। विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा आयातित लगभग 31,000 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण और लगभग 10,000 मीटरी टन बटर

आयल की इतनी बड़ी मात्रा से केवल 960 मीटरी टन सप्रेटा दुग्ध चूर्ण मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया और उसे वास्तविक विनिर्माताओं को विशेषकर केसीन पशु और कुक्कुट आहार बनाने के लिए बेचा गया था। अन्य बातों के साथ-साथ मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई जाने वाली मात्रा को खुले बाजार में जाने से रोकने के लिए हाल ही में सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम इस बात पर सहमत हो गये हैं कि भविष्य में क्षतिग्रस्त और अस्वीकृत पदार्थों का निपटान भारतीय डेरी निगम के माध्यम से किया जाएगा।

Shri Hari Singh : India has received powder in the form of milk and ghee mostly from European countries. I am really surprised to know that those countries have supplied such rotten milk powder which is injurious to health. I do not understand why Government had accepted that powder. India can live without rotten powder. How long India will depend upon other countries in the matter of milk powder ? I want to know as to why an enquiry was not conducted before supplying this rotten milk powder in the market or to the refugees ? The enquiry in this matter should not be conducted by the high officials but by the members of the Parliament. Thousands of people in India have suffered due to the supply of this rotten powder. I want to know the names of those countries who have supplied this rotten milk powder to India. India should leave this habit of begging and should be self-sufficient in this matter. I want to know the names of those officers who had conducted enquiry into this matter and what action Government have taken against them ?

Prof. Sher Singh : It is wrong to say that we have taken that milk powder as a gift under World Food Programme. World Food Programme is a multilateral programme and it includes developed as well as developing countries. India is also a member of it. So India not only accepts food but it also supplies food. In 1971-72 India supplied tea worth 1 lakh 94 thousand dollar free of cost under this programme. We take things which are not available here whereas we supply those things which are not available in other countries.

Out of 31,000 tonnes of Skim milk powder we rejected 4084 tonnes of Skim milk powder because it was not suitable for recombination into liquid milk. They have agreed to change the rejected quantity of milk powder again. So it is not proper to say that we are beggars.

Whenever any consignment comes at Bombay, Madras and Calcutta ports, it is tested at the laboratories situated there. The consignments not found fit for human consumption are rejected outright.

Shri Vasant Sathe (Akola) : The hon. Minister has stated that the milk powder was not taken as a gift. He told that we have also been a partner in the World Food Programme. Sometime back we had lot of milk and ghee in this country. With regard to milk the Government has made a fine distinction—whether it can be converted into milk or not. I want to know if it cannot be converted into milk, then in what form you have distributed it to the people. I want to know whether it was not a rotten milk powder and it was not unfit for human consumption. If it was unfit for human consumption why it was distributed to the poor ?

It is not proper to accept any kind of thing because we are getting it as a gift. I request that a thorough enquiry should be made in this matter. If your corporation says that it is not acceptable, it must not be given to anybody else in this country in any form. It must be the attitude of the Government, whether gift or no gift.

I want the hon. Minister to clarify the position whether he is going to have the policy of accepting only standard and good quality products ?

प्रो० शेर सिंह : हमने 'वर्ल्ड फूड प्रोग्राम' को, स्पष्ट कर दिया था कि स्किम 'मिल्क पाउडर' और 'बटर आयल' के ये नमूने हैं जिसकी हम आशा करते हैं। जब उसने नमूने से घटिया किस्म का 'मिल्क पाउडर' और 'बटर आयल' सप्लाई किया तो हमने उसे अस्वीकार कर दिया। उसमें से कुछ

पाउडर की, जो लोगों के खाने योग्य था, प्रयोगशालाओं में जांच की गई, यद्यपि इससे घी नहीं बनाया जा सकता था। यह कहना ठीक नहीं है कि हमने उसको समाज के कमजोर वर्ग अर्थात् आदिवासी अथवा राजस्थान के लोगों को प्रयोग करने की अनुमति दी थी। वास्तव में 'वर्ल्ड फूड प्रोग्राम' अन्य परियोजनाएं चला रही हैं। उसने कुछ मात्रा में 'स्किम मिल्क' और 'बटर आयल', जो लोगों को प्रयोग के लिये ठीक था, महाराष्ट्र अथवा राजस्थान को देने के लिये कहा था।

श्री वसन्त साठे : वह बार-बार 'ठीक' पर जोर दे रहे हैं।

प्रो० शेर सिंह : हमें विशेषज्ञों पर विश्वास करना पड़ता है। विशेषज्ञों ने 'दूध पाउडर' और 'बटर आयल' की जांच करके यह स्पष्ट कर दिया था कि उनकी कितनी-कितनी मात्रा लोगों के उपयोग के योग्य है। उसमें जो मात्रा लोगों के खाने योग्य नहीं समझी गई, उसे जानवरों के लिये दे दिया गया। जो पाउडर अथवा 'बटर आयल' जानवरों के भी खाने उपयुक्त नहीं समझा गया, उसे फेंक दिया गया।

'आपरेशन फ्लड' के अन्तर्गत स्किम मिल्क की बिक्री से प्राप्त धनराशि से दूध संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जायेगी जिससे हम दूध के उत्पादन के लिये बाजार तैयार कर सकें और अधिक दूध का उत्पादन किया जा सके जिससे हमें भविष्य में 'स्किम मिल्क पाउडर' का आयात न करना पड़े।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : यह बहुत दुःख की बात है कि स्वतन्त्रता के 25 वर्ष बाद भी हम दूध और मक्खन के मामले में अन्य देशों पर निर्भर हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि किन शर्तों के अन्तर्गत देश में प्रयोग के लिये अनाज उपलब्ध होता है?

माननीय ने उल्लेख किया है कि भारत को सप्लाई किये गये इन मदों से 100 करोड़ रुपये की वसूली की जायेगी और उक्त धनराशि डेरियों के विकास के लिये खर्च की जायेगी। यदि भारत में डेरियों का विकास इस प्रकार की सहायता पर निर्भर करता है, तो हम देश में डेरियों और पशु पालन के विकास के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं।

इस सहायता का उद्देश्य भारत में निर्धन वर्ग को सहायता देना है लेकिन सरकार इसका उपयोग धन अर्जित करने के लिये कर रही है। यह सरकार के लिये बहुत ही शर्म की बात है।

क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि इस सहायता के पीछे क्या उद्देश्य है। क्या उक्त सहायता सरकार द्वारा लाभ अर्जित करने और डेरियों का विकास करने के लिये है। यदि 'स्किम मिल्क पाउडर' और 'बटर आयल' लोगों के उपयोग करने योग्य नहीं था, तो उसे हलवाइयों को बेचने की अनुमति क्यों दी गई? क्या हलवाइयों को देने से वह लोगों के खाने योग्य हो जाता है? इसके लिये सरकार को अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिये। इसका उचित प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। सरकार गरीबों के नाम पर सहायता के रूप में मिले पाउडर और बटर आयल को बेचकर धन कमा रही है। ऐसा सरकार अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये कर रही है? सरकार ने देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है? माननीय मंत्री को यह बताना चाहिए कि देश को दूध और मक्खन के मामले में आत्मनिर्भर होने में कितना समय लगेगा?

प्रो० शेर सिंह : माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि 'वर्ल्ड फूड प्रोग्राम' के अन्तर्गत प्राप्त 1,26,000 पौंड स्किम मिल्क पाउडर में से कितनी मात्रा में पाउडर का उपयोग उस प्रयोजन के

लिये किया गया जिसके लिये उसे प्राप्त किया गया था। उक्त प्रोग्राम एक विशेष प्रयोजन के लिये है और उससे प्राप्त धनराशि का उपयोग डेरियों में सुधार करने के लिये किया जाता है।

इसका उपयोग दुधारन पशुओं के दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये भी किया जाता है।

'वर्ल्ड फूड प्रोग्राम' के अन्तर्गत निजी लोगों को 25 टन 'स्किम मिल्क पाउडर' और 18 टन 'बटर आयल' बेचा गया। हमने इस पर आपत्ति की है और यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में दूध अथवा 'बटर आयल' की बिक्री इंडियन डेरी कारपोरेशन के माध्यम से की जायेगी।

किस्म के बारे में सरकार ने आपत्ति प्रकट की थी और माल भेजने वाले विभिन्न देशों को यह स्पष्ट किया था कि वे घटिया किस्म का माल न भेजें। हम इस बारे में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बातचीत कर रहे हैं। घटिया किस्म के उत्पाद सप्लाई करने के बारे में कुछ सुधार हुआ है। हमें जब उचित किस्म की चीज सप्लाई नहीं की जाती तो हम उसको अस्वीकार कर देते हैं। अतः हम इस मामले में पूरी सावधानी से काम ले रहे हैं, गोहत्या रोकने के बारे में सरकार ने सब राज्य सरकारों को लिख दिया है। बहुत से राज्यों ने इस सम्बन्ध में कानून बना दिया है। इस बारे में एक समिति जांच कर रही है और उक्त समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर हम कार्यवाही करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सरकार द्वारा गलत बातों को प्राथमिकता देने और उसकी त्रुटिपूर्ण नीतियों और प्रबन्ध के कारण हरित क्रान्ति नहीं आ पाई। श्वेत क्रान्ति न आने के भी यही कारण हैं।

विदेशी एजेंसियों ने भारत के लोगों के जीवन का कोई मूल्य नहीं समझा है। यह विचार प्रकट किया गया कि लोगों के अनुपयुक्त खाद्य सामग्री का प्रयोग पशुओं द्वारा किया जा सकता है। यह मानकर हम मनुष्य और पशुओं के जीवन में भेदभाव करते हैं।

इस मामले में कुछ अनियमितताएं हुई हैं। इंडियन डेरी कारपोरेशन दूध का पाउडर और इस प्रकार की अन्य खाद्य सामग्री विदेशों से प्राप्त करने में केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रूप में काम करती है और वह उसकी बिक्री सरकारी क्षेत्र में स्थित दूध संयंत्रों को करती है। यह मंत्री महोदय पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उक्त दूध पाउडर और बटर आयल हमें उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था। इसी संदर्भ में मैं माननीय मंत्री का ध्यान चिथड़ा काण्ड की ओर दिलाता हूं। जिस प्रकार चिथड़ों को मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त बताये जाने पर भी भारत में चिथड़ों का पर्याप्त उपयोग किया गया उसी प्रकार इन वस्तुओं का भी किया जाएगा। अतः मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या सुनिश्चित कदम उठाए गये हैं।

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या किसी अधिकारी को इसके लिये उत्तरदायी ठहराया गया है जिसने समय पर देखभाल नहीं की ? दिनांक 18 मार्च के 'पैट्रियट' में "बिवेयर बाईंग स्टफ यूनिट फार ह्यूमन कंजंपशन" शीर्षक के अन्तर्गत एक समाचार प्रकाशित हुआ था किन्तु सरकार ने उसका कोई खण्डन नहीं किया। इसका आशय है कि सरकार को उसमें सचाई प्रतीत होती है।

क्या इस घटना के पूर्व भी कुछ दुग्ध चूर्ण सड़ा हुआ तथा मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त पाया गया था किन्तु उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया ? क्या यह सच है कि भारतीय अधिकारियों तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधिकारियों में कोई सांठ-गांठ है जिसके परिणामस्वरूप इस प्रकार के कदाचार होते हैं ? मंत्री महोदय इसका स्पष्ट उत्तर देने का कष्ट करें।

प्रो० शेर सिंह : मैंने 'पैट्रियट' में प्रकाशित उक्त समाचार को पढ़ा था तथा अधिकारियों

को तथ्य जानने के आदेश भी दिये थे क्योंकि इससे सम्बन्धित जानकारी भारतीय डेरी निगम से प्राप्त करली थी जो बड़ौदा में है। मैंने उक्त समाचार का खण्डन इस कारण नहीं किया कि इस बीच में ध्यान दिलाने वाली सूचना मिल गई थी तथा सदन से बाहर इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य देना इस स्थिति में सभा की मान हानि होता।

हमने इन वस्तुओं का प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराया था तथा अब इस सम्बन्ध में अधिक ध्यान दिया जाएगा। भारतीय डेरी निगम के अधिकारियों ने 566 टन दुग्ध चूर्ण को मानव उपयोग के योग्य नहीं बताया। उससे पूर्व लगभग 4084 टन दुग्ध चूर्ण को रद्द किया गया था। सम्भव है अधिक समय बीतने के कारण अथवा देखरेख में त्रुटि होने के कारण दुग्ध चूर्ण खराब हो गया हो, फिर भी अधिकारियों से स्पष्टोकरण मांगा गया है। यदि इस बारे में किसी अधिकारी को दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। (**व्यवधान**) पत्तन पर रद्द किये जाने पर वह वस्तु विश्व खाद्य कार्यक्रम की होती है तथा वे उसके स्थान पर दूसरा माल देते हैं। हमने अधिकारियों से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है कि वस्तुओं को एक बार स्वीकार करने के पश्चात खराब क्यों बताया गया अर्थात् खराब वस्तुएं क्यों स्वीकार की गईं ?

जहां तक दान की परिभाषा का सम्बन्ध है, वास्तव में यह एक प्रकार का आदान प्रदान है। यद्यपि हम इन वस्तुओं का विदेशी मुद्रा में मूल्य नहीं चुकाते, किन्तु हम ऐसी वस्तुएं सप्लाई करते हैं जो हमारे देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मंत्री महोदय ने बताया है कि इस दुग्ध चूर्ण की कुछ मात्रा महाराष्ट्र वन विभाग और राजस्थान नहर परियोजना को भेजी जाती है। वास्तव में इन परियोजनाओं में समाज के पिछड़े हुये और गरीब लोग काम करते हैं। क्या आप ऐसे व्यक्तियों के लिये यह दुग्ध चूर्ण भेजते हैं।

प्रो० शेर सिंह : मैंने निवेदन किया है कि विश्व खाद्य कार्यक्रय महाराष्ट्र बन विभाग बोर्ड तथा राजस्थान नहर परियोजना पहले से ही अपनी परियोजना चला रहा है। यह परियोजनाएं नई आरम्भ नहीं की गईं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

विधि आयोग का 84वां प्रतिवेदन, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा आन्ध्र प्रदेश पूर्त्त और हिन्दू धार्मिक संस्थान तथा धर्मस्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता विधेयक, 1970 के अन्तर्गत कुछ विषयों के सम्बन्ध में विधि आयोग के 48वें प्रतिवेदन की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-4607/73]**

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना सां० आ० 11 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा

तमिलनाडू राज्य के सम्बन्ध में संसदीय और विधान सभायी निर्वाचन-क्षेत्र आदेश, 1966 की अनुसूची 9 में कतिपय संशोधन किया गया है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-4608/73]**

(3) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी दिनांक 18 जनवरी, 1973 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित आन्ध्र प्रदेश पूर्त्त और हिन्दू धार्मिक संस्था तथा धर्मस्व अधिनियम, 1966 की धारा 107 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) जी० ओ० एम० संख्या 842, जो आन्घ्र प्रदेश के राजपत्र, दिनांक 14 सितम्बर, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तिरुमल-तिरुपति देवस्थानम् की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित नियमों में कतिपय संशोधन किया गया है।

(ख) जी० ओ० एम० संख्या 845, जो आन्ध प्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 सितम्बर 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा आन्ध्र प्रदेश पूर्त्त और हिन्दू धार्मिक संस्था तथा धर्मस्व अधिनियम, 1966 के अधीन जारी किये गये कतिपय नियमों में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाले दो विवरण।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिये संख्या एल० टी०-4609/73]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1973 और तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 में कतिपय संशोधनों के बारे में अधिसूचनाएं

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलवीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

तेलक्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 10 के अन्तर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 161 में प्रकाशित हुए थे।

तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 6क के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० आ० 465 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1973 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में कतिपय संशोधन किया गया है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4610/73]**

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(एक) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1971-72 सम्बन्धी कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1971-72 सम्बंधी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 4611/73]

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे सभा को राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :

(एक) कि राज्य सभा ने 26 मार्च, 1973 को अपनी बैठक में कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) विधेयक, 1973 को, जो लोक सभा द्वारा 16 मार्च, 1973 को पास किया गया था, संशोधनों सहित पास किया है और इस अनुरोध के साथ विधेयक को वापस किया है कि संशोधनों से लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाये ।

(दो) कि राज्य सभा को विनियोग विधेयक, 1973, जो लोक सभा द्वारा 20 मार्च, 1973 को पास किया गया था, के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक

COAL MINES (TAKING OVER OF MANAGEMENT) BILL

राज्य-सभा द्वारा संशोधनों सहित वापिस किये गये रूप में

सचिव : मैं कोयला खान (प्रबन्ध-ग्रहण) विधेयक, 1973, जो राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित वापस किया गया है, सभा-पटल पर रखता हूं ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

76 वां प्रतिवेदन

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं गृह मंत्रालय के सम्बन्ध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सिविल) के वर्ष 1969-70 सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और कृषि

विभाग तथा कृषि विभाग से सम्बन्धित विनियोग लेखे (सिविल) 1970-71 के सम्बन्ध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सिविल) के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति का 76वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

बढ़ती हुई कीमतों, बेरोजगारी आदि के बारे में याचिका

PETITION Re. RISING PRICES, UNEMPLOYMENT ETC.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं बढ़ती हुई कीमतों, बेरोजगारी तथा अन्य समस्याओं के बारे में श्री सी० राजेश्वर राव तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं। **(व्यवधान)**

मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में डीजल की सप्लाई की स्थिति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. SUPPLY POSITION OF DIESEL OIL IN REWA REGION OF MADHYA PRADESH

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र की आपूर्ति तेल कंपनियों के सतना डिपो से की जाती है। इस डिपो को लाइट डीजल आयल (एल० डी० ओ०) बम्बई से रेल द्वारा हाई स्पीड डीजल तेल बरौनी कानपुर उत्पाद पाइपलाइन के इलाहाबाद टर्मिनल से प्राप्त होता है। शक्ति उत्पादन के लिए रेल द्वारा बहुत अधिक डीजल तेलों और मिट्टी के तेल को ले जाने की मांग के कारण फरवरी, 1973 में बम्बई से एल० डी० ओ० के निकास में थोड़ी बाधा आई थी। फलतः रेल परिवहन क्षमता अधिकतम सीमा तक बढ़ने के बावजूद सभी आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पूरी नहीं की जा सकीं।

इस स्थिति का निम्न उपायों से समाधान किया गया है:

(क) बाम्बे में दो शोधनशालाओं द्वारा और बड़ौदा में कोयाली शोधनशाला से आपूर्ति होने वाले बिजली घरों को बिजली उत्पादन के लिये भट्टी तेल के सप्लाई को युक्तियुक्त बनाना।

(ख) कान्डला में तेल कम्पनियों के स्टोरेज डिपो को रेल की बड़ी लाइन प्रणाली से जोड़ना जिससे बड़ी लाइन पर उत्तर पश्चिम क्षेत्र के स्थानों के लिये दूसरा रेल सप्लाई मार्ग खुला है और जिससे बाम्बे लोडिंग टर्मिनल को कुछ अवमुक्ति मिली है। अब देखा गया है कि सतना क्षेत्र की एल० डी० ओ० की मांग संतोषजनक रूप से पूरी हो रही है।

3. जहां तक एच० एस० डी० ओ० का प्रश्न है जनवरी, 1973 में बन्दरगाह की समस्याओं और टैंकर जो कि कच्चे तेल लाने के लिए प्रयोग किया जा रहा, की यांत्रिक खराबियों के कारण आयातित कच्चे तेल के बरौनी शोधनशाला में देर से पहुंचने के फलस्वरूप इलाहाबाद से सतना को एच० एस० डी० ओ० भेजने में कुछ अव्यवस्था हो गई थी। यह भी स्थिति अब सामान्य हो गई है और फरवरी, 1973 में इलाहाबाद से सतना को एच० एस० डी० ओ० की सप्लाई फरवरी, 1972 से 43%

अधिक थी जैसा कि निम्न संख्या से देखा जायेगा :

	मीटरी टनों में
फरवरी 1972	1140
फरवरी 1973	1628

इण्डियन एयर लाइंस द्वारा एवरो विमानों को लेने से इनकार के बारे में सदस्य द्वारा वक्तव्य

STATEMENT BY MEMBER RE. REFUSAL BY INDIAN AIRLINES TO TAKE DELIVERY OF AVRO PLANES

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका): दिनांक 23 फरवरी को पर्यटन और नागर विमानन मंत्री ने तारांकित प्रश्न संख्या 61 का निम्नलिखित उत्तर दिया था "इंडियन एयरलाइंस ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से तीन एच० एस०-748 विमान प्राप्त किये हैं जब कि उनका नवीनतम क्रया-देश 10 विमानों के लिये था। शेष सात विमान इंडियन एयरलाइंस को अभी तक नहीं दिये गये हैं। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरलाइंस को यह सलाह दी है कि उत्पादन सम्बन्धी कुछ समस्याएं हैं तथा इस मामले की मैसर्स हाकर सिडली लि० नामक सहयोगकर्त्ताओं के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।"

इससे ज्ञात होगा कि मंत्री के वक्तव्य में इस बात से स्पष्ट रूप से इन्कार किया गया है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरलाइंस को एवरो विमान देने का प्रस्ताव किया गया था। अत: इंडियन एयरलाइंस द्वारा इसे स्वीकार करने में अरुचि का कोई प्रश्न ही नहीं था। मेरा निवेदन है कि मंत्री ने निम्नलिखित बातों को देखते हुये सभा को धोखा दिया है।

दिनांक 24 अक्तूबर, 1971 को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड ने इंडियन एयरलाइंस को अपने पत्र में यह लिखा था कि चौथे एवरो विमान के सम्बन्ध में हमारे समक्ष कतिपय कठिनाइयां हैं जिन्हें पत्र में उल्लिखित कतिपय उपायों के द्वारा दूर किये जाने का प्रस्ताव है। उन्होंने अपने पत्र में आगे यह स्पष्ट प्रश्न किया है। "हम अब अपने प्रस्तावों की नागर विमानन महा निदेशक से स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे हम इंडियन एयर लाइंस से प्राप्त 10 विमानों के चालू क्रयादेश के अन्तर्गत उन्हें विमान संख्या 4-6 देने के बारे में अग्रेतर कार्यवाही कर सकें तथा **हम इंडियन एयर लाइंस के अनुग्रहीत होंगे यदि वह इस बात की पुष्टि कर दें कि इस पत्र में प्रस्तावित कार्यवाही उन्हें भी स्वीकार्य है।**"

इस पत्र के उत्तर में इंडियन एयर लाइंस ने दिनांक आठ नवम्बर को एक लम्बा पत्र लिखा जिसमें यह भी कहा गया था "कि उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुये **अतिरिक्त आपरेशन कास्ट के साथ इन विमानों को स्वीकार करना हमारे लिये सम्भव नहीं** है।"

उपर्युक्त बातों से स्पष्ट है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स ने कतिपय प्रस्तावित संशोधनों के साथ एवरो 4-6 के बारे में प्रस्ताव किया था तथा इंडियन एयरलाइंस ने स्पष्ट शब्दों में यह उत्तर दिया था कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के साथ एवरो विमान उन्हें स्वीकार्य नहीं हैं।

मंत्री महोदय इस मामले में क्या कहना चाहते हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 23 फरवरी, 1973 को, मौखिक प्रश्न संख्या 61 के उत्तर में मैंने सदन को सूचित किया था कि इण्डियन एयरलाइन्स को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड से अपने 10 एच० एस०-748 विमानों के अन्तिम आदेश में से तीन विमानों की डिलीवरी हो चुकी थी तथा शेष सात अभी उन्हें आफर नहीं किए गए थे।

वास्तविक स्थिति यह है कि अप्रैल, मई तथा जून, 1972 के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स ने उन तीन विमानों की डिलीवरी, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच० ए० एल०) द्वारा नागर विमानन महानिदेशक से उनके संबंध में उपयुक्त उड़न-योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेने के बाद ली। परन्तु हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड (एच० ए० एल०) के सामने इण्डियन एयरलाइन्स के लिए निर्माण किये जाने वाले चौथे, पांचवें तथा छठे विमान के सम्बन्ध में कुछ उत्पादन सम्बन्धी समस्याएं उठ खड़ीं हुईं। अतः उसने इंडियन एयरलाइन्स को कुछ परिवर्तनों के सुझाव दिये और उनसे यह पूछा कि क्या वे उन्हें स्वीकार्य होंगे। इण्डियन एयरलाइन्स ने उत्तर दिया कि प्रस्तावित परिवर्तनों से उनकी परिचालन लागतों में वृद्धि होगी, इसलिए वे उन्हें स्वीकार्य नहीं। उन्होंने विकल्प के रूप में कुछ और सुझाव भी प्रस्तुत किये। विमानों के विनिर्दिष्ट ब्योरों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के सम्बन्ध में एच० ए० एल० तथा इण्डियन एयरलाइन्स के बीच ऐसे पारस्परिक विचार-विमर्शों को असामान्य अथवा अस्वाभाविक नहीं समझा जा सकता, तथा उनके बीच हुए पत्र-व्यवहार को विमान की बिक्री का प्रस्ताव अथवा इण्डियन एयरलाइन्स की तरफ से डिलीवरी लेने से इंकार करना नहीं समझा जा सकता।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की यह जिम्मेवारी है कि वे नागर विमानन महानिदेशक से विमान के लिए परिवहन श्रेणी का उड़न-योग्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करें तथा इण्डियन एयरलाइन्स को दिए जाने के समय प्रत्येक विमान उड़न-योग्यता प्रमाणन के सम्बन्ध में महानिदेशक की अपेक्षाओं को पूरा करता हो। उक्त तीन विमानों में से कोई भी विमान, अर्थात् चौथा, पांचवां तथा छठा, उपयुक्त प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए नागर विमानन महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब तक ऐसे प्रमाण-पत्रों के लिए आवेदन नहीं किया जाता और वे प्राप्त नहीं कर लिए जाते, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड इण्डियन एयरलाइन्स को इन विमानों की डिलीवरी आफर नहीं कर सकते, तथा इण्डियन एयरलाइन्स के डिलीवरी लेने से इन्कार करने का भी प्रश्न नहीं उठता।

इन परिस्थितियों में, मेरा निवेदन है कि मौखिक प्रश्न संख्या 61 और उसके बाद किए गए अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में दिए गए मेरे जवाब सही थे।

एवरो विमान के मूल्यांकन के लिये एक मूल्यांकन दल की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. APPOINTMENT OF EVALUATION TEAM FOR AVRO

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : अध्यक्ष महोदय, 20 मार्च को माननीय सदन के सामने अपने वक्तव्य में मैंने कहा था कि सरकार ने एवरो विमानों के समस्त पहलुओं की उच्च स्तरीय जांच कराने का निर्णय किया है तथा मैं इसके विस्तृत ब्यौरे की शीघ्र ही घोषणा करूंगा। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मूल्यांकन का कार्य बंगलौर के भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक डा० सतीश धवन द्वारा किया जायगा। इस कार्य

में भारतीय वायु सेना, एयर इण्डिया, इण्डियन एयरलाइन्स, रक्षा उत्पादन विभाग तथा राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला के तकनीकी सलाहकार उसकी सहायता करेंगे।

मूल्यांकन कार्य में एवरो विमान की विभिन्न परिचालन परिस्थितियों में इसकी सुरक्षा को विशेष रूप से दृष्टि में रखते हुए इसके सभी पहलुओं पर विचार सम्मिलित होगा। रिपोर्ट मूल्यांकन कार्य दल के अपना कार्य प्रारम्भ करने के 60 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक, 1972
DELHI SCHOOL EDUCATION BILL, 1972

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा की और अच्छी व्यवस्था और विकास तथा तत्संसक्त या आनुषंगी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

संयुक्त समिति ने अपनी 15 बैठकों में विधेयक पर गम्भीरता से विचार किया है तथा समिति ने जिन संशोधनों का सुझाव दिया है वे सरकार को स्वीकार हैं। मैं कतिपय संशोधनों का यहां उल्लेख करना चाहता हूं।

समिति ने इस बात की आवश्यकता समझी कि इस विधेयक के पुर:स्थापित होने के तुरन्त पूर्व गैर-सरकारी विद्यालयों के जिन कर्मचारियों की सेवावधि एक वर्ष हो गई है विधेयक में उनके हितों की सुरक्षा की भी व्यवस्था की जाए जिससे गैर-सरकारी विद्यालयों के प्रबन्धक उनकी सेवाओं से मुक्त होने का प्रयास न कर सकें। विद्यालय को मान्यता दिये जाने के लिये निर्धारित अवधि 6 महीने से घटाकर चार महीने कर दी गई है। अल्प संख्यकों के गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों को अपने विद्यालयों में प्रबन्ध योजना को लागू करने के लिये सरकार की स्वीकृति लेने की छूट दी गई है। समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबन्ध में अध्यापकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो मान्यता वापस ली जा सकती है। अल्प संख्यकों के गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों को अध्याय iv के उपबन्धों से मुक्त रखा गया है तथा उनके लिये एक नया अध्याय जोड़ा गया है। विद्यालयों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने सम्बन्धी अवधि को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया गया है। विधेयक के खण्ड 22 के अनुसार बनाए जाने वाले दिल्ली विद्यालय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में मुख्याध्यापकों, अध्यापकों के संगठनों के प्रतिनिधियों, अभिभावकों, प्रबन्धकों और विख्यात् शिक्षाविदों को भी सम्मिलित किया जाएगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने विमति टिप्पण भी दिया है तथा संयुक्त समिति ने संशोधनों पर निर्णय करते समय इन विमति टिप्पणियों को ध्यान में रखा है। मैं संक्षेप में इनका उल्लेख करना चाहूंगा।

सर्वश्री सत्यनारायण सिंह तथा वीरेन्द्र अग्रवाल ने यह विचार व्यक्त किया है कि सरकार को

विद्यालयों के कार्यकरण में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिये। उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि पब्लिक स्कूलों में ट्यूशन फीस का अधिकतम तथा न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाना चाहिये। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि विद्यालयों के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप किया जाए तथा उनके कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हुए शिक्षा का उचित स्तर बनाये रखा जाए। फीस के बारे में मेरा निवेदन है कि पब्लिक स्कूलों को प्रायः कोई सहायता नहीं दी जाती किन्तु विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि उनके कर्मचारियों को वेतन आदि की वही सुविधाएं प्राप्त हों, जो सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों को प्राप्त होती हैं। अतः इस सम्बन्ध में फीस के बारे में कोई सीमा निर्धारित करना उचित नहीं है। सर्वश्री भूपेश गुप्ता और चन्द्रप्पन का विचार है कि सभी स्कूलों में शिक्षा का स्तर एक समान किया जाए तथा स्कूलों की विभिन्न श्रेणियां समाप्त की जाएं। मेरे विचार से गैर-सरकारी विद्यालयों को शिक्षा के बारे में निजी प्रयत्नों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिए। माननीय सदस्य के प्राइवेट अथवा पब्लिक स्कूलों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए जाने के सुझाव को भी स्वीकार करना असम्भव है। श्री फ्रैंक एंथनी ने, विशेषकर अल्पसंख्यकों के सम्बन्ध में विधेयक के विनियमन उपबन्धों की कटु आलोचना की है। इस संदर्भ में मेरा निवेदन है कि अल्पसंख्यकों द्वारा चालित स्कूलों पर अध्याय iv से विहित उपबन्ध लागू नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे सभी स्कूलों पर अध्याय vii के उपबन्ध लागू नहीं होंगे। डा० भाई महावीर ने अल्पसंख्यकों द्वारा चालित स्कूलों के साथ भिन्न व्यवहार किये जाने पर आपत्ति की है। मेरा निवेदन है कि अल्पसंख्यकों को जो गारंटी दी गई है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह भी सुझाव दिया गया है कि मान्यता प्राप्त सभी विद्यालयों को सहायता दी जानी चाहिये। वास्तव में सहायता का सम्बन्ध वित्तीय उपलब्धता तथा सहायतानुदान सम्बन्धी नियमों के अनुसरण से है। श्री पाटिल ने यह विचार व्यक्त किया है कि राजधानी में शिक्षा ने व्यापारिक रूप धारण कर लिया है तथा गैर-सरकारी विद्यालय बहुत अधिक फीस वसूल करते हैं तथा अध्यापकों आदि को निर्धारित वेतन और अन्य सुविधाएं नहीं देते।

समय के अभाव के कारण मैं विधेयक के उपबन्धों तथा संयुक्त समिति के कुछ सदस्यों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का अधिक उल्लेख नहीं कर पाया। अन्त में मैं संयुक्त समिति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि उसने कठिन परिश्रम करके इस विधेयक के उपबन्धों में सुधार किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा की और अच्छी व्यवस्था और विकास तथा तत्संसक्त या आनुषंगी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाए।"

श्री फ्रैंक एन्थनी ने विधेयक को उच्चतम न्यायालय को सौंपने के बारे में एक प्रस्ताव भेजा है।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नाम निर्देशित-आंग्ल भारतीय) : मैं अपना निम्नलिखित संशोधन संख्या 22 पेश करता हूं।

"कि भारत के राष्ट्रपति से प्रार्थना की जाये कि वह निम्नलिखित प्रश्नों पर संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करें :—

(1) क्या खण्ड 2 (फ), 4 (5), 8 (2), 8 (3), 8 (4), 8 (5), 13, 14, 15 (3) (ख), 15 (3) (ग), 15 (3) (ङ), 18 (3), 18 (4), 18 (5), 28 (2)

(छ), 28 (2) (ढ), 28 (2) (फ) और 28 (2) (ब) संविधान के अनुच्छेद 30 का अतिवर्तन करते हैं, जो कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है ; और

(2) क्या खण्ड 8 (2), 8 (3), 8 (4), 8 (5), 10 और 20 संविधान के अनुच्छेद 19 का अतिवर्तन करते हैं, जो हिन्दुओं द्वारा संचालित विद्यालयों तथा अनाथालयों के अधिकारों के बारे में है।"

मैंने विचार किया था कि मैं अपने इस संशोधन के बारे में बड़ा शक्तिशाली भाषण दूंगा, परन्तु अब मुझे इसका अवसर नहीं मिलेगा क्योंकि जब कल मैंने इस विधेयक के बारे में शिक्षा मंत्री से चर्चा की और उन्हें बताया कि इसमें कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जो कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सर्वथा विपरीत हैं और साथ ही इन उपबन्धों का अल्पसंख्यकों तथा असहाय व्यक्तियों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो यह हर्ष की बात है, कि मंत्री महोदय ने मेरी बात स्वीकार कर ली और इस सम्बन्ध में समुचित संशोधन की सूचना दे दी है ताकि अल्प संख्यकों के प्रबन्धाधीन अनाथालयों पर उनका दुष्प्रभाव न पड़े। वह इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण भी देंगे।

तथापि मैं कुछ अन्य बातों के बारे में भी कहना चाहता हूं।

शिक्षा के बारे में अल्प संख्यकों के मूलभूत अधिकारों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 30 में सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अथवा धर्म के आधार पर हो, उन्हें अपनी पसन्द के शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने तथा उन्हें चलाने का अधिकार प्राप्त है, ऐसे मूलभूत अधिकारों के लिये मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में उच्चतम न्यायालय में तर्क पेश करता रहा हूं। मुझे लगता है कि कुछ लोग इस भ्रम में फंसे हैं कि हिन्दू, (क्योंकि देश में बहुमत में हैं) इस मूलभूत अधिकार के पात्र नहीं हैं। ऐसी बात नही है। वस्तुतः अनुच्छेद 30 का प्रावधान केवल परम्परागत अल्पसंख्यकों के लिये ही नहीं परन्तु वे हिन्दू-अल्प संख्यकों के हितों की भी उसी प्रकार रक्षा करते हैं। इस संदर्भ में, पंजाब में, आर्यसमाज कालेज का मामला सामने है, जहां यह शिकायत थी कि पंजाब में हिन्दू-अल्पसंख्यकों के विरुद्ध शिक्षा के बारे में, सिक्ख समुदाय द्वारा भेदभाव बरता जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने हिन्दू-अल्पसंख्यकों के इस मूलभूत अधिकार को वैध ठहराया।

बहुमत समुदाय के संसत्सदस्य, वकील आदि समझते हैं कि अनुच्छेद 30 से उनको कोई लाभ न होगा। ऐसी नहीं बात है। आसाम में बंगाली हिन्दुओं के साथ क्या हुआ था ? यदि वे भी उच्चतम न्यायालय में पहुंचते, तो उन्हें भी इस अनुच्छद के अधीन संरक्षण मिलता।

संविधान के रचयिताओं में से मैं भी एक था तथा उन रचयिताओं ने यह भलीभांति अनुभव किया था कि अल्प संख्यकों में हिन्दू भी हो सकते हैं तथा एक क्षेत्र में बहुमत में होने वाला समुदाय किसी अन्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो सकता है, जैसे दिल्ली में तेलुगु भाषी, तमिल भाषा भाषायी अल्पसंख्यक हैं जबकि वे अपने-अपने भाषायी क्षेत्रों में बहुसंख्यक होंगे। इस प्रकार अनुच्छेद 30 का उद्देश्य सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिये रखा गया था और इसीलिये संविधान निर्माताओं ने मूलभूत अधिकारों की एक शृंखला बनाई थी जिसमें अनुच्छेद 30 सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान है। इसके अधीन किसी भी भाषायी अथवा आर्थिक अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी पसंद की शिक्षा-संस्था स्थापित करने तथा उसका प्रबन्ध चलाने का अधिकार है। राज्य पुनर्गठन

आयोग ने भी इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को यथोचित शक्तियां अपनाने की सिफारिश की थी परन्तु केन्द्र ने ऐसा नहीं किया। मेरे बहुत कहने पर तथा सकुचाते हुए 350 ख अनुच्छेद जोड़ा गया था जिसमें भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। परन्तु इस आयुक्त के पास समुचित संसाधन न होने के कारण बहुत से राज्यों में वह अल्पसंख्यकों की शिकायतों को दूर नहीं कर सका। मैं इस समय उनकी शिकायतों का जिक्र नहीं कर रहा हूं परन्तु इतना जरूर कहूंगा कि गत चुनावों में इतिहास में पहली बार शासक दल-कांग्रेस-दल ने अल्पसंख्यकों के मूलभूत अधिकारों के बारे में खुले रूप से आश्वासन दिये थे। बार बार उन आश्वासनों को दोहराया गया था और अब जहां उच्चतम न्यायालय तो इन मूलभूत अधिकारों की रक्षा करेगा ही, शासक दल का भी यह नैतिक दायित्व है कि वह अपने आश्वासनों को पूरा करे।

मुझे खेद है कि इस विधेयक में शिक्षा सम्बन्धी मामलों पर प्रकाश नहीं डाला गया है। कुछ सदस्यों ने शिकायत की है कि इस विधेयक में शिक्षा, शिक्षा के स्तर, अध्यापकों को अपने कर्तव्य की ओर दायित्व आदि किसी मामले को इस विधेयक की परिधि में नहीं लाया गया है। बड़ी शीघ्रता में यह विधेयक पेश किया गया तथा इसका मूल उद्देश्य, प्रशासन की दृष्टि में, अध्यापकों को सेवा में सुरक्षा प्रदान करना है।

अध्यापकों की सेवा-सुरक्षा के बारे में किसी को आपत्ति नहीं होगी। प्रत्येक सुप्रबन्धित अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान में अध्यापकों को सेवा सम्बन्धी इतना सुरक्षण दिया जाता है, इतने अच्छे वेतन तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं जितनी सरकारी स्कूलों में उपलब्ध नहीं हैं हालांकि उनकी दशा में अत्याधिक सुधार किया गया है, साथ ही यदि किसी गैर-सरकारी संस्थान के किसी अध्यापक के किसी हित को हानि होती है तो हमारे न्यायालय भी उसे तुरन्त सुरक्षा प्रदान करते हैं, उन्हें राहत मिल जाती है।

परन्तु हमें खेद है कि आज हमें अपने कर्तव्य के प्रति सचेत अध्यापक बहुत ही कम मिलते हैं। अतः इस विधेयक को सुरक्षा के नाम पर, अयोग्य, भ्रष्ट तथा गैर-जिम्मेवार राजनैतिक समर्थन प्राप्त अध्यापकों को अनुचित प्रोत्साहन तथा संरक्षण नहीं मिलना चाहिये। अध्यापकों को उनके उत्तरदायित्व का अनुभव भी कराना है। एक उदाहरण के रूप में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को, वेतन सेवा सुरक्षा आदि तथा अन्य सुविधाओं की दृष्टि से, अन्य सभी राज्यों को अध्यापकों से कहीं अधिक सुविधायें प्राप्त हैं, परन्तु इसके बदले में उन्होंने अपने समुचित दायित्व को पूरा नहीं किया है। दिल्ली के एक सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूल के एक भूतपूर्व प्रिंसिपल के शब्दों में, जोकि 2 जनवरी, 1973 के **हिन्दुस्तान टाइम्स** के ईवनिंग न्यूज में प्रकाशित हुए हैं, दिल्ली के स्कूलों की दशा बड़ी चौंका देने वाली है तथा विस्फोटक रूप ग्रहण कर चुकी है। प्रायः सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूल में अनुशासनहीनता तथा कुप्रबन्ध के कारण न केवल शिक्षा की उपेक्षा हो रही है बल्कि छात्रों में अवज्ञा भावना, स्कूलों से भाग जाना आदि की मनोवृति से माता-पिता तथा सामान्य जनता भी परेशान है। इसका दायित्व मुख्यतः अध्यापकों पर है जो कि लगता है अपने पवित्र व्यवसाय की सारी पवित्रता खो बैठे हैं। अच्छे वेतन तथा अन्य सुविधाओं के बावजूद ये लोग अपने दायित्व को पूरा करने की भावना ही नहीं रखते, यह सच है कि कुछ पक्के निष्ठावान अध्यापक भी हैं परन्तु उन्हें उनके दूसरे साथी व्यंग्यों द्वारा चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं।

स्कूलों में अनुशासन तो भूतकाल की बात बन चुकी है। छात्र इधर-उधर घूमते फिरते हैं अध्यापकगण ट्यूशन ग्रुप बनाने या अपने निजी अध्ययन में व्यस्त हैं। प्रायः 60 प्रतिशत ट्यूशनों पर निर्भर रहकर परीक्षायें पास करते हैं। एक वरिष्ठ अध्यापक वर्ष भर 500 रु० मासिक की ट्यूशनें

कर लेता है। परीक्षाओं में सामूहिक रूप से नकल की जाती है और प्रश्न पत्रों की पूर्व जानकारी हो जाती है ।

यह दशा है जबकि आप अध्यापकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिये विधेयक पेश करते हैं जबकि उन्हें उनके दायित्व की ओर सचेत तथा सक्रिय करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है ।

मैं जानता हूं कि लोग यह कहेंगे कि मैंने इस विधेयक के कुछ उपबन्धों का विरोध किया है क्योंकि वे अल्पसंख्यकों की पंसद के संस्थानों और हितों के विरुद्ध हैं। इसके विपरीत में दलीलें भी दी जाती हैं कि 'देखो अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों में क्या कुछ हो रहा है ।' मैं यह मानता हूं कि हर समुदाय वर्ग आदि में एक आधा बुराई या बुरा व्यक्ति तो अवश्य होता है । परन्तु अल्पसंख्यक संस्थान थोड़े से तो हैं परन्तु वे जितने भी हैं वे सबसे श्रेष्ठ हैं सबसे अच्छे हैं। दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक प्रणाली के 455 स्कूल हैं जिनमें से अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित केवल 31 स्कूल हैं। सम्भव है कि इन 31 में से एक या दो स्कूलों में कोई थोड़ी बहुत बुराई हो परन्तु शेष 29 स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें राष्ट्रपति, मंत्रियों, संसत्सदस्यों तथा देश के अन्य बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, फिर इन स्कूलों की ही ओर सब क्यों दौड़ते हैं । क्या कारण है कि मेरे पास भी अनेक संसद-सदस्य, मन्त्री तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी आकर निवेदन करते हैं कि उनके बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश दिलाने में सहायता करूं ? इसका कोई तो कारण होगा ? जी हां, केवल यही कारण है कि ये स्कूल सर्वश्रेष्ठ हैं । यहां शिक्षा के स्तर का ध्यान रखा जाता है, यहां अनुशासन है, यहां परिश्रम किया जाता है, जोकि अन्य सरकारी स्कूलों में उपलब्ध नहीं है ।

परन्तु साम्यवादी अथवा साम्यवाद से प्रभावित सरकारें तो अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शिक्षा-संस्थानों को समाप्त ही कर देना चाहती हैं ? वे लोग तो हर बच्चे को राज्य का बच्चा समझते हैं और उसे केवल एक मार्गी शिक्षा देकर साम्यवादी दृष्टिकोण पैदा करना है । वस्तुत: यह सच नहीं है कि प्रत्येक बच्चा राज्य का बच्चा है । लोकतंत्र में यह दृष्टिकोण सही नहीं है। वह अपने माता-पिता की इच्छा और भावनानुसार शिक्षाग्रहण करने का अधिकारी है । माता-पिता अपने बालक को अपनी पसंद की शिक्षा दिलाने के अधिकारी हैं। परन्तु साम्यवादी लोग उन मूलभूत अधिकारों को तो कोई महत्व ही नहीं देते, यही कारण है कि इस चर्चा में अनेक साम्यवादी दल अल्पसंख्यकों द्वारा प्रशासित शिक्षा संस्थानों का घोर विरोध करेंगे । उन्हें समाप्त कराने के लिये पूरा जोर लगायेंगे ।

अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत, शिक्षा संस्थान की स्थापना को जो अधिकार उपलब्ध है उसका यह अर्थ भी नहीं है कि इसमें कुप्रबन्ध करने का अधिकार भी मिल जाता है । उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपने किसी संस्थान में कुप्रबन्ध करने का अधिकारी नहीं है तथा अनैतिकता के किसी भी मामले में पुलिस भी हस्तक्षेप कर सकती है । सफाई और स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था के बारे में भी इस न्यायालय के यही निर्णय हैं। परन्तु फिर भी अनुच्छेद 30 के अधीन प्राप्त अधिकार अनुच्छेद 19 के अधीन प्राप्त अधिकारों जैसे नहीं हैं जिन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जा सकें। यह अधिकार तो पूर्ण अधिकार है । उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि आप किसी संस्था को अनुदान या सहायता नहीं देते, तो आप वहां के प्रशासन में भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते । मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्री महोदय ने मेरे दृष्टिकोण को समझकर आवश्यक परिवर्तन करना स्वीकार किया है ।

इस विधेयक के कुछ प्रावधान वस्तुत: बुरे हैं और उन प्रावधानों पर आधारित नियम बुरे ही होंगे ।

जहां तक अनुशासन का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने केरल शिक्षा विधेयक के खण्ड 12 (4) को रद्द करते हुए कहा था कि आंग्ल भारतीय स्कूल गैर-सहायता प्राप्त स्कूल हैं तथा सरकार उनमें बर्खास्तगी, अपदस्थता आदि के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। केरल विश्वविद्यालय अधिनियम के मामले में ईसाई कालेजों के बारे में मैं उच्चतम न्यायालय में बहस कर रहा था। इन कालेजों को औसतन 85 प्रतिशत सहायता मिलती है परन्तु फिर भी उच्चतम-न्यायालय ने कहा कि ये कालेज अनुच्छेद 30 के अधीन प्राप्त अपने अधिकारों को पूरी तरह नहीं खोते तथा ईसाई अल्पसंख्यकों को इन संस्थानों के प्रबन्ध को छीना नहीं जा सकता। इस प्रकार नौकरी से हटाने आदि के मामले में उपकुलपति की अनुमति लेने की बात न्यायालय ने रद्द कर दी।

इस विधेयक के खण्ड 15 (3) (ङ) के अनुसार मध्यस्थता के मामले में इन स्कूलों के लिये भी व्यवस्था की गई है जिन्हें कोई सहायता नहीं मिलती है। इसके फलस्वरूप समझौते सम्बन्धी हर मामला मध्यस्थता के अन्तर्गत आयेगा। छोटी छोटी बातों में मध्यस्थता के मामले खड़े हो जायेंगे और काम रुक जायेगा, प्रबन्ध मण्डल पर हर समय राजनीति, अकुशल तथा निरुद्देश्य अध्यापकों से जूझता रहेगा। इसीलिये मैंने कहा है कि यह प्रावधान बुरा है। यह अनुशासन के मामले को भी मध्यस्थता का विषय बनाता है जोकि सम्भव नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी है। हालांकि मन्त्री महोदय ने कहा है कि उनका यह उद्देश्य नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति मध्यस्थता करे फिर भी आप किसी अल्पसंख्यक स्कूल पर मध्यस्थता के बारे में कोई विशिष्ट प्रक्रिया अपनाने को बाध्य नहीं कर सकते।

एक अन्य खण्ड 13 में भर्ती के तरीके नियत किये गये हैं। हालांकि तत्सम्बन्धी नियम तो नहीं बताये गये हैं परन्तु मैं सरकार को चेतावनी देता हूं कि वह किसी गैर-सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के भर्ती सम्बन्धी नियम निर्धारित नहीं कर सकती। ऐसे मामले को लेकर मैं केरल शिक्षा विधेयक के खण्ड 12 (1) को रद्द करा चुका हूं। केरल सरकार के इस सुझाव को मैंने नहीं माना था कि हम राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार सूची में से अपने लिये अध्यापक चुन लें। हम तो अपने अध्यापकों को अखिल भारतीय आधार पर तथा सीधे चुनेंगे। आप न्यूनतम योग्यतायें तय कर दीजिए परन्तु भर्ती के तरीके नहीं तय कर सकते? इसी प्रकार आचार संहिता सम्बन्धी खण्ड 14 यदि अनुशासन सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाता है, तो वह बुरा होगा।

खण्ड 15 (3) (ख) में कहा गया है कि गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों में मिलने वाले समूचे लाभों को समाप्त कर दिया जाये। इन स्कूलों में सरकारी स्कूलों की भांति पेन्शन तथा उपदान नहीं दिया जाता क्योंकि हम मुख्यत: अपने ही समुदाय के लोगों को नियुक्त करते हैं। उन्हें ऊंचा वेतन तथा ऊंची दरों पर अंशदायी भविष्य निधि भी प्रदान करते हैं। ये अध्यापक स्थानान्तरित भी होते रहते हैं और कभी कभी विदेशों में 10 गुणा वेतन वाली नौकरी पा जाते हैं।

इस विधेयक को एक आदर्श विधेयक का रूप दिया जा रहा है। मेरे सम्पर्क में 300 आंग्ल भारतीय स्कूल हैं, असहाय स्कूल हैं, जोकि बच्चों की शिक्षा, भोजन और वस्तु आदि देने के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। इसके बाद भी वे स्कूल पेन्शन तथा ग्रेचुएटी कहां से देंगे। सरकारी स्कूलों के लिये तो सरकार जनता पर कर लगाकर धन एकत्रित कर लेगी, परन्तु इन गैर सहायता प्राप्त स्कूल के पास धन कहां से आयेगा?

दिल्ली में अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाकर आपने अपने लिये तथा राज्यों के लिये भी परेशानी खड़ी कर ली है।

मंत्री महोदय ने जो संशोधन पेश किया है वह मेरे संशोधन जैसा ही है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार निस्सहायों पर वित्तीय प्रतिबन्ध लगाकर उन्हें बन्द होने पर विवश नहीं करेगी।

इस विधेयक के कुछ उपबन्ध हिन्दू स्कूलों के हितों को भी बड़ी हानि पहुंचायेंगे। परन्तु मुझे लगता है कि हिन्दू लोग अपने हितों के लिये लड़ते नहीं हैं, संघर्ष नहीं करते। मुझसे एक हिन्दू

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

प्रिंसिपल ने कहा कि यदि इतने प्रतिबन्ध लग भी जायें तो क्या है। सम्बन्धित अधिकारी की मुट्ठी जरा गर्म करो और काम बना लो। मैं तो बड़ा चकित हुआ। इससे अधिक मैं हिन्दू स्कूलों के बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

मैं अपने संशोधन पर कितना जोर दूंगा यह तो मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत संशोधन तथा स्पष्टीकरण पर निर्भर करेगा।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई मध्य दक्षिण) : प्रवर समिति के पास से होकर आया यह विधेयक अब एक सिफारिश का रूप ग्रहण कर चुका है और हम समझ सकते हैं कि प्रवर समिति ने इसके सभी पहलुओं पर विचार किया होगा।

मेरे मित्र श्री फ्रैंक एन्थनी एक नाम निर्देशित सदस्य हैं तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनकी सदैव एक विशिष्ट भूमिका रही है। उन्होंने संविधान के 25वें संशोधन विधेयक पर तथा अब इस विधेयक पर भी अल्पसंख्यक दृष्टिकोण से ही विचार किया है। विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण सम्बन्धी वक्तव्य में कहीं किसी हिन्दू अथवा अल्पसंख्यक स्कूल का वर्णन नहीं है। न जाने उन्हें हिन्दू स्कूल का विचार कैसे आया? विधेयक के पृष्ठ 12 पर यह कहा गया है कि हाल ही के वर्षों में दिल्ली में निजी प्रबन्धाधीन शिक्षा-स्कूल का प्रबन्ध असन्तोषजनक रहा है जिसके फलस्वरूप इस सम्बन्ध में काफी आलोचना हुई है। और इसी स्थिति के संदर्भ में सरकार ने उक्त विधेयक लाना स्वीकार किया ताकि प्रक्रियाओं को नियमित तथा कदाचारों को नियंत्रित किया जा सके। इसमें किसी हिन्दू अथवा आंग्ल-भारतीय स्कूल का कोई जिक्र नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अध्यापकों के विरुद्ध आरोप लगाये तथा कुछ निजी स्कूलों के अध्यापकों को सर्वश्रेष्ठ बताया। जबकि सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक इस ढंग से हड़ताल कर रहे हैं जिससे कि शिक्षण-कार्य पर उसका कोई प्रभाव न पड़े। माननीय सदस्य को सभी को एक लाठी से नहीं हांकना चाहिये।

मैं तो समझ भी नहीं पाया कि वह क्या कहना चाहते हैं। अपने भाषण के तीन पृष्ठों में तो उन्होंने अपनी जीवन-गाथा कही है तथा शेष में विधेयक से असम्बन्धित बातें कही हैं। अल्पसंख्यक व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक स्कूल दो विभिन्न चीजें हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को पूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया है।

श्री फ्रैंक एंथनी : * * (व्यवधान)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या माननीय सदस्य द्वारा बोले गये * * शब्द संसदीय हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करके निर्णय दूंगा, यदि संसदीय न हुए तो कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा।

* * अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

श्री एस० ए० कादर : मैं पूछता हूं कि देश की शिक्षा प्रणाली को विभिन्न समुदायों में विभक्त किया जाना है अथवा कि सभी शिक्षा-संस्थानों के लिये राष्ट्रीय नीति के आधार पर गठित किया जाना है । मेरे विचार से तो सरकार का फर्ज है कि वह सभी स्कूलों को समान दर्जा दे, विभिन्न समुदायों के लिये भिन्न भिन्न पाठ्यक्रम तो नहीं होने चाहियें। व्यापक राष्ट्रीय हितों को देखते हुए ही हमें यह सुनिश्चय करना होता है कि किसी अल्पसंख्यक अथवा बहुसंख्यक स्कूल के हितों को ठेस न पहुंचे, उसके प्रति कोई अन्याय न हो । परन्तु किसी समुदाय के नाम पर तो किसी को अपनी मन-मर्जी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

श्री एंथनी का यदि यह दृष्टिकोण है कि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित स्कूलों को संरक्षण प्रदान किया जाये तो मैं उनसे बहुत हद तक सहमत हूंगा । परन्तु इसके लिये तो इस विधेयक में बड़ी व्यवस्था है । फिर वह क्यों इतना चिल्ला रहे हैं ? उन्होंने यह तो बताया ही नहीं कि विधेयक में किस प्रकार का संशोधन किया जाये ।

इस विधेयक पर चर्चा के समय हम इस या उस स्कूल के अध्यापकों को संरक्षण के बारे में तो अपना अपना मत व्यक्त कर सकते हैं परन्तु वस्तुतः तो हमने सारे भारत का हित देखना है । अब समय आ गया है जबकि हम सुनिश्चय करें कि हमारे शिक्षा संस्थानों में, चाहे वे सरकारी हों अथवा गैर-सरकारी, उद्देश्य-पूर्ण शिक्षा दी जाती है अथवा नहीं ।

इस समय तो हम ऐसी शिक्षा प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं जोकि एक विदेशी सरकार ने अपने उद्देश्यों के अनुरूप गठित की थी । दुर्भाग्य से पूरे 25 वर्षों में भी हम उस प्रणाली में कोई मूल-भूत परिवर्तन नहीं कर पाये । केवल छोटे-मोटे परिवर्तनों के सहारे ही आगे बढ़ रहे हैं । पहले जिस प्रकार की शिक्षा मुझे मिली थी उस प्रकार की शिक्षा आज मेरे बच्चों को मिल रही है । मैं समझता हूं कि समूचे देश की शिक्षा पद्धति का पुनर्निरूपण तथा उसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन करने के उद्देश्य से एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाये अन्यथा हम सही ढंग के नागरिक न बना सकेंगे जिनकी कि हमारे देश के जीवन के हर पहलू में आवश्यकता है ।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए तथा प्रवर समिति के प्रयासों की सराहना करते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि देश की शिक्षा पद्धति तथा शिक्षा कार्यक्रम पर नये सिरे से विचार किया जाये ताकि देश की शिक्षा प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन किये जा सकें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगदीश भट्टाचार्य ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : उन्हें इससे पहले क्यों नहीं बुलाया गया । मैं इस संबंध में आपको लिखने जा रहा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लिखें या न लिखें । किसी भी सदस्य को बुलाने के बारे में अध्यक्ष पीठ को विशेषाधिकार प्राप्त है । यदि वह नहीं बोलते हैं तो मैं किसी अन्य सदस्य को पुकारूंगा ।

***श्री जगदीश भट्टाचार्य** (घाटल): इस विधेयक के अन्तर्गत दिल्ली के स्कूलों में कार्य करने वाले शिक्षकों की समस्याओं के कुछ समाधान करने की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है । आरम्भ में इस विधेयक में बहुत से दोष थे जिनके कारण इसे प्रवर समिति को भेजना पड़ा । प्रवर समिति ने

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

इसमें कुछ सुधार किये हैं। अब भी इस विधेयक में बहुत से दोष हैं, जिससे भविष्य में बहुत सी कठिनाइयां पैदा होंगी। श्री फ्रैंक एन्थनी ने जो छूट तथा सुविधायें मांगी हैं, मैं उनका विरोध नहीं करता हूं परन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि अल्पसंख्यकों के स्कूलों के शिक्षक सेवा सुरक्षा आदि लाभ से किस प्रकार वंचित रह जायेंगे।

सभी पंजीकृत स्कूलों के शिक्षकों को, चाहे उन स्कूलों को सहायता प्राप्त होती हो अथवा न प्राप्त होती तो, चाहे वे अल्पसंख्यकों के हों अथवा गैर अल्पसंख्यकों के, सभी लाभ उपलब्ध होने चाहिये। कहा गया है कि यदि इन शिक्षकों को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है तो ये अनुशासन-हीन हो जायेंगे तथा राजनीति में भाग लेना आरम्भ कर देंगे। जहां तक अनुशासनहीन होने की बात है, हमें स्कूलों के परिणामों के साथ साथ इस बात को भी ध्यान में रखना है कि देश में 30 प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं जो अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर पाते हैं। हमें उनकी शिक्षा पर भी ध्यान देना है। जहां तक राजनीति में भाग लेने की बात है, मेरी समझ में नहीं आता कि यदि शिक्षक ऐसा करते भी हैं तो इसमें क्या हानि है। शिक्षक ही निरक्षर जनता को बताते हैं कि देश में क्या हो रहा है। वही निरक्षर लोगों का राजनीति के मामले में मार्गदर्शन करते हैं। बहुत से स्कूलों में कुप्रबन्ध तथा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। विधेयक की धारा 21 में अल्पसंख्यकों के स्कूलों को यह छूट दी गई है कि कुप्रबन्ध तथा भ्रष्टाचार आदि के मामलों में प्रशासन द्वारा स्कूलों के प्रबन्ध का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। यह उचित नहीं है। जब आवश्यक समझा जाये सरकार द्वारा उनका प्रबन्ध भी अपने हाथ में लिया जाना चाहिये।

विधेयक की धारा 22 में परामर्शदात्री बोर्ड के गठन की व्यवस्था की गई है। इस बोर्ड में प्रशासक की जी हजूरी करने वाले लोगों को ही स्थान दिया जायेगा और यह अन्ततः निहित स्वार्थों का एक हल ही प्रमाणित होगा। बोर्ड के सदस्यों के लिये लोकतांत्रिक पद्धति पर सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था होनी चाहिये। उन्हें नामजद करने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये।

विधेयक की धारा 4 (5) में यह व्यवस्था की गई है कि केवल मान्यता प्राप्ति के आधार पर ही कोई स्कूल सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह उचित नहीं है। मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जैसे ही किसी स्कूल को मान्यता प्राप्त हो, वह स्कूल शिक्षकों को प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित वेतनमान दे। मान्यता देते ही स्कूल को सहायता-अनुदान देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे भी स्कूल हैं जो शिक्षकों को 100 रुपया प्रतिमाह वेतन देकर 200 रुपये पर हस्ताक्षर कराते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को ऐसी दयनीय स्थिति में कार्य करने के लिये बाध्य होना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि इन स्कूलों को कोई अनुदान नहीं दिया जाता है। बहुत से स्कूलों में, जिन्हें अनुदान भी मिलता है, भ्रष्ट प्रबन्ध समितियों के कारण शिक्षकों को न्यायोचित वेतनमान नहीं दिये जाते हैं। अतः स्कूलों को मान्यता देने के साथ साथ उनके लिए सहायता अनुदान देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। दिल्ली के बहुत से स्कूलों में बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में भी 30 से 50 रुपये तक शुल्क देना पड़ता है। क्या दिल्ली के सभी लोग इतना शुल्क देने योग्य हैं। सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिये।

प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। यदि प्राइमरी शिक्षा इतनी मंहगी होगी तो अभिभावक तीन, चार बच्चों की शिक्षा का भार एक साथ किस प्रकार वहन कर सकते हैं? क्या श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है? जब तक सरकार निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था न कर पाती है तब उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा मंहगी न हो जिससे गरीब लोग भी अपने बच्चों को शिक्षा दे सकें।

विधेयक की धारा 29 में यह व्यवस्था की गई है कि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यरूप देने में यदि कोई कठिनाई आती हैं तो केन्द्रीय सरकार अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कठिनाई को अपने आदेश से दूर कर सकती है। इस धारा का सावधानी के साथ उपयोग किया जाना चाहिये।

Shrimati Mukul Banerji (New Delhi) : This Bill is a right step towards ameliorating the lot of the teachers. The bill should command an overall support and should be passed at an early date.

This bill, as believed, is not meant exclusively for teachers but it will provide benefits to all the employees working in the schools of Delhi. I am well aware of the circumstances prevailing in Delhi schools. At the time when the teachers are paid their monthly emoluments, they are forced to give donations to the school. Posts are auctioned, the teachers are exploited by the management of the unaided schools. In many schools teachers are not paid their rightful emoluments through, they by way of manipulations receive 100 percent grants-in-aid. In these circumstances if their service conditions are not improved, how they can educate their children.

The provision of direct payment is commendable. Chapter IV of the Bill provides for a judicial tribunal. There should be a time limit to its formation.

There was no provision so far to give old age benefits in the aided primary schools of Corporation and Municipalities. This bill provides for that. As regards admission of the students, we find that there is a difficulty in every school. The reason is that the population in Delhi has increased ten times during the course of 25 years.

With these words, I support this bill.

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यह विधेयक बहुत पहले लाया जाना चाहिए था जिससे शिक्षा तथा स्कूलों के प्रबन्ध के मामले में सुधार किया जा सकता।

शिक्षा के स्तर में सुधार करने का कोई भी विरोधी नहीं है। परन्तु प्रश्न यह है कि प्राइवेट स्कूल शोषण का साधन बने हुये हैं। शिक्षा का स्तर सुधारने के नाम में शोषण किया जाता है। जब कहीं भी शिक्षा के मामले पर चर्चा होती है, कुछ लोग अल्पसंख्यकों की बात करने लगते हैं, धर्म का नाम लेकर भाषण करते हैं, भाषा विवाद की बात उठाते हैं और कहते हैं कि उनके हितों को खतरा है। इस देश में कोई भी अल्पसंख्यकों के हितों का विरोधी नहीं है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सर्वोत्तम गारन्टी तो यही है कि लोग इस बात के प्रति सजग हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जा रही है। हमारे संविधान में लोकतांत्रिक भावना के आधार पर ही अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है।

अल्पसंख्यकों संस्थानों तथा उनके अधिकारों के नाम में लोग क्या कर रहे हैं ? क्या किसी उद्देश्य के संवर्धन के लिये ये संस्थान चलाये जा रहे हैं। मेरे विचार में ऐसी बात नहीं है।

बिना सहायता प्राप्त स्कूलों के नाम में देश में बड़ी संख्या में पब्लिक स्कूल हैं। ये पब्लिक स्कूल हमें बीते युग की याद दिलाते हैं।

स्वतंत्रता के 25 वर्षों के पश्चात भी इन स्कूलों के पाठ्यक्रम देश की सामाजिक आर्थिक दशाओं के अनुकूल नहीं हैं। इन स्कूलों में धनी लोगों के बच्चे पढ़ सकते हैं। जो लोग अधिक शिक्षा शुल्क तथा अन्य विशेष शुल्क दे सकते हैं, केवल उन्हीं के बच्चों को इन स्कूलों में प्रवेश मिलता है किन्तु जनसाधारण के बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता।

कहा जा रहा है कि अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जायेगी। संसद को सर्वोच्च न्यायालय के नाम से नहीं डराया जाना चाहिए। हमें सामाजिक उद्देश्यों के लिये कानून

बनाने का अधिकार है। कुछ लोग अपने को अल्पसंख्यकों का समर्थक बताते हैं। वास्तव में वे शिक्षा को व्यापार का रूप देने वालों के हितों के, शिक्षा के क्षेत्र में निहित स्वार्थों के प्रबल समर्थक हैं। वे निजी प्रबन्ध के समर्थक हैं। प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति बड़ी दयनीय है। मुंह खोलते ही सेवा से निकाल दिया जाता है। ये संस्थान राष्ट्रीय नेताओं तथा सरकार के नेताओं से अनुचित लाभ उठाते हैं। कुछ समय पूर्व प्रधानमंत्री ने दिल्ली पब्लिक स्कूल का दौरा किया।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : प्रवर समिति की बातों का यहां उल्लेख नहीं किया जाना चाहिये। उनका प्रतिवेदन गोपनीय है। इसके बारे में यहां चर्चा करना अच्छा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : उपमंत्री महोदय ने क्या कहा है, मेरी समझ में नहीं आया है। इस सम्बन्ध में कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन के बारे में सदन में कुछ कहा जाये अथवा नहीं, मैं प्रक्रिया नियमों पर ध्यान दे रहा हूं। इस विषय में कोई तर्क नहीं किया जाना चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में अपना निर्णय इस समय नहीं दे सकता।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : यदि मैं प्रवर समिति के प्रतिवेदन की कोई बात कहता हूं तो यह समिति की कार्यवाही सांराश का उद्धरण तो नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा न करें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : एक अन्य प्रकाशन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रधानमंत्री इस संस्थान पर गईं जहां उन्होंने एक भाषण भी दिया। उन्होंने स्कूल के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे कार्य करने की सराहना की। पता नहीं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इन संस्थानों की सराहना क्यों करते हैं। ये संस्थान इन से अनुचित लाभ उठाते हैं।

कई बातें तय करने का कार्य नियम निर्माता निकाय पर छोड़ दिया गया है। दुर्भाग्य से इन नियमों को बनाने का कार्य नौकरशाही के लोगों को सौंपा गया है। ये लोग प्राईवेट प्रबन्ध से मिले हुये हैं। इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये।

स्कूल संसद की स्थापना के लिये कोई प्रबन्ध किया जाना चाहिये। स्कूलों को लोकतांत्रिक ढंग से चलाया जाना चाहिये ताकि छात्रों को लोकतंत्र के बारे में कुछ प्रशिक्षण दिया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री फ्रैंक एन्थनी ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, वह असंसदीय है। अतः वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

दूसरे प्रवर समिति के संदर्भ के बारे में, प्रक्रिया यह है कि जब तक प्रवर समिति का शब्दशः प्रतिवेदन सदन के पटल पर नहीं रखा जाता, इसे गोपनीय समझा जायेगा और इसे प्रकाशित नहीं किया जायेगा। इस-मामले में मैंने देखा है कि विशिष्ट साक्ष्य सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जा चुका है, अतः उससे उद्धरण दिया जा सकता है।

श्रीमती शीला कौल।

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : श्री चन्द्रप्पन ने जो कहा है कि मंत्रियों तथा संसद सदस्यों को विभिन्न स्कूलों में दौरों पर नहीं जाना चाहिये, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। यहां जाने से हमें पता चल सकता है कि ये उचित रूप से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं।

दिल्ली के स्कूलों के प्रबन्ध के बारे में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इस विधेयक के पास हो जाने पर सरकार को इनके कार्यकरण में सुधार करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जायेगा।

अब तक तीसरे तथा चौथे दर्जे के कर्मचारियों को त्रिसूत्री लाभ योजना से लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इस विधेयक से भेदभाव समाप्त हो जायेगा और सभी कर्मचारियों को सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

इस विधेयक में यह भी उपबन्ध है कि कर्मचारियों को सीधे ही वेतन प्राप्त हो। कई प्रकार के कदाचारों को दूर करने के लिये यह उपबन्ध आवश्यक है। ऐसे भी उदाहरण हैं, जब अधिक बोली देने वाले को पद नीलाम किये गए हैं। किसी भी स्कूल में ऐसा होना बहुत बुरी बात है। इससे वेतन के भुगतान में विलम्ब, अप्राधिकृत रूप से राशि काटना, अनिवार्य दान, रकम मार लेना और कर्मचारियों का शोषण आदि बातें रोकी जा सकेंगी।

दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक शिक्षा के क्षेत्र में एक उदाहरण है। जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता पैदा करना, शिक्षा का लोकतांत्रीकरण करना, कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा और स्कूल कर्मचारियों को पूरा तथा विनियमित वेतन दिलाना है। इससे सार्वजनिक निधि के दुर्विनियोग को रोका जा सकेगा और कर्मचारियों को दंड मिल सकेगा।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद): शिक्षा सुधार लोकतांत्रिक समाजवाद का सार है। शिक्षा की कमी लोकतंत्र के लिये खतरा है। प्राइमरी शिक्षा मानव रूपी मन्दिर के निर्माण की आधार शिला है। इसी से राष्ट्रीयता, धर्मनिरपेक्षता तथा देशभक्ति की भावनायें पनपती हैं। इस देश में लोकतांत्रिक संस्थानों का कार्यकरण मजाक बन गया है। क्योंकि प्राइमरी शिक्षा सभी को निःशुल्क प्रदान करने की व्यवस्था नहीं है। संविधान ने इस बात की गारन्टी दी थी। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के 25 वर्षों के पश्चात भी इस गारन्टी को पूरा नहीं किया जा सका है।

लोकतंत्र के असफल होने के कारण यही हैं कि हमारे यहां कोई सुस्पष्ट सुनिर्धारित, शिक्षा सम्बन्धी नीति नहीं है तथा शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिये कोई उत्साहपूर्वक कार्यवाही नहीं की जाती है। क्या साक्षरता के सम्बन्ध में हमारे नेता महात्मा गांधी तथा श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिये गये आश्वासन पूरे हो गये हैं। यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

हम एक ऐसे विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जिससे कोई भी राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं होता है। इसे दिल्ली स्कूल अध्यापक शिक्षा विधेयक के रूप में बेहतर रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये और इसका एकमात्र उद्देश्य अध्यापकों के लिये बेहतर सेवा शर्तों और सेवा सुरक्षा का सुनिश्चित कराना होना चाहिये। सरकार एक व्यापक विधेयक सभा में पेश कर सकती थी, जिसमें शिक्षा सम्बन्धी सुधारों के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता, जिसको बहुत पहले शामिल करने की आवश्यकता थी।

विधेयक के विभिन्न उपबन्धों पर विचार करने के लिये प्रवर समिति को और समय दिया जाना चाहिये था।

इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दिल्ली के अध्यापकों को बहुत हानि हुई है। उनका असीम शोषण किया जा चुका है। इस बात को जानकार आश्चर्य होता है कि सरकार गत 25 वर्षों से इस शोषण को चुपचाप देखती रही है।

यह एक मूल दायित्व है और सरकार को इसे प्रभावशाली ढंग से निभाना चाहिए । हमें ईमानदारी से काम करने वालों को प्रोत्साहन देना चाहिए और लापरवाह तथा अनुशासनहीन लोगों को दंड देना चाहिए ।

स्कूलों को व्यावसायिक केन्द्रों के रूप में चलाने वालों की मैं निन्दा करता हूं । लेकिन साथ ही हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि स्कूलों को राजनीतिक संस्थान बनने से रोका जाए । यदि स्कूल के छात्र मुक्त वातावरण में अध्ययन करेंगे, तभी वे देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा सकेंगे ।

वर्धा शिक्षा सम्मेलन में आचार्य विनोबा भावे ने शिक्षा के स्तर को ऊंचा रखने पर जोर दिया था । मैं स्वयं इसी मत का समर्थक हूं । स्कूलों का प्रबन्ध छात्र-प्रतिनिधियों, शिक्षकों तथा शिक्षाविदों द्वारा किया जाना चाहिए और राज्यों को इन मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । यदि हम छात्रों को देश का भावी निर्माता मानते हैं तो हमें उन्हें पूरी सुविधाएं देनी चाहिए ।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : मैं दिल्ली विद्यालय शिक्षा विधेयक का समर्थन करता हूं । दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के लिए यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि संसद ने उनकी सेवा शर्तों के बारे में विधान लाने की बात सोची है ।

दिल्ली शिक्षा संहिता उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी गई थी । परिणामस्वरूप अवसरवादियों ने शिक्षा संस्थानों को व्यावसायिक तथा राजनीतिक केन्द्र बना दिया और कई स्कूलों में अध्यापकों को नौकरी से अलग कर दिया गया । यह महत्वपूर्ण बात है कि इस विधेयक में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा की गारन्टी दी गई है । अनुच्छेद 311 में गैर सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी की सुरक्षा की गारन्टी नहीं दी गई । अतः यह आवश्यक हो गया था कि ऐसा विधान लाा जाए जिसमें ऐसे शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा की गारन्टी दी गई हो । यह विधान यदि और विलम्ब से लाया जाता तो अवसरवादियों को ईमानदार शिक्षकों को नौकरी से वंचित करने का अवसर प्राप्त हो जाता ।

हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर को एकरूप बनाना है । जब भी हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं या उसके सम्बन्ध में कोई विधान बनाते हैं तो हमें अल्पसंख्यकों के स्वरूप सम्बन्धी पहलुओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए । जब तक राज्य अध्यापकों को उचित वेतन का आश्वासन नहीं देते, तब तक अल्पसंख्यकों अथवा बहुसंख्यकों के अधिकारों के बारे में बात करना बेकार है··· **(व्यवधान)** । हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षा को ऊंचा उठाना है ।

इस विधेयक की आलोचना की जा रही है और आलोचकों का कहना है कि यह विधेयक मात्र शिक्षक-कल्याण विधेयक है । मैं आशा करता हूं कि एक विस्तृत विधेयक लाया जाएगा जिसमें शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार होगा ।

सभी स्कूलों के वेतनमानों को एक समान बनाने की मांग की गई है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि चाहे स्कूल सरकारी सहायता प्राप्त हों अथवा नहीं, सभी को एक समान समझना चाहिए क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य तो शिक्षा का विकास करना है ।

अंततः मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं और सरकारी तथा सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक संघों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया ।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : विधेयक को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसका ढांचा

अप्रजातान्त्रिक है। इस विधेयक में प्रशासक की व्यवस्था की गई है। परामर्शदात्री बोर्ड का प्रावधान भी किया गया है ताकि प्रशासक स्वेच्छाचारी न हो सके। मेरे विचार में बेहतर यह होगा कि एक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए और इसका अध्यक्ष प्रशासक हो तथा इस बोर्ड में विशेषज्ञों को शामिल किया जाए।

विधेयक में शिक्षा के विकास की व्यवस्था की गई है। परन्तु इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि यह विकास किस प्रकार किया जाएगा ?

विधेयक में शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है परन्तु यह नहीं बताया गया कि स्कूलों के प्रति उनका क्या उत्तरदायित्व होगा।

गुजरात में ऐसे ही विधेयक को जब अधिनियम का रूप दिया गया तो वहां के स्कूलों की स्थिति और भी शोचनीय हो गई। वहां के शिक्षकों ने 'नियमानुसार कार्य' करने की पद्धति अपना ली। इस प्रकार के परिणामों से बचना चाहिए।

शिक्षकों द्वारा अपील करने के लिए न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है और उसका अध्यक्ष न्यायिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति होगा। मेरा सुझाव है कि इसका अध्यक्ष शिक्षा-क्षेत्र में अनुभव प्राप्त व्यक्ति होना चाहिए। माननीय मंत्री यह भी बताएं कि स्कूल के प्रबन्धकों के लिए क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त बनायें जायेंगे। उन्हें शिक्षा बोर्ड के गठन पर पुनः विचार करना चाहिए। किसी एक प्रशासक को शक्तियां सौंपना उचित नहीं होगा।

Shri Sudhakar Pandey (Chandauli) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the Bill. I would have more welcomed it, had it been brought earlier. Through this Bill, Government are enabling the teachers to have their legitimate rights.

Shri Frank Anthony has mentioned about the minority rights. I do not find any link between minority rights and expansion of education. We want to build up such structure of education as can help the Nation to develop.

The Bill has laid more responsibility on the shoulders of Government officials. I want that honest officials should be rewarded and negligent and indisciplined officials be penalised. I am sure that Education Ministry will evolve progressive rules.

Government and Minister of Education did not make any effort for the standardization of the education. There is a large number of leaders who do not get satisfied in saying that revolution should be brought about in education. But they do very little for materialising their programmes. I want that Board of Secondary Education should be set up and question of standardization of education should be taken into consideration. Government should avail the services of honest teachers.

Education Minister should convene a convention of educationists of States and they should think upon the question of expansion of education with available sources. Education should not be viewed from the communal point of view.

An hon. Lady Member has cast aspersion on Hindi loving people. I submit that they are nation builders and committed for national integration.

With these words, I support the Bill and want the Government to opt well conceived policy regarding standardization of education.

श्री समर गुह (कन्टाई) : लोक-सभा के गत सत्र में इस विधेयक को पारित करने पर विचार किया गया था। विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त प्रवर समिति ने बैठकें बुलाईं। परन्तु इस समिति ने विधेयक पर विचार करने में शीघ्रता की और इसलिए कई पहलुओं पर विचार नहीं हुआ।

प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य सीमित है । यह विधेयक दिल्ली के स्कूलों के प्रबन्ध के पहलुओं से सम्बद्ध है और इसमें प्रशासनिक पहलुओं का उल्लेख नहीं है ।

हमारी शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है । छात्र रटकर पास हो जाते हैं । इसलिए आवश्यक यह है कि स्कूलों की पाठ्यचर्चा में परिवर्तन किया जाए, उसे नई दिशा प्रदान की जाए ताकि देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे । छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए जो समाज की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सके । माननीय सदस्य श्री फ्रैंक एन्थनी ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की है । प्रश्न अल्पसंख्यकों अथवा बहुसंख्यकों का नहीं है । प्रश्न यह है कि शिक्षा का विकास किस प्रकार हो सकता है । चाहे कोई बंगाली स्कूल हो या तमिल स्कूल, उन्हें कुप्रबन्ध की स्थिति उत्पन्न करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । वे अपने अलग नियम नहीं बना सकते । सभी स्कूलों के लिए समान नियम होने चाहिए । माननीय मंत्री को शिक्षाविदों से परामर्श लेना चाहिए ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि शिक्षा को प्रजातांत्रिक और समाजवादी किस प्रकार बनाया जा सकता है । इस विधेयक की सफलता अथवा असफलता नियमों और प्रक्रिया के गठन पर निर्भर करती है ।

"मैनेजर" शब्द उपयुक्त नहीं है । इस शब्द से ऐसा आभास होता है कि वह किसी मिल या फैक्टरी का मैनेजर है । इसके अतिरिक्त यह शब्द शिक्षा के सिद्धान्तों और शिक्षकों की प्रतिष्ठा के विपरीत है । अत: इसके स्थान पर 'प्रबन्धक' या 'परिचारक' शब्द होना चाहिए ताकि शिक्षण व्यवसाय की प्रतिष्ठा, आदर और दर्जा कायम रह सके ।

श्री वाई० एस० महाजन (बुलडाना) : शिक्षा विधेयक से काफी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं शिक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है । दिल्ली के स्कूलों की हालत अत्यन्त शोचनीय है । स्कूलों में छात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि शिक्षक उन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते । यही नहीं, कई स्कूलों के अपने भवन नहीं हैं और उन्हें सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती । इसके अतिरिक्त उन्हें सरकार द्वारा मान्यता भी नहीं दी गई । इसलिए ऐसे विधेयक लाने की आवश्यकता अनुभव की गई ।

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[Shri K. N. Tiwari in the Chair]

विधेयक का उद्देश्य दिल्ली के स्कूलों की माध्यमिक शिक्षा का विकास करना है । विधेयक में प्राइमरी, मिडिल और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के बारे में भी विचार किया गया है । इसमें शिक्षकों की भर्ती के नियमों और सेवा शर्तों का उल्लेख भी किया गया है ।

इस विधेयक के आलोचकों का कथन है कि विधेयक से शिक्षकों का ही हित होगा और शिक्षा का विकास नहीं होगा । इस सम्बन्ध में मुझे कहना है कि अधिनियम के अन्तर्गत नियम अभी बनाए जाने हैं । इस विधेयक में स्कूलों के गठन, शिक्षकों की नौकरी-सुरक्षा, प्रबन्धकों और शिक्षकों के परस्पर झगड़ों को सुलझाने और नियम का पालन न करने वाले स्कूलों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की व्यवस्था की गई है । विधेयक का पहला लाभ यह है कि स्कूलों का कार्य-संचालन ठीक होगा और शिक्षक शोषकों से अपनी रक्षा कर सकेंगे । एक कमी और है, अर्थात् इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद भी अमान्यता-प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूल बने रहेंगे ।

इस विधेयक की आलोचना की गई है कि इसमें शिक्षा में सुधार का कोई प्रावधान नहीं है । जो आचार संहिता है उसमें दिया गया है कि अध्यापकों को निष्ठापूर्वक कार्य करना है ।

मैंने सुना है कि दिल्ली में अध्यापक ट्यूशन पढ़ाते हैं और 500 रुपये, 1000 रुपये प्रतिमास लेते हैं। इस प्रकार की कुरीति के लिये विनियम बनाये जाने चाहिये। इस पर कुछ प्रतिबंध भी लगाये जाने चाहिये।

समूचे भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार करना होगा। दिल्ली की शिक्षा के स्तर में काफी प्रतिष्ठा है और मुझे आशा है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद इस क्षेत्र में शिक्षा में अग्रेतर सुधार होगा।

Dr. Kailas (Bombay-South) : I rise to support this legislation. It should have been brought forward earlier.

The provisions of this measure will enhance the reputation of teachers, standards of education and nobody will be able to run commercial educational institutions in future.

I was listening to Mr. Frank Anthony very carefully.

I would like to tell him one thing. It is correct that the schools are being run by unaided minority community. To-day an environment is in vogue that people send their wards to the English Schools. In such schools teachers are paid good salaries. These schools raise a property worth lakhs of rupees just after three years they are opened. Wherefrom this money comes ? They always talk like this in the name of minority or Article 30.

The provisions of this bill are symbols of goodness.

If we want to bring about uniformity in the educational system, it does not seem correct to exclude the unaided minority schools from the jurisdiction of this Bill.

If a managing committee of a particular school does not function properly, the management should be taken over not only for three or five years but for good. We have to see that these educational institutions do not take a shape of commercial institutes.

There is no clause in this bill regarding filing of appeal to the Director of Education.

The provision to file an appeal within 30 days in clause 8 Sub-clause (3) has been increased to 3 months. It is a good step.

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : हम सभी चाहते हैं कि स्कूलों की शिक्षा में सुधार हो और अध्यापकों को सुरक्षा प्रदान करने के सभी कदमों का स्वागत किया जायेगा परन्तु यह सुरक्षा अल्पसंख्यकों के अधिकारों को हानि में रख कर प्रदान नहीं की जानी चाहिये। समूचे शिक्षा जगत का सरकारीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उस क्षेत्र में वे जो चाहें वही कर सकें।

यदि ऐसे कानून बनाये जाते हैं, जिनसे अल्पसंख्यकों के हितों पर प्रभाव पड़ता है तो हमें उनका विरोध करना पड़ता है।

यहां कुछ बातें बहुत बढ़ा-चढ़ा कर कही गई हैं। यह कहा गया है कि स्कूलों में प्रवेश के लिये प्रबन्ध में 20,000 या 30,000 रुपये एकत्र कर लिये। हाई स्कूल में प्रवेश के लिये 20,000 या 30,000 रुपये कौन देगा। मेरे क्षेत्र में आधा दर्जन स्कूल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। यह आरोप लगाना गलत है कि वहां के प्रबन्धक भ्रष्ट हैं। आपने यह जो विधेयक पुरःस्थापित किया है इसका नाम दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक है परन्तु यह 'दिल्ली स्कूल अध्यापक विधेयक' ही है। क्योंकि इस विधेयक में शिक्षा में सुधार की कोई बात नहीं कही गई है परन्तु अध्यापकों को सुरक्षा प्रदान करने की ही बात कही गई है। हम चाहते हैं कि अध्यापकों को सुरक्षा प्रदान की जाये परन्तु सरकार द्वारा समूची शक्ति को अपने हाथ में ले लेना गलत है। क्या सरकारी स्कूलों में भ्रष्टाचार नहीं

होता है ? यदि कहीं कोई त्रुटि हो और अध्यापकों की शिकायतें हों तो शिक्षा शास्त्रियों अथवा संसद सदस्यों की समिति बनाई जा सकती है जो इसकी जांच करे। यदि अल्पसंख्यकों के सहायता-प्राप्त 5 प्रतिशत स्कूलों में कुप्रबन्ध हो, तो अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत मिले मूल अधिकारों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिये। हम इस विधेयक के द्वारा स्थिति में सुधार नहीं कर सकेंगे।

वे भर्ती की पद्धति निर्धारित करना चाहते हैं परन्तु यह सब अल्पसंख्यकों के हाथ में है क्योंकि वे अपनी संस्थाओं की स्थापना करती हैं और उन पर शासन करती हैं।

सरकार चाहे तो शिक्षा में सुधार करे और अध्यापकों को सेवाओं की सुरक्षा प्रदान करे परन्तु इस प्रकार के विधेयकों के द्वारा नहीं, जो अल्पसंख्यकों के मूल अधिकारों के विरुद्ध जाता है और उनके मूल अधिकारों को कम करता है।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Sir, I welcome the bill brought forward by the hon. Minister. This will give relief to the teachers of Delhi as well as the students. I would also like to congratulate the teachers' organisation for getting this bill introduced. This is only through their constant effort that this bill has come before the Parliament. India is a secular state and we are committed to give protection to the minorities. As such the responsibility of giving education etc. should be of the government and not of the irresponsible religious persons.

India is the only country in the world which is giving full rights to the minorities, but that does not mean that they should misuse them. I am getting complaints from every aided school that the teachers are being dismissed. When government gives so much aid why the right of turning the teachers out should be with the management.

Number of cases regarding teachers of these schools are lying in the courts since long, but there is nobody to help them. I would request hon. Minister to implement this Bill as early as possible so that the teachers of the schools, where strike is going on, may get some relief. It is wrong on the part of Mr. Anthony to say that their schools do not get any aid, when they are getting space, water, transport facilities etc. for their schools.

With these words I would like to say that the teachers should have their rights and students may get good education and this bill should come into force as early as possible.

Shri M. C. Daga (Pali) : I think it is not bad to give the leadership of the country in the hands of the good and dedicated leaders of the minorities.

This legislation is not a sound step under the Constitution of India. Government want to improve the condition of teachers by implementing this legislation, but this is a half hearted and belated measure. Government can amend the Constitution if it proves an obstacle in this regard. I will ask the government to bring forth a more dynamic and progressive measure for this purpose.

My first amendment to the bill is that the recognition of a school should not be withdrawn without giving a proper notice and time to file an appeal. Decision on that appeal should be taken within six months from the date of the presentation of an appeal in such manner. The present provision in the bill is contrary to the principle of natural justice.

Now I want to say one thing that if money is taken from the students, they should be given receipt for that. Moreover government should also see that the aid given to a school for a special purpose is utilized for that purpose only.

The provision of not transferring, mortgaging, etc. the property of an aided school without the approval of the appropriate authority is a good provision.

The practice of having an advisory committee should be discontinued. There should only be a decision taking body.

As regards the tribunal, the judges should have an experience of at least 10 years. If all the powers are given to them, it will be very troublesome.

The bill has been brought in a very hurried way. Members have also asked to pass it at once. They also want its immediate implementation. Under the bill all the powers to prepare rules have been delegated to bureaucracy. This is not a good thing. There should be clear and specific guidelines in regard to important provisions of this bill.

श्री एन० टोम्बी सिंह (आन्तरिक मनीपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह एक अच्छा कदम है, हांलाकि अन्तिम नहीं। पर हमें हर अच्छे कदम का स्वागत करना चाहिए। इससे शिक्षकों की स्थिति मजबूत होती है, उसमें सुधार आता है। उनकी नौकरी की सुरक्षा मिलती है।

यह विधेयक दिल्ली में शिक्षकों के विषय में है। हम यह सुनते रहे हैं कि दिल्ली में शिक्षा को व्यापार की वस्तु बना दिया गया है। यह बड़े ही खेद की बात है। अतः ऐसी स्थिति में जहां शिक्षा पैसा कमाने का जरिया बन जाये, यदि सरकार स्कूलों आदि को अपने हाथ में लेती है तो सभी उसका स्वागत करेंगे और सहयोग देंगे। पर प्रबन्धक इसका विरोध करेंगे क्योंकि इससे उनकी कमाई का जरिया खत्म होना है। इससे पता चलता है कि देश में शिक्षा के सम्बन्ध में कितनी असमानता है।

हम अल्पसंख्यकों को शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं वरन् प्रत्येक क्षेत्र में सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। पर होता यह है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर कुछ समुदाय अथवा स्कूलों के प्रबन्धक हमारे बच्चों को जन मानस से दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें भारतीय संस्कृति से विमुख कर रहे हैं।

राजधानी में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रस्तुत किए गये इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। पर इसके साथ-साथ मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राजधानी के साथ देश के अन्य भागों में भी शिक्षा के स्तर को उठाने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।

शिक्षकों को सुरक्षा प्रदान करने वाले इस उपाय का मैं समर्थन करता हूं। यदि इस विधेयक के द्वारा हम शिक्षक का कुछ भला कर सकें, तो यह एक अच्छा कदम होगा।

Shri Amar Nath Chawla (Delhi Sadar) : It would have been better if this Bill had been brought earlier. I congratulate the Minister of Education and the Joint Select Committee for making improvement in the Bill.

Thousands of teachers of Delhi will get relief from this Bill. Teachers working in aided schools will have security of their jobs now.

The present education system is not proving fruitful due to some faults in it. It is the responsibility of the Government to provide good education for the people. The Government employees should also take the responsibility in this matter.

The conditions of the teachers of Delhi have improved a lot as compared to 1947. It is now necessary that we should provide as much facilities to the teachers as possible with the help of this Bill the teachers will get security of their services. When there will be security of service they will not be mentally disturbed and will be able to do their work efficiently.

Teachers have to face great difficulties due to lack of accommodations. They should also be provided the facilities of Government accommodations like other Government employees.

In some schools teachers get less pay whereas they are asked to sign on full pay Bill. The present fault in this system should be avoided as early as possible.

The services of 74 teachers have been terminated in Birla School and 2000 students of the school have been aked to seek admission elsewhere. The High Court has given verdict against the management. I think there is no harm if the property remains with the management.

The Delhi Development Authority provides land to schools, at the rate of Rs. 5000 per acre whether they are aided, recognised or non-recognised schools. In case the school becomes derecognised, it becomes the property of the owner. I want that this short of assistance should not be given to unrecognised schools. Only the recognised schools should get this type of assistance.

श्रीमती एम० गौडफ्रे (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) : जो स्कूल "फ्रैंक एन्थनी" के नाम से चलाये जा रहे हैं, वे वास्तव में एक संस्था द्वारा चलाये जा रहे हैं। यह एक मात्र ऐसा निकाय है जो एक ही पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अखिल भारतीय शिक्षा सोसाइटी की परीक्षा लेता है। उक्त पाठ्यक्रम का पूरी तरह भारतीयकरण किया गया है। इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन ही एक ऐसी परीक्षा है जो भारत के सभी स्कूलों में ली जाती है। इस प्रकार हम उन व्यक्तियों के बच्चों को देश के अन्य भागों में दाखिल कर सकते हैं जिनका एक भाग से दूसरे भाग में तबादला हो जाता है। यद्यपि इन स्कूलों को अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाया जाता है फिर भी यह बहुसंख्यक लोगों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं।

हम प्रत्येक समुदाय के लोगों को स्कूल में प्रवेश देते हैं, चाहे उनकी मातृ-भाषा अथवा धर्म कुछ भी हो। अत: ये स्कूल सबके लिये हैं।

हमें इस बात पर गर्व है कि इस स्कूल के बहुत से युवक युवतियां देश में उच्च पदों पर काम कर रहे हैं।

यदि स्कूलों में अधिक अनुशासन रखा जायेगा तो हमारे युवक और युवतियां अच्छे नागरिक बन सकेंगे और वे अनुशासित भी रहेंगे।

यह कहना उचित नहीं है कि श्री फ्रैंक एन्थनी स्कूल की फीस ले रहे हैं। उक्त स्कूल एक संस्था द्वारा चलाये जाते हैं और वही संस्था छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करती हैं। गत वर्ष फ्रैंक एन्थनी स्कूल ने गरीब और दुर्भाग्यपूर्ण छात्रों को एक लाख रुपये दिये हैं और इस वर्ष उसका इरादा 2 लाख रुपये देने का है।

प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि इसका बच्चा ऐसे स्कूल में प्रवेश पाये, जिसमें अच्छा फर्नीचर हो, पुस्तकालय हो और प्रयोगशाला की सुविधाएं उपलब्ध हों। इसी कारण अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों में प्रवेश के लिये बहुत भीड़ रहती है और सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं होता। यदि सरकारी स्कूल भी बच्चों को इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें तो उनमें भी प्रवेश के लिये ऐसी ही भीड़ लगी रहे। इन स्कूलों द्वारा अन्य सुविधाएं प्रदान करने के कारण ही लोगों के बच्चों को अन्य स्कूलों की बजाये इन स्कूलों में दाखिल कराने के अधिक इच्छुक हैं।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : इस विधेयक की सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यापकों की सेवाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। अत: प्रत्येक सदस्य ने इस सिद्धान्त का स्वागत किया है। अध्यापकों को पर्याप्त सुरक्षा देने की आवश्यकता है।

शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय संकल्प में उल्लेख किया गया है कि अध्यापकों की योग्यताएं और उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें संतोषजनक होनी चाहिये। ऐसा केवल अधिनियम द्वारा किया जा सकता है।

6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को उचित शिक्षा की सुविधाएं देने के बारे में कार्यवाही की जा रही है। लेकिन ये ऐसे मामले नहीं हैं जिन्हें विधान द्वारा लाया जा सकता हो।

देश में स्कूलों की दशा में सुधार करने की बहुत आवश्यकता है।

अध्यापकों को अपने कर्त्तव्य और दायित्व से अवगत होना चाहिये और दोषी अध्यापकों को सजा दी जानी चाहिये।

इस विधेयक में अध्यापकों के लिये आचार संहिता बनाने के उपबन्ध हैं। अध्यापन व्यवसाय की उच्च परम्पराओं के अनुसार प्रशासन और प्रबन्ध के लिये इस आचार संहिता का प्रशासन तथा प्रबन्ध के लिये पालन करवाना सम्भव हो जायेगा।

यह सोचना गलत है कि विधेयक के पारित होने से नियमानुसार कार्य करने की प्रवृति को बल मिलेगा। मैं इस बारे में माननीय सदस्यों को आश्वासन देने के लिये तैयार हूं। जहां तक अल्पसंख्यकों का प्रश्न है, सरकार उनके द्वारा शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने के अधिकार का सम्मान करती है। यह केवल संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है। जैसाकि श्री फ्रैंक एन्थनी ने कहा कि यह नैतिकता है कि सत्तारूढ़ दल ने इसे अपने ऊपर डालना अपना कर्त्तव्य समझा।

अल्पसंख्यकों पर संविधान के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। हमने उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के अनुसार संविधान का पूर्णतया पालन करने का प्रयास किया है।

भर्ती की पद्धति के बारे में मुझे यह कहना है कि किसी अल्पसंख्यक संस्था पर, जिसे सहायता प्राप्त नहीं है, किसी बाहरी अभिकरण या अधिकरण को थौंपने की सरकार की प्रवृत्ति नहीं है।

उच्चतर कक्षा के लिये नियुक्त अध्यापकों के लिये यह अनिवार्य होगा कि उन्हें पूरी योग्यता प्राप्त हो। अतः चयन समिति यह सुनिश्चित करे कि उचित अध्यापकों का ही चयन किया जाये।

जहां तक मध्यस्थता का प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के ऐसे किसी स्कूल पर मध्यस्थता को थौंपने का प्रयास नहीं किया गया है जिसे सहायता प्राप्त नहीं होती। विधेयक के इस खंड के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि प्रबन्धक स्वयं मध्यस्थता की व्यवस्था करे।

शिक्षा के मामले में प्रशासक उप-राज्यपाल हैं। शिक्षा के मामले में महानगर परिषद् को कुछ निश्चित अधिकार दिये गये हैं। अतः इस सभा के लिये यह उचित नहीं होगा कि वह महानगर परिषद् को दिये गये अधिकारों को वापिस ले। संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में प्रशासन एक नौकरशाह अथवा एक व्यक्ति नहीं है। प्रशासक राज्यपाल है और उसे शिक्षा जैसे मामलों में अपनी कार्यकारी परिषद् की सहायता प्राप्त होती है।

आशा है कि एक बार सलाहकार समिति के गठित हो जाने के पश्चात् यह परम्परा बन जायेगी जिससे उक्त सलाहकार समिति की सिफारिश महानगर परिषद् द्वारा स्वीकार कर ली जायेगी।

जहां तक अध्यापकों के लिये आवास की व्यवस्था करने का सम्बन्ध है, मैं इस मामले की ओर ध्यान दूंगा। यह ऐसा मामला है जिस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिये। गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को रियायती दरों पर भूमि देने के मामले पर भी मैं विचार करूंगा।

सभापति महोदय : श्री फ्रैंक एन्थनी का एक प्रस्ताव विधेयक को उच्चतम न्यायालय को सौंपने का है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए और माननीय मंत्री द्वारा किये गये संशोधन को ध्यान में रखते हुए मैं सभा से अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

प्रस्ताव, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

The Motion was, by leave, withdrawn

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में विद्यालय शिक्षा की ओर अच्छी व्यवस्था और विकास तथा तत्संसक्त या आनुषंगी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम खंडों पर चर्चा करेंगे।

खंड 2

Clause 2

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूं :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं अपना संशोधन संख्या 48 और 49 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25, 48 और 49 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 25, 48, and 49 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2, was added to the Bill

खंड 3

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं करता।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) **:** I beg to move my Amendment No. 44.

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) . मैं संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 44 सभा में मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 44 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill

सभापति महोदय : श्री शशिभूषण का एक नया खंड 3 क जोड़े जाने का संशोधन है । वह भा में उपस्थित नहीं हैं ।

खंड 4

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 45, 46 और 47 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 45, 46 और 47 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 45, 46 and 47 were put and negatived

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 55 प्रस्तुत करता हूं :

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 5, पंक्ति 27, 28

Sub-section (4) or Sub-section 6 "उपधारा (4) अथवा उपधारा (6) शब्द के स्थान पर" or Sub-section (7) (अथवा उपधारा-7) प्रतिस्थापित किया जाये ।

श्री अमरनाथ चावला : मैं संशोधन संख्या 63 प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं संशोधन संख्या 63 स्वीकार करता हूं ।

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 63 संशोधन संख्या 56 के समान है जो प्रस्तुत किया जा चुका है । अब संशोधन संख्या 63 प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मुझे संशोधन संख्या 56 और 63 दोनों मंजूर हैं क्योंकि वे एक जैसे हैं लेकिन संशोधन संख्या 55 स्वीकार नहीं करता ।

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 56 जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, सभा में मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है कि "पृष्ठ 5, पंक्ति 27 और 28,

Sub-section (4) or Sub-section (6) "उपधारा (4) अथवा उपधारा (6) शब्द के स्थान पर" or Sub-Section (7) (अथवा उपधारा-7) प्रतिस्थापित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : मैं अब खंड 4 के बाकी संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4, as amended, was added to the Bill

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill

खण्ड—6

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधन संख्या 57 और 58 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 57 और 58 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 57 and 58 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6 was added to the Bill

खण्ड—7

सभापति महोदय : श्री डागा क्या अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 7 was added to the Bill

खण्ड—8

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपना संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 28 और 38 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 28 and 38 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 8 was added to the Bill

खण्ड 8-क और 8-ख (नई)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मैं अपना संशोधन संख्या 67 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 67 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 67 was put and negatived

खण्ड—9

सभापति महोदय : खण्ड 9 पर कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9, was added to the Bill

खण्ड—10

प्रो० मधु दंडवते : मैं अपने संशोधन संख्या 29 और 30 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 29 और 30 सभा में मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 29 and 30 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 10 was added to the Bill

खण्ड—11

प्रो० मधु दंडवते : मैं अपना संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 31 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 31 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 11 was added to the Bill

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 12 was added to the Bill

खण्ड—13

सभापति महोदय : क्या श्री फ्रैंक एन्थनी अपना संशोधन संख्या 10 पेश कर रहे हैं।

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय) : जी, नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13 was added to the Bill

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 14 was added to the Bill

खण्ड—15

प्रो० एस० नूरुल हसन : पृष्ठ 9, पंक्ति 31 से 33 के स्थान पर

(b) the leave of absence, age of retirement, pension and gratuity, or contributory provident fund in lieu of pension and gratuity, and medical and other benefits to which the employee shall be entitled.

(ख) अनुपस्थिति की अनुमति, सेवा निवृत्ति की आयु, पेंशन और उपदान, अथवा पेंशन और उपदान के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि तथा चिकित्सा और अन्य लाभ जिसके लिये कर्मचारी हकदार होगा **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(संख्या 71)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 9, पंक्ति 31 से 33 के स्थान पर

(b) the leave of absence, age of retirement, pension and gratuity, or contributory provident fund in lieu of pension and gratuity, and medical and other benefits to which the employee shall be entitled.

(ख) अनुपस्थिति की अनुमति, सेवा निवृत्ति की आयु, पेंशन और उपदान, अथवा पेंशन और उपदान के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि तथा चिकित्सा और अन्य लाभ जिसके लिये कर्मचारी हकदार होगा **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(संख्या 71)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 15 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 15, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 15, as amended, was added to the Bill

खंड—16

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं संशोधन संख्या 68 और 69 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 68 और 69 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendment Nos. 68 and 69 were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 16 was added to the Bill

खण्ड 16 क से 16 घ (नए)

श्री सी के० चन्द्रप्पन : मैं अपना संशोधन संख्या 70 प्रस्तुत करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 70 सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 70, was put and negatived

खण्ड—17

सभापति महोदय : मैं खण्ड 17 सभा में मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 17 was added to the Bill

खण्ड—18

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 18 was added to the Bill

खण्ड 19 से 21 विधेयक में जोड़ दिए गये

Clauses 19 to 21 were added to the Bill

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 22 was added to the Bill

खण्ड 23 से 27 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 23 to 27 were added to the Bill

नया खण्ड 27 क

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं अपना संशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करता हूं।

प्रो० एस० नूरुल हसन : मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 53 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 53 was put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 28 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 28 was added to the Bill

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 29 was added to the Bill

खण्ड—1

Clause 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 5 :—

"1972" के स्थान पर "1973" रख दिया जाए (संख्या 2)

(श्री डी० पी० यादव)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1, as amended, was added to the Bill

अधिनियम सूत्र

Enacting Eormula

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 :—

Twenty—third (तेईस) शब्द के स्थान पर Twenty—fourth (चौबीस) शब्द रख दिया जाए (संख्या 1)।

(श्री डी० पी० यादव)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

The Title was added to the Bill

श्री डी० पी० यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ईसाई शैक्षणिक संस्थाओं ने देश में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रशंसनीय सेवा की है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्र की जीवनदायिनी शक्ति शिक्षा के क्षेत्र में सरकार मौन धारण कर ले और अल्पसंख्यकों द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों की गतिविधियों में हस्तक्षेप न करे। यह कहना उचित नहीं कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। अन्य देशों में अल्पसंख्यकों की दशा काफी शोचनीय है लेकिन हमारा देश धर्म निरपेक्ष है और इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाता।

जहां तक साम्प्रदायिकता की भावना का प्रश्न है, यह अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों में पायी जाती है। विधेयक में शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा की गारन्टी दी गई है। अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मैं विधान में किए गए प्रावधानों का समर्थन करता हूं और उनकी भर्त्सना करता हूं जो इस विधेयक को अल्पसंख्यकों के साथ धोखा समझते हैं।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Mr. Chairman, Sir, although the Bill has basic lacunae, yet I support the Bill at random.

There should be uniformity in education in Delhi. The provisions made in the Bill will create hinderances in the way of bringing about uniformity in the education system.

Secondly, there in no need of public schools in the country because our country is committed to socialism. As far as question of linguistic minorities is concerned, I am of the view that their rights should be safeguarded at any cost. But we should also see that interests of teachers and other employees are not subdued.

With these words, I welcome the Bill and hope that it will be implemented properly.

Shri D. P. Yadav : Mr. Chairman, Sir, I welcome the views expressed by Shri Ramavatar Shastri and Shri Salve. Now I request that the Bill be passed.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा, बुधवार, 28 मार्च, 1973/ 7 चैत्र 1895 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, March, 28 1973/Chaitra 7, 1895 (Saka).

Tej Kumar Press (P) Ltd., Lucknow—5-6-73—490